खण्ड-08 सत्र-02 / अंक-10

शुक्रवार 28 मार्च, 2025 / 07 चैत्र, 1947 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

आठवीं विधान सभा

दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08, सत्र-2 में अंक 06 से 12 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-2 शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/07 चैत्र, 1947 (शक) अंक-10

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य	3-9
2.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	10-47
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	48-78
4.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	79-288
5.	माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	289
6.	सी.ए.जी. रिपोर्ट (डी.टी.सी.) पर चर्चा	290-329
7.	माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य	330-333
8.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	334-349
9.	संकल्प नियम-89	350-374

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/07 चैत्र, 1947 (शक) अंक-10

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अहिर दीपक चौधरी
2. श्री अजय महावर
3. श्री अनिल कुमार शर्मा
4. श्री अरविन्दर सिंह लवली
5. श्री चन्दन कुमार चौधरी
6. श्री गजेन्द्र दराल
7. श्री हरीश खुराना
8. श्री कैलाश गंगवाल
9. श्री करनैल सिंह
10. श्री कुलदीप सोलंकी
11. श्री कुलवन्त राणा
12. श्री मनोज कुमार शौकीन
13. सुश्री नीलम पहलवान
14. श्री नीरज बैसोया
15. श्री ओम प्रकाश शर्मा
16. श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
17. श्री पवन शर्मा
18. श्रीमती पूनम शर्मा
19. श्री राज करन खत्री
20. श्री राज कुमार भाटिया
21. श्री राज कुमार चौहान
22. श्री रवि कान्त

23. श्री रविन्दर सिंह नेगी
24. श्री संजय गोयल
25. श्री सतीश उपाध्याय
26. सुश्री शिखा रॉय
27. श्री श्याम शर्मा
28. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
29. श्री तिलक राम गुप्ता
30. श्री उमंग बजाज
31. श्री आले मोहम्मद इकबाल
32. श्री अमानतुल्लाह खान
33. श्री अशोक गोयल
34. डॉ. अजय दत्त
35. श्री गजेन्द्र सिंह यादव
36. श्री जरनैल सिंह
37. श्री कुलदीप कुमार
38. श्री मुकेश कुमार अहलावत
39. श्री प्रेम चौहान
40. श्री पुनरदीप सिंह साहनी
41. श्री राम सिंह नेताजी
42. श्री सही राम
43. श्री संजीव झा
44. श्री सोम दत्त
45. श्री सुरेन्द्र कुमार
46. श्री सूर्य प्रकाश खत्री
47. श्री विरेन्द्र सिंह कादियान
48. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/07 चैत्र, 1947 (शक) अंक-10

सदन पूर्वाह्न 11.09 बजे समवेत हुआ।

*माननीय अध्यक्ष **(श्री विजेंद्र गुप्ता)** पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं आपको आज विपक्ष के गैर-जिम्मेदार व्यवहार से सूचित करना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये सदन के समक्ष आना चाहिये। सदन की कुल संख्या 70 है जिसमें से विपक्ष के सदस्य 22 हैं। रूलिंग पार्टी के 47 हैं क्योंकि एक स्पीकर हो गये तो वो काउंट नहीं होते। सदन समय पर शुरू हो सकता था क्योंकि प्रश्नकाल होना था प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तर आते हैं विपक्ष के भी प्रश्न होते हैं लेकिन विपक्ष ने बहुत गैर-जिम्मेदार व्यवहार किया कि जब देखा कि मैथमैटिक्स टैक्निकली कोरम के लिये 24 लोग चाहिये यानि की आपके 50 परसेंट ज्यादा जब तक नहीं होंगे तब तक ये सदन में नहीं आयेंगे। सदन में आने के बाद मुझे सूचना मिली उठकर के चले गये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये व्यवहार पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार है और ये इनको समझना चाहिये, विपक्ष को ये समझना चाहिये कि कल 7.00 बजे तक, कल 7.00 बजे तक सदन चला और कल 7.00 बजे तक चला था। एसेंबली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 11.00 बजे सदन शुरू होकर के 7.00 बजे तक चला और मैं बधाई देना चाहता हूं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को कि वो पूरी संख्या में यहां उपस्थित थे जिसके कारण सदन चल सका वरना ये जो हरकत आज की गई है ये कल भी करते इसलिये मैं सत्तारूढ़ दल को ये आगाह करना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि विपक्ष गैर-जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है और आपको हर दम यहां पर कुल संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थित रहना ही होगा क्योंकि ये किसी भी महत्वपूर्ण समय पर, बजट के समय पर भी कर सकते थे किसी भी समय कर सकते हैं तो ऐसा भविष्य में गैर-जिम्मेदार विपक्ष के, गैर-जिम्मेदार व्यवहार के कारण सदन की कार्यवाही बाधित ना हो इसका ध्यान रखिये, धन्यवाद। अब प्रश्नकाल शुरू करेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चलिये, आपको मैं और भी अवगत करा देता हूं जो आप अभी शांत नहीं हो रहे। आज भी पहले पांच प्रश्न।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सबकी जानकारी के लिये एक सैकेंड, हां जी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं विपक्ष ने ये व्यवहार तब किया है, विपक्ष ने ये व्यवहार तब किया है जब पहले 6 प्रश्न विपक्ष के ही सदस्यों के है राम सिंह नेता जी, विशेष रवि जी, श्री कुलदीप सोलंकी जी, कुलदीप सोलंकी जी एक हैं, श्री सुरेन्द्र कुमार जी, श्री वीर सिंह धिंगान जी, श्री वीरेंद्र सिंह कादियान जी यानि

की पहले 6 में से 5 प्रश्न विपक्ष के हैं और पहले दो प्रश्न भी विपक्ष के हैं इसका मतलब है प्रश्नकाल को लेकर के क्योंकि 11.15 बज गये हैं 12.00 बजे तक का समय है अब मैं श्री राम सिंह नेता जी से अब राम सिंह नेता जी यहां उपस्थित नहीं है जिनका प्रश्न है विशेष रवि जी शुरू करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विशेष रवि जी शुरू करें। प्रश्न संख्या-2, 62 आज का प्रश्न संख्या-62 है।

श्री विशेष रविः सर, ये तो बहुत कमाल हुआ मतलब जो सदस्य लेट आ रहे हैं उनको डांटने की बजाय आप हमें कह रहे हैं कि हम जो है कोरम पूरा नहीं कर रहे, ये तो कमाल ही हो गया सर।

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं।

श्री विशेष रविः इससे ये अद्‌भूत जो है, इससे ये अद्‌भूत जो है और क्या हो सकता है।

माननीय अध्यक्षः आपके आज के इस व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि अब सदन में ये ध्यान रखना चाहिये कि विपक्ष किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करने वाला।

श्री विशेष रविः हम तो आये हैं सर, हम तो आये हैं।

माननीय अध्यक्षः अरे आप 67 थे हमने सिखाया आपको।

श्री विशेष रविः हम तो आये हैं।

माननीय अध्यक्षः मैं आपको, मैं फिर बात पूरी कर देता हूं बैठिये आप। हमने सिखाया है इनको, इनके सदन में 67 मैम्बर थे हम तीन थे ये हमारे तीन से कोरम पूरा करना चाहते थे। 67 में तीन थे हम दिल्ली के जनता को ये बताना चाहते थे उस समय कि तीन से कोरम पूरा होता है 67 से नहीं होता क्योंकि हम तीनों उपस्थित होते थे और ये 67 में होकर भी कोरम पूरा नहीं होता था, शुरू करिये आप। अब आप 22 हो उसकी जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी।

श्री विशेष रविः जो उपाध्याय जी ने कहा है मेरी पूरी सहमति है उस बात पर कि सदन जो है ना बहुत अच्छे से चला रहे हैं आप और आपको वहां बैठा देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आपकी आभा आपका औरा देखकर जो है बहुत खुशी होती है बल्कि हमें ऐसा लगता है कि जब आप वहां बैठे होते हैं जब आप।

माननीय अध्यक्षः कल हमने विपक्ष को बुला-बुलाकर कहा आप बोलिये-बोलिये-बोलिये, जब नेता विपक्ष बोल रही थीं एक बार भी मैंने घंटी नहीं बजाई, मैडम हम।

श्री विशेष रविः जी बिल्कुल हम कह ही रहे हैं हम मान रहे हैं हम मान रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि नेता विपक्ष के बयान में।

श्री विशेष रविः देखिये दोष आपका नहीं है।

माननीय अध्यक्षः बजट पर बोलने में उनको कोई भी किसी भी प्रकार की रूकावट आये।

श्री विशेष रविः आपके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। सदन का संचालन बहुत ही सुन्दर हो रहा है। हम सब सारे, सारे विपक्ष के लोग आपकी मिलकर तारीफ करते हैं कि आप वहां बैठकर जो है आपकी जो आभा है शोभा है बल्कि ऐसा लगता है कि किसी देवी-देवता के दर्शन हमें होते हैं जब आप वहां बैठते हो। हम पूरी तरह सहमत हैं लेकिन यहां गलती जो है जो लेट आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः अब मैं समझ रहा हूं आपकी।

श्री विशेष रविः जो लेट आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः आपकी तारीफ में कुछ और है मुझे समझ में आ रहा है।

श्री विशेष रविः तारीफ कर रहे हैं हम तो आपकी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं ये तारीफ नहीं है ये कुछ और ही हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रविः हमें तो बहुत खुशी है

...(व्यवधान)

श्री विशेष रविः हमें दिल से आप वहां विराजमान है इसकी हमें दिल से खुशी है कोई माने या ना माने।

माननीय अध्यक्षः नहीं ठीक है विशेष रवि जी बहुत ही देखिये, इन्होंने उदाहरण पेश किया अब इन्होंने इतनी बात कही है तो मैं नहीं समझता कुछ वाकई में तारीफ कर रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा लेकिन मैं एक बात, एक बात पर विशेष रवि जी की तारीफ करना चाहता हूं। कल जब चेयर ने आदेश दिया जाने के लिये तो आपकी शालीनता की मैं तारीफ करता हूं आप सदन से चले गये। चाहे मेरे निर्णय से आप पूरी तरफ सहमत थे या नहीं थे, सहमत तो नहीं थे क्योंकि जब मैंने आपको कहा चले जाईये तो इसका मतलब असहमत थे आप लेकिन आप गये और मार्शल्स को नहीं बुलाना पड़ा तो ये आपकी शालीनता का मैं बहुत दिल से तारीफ करता हूं।

श्री विशेष रविः सर आप ही से सीख रहे हैं। सारे मैम्बर्स से सीख रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः और यही कारण था कि मैंने फिर तुरंत विपक्ष के कहने के बाद आपको सदन में बुलाया।

श्री विशेष रविः बिल्कुल-बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया।

...(व्यवधान)

श्री अजय दत्तः सर आप एक बात और इंश्योर करें कि विपक्ष जब बोल रहा है तो पक्ष के लोग खड़े होकर डिस्टर्ब ना करें। मंत्री खड़े हो जाते हैं, सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष के सदस्य पहले बोल लें उसके बाद मंत्री खड़े हों।

माननीय अध्यक्षः चलिये आगे बढ़िये।

श्री अजय दत्त: विपक्ष को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है अध्यक्ष जी इसीलिए हम आपको अच्छा मानते हैं।

श्री विशेष रवि: चलिये कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि वर्मा जी जो हमारे पक्ष दल के जो चीफ व्हीप हैं वो आगे जो है ये इसका जो है देखेंगे कि सारे मैम्बर जो हैं समय से उठें, समय से तैयार हों और समय से जो हैं अपनी सीट पर आकर बैठें, धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चलिये शुरू करिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि: और सर एक बात मैं आपकी।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि: और सर एक चीज और मैं आपकी तारीफ में कहना चाहूंगा कि जो जब से आप स्पीकर बने हैं तब से जो आपकी जैकेट्स हैं जो नई-नई जैकेट जो देखने को मिल रही हैं सर जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, बहुत ही सुन्दर अंग वस्त्र।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि: चलिये सर, मैं अब प्रश्न पूछ लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष: शुरू करिये, शुरू करिये।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री विशेष रवि: माननीय समाज कल्याण मंत्री कृपया प्रश्न संख्या नम्बर-62 का उत्तर देने की कृपा करें।

क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन में कुछ राशि केंद्र सरकार से आती है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया क्या है, पूर्ण जानकारी दें;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि वृद्धावस्था पेंशन में जो राशि केंद्र सरकार से आती है वह पिछले 4 महीनों से नहीं आ रही है;

(घ) यदि हां, तो यह राशि कब तक आएगी;

(ङ) नवंबर 2024 के महीने में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई नई बुजुर्ग पेंशन स्कीम में करोल बाग विधानसभा में कुल कितने फार्म भरे गए व उसमें से कितने फार्म स्वीकार कर लिए गए हैं;

(च) जिनके फार्म स्वीकार कर लिए गए है उनकी पेंशन कब तक उनके खाते में आ जाएगी; और

(छ) जिनके फार्म स्वीकार कर लिए गए हैं उन सभी लाभार्थियों के नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं?

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह): आदरणीय अध्यक्ष जी मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार सदन में खड़ा होकर 1993वें

के बाद मेरे पिताजी थे और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मंत्री के रूप में और सदन के साथी और जिस रूप में सनातन की आस्था देखकर क्योंकि आपको xxxxx[1] के रूप में नवाजने की बात कही इन्होंने शब्दों में कहीं ना कहीं सनातन के प्रति ये आस्था देखकर मुझे बड़ा आन्नद आ रहा है।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट ये शब्द उसमें से हटा दीजियेगा वो भावना अच्छी हो सकती है लेकिन ये शब्द 'भगवान' शब्द हटा दीजिये, मेरे साथ जो जोड़ा गया है।

श्री विशेष रविः ये आपकी महानता है।

माननीय अध्यक्षः हां जी, हां जवाब दो।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः और 11 साल में दिल्ली की जो स्थिति रही है और अभी भाई की दृष्टि में इस सदन के प्रति जो आस्था दिखाई दी वो भी मेरे लिये अपने आप में एक अद्भुत थी। मैं तो यही कहूंगा जी शालीनता के साथ आप ने कल का भाई का परिचय दिया। भाई इसलिये कह रहा हूं कि कल भाई पर विवाद हो गया।

माननीय अध्यक्षः वो मत कहो ना फिर आप।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः क्योंकि इस देश में भाई-बहन का जो त्यौहार है वो बड़ी शिद्दत और बड़े समर्पण के साथ मनाया जाता है और जय भीम, जय भीम की घोषणा इस सदन में कई बार हुई है और कल कई बातें मेरे सामने आई, मेरा नया-नया थोड़ा सा एक्पीरियंस है कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव भी है पर ये तय है कि एक महीने के अंदर बहुत कुछ सीखने को भी

1. चिन्हित शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

मिला है। जैसा कि सदन के साथी ने पूछा 'क' का आन्सर वैसे तो सदन के पटल पर सभी कुछ है कहेंगे तो मैं पढ़ भी सकता हूं।

माननीय अध्यक्षः जैसे आपका मन करें।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः जैसा आपको उचित लगे, उचित है बहुत-बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष जी।

प्रश्न संख्या-62 का उत्तर इस प्रकार है।

(क) जी हाँ।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित राशि एक निश्चित लाभार्थियों की संख्या के लिए जारी की जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

योजना	कुल अनुमानित (Estimated) लाभार्थी (केन्द)	आयु वर्ग (वर्ष)	केन्द्र सरकार शेयर (रुपयों में)
इन्दिरा गाँधी	113824	60-69	200/-
राष्ट्रीय वृद्धावस्था		70-79	200/-
पेंशन योजना		80+	500/-
(IGNOAPS)			

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं होता।

(ङ) नवंबर 2024 के महीने में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई नई बुजुर्ग आर्थिक सहायता स्कीम में करोलबाग विधान सभा क्षेत्र में अब तक (दिनांक 24/03/2025) कुल प्राप्त एवं स्वीकृत फार्मो का विवरण निम्न प्रकार है –

विधान सभा क्षेत्र	कुल प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	प्रक्रिया में
करोलबाग	1000	181	766

(च) करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से स्वीकृत आवेदनों में से कुल 67 वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रेषित की जा चुकी है। शेष 114 स्वीकृत आवेदन जैसे-जैसे PFMS (Public Financial Management System) पोर्टल पर पंजीकृत होते जायेंगे वैसे-वैसे आर्थिक सहायता स्वीकृत आवेदकों के बैंक खाते में प्रेषित कर दी जाएगी।

(छ) बुजुर्गों से संबंधित जानकारी संवेदनशील एवं व्यक्तिगत होने के कारण डाटा सार्वजनिक रूप से उपलबध नहीं कराया जा सकता है।

माननीय अध्यक्षः हां जी, विशेष रवि जी का सप्लीमेंटरी।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष जी मैंने अपनी विधानसभा में जिन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है उनकी जानकारी मांगी थी लेकिन सदन से मांगी हुई जानकारी को यह कहा जा रहा है कि उसको सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते। अब सदन को भी जो है सार्वजनिक पटल माना जाएगा ये मुझे समझ में नहीं आया। सदन में जो जानकारी मांगी जाती है कोई भी विभाग हो उसे देने की ड्यूटी।

माननीय अध्यक्षः नहीं कौन से प्रश्न के अगेंस्ट कौन सा प्रश्न।

श्री विशेष रविः आखिरी 'छ' प्रश्न है उसमें मैंने मांगा था की भई जिनको आप मेरी विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है उनकी जानकारी मुझे चाहिए।

माननीय अध्यक्षः ये एक्चुअली में विषय सदन का नहीं है ये एक जो प्राइवेसी का मामला है किसी भी व्यक्ति की तो।

श्री विशेष रविः सर हाउस में तो।

माननीय अध्यक्षः नहीं आपको मिल जाएगा आप इसको अलग से अपने लिए अपने क्षेत्र से संबंधित लोगों की आप सूची ले सकते हैं।

श्री विशेष रविः तो वही चाहिए सर।

माननीय अध्यक्षः जो भी मिलेगा। नहीं-नहीं मेरा मतलब यह है एक सेकेंड। ये प्राइवेसी ये सदन में मना नहीं किया जा रहा, वो एक प्राइवेसी है।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रविः महावर जी जो हो गया उसको आप भूल जाइये आगे बढ़िये हर बात पर जो है पिछली बार।

माननीय अध्यक्षः कोई नहीं ये मैटर सदन की वजह से नहीं है ये प्राइवेसी का इश्यू है किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी है।

श्री विशेष रविः मुझे अलग से भेज दें कोई बात नहीं।

माननीय अध्यक्षः हां वो आप विभाग में बात कर लें मेरे को उसके नियम-कानून का सही आइडिया नहीं है।

श्री विशेष रविः नहीं ये अब सर ये वैसे ठीक नहीं मतलब सदन को तो जानकारी मिलनी चाहिए मतलब अगर यहां से।

माननीय अध्यक्षः ये प्राइवेसी का इश्यू है।

श्री जरनैल सिंहः नहीं मिल सकती भइया मोबाइल नंबर को छोड़कर।

श्री विशेष रविः मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए कोई बात नहीं आप नाम और मकान नंबर देने में क्या समस्या है भई नाम और मकान नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है वो हमारे इलाके के लोग हैं मैं क्षेत्र का विधायक हूं।

माननीय अध्यक्षः आप ऐसा करिये क्योंकि मैटर आफ प्राइवेसी है आप मंत्री जी से मिलकर और इसका स्पष्टीकरण ले लीजिएगा। आप अपने कार्यालय में बुलाकर आप पूरा कोऑपरेट कीजिए जो भी संभव हो।

श्री विशेष रविः इसमें एक चीज और थी कि पेंशन जिनकी लग रही है जिनकी आब्जेक्शन है उनके पास विभाग से मैसेज जा रहा है। अब 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को मैसेज भेजोगे आप कि तुम्हारा ये कागज कम है तो वो कहां तो मैसेज पढ़ेगा और वैसे ही आज का जमाना फेक का है दुनियाभर के फेक मैसेज आते हैं तो मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है जिसकी भी कोई कमी है तो उसको व्यक्तिगत फोन किया जाए या चिट्ठी भेजी जाए खाली मैसेज भेजकर आप जो है इस काम को... या फिर जो मैंने जानकारी मांगी थी इसलिए मांगी थी कि अगर हमें जानकारी आप दे देंगे विधायकों को तो हम बुजुर्ग के घर पर जाकर उनके कागज पूरे कराकर आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः बहुत सारे कारण होते हैं कि कई बार बहुत सारी जानकारियां नहीं दी जा सकती। बहुत सारे अराजक तत्व भी इसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः हां तो जल्द से जल्द आपको पूर्ण जानकारी देने का पूर्ण प्रयास रहेगा जो भी एक्ट के साथ...

माननीय अध्यक्षः चलिए, अब कुलवंत राणा जी पूरक प्रश्न।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप ऐसा है मंत्री जी उनको अपने कक्ष में बुलाकर बात कर लीजिएगा जो भी आपका विषय है आप वहां रख दीजिए बात। अब पूरक प्रश्न पूछेंगे कुलवंत राणा जी पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय क्या सत्य है कि पिछले 11 वर्षो से दिल्ली में वृद्धा पेंशन के फार्म भी नहीं मिल रहे थे और पेंशन भी नहीं हो पा रही थी इसके पीछे क्या कारण थे और अभी वर्तमान में दिल्ली की सरकार पेंशन देने के लिए वृद्धाओं को क्या योजना बना रही है और ये फार्म कब से उपलब्ध होंगे और इसका एक विधानसभा में कितने लोगों को ऐसी पेंशन करने के प्रावधान किये गये हैं, कितने लोगों की संख्या तय की गई है इसकी भी जानकारी चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः हां जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः जल्दी ही इसकी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी।

श्री कुलवंत राणाः मेरा सवाल यह है जी पेंशन पिछले 11 वर्ष से नहीं मिल रही थी उसके क्या कारण थे और सरकार ने अब योजना बनाई है तो उसकी योजना का प्रारूप क्या है और फार्म कब से मिलेंगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और कितने लोगों की पेंशन की जाएगी प्रतिवर्ष एक विधानसभा में या दिल्ली में।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अभी इसकी पॉलिसी में थोड़े अमेंडमेंट्स हो रहे हैं और जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी ये 10 साल के लंबे कार्यकाल में हमने पहली बार ये सुना कि जो चुने हुए विधायक हैं जो यहां पर शपथ ले रहे हैं गोपनीयता की उनसे उनकी विधानसभाओं की जानकारी को गोपनीय बताकर रोका जा रहा है। इस सदन में।

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाईये, मैंने देखिये एक मिनट आप बैठ जाइये आप प्रश्न पूछिये पूरक प्रश्न पूछिये आप बस।

श्री अजय दत्तः मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आगे से भी क्या सारी जानकारी को गोपनीयता से रखा जाएगा तो फिर हम लोगों को जानकारी।

माननीय अध्यक्षः बस-बस अब हो गया न प्रश्न अब आप बैठ जाइये। अब आप बताईये।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः कानून के तहत जितनी दे सकते हैं उतनी पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्षः अब दो पूरक प्रश्न इस पर आखिरी एक माननीय सतीश उपाध्याय जी का और उसके बाद नीरज जी का फिर उसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं।

श्री सतीश उपाध्याय: मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मुझे यह पूछना है कि ऐसी जानकारी मिली है कि ये पेंशन के फार्म जो इन्होंने कहा है वो कुछ विधानसभाओं में मिल रहे हैं बाकी जगह नहीं मिल रहे हैं तो ये समभाव से सभी सदस्यों को बराबर इक्वली मिलने चाहिए क्या ऐसा है या नहीं।

माननीय समाज कल्याण मंत्री: लगभग 80 हजार फार्म भरे थे उस 80 हजार फार्म की अभी तक समीक्षा नहीं हो पाई है कंप्लीटली वो रूटीन प्रोसेस में है तो उसके बाद जैसे ही ये सारी चीजें क्लीयर हो जाएंगी उसके बाद नये तरीके से जब भी पेंशन योजना खुलेगी उसकी जानकारी दे दी जाएगी अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है।

श्री नीरज बैसोया: अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मंत्री जी अगर सब कंसर्ड एमएलए को ये लिस्ट प्रोवाइड करा दें किन लोगों की लगी हुई है तो सबसे अच्छा रहेगा ये सबकी पास पहुंच जाएगी सारी जानकारी मुझे लगता है बहुत जगह पेंशन आई है आधों को नहीं आई है।

माननीय अध्यक्ष: कोई नहीं आप प्रश्न पूछिये।

माननीय समाज कल्याण मंत्री: ...संभव होगा प्रयास करके पहुंचा दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद प्रश्न संख्या–61 राम सिंह नेताजी।

श्री रामसिंह नेताजी: प्रश्न संख्या–61 प्रस्तुत है। मंत्री जी।

क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बदरपुर विधानसभा को कितने एमजीडी पानी सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या विधानसभा स्तर पर सप्लाई का कोई पैमाना जैसे जनसंख्या आदि है;

(ग) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधानसभा जनसंख्या के आधार पर दिल्ली की बड़ी विधानसभाओं में से एक है; और

(घ) यदि हां, तो क्या जनसंख्या के आधार पर बदरपुर को पानी की सप्लाई में बढ़ोत्तरी की दिल्ली जलबोर्ड की कोई योजना है?

माननीय जल मंत्री (श्री प्रवेश साहित सिंह): प्रश्न संख्या-61 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बदरपुर विधान सभा को लगभग 10.52 एमजीडी पानी सप्लाई किया जाता है इसके अतिरिक्त वाटर टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई को अनुपूरित किया जा रहा है।

(ख) विधानसभा से संबंधित जलाशय में प्रतिदिन पानी की उपलब्धता के आधार पर सप्लाई की जाती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 25 नये नलकूप लगाए जाने की योजना हैं

(ग) संबंधित नहीं है।

(घ) जनसंख्या के आधार पर बदरपुर की पानी की सप्लाई में बढ़ोतरी की फिलहाल कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

माननीय जल मंत्री (श्री प्रवेश साहित सिंह): माननीय सदस्य ने जो अपने क्षेत्र के लिए पानी के विषय के लिए और जो सवाल पूछा है उसकी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है मगर मैं फिर भी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी

यहां पर सदन के सामने रख देता हूं कि इनकी बदरपुर विधानसभा में कुल 10.52 एमजीडी पानी की अभी सप्लाई हो रही है। हमने आज सुबह भी अध्यक्ष जी साढ़े नौ बजे के करीब में हमारे जलबोर्ड के अधिकारियों के साथ में समर एक्शन प्लान को लेकर और हमने उनसे विस्तृत बात करी मगर ये जो विपक्ष के लोग हैं ये पिछले 10 साल से सत्ता में थे मगर आज इन्हीं के सारे सदस्य पानी नहीं है और सीवर लाइन ठीक नहीं है ये इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं तो इनमें से बहुत सारे सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप में भी मिले और इन्हीं विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने मुझे एक बात कही की इस चुनाव में एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि केजरीवाल जी हार गये ये सारे विपक्ष के सदस्यों ने मुझे कहा है क्योंकि इनके नेता

...(व्यवधान)

माननीय जल मंत्री (श्री प्रवेश साहित सिंह): ये सारे सदस्य इतना खुश हैं इस बात से कि इनके मुख्यमंत्री इनको पानी नहीं दे पाए।

सुश्री आतिशी: उन्होंने पाइंट आफ आर्डर बोला था आपने बोलने दिया...

माननीय जल मंत्री: ये सारे सदस्य इस बात से इतना खुश हैं कि इनके मुख्यमंत्री रहे इनको पानी नहीं दे पाए, कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाए।

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट पहले विषय तो पता लगे पाइंट आफ आर्डर तो जब आएगा।

माननीय जल मंत्री: और यहां तक कि सारे सदस्यों ने ये भी कहा कि हमको

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः संजीव जी का क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री संजीव झाः इनको आकर ये कहा कि केजरीवाल जी हार गये ये अच्छा है।

माननीय अध्यक्षः ये कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री संजीव झाः नाम बताएं सदन में नाम बताना पड़ेगा न सदन में नाम बताएं कि कौन सदस्य है ऐसे तो कुछ भी कह देंगे न।

माननीय अध्यक्षः नहीं-नहीं पाइंट आफ आर्डर होता है व्यवस्था का।

श्री संजीव झाः सदन में हवा-हवाई बातें तो नहीं होंगी न।

माननीय जल मंत्रीः मंत्री जी रिप्लाई करेंगे।

श्री संजीव झाः सदन में आज नाम बताना पड़ेगा कौन सदस्य ने बताया था बताईये।

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी रिप्लाई करेंगे।

माननीय जल मंत्रीः हां ठीक है बताता हूं।

श्री संजीव झाः बताईये, बताईये नाम।

माननीय अध्यक्षः चलिए आप बताईये।

माननीय जल मंत्रीः हां-हां बता रहा हूं, बता रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः देखिये अगर पाइंट आफ आर्डर, एक बात समझ लीजिए।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी, जिन सारे सदस्यों ने।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट मंत्री जी ऐसा है कि पाइंट आफ आर्डर समझ लीजिए अगर इसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाएगा तो फिर सदन कार्यवाही करेगा। पाइंट आफ आर्डर समझ लीजिए पाइंट आफ आर्डर का मतलब है व्यवस्था का प्रश्न जो ये सदन चल रहा है। इसकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है तो इसलिए।

सुश्री आतिशीः रूल–41 ये कहता है Answers to questions shall be relevant to the subject matter of questions and may take the form of laying statements on the Table of the House if so decided by the Speaker ... प्रश्नों के उत्तर के विषय से सुसंगत होंगे इसलिए ये पाइंट आफ आर्डर है ये बनाए गए इसी सदन के...

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी आप रिप्लाई करिये, रिप्लाई करिये।

माननीय जल मंत्रीः मेरे को अगर किसी विधानसभा में पानी नहीं आ रहा है तो मुझे यहां पर बताना पड़ेगा कि जो यहां पर सरकार रही उनके नेता उनके मुख्यमंत्री रहे उनकी नाकामियों की वजह से नहीं आ रहा, मैं केवल उसी रेलेवेंस में बता रहा था बहुत सारे सदस्य जो मुझको आकर मिले वो मुझको ये भी कहे कि भइया आपको मेरी कसम है मेरा नाम मत लेना अगर

...(व्यवधान)

माननीय जल मंत्रीः अगर मैं नाम लूंगा

...(व्यवधान)

माननीय जल मंत्रीः अगर मैंने आपका नाम ले दिया, अगर मैंने आपका नाम ले दिया तो कसम टूट जाएगी फिर, तो कसम टूट जाएगी। फिर देखो कसम

टूटती है। जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा बदरपुर के बारे में तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 318 ट्यूबवैल ये बदरपुर विधानसभा में चले हुए हैं और जो मेरी जानकारी अधिकारियों ने बताया है कि 100 प्रतिशत ये वर्किंग कंडीशन में हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर काम नहीं कर रहा खराब है तो उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराईये। इसके अलावा जो हमारी पानी की सप्लाई जो आपको यूजीआर से आती है उसके अलावा टैंकर से आती है और ये ट्यूबवैल से आती है तो आपके यहां पर लगभग 17 और 3 ये जो हैं 20 की संख्या में टैंकर चलते हैं जो की 114 के करीब में दिन का ट्रिप मारते हैं। अगर आपके यहां पर पानी की कहीं पर और ज्यादा कमी है तो हमें इसकी जानकारी देंगे हम करेंगे।

श्री राम सिंह नेताजी: मैं माननीय मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सच्चाई बताई पानी की और पानी मंत्री जी हम ये कहें कि अगर हम करते, अगर हमारी कुछ कमियां ना रहती तो हमारे लोग वहां बैठते जहां आप बैठे हैं। तो हमारी कुछ कमी रही होंगी। परन्तु ये है कि अब ये कह कर ना बचा जाये कि दस साल आपने क्या किया। अब आप ये बताईये आप क्या करेंगे इस दिल्ली के लिए ये मेरी प्रार्थना है। हम पांच साल इसी काम में अगर बिता दिये हमने कि तुमने दस साल में क्या किया तो अध्यक्ष महोदय हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम दिल्ली की जनता को क्या जवाब देंगे। तो ये कहना मेरे हिसाब से आप सब लोग समझदार हैं। अभी वो मंत्री जी नये आये हैं, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कहीं कि भई मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो ठीक है मंत्री जी को भी मौका मिलना चाहिए, ज्यादातर नये मंत्री हैं, तो हम भी नहीं चाहते और मैं अपने लोगों से भी कहूंगा कि भई टकराव मत करो। असली काम

करो। काम की बात करो। मेरा कहना ये है मंत्री जी अब सबको समझा दो। आपके पिता जी का तो बड़ा सम्मान रहा है दिल्ली में। हर व्यक्ति जानता है। तो आप ऐसा काम करिये कि जिससे हमें ये लगे कि हम भी आपके अपने हैं। जो दिल्ली से लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है, हम भी आपके आर्शीवाद से उनका काम करा पायें। धन्यवाद। जय हिंद।

माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्रीः माननीय सदस्य बहुत ही पुराने सदस्य हैं। बहुत ही पुराने समय से राजनीति में हैं और जो है राजनीति की रग-रग को वो जानते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि आपने गलती मानी कि पुरानी सरकार की मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहली की सरकारों में एक जो है पक्षपात ये होता था कि जैसे हमारे विधायकों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाये जाते थे और केवल आम आदमी पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में ज्यादा संख्या में लगाये जाते थे। ऐसे ही पानी का जो मैनेजमेंट था, ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनके क्षेत्रों का पानी काट कर वो आम आदमी पार्टी के क्षेत्र के जो विधायक थे वहां पर ज्यादा संख्या में देते थे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं नहीं देखिये अगर आप प्रश्नकाल को पहले तो एक मिनट ऐसे नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसे प्रश्न प्रश्नकाल नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप प्रश्न पर रिप्लाई पर आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। आप क्वेश्चन करिये।

माननीय लोक निर्माण विभाग/जल मंत्रीः हमने अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः ...और ये सब लोग ककुर्म करते थे अडोसी पडोसियों का पानी अपने यहो डायवर्ट करते थे और हमारे यहां दिक्कत होती थी। हमने बार-बार सदन में इन चीजों को उठाया है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः ये देखिये। अब पूरक प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न लेंगे। उससे पहले मैं तीसरा प्रश्न लूं। आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हॉ पूरक प्रश्न पूछिये। स्टेटमेंट नहीं पूरक प्रश्न।

...(व्यवधान)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः आधा क्यूं पूछेंगे। हाँ पूरा पूछेंगे।

माननीय अध्यक्षः स्पलीमेंट्री क्वेश्चन। पूरक।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः पूरा-पूरा पूछूंगा। अध्यक्ष जी मैं साबित कर दूंगा। अभी पहले जो आतिशी जी बोल रही थी ना, ग्रेटर कैलाश पार्ट-वन में जो इनका भारद्वाज क्या नाम था एमएलए ने, हॉ उसने जंगपुरा विधान सभा का, मालवीय नगर का, सारा पानी अपने यहां पर करवा रखा है आज तक, सुन लो। सुन लो मेरी बात। अब मैं दूसरा...

माननीय अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिये। क्वेश्चन।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्षः क्वेश्चन करिये।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः मैं प्रवेश वर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि कितनी मंत्री जी चिंता कर रहे हैं। आज दिल्ली जल बोर्ड वालों को बुलाकर क्या-क्या instruction दी है कि मैं किसी तरह सीवर का पानी बर्दाश्त नहीं करूंगा । इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं मंत्री जी को कहूंगा जो पानी हमारे यहां आता था ग्रेटर कैलाश में ट्रांसफर कर दिया।

माननीय अध्यक्षः क्वेश्चन करिये।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः उसको हमारी जंगपुरा विधान सभा में जो पानी पहले मिलता था 13 एमएम और ग्यारह एमएम वो वहां पर पूरा करवायें और उधर का पानी कम करें। ये ही कहता हूं।

माननीय अध्यक्षः ये एक मिनट। माननीय सदस्य मोहन सिंह बिष्ट जी। ये लास्ट है बस।

श्री मोहन सिंह बिष्ट (माननीय उपाध्यक्ष): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं इस प्रश्न के 'घ' पार्ट में जिस प्रकार की दिल्ली के अन्तर्गत अन्य विधान सभाओं के पानी की कमी को देखते हुए मेरी विधान सभा का पानी किसी और विधान सभा को डायवर्ट किया गया है कि नहीं। यदि डायवर्ट किया गया है पिछली सरकार द्वारा तो उसके क्या कारण थे, ये मैं जानना चाहता हूं। आपकी ही की सरकार थी ना। कितने एमजीडी पानी चाहिए था। मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे ना आप बड़ी जल्दी से चिल्ला रहे थे, सुनिये मैं आपको आज बता दूं

माननीय अध्यक्षः आप मुझ से बात कीजिए ना।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर मैं आपके माध्यम से, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अरे मुस्तफाबाद भी मेरी है करावल नगर भी हमारी है। दोनों हमारी हैं। यदि करावल नगर है तो वो भी हमारे ही विधायक हैं। हमारे यहां तीस एमजीडी पानी की आवश्यकता थी सर। ढाई एमजीडी पानी कर दिया इन्होंने। मंत्री जी कह रहे हैं यदि हमारे एमएलए का पानी काटा तो फिर क्यूं खड़े उठ रहे है। स्वीकार करना चाहिए तुम्हारी negligency की वजह से दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है। अरे हमारे मंत्री तो करेंगे। सौ प्रतिशत पानी मिलेगा।

माननीय अध्यक्षः बैठिये। बैठिये।

श्री मोहन सिहं बिष्टः लेकिन मैं आपसे...

माननीय अध्यक्षः अच्छा अब ये एक मिनट पहले तो इस सदन में एक स्थिति स्पष्ट करनी जरूरी है कि अभी नेता विपक्ष ने भी प्वाइंट ऑफ आर्डर पर कुछ कहा। जो अभी हमारे सदस्य यहां पर संजीव झा जी ने बोला तो उनको आपने स्पोर्ट किया जबकि वो प्वांइट ऑफ आर्डर नहीं था। आपको प्वांइट ऑफ आर्डर के कौन से रूल को पढ़कर बता रही थी जिसमें ये कहा गया है कि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देना प्वांइट ऑफ आर्डर होता है। बताईये आप। प्वाइंट ऑफ आर्डर जो है वो रूल नम्बर 279 है। कहां लिखा है 279 में।

सुश्री आतिशी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): जी, जी जी। अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः 279 निकालिये। पेज नं0 115

सुश्री आतिशीः मैं बताती हूं आपको।

माननीय अध्यक्षः ये मै सदन को। हर रोज दो तीन सदस्य प्वाइंट ऑफ आर्डर की बात करते हैं लेकिन

सुश्री आतिशीः A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules ये सारे रूल्स और प्रोसिजर्स तो अगर इस बुक में से

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं। एक मिनट

सुश्री आतिशीः कोई भी रूल और प्रोसिजर वायलेट होता है अध्यक्ष महोदय

माननीय अध्यक्षः नही, नहीं आप तो टाईटल पढ़ रहे है ना व्यवस्था का प्रश्न और उन पर निर्णय। Point of order and decisions thereon.

सुश्री आतिशीः "A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such articles of the constitution …

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं ये क्या बात हुई।

सुश्री आतिशीः ... or such sections of the Act as regulate the business of the House".

माननीय अध्यक्षः एक मिनट मैं भी पढ़ देता हूं।

सुश्री आतिशीः तो ये पूरी किताब के जो रूल हैं वो कहीं पर भी वायलेट होते हैं तो वो प्वाइंट ऑफ आर्डर होता है।

माननीय अध्यक्षः जी। तो उन्होंने वायलेशन की बात कहां की है।

सुश्री आतिशीः तो जो प्वाइंट ऑफ आर्डर। हॉ मैं बताती हूं क्या उन्होंने वायलेशन करी।

माननीय अध्यक्षः हॉ बताईये।

सुश्री आतिशीः तो जो क्वेश्चन का नियम है।

माननीय अध्यक्षः वायलेशन क्या हुई।

सुश्री आतिशीः क्वेश्चन्स में जो manner of answering questions रूल 41, रूल 41 बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि जो जवाब दिया जायेगा "Answers to questions shall be relevant to the subject matter…" प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे। इस लिए उस मुद्दे को...

माननीय अध्यक्षः हॉ तो ये आप डिसाईड करेंगे। ये प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

सुश्री आतिशीः हम प्वाइंट ऑडर रेज करेंगे डिसाइड तो आप करेंगे।

माननीय अध्यक्षः ये प्वांइट ऑफ आर्डर नहीं है कि मंत्री जो रिप्लाई कर रहे है वो प्वांइट ऑफ आर्डर है।

सुश्री आतिशीः मैं नहीं कह रही हूं हम डिसाइड करेंगे। पर हॉ आप ये नहीं कह सकते कि हम प्वाइंड आर्डर रेज नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं। इसका तो मतलब ये है कि आप ये इतनी मोटी रूल बुक है वो हर काम को प्वाइंट आर्डर कह कर रोक देंगे।

सुश्री आतिशीः बिल्कुल।

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं।

सुश्री आतिशीः और कोई भी रूल अगर वायलेट होगा तो प्वाइंट ऑफ आर्डर होगा अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, नही ये नही। प्वाइंट ऑफ आर्डर में ये साफ लिखा है।

सुश्री आतिशीः कोई भी रूल वायलेट होगा तो प्वाइंट ऑफ आर्डर होगा अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अब आप बैठ जाईये।

सुश्री आतिशीः डिसाइड हम नहीं करेंगे, डिसाइड आप करेंगे। लेकिन मुद्दा रेज हम करेंगे।

माननीय अध्यक्षः मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं प्वाइंट ऑफ आर्डर की। आपने तो सारा हिन्दुस्तान, सारा जहॉं, ब्रह्मांड इसमें शामिल कर दिया प्वाइंट ऑफ आर्डर में, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो नहीं हो सकता प्वाइंट ऑफ आर्डर में वो मैं बता देता हूं। ठीक है ना। क्योंकि मैं मान लेता हूं इनका ब्रह्मांड इसमें आ गया। पर जो नहीं हो सकता वो मैं पढ़ देता हूं। नहीं-नहीं ये बार-बार प्वाइंट ऑर्डर के नाम पर स्टेटमेंट दिये जा रहे हैं यहां वो ठीक नहीं है ना। देखिये "A member shall not raise a point of order कोई सदस्य ऐसा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठायेंगे जो जानकारी मांगने के लिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो या काल्पनिक विभाजन की घंटियां नहीं बजी, या सुनाई नहीं पड़ी के सम्बन्ध में हो।" यानि कि जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो। ये कोई प्वाइंट ऑफ

आर्डर नहीं है। कोई डिस्कशन हो रहा है कोई, कोई प्रश्न का उत्तर आ रहा है ये कोई प्वांइट ऑफ आर्डर नहीं है। ये आप समझ लीजिए सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है। प्वांइट ऑफ आर्डर होता है व्यवस्था का प्रश्न कि सदन की व्यवस्था में कहीं कोई contradiction हो रहा है। मान लीजिए कोरम नहीं है, आप प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा सकते हैं कि जी कोरम नही है। ये प्वांइट ऑफ आर्डर है। तो इसलिए उदारहण के तौर पर मैंने बता दिया है। आप अगर फिर विपक्ष कहेगा कि हमारा माईक आफ ऑन किया प्वाइंट ऑफ आर्डर पर तो फिर ये ऐसी स्थिति ना आये। क्योंकि मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर जरूर सुनना चाहता हूं। लेकिन उसका बहाना नहीं होना चाहिए। अब सवाल नम्बर तीन।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ उन पर भी होगा। उन पर भी होगा। उन पर भी होगा। प्रश्न संख्या 63 कुलदीप सोलंकी जी।

श्री कुलदीप सोलंकीः अध्यक्ष जी, मारवाह जी बैठिये एक मिनट। अध्यक्ष जी मैं मंत्री जी से सवाल नम्बर 63 के जवाब चाहता हूं।

क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षो में साध नगर, पालम वार्ड, मधु विहार, महावीर एन्क्लेव वार्ड में कितनी (मीटर) नई सीवर लाइनें डाली गई हैं, संबंधित दस्तावेजों के साथ वार्डवार जानकारी दें;

(ख) विगत पाँच वर्षो में उपरोक्त स्थानों में कितनी (मीटर) नई पानी की लाइनें डाली गई हैं, संबंधित दस्तावेजों के साथ वार्डवार जानकारी दें;

(ग) क्या पालम विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ सीवर व्यवस्था लगभग ठप्प हो चुकी है, नई सीवर लाइन डालने की कोई योजना है; और

(घ) क्या पालम विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पानी की अत्यंत कमी है, पानी की नई लाइनें डालने की कोई योजना है?

प्रश्न संख्या-63 का उत्तर निम्न प्रकार है:-

(क) इस कार्यालय द्वारा विगत पाँच वर्षों में साध नगर में 11.24 KM, मधु विहार में 51 KM महावीर एन्क्लेव वार्ड में 73 KM नई सीवर लाइने डाली गई हैं तथा पालम वार्ड में विगत पाँच वर्षों में कोई नई सीवर लाइनें नहीं डाली गई हैं।

(ख) पूरे क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन डली हुई हैं।

(ग) पालम विधान सभा में सीवर व्यवस्था कहीं पर भी ठप्प नहीं है। जहाँ कहीं भी सीवर ऑवरफ्लो की शिकायत जाती है वहाँ सीवर क्लीनिंग मशीन द्वारा सफाई करके शिकायत दूर कर दी जाती है एवं जहाँ कहीं भी सीवर सेटल हो जाता है वहाँ रिस्टोर कर दिया जाता है। मधु विहार वार्ड की सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए दो अतिरिक्त ऑउटफोल डाले जा रहे हैं जिसका काम 30 जून तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) अभी पानी की नई लाइन डालने की कोई योजना नहीं है। पानी की कमी को दूर करने के लिए 8 नये ट्यूबवैल लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पानी के 34 टेंकरों द्वारा पानी की सप्लाई को अनुपूरित किया जाता है।

श्री कुलदीप सोलंकी: अध्यक्ष जी, वैसे जवाब लिखित में आ गए हैं लेकिन इसमें एक चीज मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो जवाब दिये है, ये जवाब सत्य है। अगर सत्य हैं तो इसकी एक बार इन्सपैक्शन जरूर करा ली जाए।

...(व्यवधान)

श्री कुलदीप सोलंकीः एक मिनट जी एक मिनट। एक बार मेरी बात पूरी होने दो मारवाह जी। इन्होंने कहा है कि आगे कहीं भी सीवर लाईन सैटल नहीं है। लेकिन पूरी विधान सभा में पालम में चार जगह मैं फिजिकली आपको दिखा सकता हू।

माननीय अध्यक्षः अभी तो पहले आप प्रश्न दीजिए और मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। फिर आप पूरक प्रश्न करिये।

श्री कुलदीप सोलंकीः ठीक है जी।

माननीय लोक निर्माण विभाग/जल मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सीवर लाईन के सैटल होने की बात करी। अगर आपको चार जगह ऐसी शिकायत है तो मुझे बताईयेगा, तो उसको ठीक करायेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक मिनट, उनका प्रश्न है उनको पूछने दीजिए। हॉ जी आप पूरक।

माननीय लोक निर्माण विभाग/जल मंत्रीः हमारे हिसाब से।

माननीय अध्यक्षः पहले उनको पूरक फिर आप।

माननीय लोक निर्माण विभाग/जल मंत्रीः हमारे हिसाब से मैने ये नहीं कहा कि कोई झूठ बोल रहा है। हमारे हिसाब से ठीक है। हमारे हिसाब से ठीक है। उनके हिसाब से सदस्य के हिसाब से ठीक नहीं है तो उसकी जांच करायेंगे।

माननीय अध्यक्षः नहीं तो सही तो है मंत्री जी ने, एक बात सुनिये ना मंत्री जी ने ऑन रिकार्ड कह दिया कि जो उन्होंने प्रश्न किया है, सरकार जवाब दे

रही है ना। उसके बाद भी उसमें कुछ लगता है तो वे पूरक प्रश्न पूछेंगे ना। आप शांत रहिए।

...(व्यवधान)

श्री कुलदीप सोलंकीः अरे आप रूको ना भई। सवाल मेरा है ना आपको क्या तकलीफ है। सवाल मेरा है ना। दो मिनट बैठो शान्ति से। मैं ये कह रहा हूं जिस भी अधिकारी ने ये रिपोर्ट दी है, अगर उसने गलत रिपोर्ट दी है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो मुझे बोलने दो ना। आपको जरूरत है क्या बोलने की आपका नम्बर आये तो आप बोलना। सवाल मेरा है ना मुझे बोलने दो। क्या बात कर दी यार, तुमने हायर कर रखा है सारे हाउस को।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी मैंने पहले ही सारे अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि जो उत्तर वो देंगे। अगर उसमें कहीं पर भी 19-20 होगा तो इसकी जिम्मेदारी सारी अधिकारियों की होगी। और ये होगी।

माननीय अध्यक्षः हां जी पूरक प्रश्न के लिए तरविंदर सिंह मारवाह जी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी पहले मैं व्यवस्था पर जो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर किया है फिर इस पर बोलूंगा। पहले व्यवस्था ये है, पीछे देखो विट्ठल भाई जी की फोटो लगी हुई है पटेल साहब की उसके जो हार है देखो जो आपके नींचे हार लगे हैं उनको कृपा करके अध्यक्ष जी हारों को बदली कराओ।

माननीय अध्यक्षः ठीक है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः बड़े बुरे लग रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः ठीक है, ठीक है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः दूसरा व्यवस्था पर अध्यक्ष जी, क्वेश्चन आंसर पर कितना समय, साथ में विपक्ष की लीडर हैं, इसको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः इनको, इनको,

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी नहीं सुनो मेरी बात। व्यवस्था पर हमारे प्रश्न, क्वेश्चन का कितना समय खराब हो रहा है, ये नहीं देख रहे हैं, व्यवस्था आपने बिलकुल ठीक कहा है, कितना समय खराब हो रहा है, ये देखो, कम से कम 25 मिनट खराब हो गये हैं।

माननीय अध्यक्षः अब आप पानी पर प्रश्न पूछेंगे।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः 25 मिनट खराब हो गए अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः पूरक प्रश्न है आपका।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः हां जी मैं पूछ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः पूरक पूछिये।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः सीवर के लिए। अध्यक्ष जी मैं मंत्री जी से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारी जो सीवर की लाईनें हैं जहां-जहां हम टेंडर डालेगें उसको जल्दी से जल्दी प्रोसीजर में लाने का कष्ट करें। दूसरा जो नई लाईने पानी की हैं उसका भी टेंडर जल्दी से जल्दी हो सके क्योंकि यहां सीओ साहब भी बैठीं है शायद मेरे को लग रहा है ये। तो इसलिए क्योंकि सीवर और

पानी का जितना टेंडर जल्दी लगेगा, क्योंकि दो-दो महीने, एक-एक महीने गंदा पानी लोग नहीं पी सकते। इसलिए इस प्रोसीजर को मंत्री जी जल्दी से जल्दी करने का कष्ट करें। यही मेरा सवाल है।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्ष कुलवंत राणा जी फिर डॉ. अनिल गोयल जी। पूरक प्रश्न पूछ लीजिए आप, मंत्री जी आप एक साथ जवाब दे दीजिए।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार से पालम की, जिस तरीके से पानी की आपूर्ति के बारे में बताया कि पानी सुचारू रूप से चल रहा है उसी प्रकार से रिठाला विधानसभा के अंदर पानी की जो गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है उसको जल्दी ठीक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि गंदा पानी पी करके लोग परेशान हो रहे हैं बीमार हो रहे हैं, डायरिया और पीलिया के रोगों से लोग पीड़ित हो रहे हैं और उसके साथ-साथ जो सीवर की कुल व्यवस्था जो सीवर डाला गया था दो-तीन साल पहले वो जाम है उसकी समीक्षा करने के लिए या उस जो काम में कोताही हुई उसकी जाँच के लिए कोई व्यवस्था की गयी है क्या, ऐसी जानकारी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः डॉ. अनिल गोयल जी।

डॉ. अनिल गोयलः अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में पूरी दिल्ली की शायद हर विधानसभा में ऐसा है तो मेरा सवाल 'ग' और 'घ' से है कि कृष्णा नगर विधानसभा में भी सीवर व्यवस्था लगभग ठप है वहां सीवर लाईन नई डालने की कोई योजना है क्या। 'घ' में

इन्होंने लिखा है पानी की कमी, अत्यंत कमी वहां भी है हमारे यहां क्या यूजीआर की व्यवस्था नहीं है, उसकी है क्या व्यवस्था होने का और नई पाईप लाईनों की व्यवस्था, ये मेरा प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं ये सवाल तो उनकी विधानसभा का है ना।

डॉ. अनिल गोयल: उनकी अलग है सर इनकी अलग है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं वो तो उसी संबंधित देंगे ना।

डॉ. अनिल गोयल: उसी से संबंधित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: वैसे जनरल कोई बात है तो बताईये।

माननीय जल मंत्री: अध्यक्ष जी ये जो हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, ये खाली एक विधानसभा की नहीं है। ये पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं का ये ही हाल है और ये विपक्ष के मेरे सारे साथी, मेरे सारे माननीय सदस्य जब इस बात से खुश होते हैं कि हमारे सत्ता पक्ष के हमारी पार्टी के सदस्य ही अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं तो फिर मुझको लगता है कि इनके पास में ऐसा सौभाग्य नहीं था, ये 10 साल में सत्ता में तो जरूर थे मगर इनके पास में अपनी सरकार से पूछने का अधिकार नहीं था, हमारे सदस्य अपनी सरकार से सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सुबह दो घंटा, तीन घंटा जनता से मिलकर यहां पर आते हैं और अगर 200 आदमी मिलने आते हैं तो उसमें से 190 आदमी केवल सीवर और पानी की शिकायत करते हैं। दिल्ली में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे जो यहां के उपमुख्यमंत्री रहे उनकी विधानसभा हो, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो खड़ा होकर सदस्य ये बोले कि मेरे यहां पर पानी, सीवर की कोई दिक्कत नहीं है, बिलकुल ठीक है, एक

भी नहीं है, तो क्या 10 साल से इनकी योजना क्या थी, 10 साल से ये आतिशी जी 8 तारीख से इतना खुश हैं, शाम को इतना खुश हो रही थीं इनकी सरकार हार गई, केजरीवाल हार गया, मनीष सिसौदिया हार गया और ये डांस कर रही थीं, खुश हो रही थी और आज तक इतना खुश लग रही हैं, सारे विधायक खुश हैं कि केजरीवाल हार गया, कि हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, समस्या उठा सकते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारी सरकार ना केवल 48 विधायक, बल्कि पूरे 70 विधानसभा का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा आपकी विधानसभा से जुड़ी है, हमारी विधानसभा का सीवर आपकी विधानसभा से जुड़ा है हमारी विधानसभा की पानी की लाईन आपकी विधानसभा से जुड़ी हैं हम ये 22 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं 48 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं, अगर पानी का काम होगा, सीवर का काम होगा तो वो 70 विधानसभाओं का होगा केवल 48 का नहीं होगा।

माननीय अध्यक्षः इसमें एक मिनट साइलेंट प्लीज। अब प्रश्न संख्या 64 श्री सुरेन्द्र कुमार।

श्री सुरेन्द्र कुमारः आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से क्वेश्चन नंबर 64 प्रस्तुत है:

क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 8 मार्च, 2025 को महिला दिवस के अवसर पर महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रूपए की पहली किस्त दे पाई थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) महिला समृद्धि योजना के लिए 8 मार्च, 2025 को जारी किया गया अधिकारिक सरकारी आदेश (नोटिफिकेशन) कब सार्वजनिक किया जायेगा;

(घ) सरकार इस योजना को जल्द शुरू करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) गोकलपुर विधानसभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपए कब से मिलने शुरू होंगे?

प्रश्न संख्या 64 का उत्तर

(क) नहीं।

(ख) पारदर्शिता और प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है

(ग) एक प्रस्ताव सक्षम प्राधिकरण के पास अनुमोदन और अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही अधिसूचना जारी की जाएगी, इसे सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा।

(घ) पारदर्शिता और प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) जैसे ही योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी और योजना के दिशा-निर्देश और पोर्टल तैयार होंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

(माननीय वित्त मंत्री की ओर से) श्री प्रवेश साहिब सिंह (मा. लोक नि. मंत्री): हो चुका, एक बार अध्यक्ष जी का रूलिंग आ गया पहले दिन ही उसको मान लिया जाए हमेशा।

माननीय अध्यक्षः ये तो इस पर बात तो हो चुकि है हमारी कभी प्रश्न लगाते है, कभी 280 लगाते हैं, बजट में आ गया सब आ गया और रिप्लाई इसमें है।

माननीय वित्त मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और इसके बारे में हमारी माननीया मुख्यमंत्री जी ने बजट में स्पष्ट किया है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए

माननीय अध्यक्षः नहीं इसमें रिप्लाई आया हुआ है सारा।

माननीय वित्त मंत्रीः महिला समृद्धि योजना में 51 सौ करोड़ रुपये का बजट इसके लिए प्रस्ताव किया गया है। 4 सदस्यों की इसके लिए कमेटी बन गयी है, इसका नॉटिफिकेशन होना पेंडिंग है जो कन्सर्न अथॉरिटी है उसके पास में फाईल चली गयी है। तुरंत इसका नॉटिफिकेशन होगा, हमारी महिला बहनों के लिए जो भी नियम बनेंगे, उसके अनुसार उसके फार्म भरना शुरु होंगे और केवल 48 में नहीं सारी 70 विधानसभाओं में फॉर्म भरवाएं जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष जी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है समय निश्चित कर दें तो अच्छा रहेगा कब तक, शुरुआत हो जाएगी।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

माननीय वित्त मंत्रीः बहुत अच्दी बात माननीय सदस्य ने कही है कि समय निर्धारित कर दें। अच्छा होता कि फरवरी 2024 में ये सवाल आप उस समय जो

यहां के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी से पूछते जिन्होंने 2024 के बजट में कहा था, जिन्होंने 2024 के बजट में कहा था कि हजार रुपया देंगे। मगर आपकी हिम्मत नहीं होती थी ये सवाल पूछने के लिए मगर बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक मिनट, एक मिनट। करनैल सिंह जी। बैठ जाइये। हां जी।

श्री करनैल सिंहः धन्यवाद मान्यवर।

माननीय अध्यक्ष आपके लगातार प्रश्न इसी पर है, तीन-चार तो अभी बैठिये। आप पूछिये। बोलिये जी। आप बात करिये। आप करनैल जी पूछिये। करनैल जी सवाल पूछिये। करनैल जी आप सवाल पूछिये ना। आप पूछिये उनको बोलने दीजिए। वो कार्रवाई के... मैं मार्शल्स आप इनको संजीव झा जी को सदन से बाहर ले जाएं, मार्शल्स संजीव झा जी को सदन से निष्कासित किया जाता है। बताइये जी आप शुरु करिये।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्य श्री संजीव झा को मार्शल्स द्वारा सुबह 11:56 बजे सदन से बाहर किया गया)

श्री करनैल सिंहः माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिये।

श्री करनैल सिंहः मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ इसी विषय को लेकर के जो नकली इस 'आपदा' सरकार के टाईम में जो नकली आधार कार्ड

बने हैं उन पर क्या कार्रवाई की जायेगी जो अपने आप को इस पेंशन के लिए क्वालीफाई बता रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स कुलदीप कुमार को सदन से बाहर लेकर जाएं। बाहर ले कर जाएं कुलदीप कुमार को तुरंत बाहर लेकर जाएं। चलिए आप क्वेश्चन पूछिये, मैं इनका आप शांत रहें। आपका प्रश्न हो गया, आप बैठ जाइये, नहीं पूछना। मंत्री जी आप रिप्लाई करिये।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार को मार्शल्स द्वारा सुबह 11:57 बजे सदन से बाहर किया गया)

श्री करनैल सिंहः मैं पूछ तो रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः पूछिये।

श्री करनैल सिंहः मैं यह पूछ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपदा सरकार के कार्यकाल में जितने इन लोगों ने रोहिंग्याओं के और बांग्लादेश से आये हुए लोगों के आधार कार्ड और वो बनाए उन सब की जांच होनी चाहिए ताकि वो लोग पेंशन के लिए क्वालीफाई ना हों।

माननीय अध्यक्षः हां जी, अब आपको उठाना है ना वीरेन्द्र काद्यान जी, क्वेश्चन नहीं पूछने दिया जाएगा आपको, आप क्योंकि कागज लेकर खड़े हैं ना वो, आप कागज लेकर खड़े हैं ना पहले आप, आप कागज लेकर खड़े हैं ना फिर ऐसे नहीं, अव्यवस्था नहीं मैं फैलाने दूंगा यहां।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष जी काद्यान जी का भी, हमारा भी, हमारा सब का सवाल एक है, आप तारीख बताईये...

माननीय अध्यक्षः चलिए आप बताइये अब, विशेष रवि जी को बाहर लेकर जाएं, मुकेश जी को बाहर लेकर जाएं इनको सदन से निष्कासित किया जाता है। सदन से निष्कासित किया जाता है इनको।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्य श्री विशेष रवि एवं श्री मुकेश कुमार अहलावत को मार्शल्स द्वारा सुबह 11:58 बजे सदन से बाहर किया गया)

माननीय अध्यक्षः अब मैं आप बोलिये, अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः विपक्ष के साथी डीटीसी कैग रिपोर्ट के डिस्कशन में भाग नहीं लेना चाहते, इसलिए ये प्लान के तहत बारी-बारी से बाहर जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स जरनैल सिंह को सदन से बाहर लेकर जाया जाये। इनको निष्कासित किया जाता है ये सदन में पर्चे बांट रहे हैं।

श्री अभय वर्माः देखिये आतिशी जी कैग की रिपोर्ट से क्यों भाग रहे हो आप लोग। आप लोग प्लान बनाकरके आये हो।

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स जरनैल सिंह को बाहर लेकर जाइये।

श्री अभय वर्माः मुख्यमंत्री जी ने 2500 की घोषणा कर दी है।

माननीय अध्यक्षः बाहर निकालिये, ये पर्चे बांट रहे हैं यहां पर।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह को मार्शल्स द्वारा सुबह 11:59 बजे सदन से बाहर किया गया)

श्री अभय वर्माः सब कुछ, पाईप लाइन में है उसके बावजूद आप बहाना बनाकर।

माननीय अध्यक्षः सदन में अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री अभय वर्माः हाउस से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो ये विपक्ष की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह है, विपक्ष क्यों भाग रही है कैग की रिपोर्ट के डिस्कशन से, ये बताएं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स, आतिशी जी को सदन से निष्कासित किया जाता है, इन्हें लेकर जाएं।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीया नेता, प्रतिपक्ष सुश्री आतिशी को मार्शल्स द्वारा सुबह 11:59 बजे सदन से बाहर किया गया)

श्री अभय वर्माः के आपके भागने से आपके दामन नहीं छूटने वाले आप लोगों ने जो घोटाला किया है उसका जवाब देना ही पड़ेगा।

माननीय अध्यक्षः प्रेम चौहान को सदन से बाहर किया जाए। निष्कासित। सबको को बाहर करो। आप जल्दी करिये।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्य श्री प्रेम चौहान को मार्शल्स द्वारा सुबह 11:59 बजे सदन सदन से बाहर किया गया)

श्री अभय वर्माः आप बेशक ये बहाना बनाकर जाते रहिए लेकिन कैग की रिपोर्ट पर पूरा डिस्कशन होगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। पिछले सरकार के काले कारनामों से बच नहीं सकते आप। आप जितना मर्जी प्लान कर लीजिए लेकिन आप बच नहीं सकते, आप विपक्ष के साथी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बचने वाले नहीं हैं उनको जेल जाना ही पड़ेगा और जो सरकार के पैसे का चूना आप लोगों ने लगाया है उस पैसे की रिकवरी भी

आपके द्वारा होकर रहेगी। आप लोग बहाना बना रहे हो। कैग की रिपोर्ट से घबरा गए, डीटीसी के घोटाले, लेकिन मुंह छिपाने से काम चलेगा नहीं, दिल्ली की जनता लगातार आपसे सवाल पूछ रही है,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स अजय दत्त को बाहर लेकर जाया जाये, बाहर लेकर जाया जाए इनको।

माननीय अध्यक्षः बाहर लेके जाईये इनको, वीरेंद्र कादियान को बाहर निकाला जाये, बाहर निकाला जाये।

श्री अभय वर्माः अगले चुनाव में आप 2 की संख्या भी नहीं पार कर पायेंगे क्योंकि कैग के द्वारा जो अनियमिततायें आपके खिलाफ बताई गयी हैं उससे आप बच नहीं सकते। आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आपको ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा। आप के खिलाफ जांच होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न काल, हां हां बताईये, बताईये।

श्री मनोज शौकीनः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो चुनाव के दौरान झूठे फार्म भरे गये और जिसका स्पष्टीकरण विभाग ने देना पड़ा क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो सरकार में बैठे थे कोई कार्रवाई हो सकती है, अगर हो सकती है तो कब तक?

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी इसपे रिप्लाई देंगे। झूठे फार्म जो भरे गये उस पर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स सोम दत्त जी को तुरंत बाहर लेके जाया जाये इनको, अव्यवस्था फैला रहे हैं तुरंत। रिप्लाई करिये।

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्री, श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि ये जो बार बार इस तरह की अव्यवस्था फैल जाती है अध्यक्ष जी मुझे बड़ा खेद है।

माननीय अध्यक्षः ये सब इसलिये किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूं अगला डिस्कशन सीएजी पे होने वाला है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के इसलिये बाकी लोग भी मुझे उम्मीद नहीं है यहां रहना चाहेंगे। तो अभी एक एक करके जिस तरह से यहां पर ये षडयंत्र ये आगर्नाईज्ड डिसरप्शन जो हो रही है हाउस की, उसके पीछे एक ही है कि सीएजी की 5 रिपोर्ट यहां पर डिस्कशन के लिये शुरू होने वाला है डिस्कशन। तुरंत प्रश्न काल के बाद और प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब सीएजी की रिपोर्ट पर मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं। इसलिये एक आखिरी रिप्लाई ये करेंगे। बाकी सदस्य भी अभी मुझे लगता है यहां रहेंगे नहीं ये।

माननीय उद्योग मंत्री, श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सही राम जी ने जाना है अब सही राम जी जा रहे हैं अब सही राम जी। अध्यक्ष जी हमें यह तय करना होगा।

माननीय अध्यक्षः इन्हें बाहर निकालिये।

माननीय उद्योग मंत्री, श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमें तय करना चाहिये अध्यक्ष जी जो रोज रोज ये काम करते हैं।

माननीय अध्यक्षः सही राम जी को करिये बाहर। अब ये एक एक करके सब जायेंगे ये क्योंकि सीएजी में ये रहना नहीं चाहते सदन में।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्य श्री अजय दत्त, श्री विरेन्द्र सिंह कादियान, श्री सोम दत्त और श्री सही राम को मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर किया गया)

माननीय उद्योग मंत्री, श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, जो ये रोज रोज डिस्टर्ब करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ आपको पूरे बजट सेशन के लिये बाहर करना चाहिये। अध्यक्ष जी आप मेरा ध्यान दीजिये। अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करता हूं ये रोज लोग ऐसा काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः आप भी जायेंगे। आप भी जायेंगे क्या? अच्छा आप जाईये। चलिए बताइए जी

...(व्यवधान)

माननीय उद्योग मंत्री, श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, सही राम जी से मैं उम्मीद नहीं करता था और नेता जी से बिल्कुल नहीं करता, ये हम लोगों को गाईडेंस देने वाले लोग हैं ये लोग हैं जो हमें समझायें 10 साल सता में रहे हैं ये हमें ज्ञान देते भई आपको इस तरह से हाउस को प्रोसिड करना है लेकिन मुझे बड़ा खेद है विपक्ष की नेत्री जो मुख्यमंत्री भी रही हैं इस तरह का बचकाना हरकत कर रही हैं, ऐसा बचकाना हाउस के अंदर मजाकिया तौर पर

ऐसे हंसते हैं हाथ मार मारकर तालियां बजाते हैं। अध्यक्ष जी इससे हाउस की गरिमा को ठेस है और हमें खेद है जब ऐसे लोगों को सामने बैठे देखते हैं हमें खुद को ये खेद होता है क्या हम इस हाउस का हिस्सा हैं। ये इतना सीरियस हाउस है जिसके अंदर दिल्ली के लोगों के कामों पे चर्चा होनी चाहिये, दिल्ली के लोगों की मुश्किलों पे चर्चा होनी चाहिये, उसका समाधान होना चाहिये और जिस तरह से ये नोटंकियां की जा रही हैं मुझे याद आता है हमारे पंजाब में पंजाबियत में अक्सर कहते थे 'चवन्नी दा आदमी दूजे नू दुआनी दा करके छडदा है। ये खुद तो चवन्नी के थे ये बाकियों को दुअनी का करने पर उतरे हुए हैं। ये इनका किरदार है'।

माननीय अध्यक्षः ये जब जब सदन में सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होती है विपक्ष इसी तरह से बहाना करके सदन से बाहर जाता है। मंत्री जी उनकी बात का रिप्लाई कर दीजिए।

माननीय मंत्री श्री प्रवेश वर्मा: अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि जो पहले की सरकार ने वायदा किया था हजार रूपये का, उसके बाद में फार्म भी भरवाये थे। अगर कोई भी सरकारी तंत्र उसमें शामिल रहने की हमको जांच में पता लगेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

65. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दिल्ली में रहने वाले गरीब लोगों को सस्ता राशन मुहिया कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु दिल्ली में विधान सभा वाईज कुल कितने राशन कार्ड किस मापदंड से बनाये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में अभी भी लाखों गरीब लोग इन राशन कार्डों से वंचित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कब तक राशन कार्डों से वंचित गरीब लोगों को राशन कार्ड बनाकर देगी?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: (क) सस्ता राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद सितंबर 2013 से उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन 2020 में कोविड महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से राशन मुफ्त उपलब्ध कराया गया (दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के अतिरिक्त) जिसकी समय सीमा भारत सरकार द्वारा 01.01.2024 से अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

(ख) 17,41,266

1. वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से कम
2. बिजली का मीटर 2 kw से कम
3. आयकर दाता न हो
4. घर का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो
5. A से E Category की की कालोनी में मकान न हो
6. चार पहिया वाहन न हो (आजीविका के निर्वहन हेतु छूट है)।

(ग) यह सत्य नहीं है।

(घ) भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 तय की गई है और इतने ही लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नए राशनन कार्ड जारी किए जाते हैं।

66. श्री विरेन्द्र सिंह कादियानः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच के बिना पात्र महिलाएं, महिला समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण कर सके;

(ख) महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए वित्त विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग को क्या निर्देश दिए गए है;

(ग) दिल्ली कैंट विधानसभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये कब से मिलना शुरू होंगे;

(घ) महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी महिलाएं पात्र होंगी; और

(ङ) यदि कोई महिला पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना से लाभान्वित हो रही है, तो क्या वह महिला समृद्धि योजना के लिए भी पात्र होगी?

मुख्यमंत्रीः (क) पारदर्शिता और प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन ढांचें

को अंतिम रूप दिया जा रहा हे। ऐसा हो जाने के बाद, पंजीकरणउ के लिए प्रावधान साझा किए जाएंगे।

(ख) वित्त विभाग को 5,100 करोड़ रुपयें के बजट का प्रावधान रखने का निर्देश दिया गया है।

(ग) जैसे ही योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी और योजना के दिशा-निर्देश और पोर्टल तैयार होंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

(घ) पारदर्शिता और प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही यह पूरा हो जाएगा, पात्रता मानदंड सार्वजनिक किए जाएंगे।

(ङ) पारदर्शिता और प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही यह पूरा हो जाएगा, पात्रता मानदंड सार्वजिनक किए जाएंगे।

67. श्री पवन शर्मा: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) गर्मी के मौसम को देखते हुए उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल के अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल मंत्रीः (क) गर्मी के मौसम को देखते हुए उत्तम नगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के लिए आवश्याकतानुसार 04 अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे।

68. श्री गजेन्द्र सिंह यादवः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेहरौली विधान सभा में कितने यूजीआर तैयार हैं तथा उनमें कितनी मात्रा में जल संरक्षण की क्षमता है;

(ख) मेहरौली विधान सभा के वसंत कुंज, साकेत, लाडो सराय, रजोकरी, मसूदपुर, कटवारिया सराय, कुसमपुर, बेर सराय, किशनगढ़, मोती लाल नेहरू कैम्प और मेहरौली में सीवर कब डाले गए थे;

(ग) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में पानी के टैंकर कितनी संख्या में आवंटित हैं;

(घ) मेहरौली और लाडो सराय, वसंत कुंज वार्ड में जल और सीवर रख रखाव में पिछले 10 वर्षों में कितना बजट कहां-कहां लगा, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) मेहरौली विधान सभा में जल पाईप लाईन और सीवर पाईप लाईन प्रोजेक्ट में कुल कितना खर्चा पिछले 10 वर्षा में हुआ; और

(च) अभी तक जल पाईप लाईन एवं सीवर पाईप लाईन समुचित प्रकार से शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

जल मंत्रीः (क) मेहरौली विधानसभा में 15 संख्या यूजीआर हैं और जिनकी जली संरक्षण की क्षमता का विवरण संलग्नक 'क' में उपलब्ध है।

(ख) मेहरौली विधानसभा के वसंतकुज, साकेत, लाडो सराय, मसूदपुर, कटवारिया सराय, बेर सराय, किशनगढ़ और मेहरौली में प्रारंभ में सीवर लाईन लगभग 40 से 45 वर्ष पूर्व डाली गई थी। लेकिन कुछ बीते वर्षों में इन स्थानों पर आवश्यकता पड़ने पर पुरानी एवं क्षतिग्रस्त सीवर लाईन बदली भी गई है। रजोकरी में सीवर लाईन लगभग 15 वर्ष पूर्व डाली गई थी। कुछ गलियों में विगत वर्षों में नई सीवर लाईनन भी डाली गई है। कुसुमपुर और मोती लाल नेहरू कैंप में जल बोर्ड के द्वारा कोई भी सीवर लाईन नहीं डाली गई है।

मेहरौली ग्रुप ऑफ कॉलोनीज के अंतर्गत तीन कॉलोनी छतरपुर विधानसभा और एक कॉलोनी मेहरौली विधानसभा की इस्लाम कॉलोनी में तथा परिधीय सीवर लाइन जोकि कालकादास मार्ग व अन्डेहरिया मोड़ से होते हुए मेहरौली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक 2014 से 2024 के बीच डाली गयी है जोकि कमीशंड है।

(ग) मेहरौली विधान सभा के साकेत, लाडो सराय, कटवारिया सराय का क्षेत्र मेसर्स मालवीय नगर वाटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पानी वितरण का कार्य संचालित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार पहले से चलाए जा रहे टैंकरों द्वारा ही पानी की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत मेहरौली विधानसभा के शेष क्षेत्र के लिए कुल 32 पानी के टैंकर आवंटित हैं।

(घ) गत 10 वर्षों में किए गए खर्च का विवरण विधानसभा/वार्ड के अनुसार पृथक रूप से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पूर्व में यह रिकार्ड डिविजन के अनुसार रखा जाता था। विगत 2 वर्षों से अकाउंट विधानसभा वार रखे जा रहे हैं। इन वर्षों के बजट का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

मल संभाग

वर्ष 2023-24 रू. 413.84 लाख

वर्ष 2024-25 रू. 252.03 लाख।

मैसर्स मालवीय नगर वाटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आंशिक रूप से छतरपुर, मालवीय नगर, मेहरौली, ग्रेटर कैलाश व अंबेडकर नगर विधान सभा में पानी का रखरखाव किया जाता है। इसके रखरखाव में पिछले 10 वर्षों में 195.28 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। मेहरौली विधान सभा का लाडो सराय वार्ड क्षेत्र भी इसका हिस्सा है। इसके पृथक रूप से खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं है।

मेहरौली विधानसभा के शेष क्षेत्र के लिए गत 10 वर्षों में किए गए खर्च का विवरण विधानसभा/वार्ड के अनुसार पृथक रूप से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पूर्व में यह रिकार्ड डिविजन के अनुसार रखा जाता था। हालांकि विगत 5 वर्षों में मेहरौली, किशनगढ़ गांव, रजोकरी गांव, मसूदपुर गांव, वसंतकुंज, बेरसराय, कुसुमपुर पहाड़ी और मोती लाल कैम्प आदि क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली के रख रखाव में 25.98 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है।

(ङ) मेहरौली ग्रुप ऑफ कॉलोनीज के अंतर्गत तीन कॉलोनी छतरपुर विधान सभा और एक कॉलोनी मेहरौली विधान सभा की इस्लाम कॉलोनी में तथा परिधीय सीवर लाइन जोकि कालकादास मार्ग व अन्डेहरिया मोड़ से होते हुए मेहरौली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक 2014 तो 2024 के बीच डाली गयी है जोकि कमीशंड है जिसका कुल खर्चा 4045.8 लाख रूपये है।

मेसर्स एमवीवी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को महरौली परियोजना क्षेत्र और वसंत विहार परियोजना क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए सेवा स्तर में सुधार का काम दिनांक 06.09.2012 को आवंटित किया गया था। इसके वर्क आर्डर की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत कांट्रेक्ट एग्रीमेंट दिनांक 11.12.2022 को बंद कर दिया गया था।

इस परियोजना में महरौली क्षेत्र के अंतर्गत जल वितरण प्रणाली डालने में 19.33 करोड़ रुपये एवं जलाशय निर्माण में कुल 5.70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

(च) मेहरौली विधान सभा में अधिकतर कॉलोनियां या तो एफ्लुएंट है और या फारेस्ट की जमीन पर है जिसके कारण उनमें सीवर लाइन नहीं डाली जा सकती है।

मेसर्स एमवीवी यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को मेहरौली परियोजना क्षेत्र और वसंत विहार परियोजना क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए सेवा स्तर में सुधार का काम दिनांक 06.09.2012 को आवंटित किया गया था। इसके वर्क आर्डर की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत कांट्रेक्ट एग्रीमेंट दिनांक 11.12.2022 को बंद कर दिया गया था। परियोजना में देरी के कारण 10% जुर्माना लगाया जा चुका है।

उस समय पानी की उपलब्धता के अनुसार जल वितरण प्रणाली आंशिक रूप से उपयोग कर ली गई थी तथा परियोजना बंद करने के उपरांत डाली गई। जल वितरण प्रणाली और जलाशयों को संबंधित मैन्ट्रनन्स डिवीजन को भविष्य में उपयोग हेतु हस्तांतरित कर दी गई है।

पानी की पाईप लाईन सम्पूर्ण तरीके से नहीं डाल पाने की वजह से ये समुचित प्रकार से शुरू नहीं हो पाई है।

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :- करोल बाग, नई दिल्ली

स्टाफ (क)

तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या :- 68 (तारांकित)
दिनॉक :- 19 मार्च, 2025
प्रश्नकर्त्ता का नाम :- श्री गजेन्द्र सिंह यादव

अनुपूरक सूचना

मेहरौली विधानसभा के 15 यूजीआर और उनकी जल संरक्षण की क्षमता का विवरण :-

1. डी-3/4 वसंतकुंज यूजीआर - 0.2 एमजी
2. एमआईजी फ्लैट्स किशनगढ़ यूजीआर - 0.15 एमजी
3. लाल टंकी यूजीआर - 0.4 एमजी
4. कुतुब यूजीआर - 0.4 एमजी
5. सी-1 वसंतकुंज यूजीआर - 0.25 एमजी
6. डी-7/8 वसंतकुंज यूजीआर - 0.25 एमजी
7. डी-6 वसंतकुंज यूजीआर - 0.25 एमजी
8. बारीवाला मेहरौली यूजीआर - 0.15 एमजी
9. रजोकरी यूजीआर - 0.05 एमजी
10. किशनगढ़ यूजीआर - 0.3 एमजी
11. सैक्टर-ए पॉकेट बी एण्ड सी, वसंतकुंज यूजीआर - 0.20 एमजी
12. डी-1/2 वसंतकुंज यूजीआर - 0.20 एमजी
13. घिटोरनी वसंतकुंज यूजीआर - 0.25 एमजी
14. बी-1 वसंतकुंज यूजीआर - 3.00 एमजी
15. डीडीए बेर सराय यूजीआर - 0.05 एमजी

(मनोज कुमार शर्मा)
अधिशासी अभियंता (डी) - 111

अधीक्षण अभियंता (सी)-11

69. श्री कुलदीप कुमारः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला समृद्धि योजना के तहत रु 2500 प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है तथा इस योजना के लिए महिलाओं को किन दस्तावेजों की आवश्यकता है;

(ख) इस योजना के लिए आवेदन करते समय महिलाओं को किन तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) 20 फरवरी, 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना के लिए क्या निर्णय किए गए थे; और

(घ) कोंडली विधानसभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये कब से मिलना शुरू होंगे?

मुख्यमंत्रीः (क) पारदर्शिता और प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बार यह हो जाने के बाद, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

(ख) योजना के कार्यान्वयन के बाद, विभाग इस योजना के लिए आवेदन करते समय लाभार्थियों को जो भी समस्याएँ और कठिनाइयाँ पेश आएंगी,, उन्हें समाधान प्रदान करेगा।

(ग) 20 फरवरी 2025 को हुए कैबिनेट बैठक में 'महिला समृद्धि योजना' से सम्बंधित कोई निर्णय नहीं लिए गए।

(घ) जैसे ही योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी और योजना के दिशा-निर्देश और पोर्टल तैयार होंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

70. श्री प्रवेश रतनः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि महिला समृद्धि योजना को शुरू करने में देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार इस योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि की निगरानी कैसे कर रही है;

(घ) इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रखी गयी है; और

(ङ) पटेल नगर विधान सभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये कब से मिलना शुरू होंगे?

मुख्यमंत्रीः (क) सरकार पारदर्शिता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने का काम कर रही है। हालांकि इस प्रक्रिया में समय लग रहा है, सरकार शीघ्र ही योजना को लॉन्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) एक बार जब योजना अधिसूचित हो जाएगी और सभी मानदंड, दिशानिर्देश, रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो धन का कुशल और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रक्रिया स्थापित किया जाएगा।

(घ) इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) जैसे ही योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी और योजना के दिशा-निर्देश और पोर्टल तैयार होंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

71. श्री अशोक गोयल: क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राशन कार्ड धारक हैं;

(ख) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 2020 से 2025 के दौरान अब तक खाद्य एवं संभरण विभाग को नए राशन कार्ड बनाने के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने आवेदकों को नए राशन कार्ड जारी कर दिये गये और कितने आवेदन अभी तक लंबित हैं, पूर्ण विवरण दें; और

(ग) लंबित आवेदनों के राशन कार्ड कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: (क) 13065

(ख) 188 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 129 कार्ड स्वीकृत हो चुके हैं तथा 59 कार्ड लंबित हैं

(ग) भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राशन लाभार्थियों की ससीमा 72,77,995 तय की गई है और इतने ही लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

72. श्री राज करन खत्री: क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरेला विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राशन डिपो हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें;

(ख) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में कुल कितने नये राशन कार्ड बनाये गए हैं, पूर्ण विवरण दें; और

(ग) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राशन कार्ड धारक हैं, कैटेगरीवाईज पूर्ण विवरण दें?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: (क) 46, सूची संलग्न है।

(ख) पिछले 5 वर्षों में (01.03.2020 से 28.02.2025) कुल 1900 कार्ड बनाए गए हैं।

(ग) AAY-2134

PR/PRS-40,083

Total=42,217

ANNEXURE-I

S No.	Circle	License No	FPS Shop Name	Name of the Proprietor/Partner	Address Of FPS
1	1 - NARELA	3433	M/S JAGERAM JAGADISH PRASAD	Pawan Kumar Garg	635 A GT ROAD ALIPUR Narela
2	1 - NARELA	3510	M/S BHOLERAM	Mahesh Chander	K.No. 33/7 Middle portion Ground floor Village Bankner Near firni road VILLAGE BANKNER
3	1 - NARELA	3691	M/S SHYAMWATI	Devender Kumar	A-44 KUSHAK HIRANAKI Kushak No. 1
4	1 - NARELA	3708	M/S CHANDARAPATI	Surender Kumar Aggarwal	BHUMIYA CHOWK VILLAGE BAKOLI ALIPUR AliPur
5	1 - NARELA	4629	M/S BHAGAMAL SURESH KUMAR	Suresh Kumar	Village Budhpur, Delhi Narela
6	1 - NARELA	4719	M/S UMED SINGH	Ajay Kumar Dagar	38/4/2 Ground Floor Landmark Opposite Jhodwala Transformer Akbar Pur Mazra
7	1 - NARELA	4983	M/S BHARAT GENERAL STORE	Sandeep Khatri	Village Tikri Khurd Delhi Tikri Khurd
8	1 - NARELA	5349	M/S TARACHAND	Tara Chand	780 KUMAHARA WALI GALI BANKNER Bankner
9	1 - NARELA	5412	M/S JEETRAM	Jeet Ram	574 PANA UDYAN NARELA Narela, pana udhan
10	1 - NARELA	6295	M/S GOYAL BRADARS	Rajinder Parshad	Kh.No. 496 Village Mamurpur, Punjabi Colony, G-Block, Narela Narela
11	1 - NARELA	6302	M/S MEHAR CHAND BAL KISHAN	Mehar Chand	152 A Alipur AliPur
12	1 - NARELA	6358	M/S RAGHUNATH SINGH	Raghunath	Village SINGHU Delhi Singhu
13	1 - NARELA	6446	M/S DHARMABIR OMAPRKASH	Rakesh Kumar Gupta	Kh. No. 46/20 Gali No. 1B SWATANTAR NAGAR Village Bankner Narela Narela
14	1 - NARELA	6600	M/S SATYAPRKASH RAJ SINGH	Satya Prakash Mann	298 VILLAGE KHERA KHURD VILLAGE KHERA KHURD
15	1 - NARELA	7038	M/S BINDAL STORE	Naresh Kumar Aggarwal	Plot No. 2089, Kh. no. 97/18, Sawtanter Nagar, Gali No. 35B NARELA,SWATNTRA NAGAR
16	1 - NARELA	7689	M/S JIT SINGH	Jeet Singh	H.NO-1795 PANA MAMUR PUR NARELA DELHI-40 Narela
17	1 - NARELA	7708	M/S NARESH KUMAR	Manoj Kumar	SHOP NO 81-82 KESHAV BHAWAN VILLAGE KURENI NARELA Narela
18	1 - NARELA	7724	M/S HARIJAN PROVISIONAL STORE	Manoj Kumar	H.No. 601, NEAR BANK OF INDIA, VILLAGE BAKHTAWAR PUR Bakhtawar Pur
19	1 - NARELA	8354	M/S BALDEV RAJ	Baldev Raj Sharma	H.No. 1063 Pocket-7 SectorA-10 Narela Narela
20	1 - NARELA	8490	M/S WAZIR SINGH AND SONS	Wazir Singh	KH NO.70/22, 9/B SWATATRA NAGAR Narela
21	1 - NARELA	8491	M/S NISHI ENTERPRISES	Mukesh kumar	B-309 PHASE II, METRO VIHAR NARELA metro vihar phase-2 Narela
22	1 - NARELA	8659	M/S CHAUDHARI FARE PRICE SHOP	Sandeep Kumar	807 KHEDA KHURD Kehra khurd
23	1 - NARELA	8675	M/S RAKESH KUMAR PROVIJAN STORE	RAKESH RANA	C-714 SEC 27 ROHINI Khera Kalan
24	1 - NARELA	8715	M/S PAL RASHAN BHANDAR	Neetu	1052A PANA PAPOSIA NARELA Narela
25	1 - NARELA	8852	M/S NEEL KAMAL PROVISION STORE	Neel Kamal	Plot No. 31 Kh. No. 129 Arya Samaj Road Mamur Pur Narela
26	1 - NARELA	8903	M/S NISHA PROVISION STORE	Chhoto Devi	SWATANTRA NAGAR NARELA Narela
27	1 - NARELA	8942	M/S SUNITA STORE	Monika	VILLAGE KHERA GARHI KHERA GARHI

ANNEXURE-I

.. No.	Circle	License No	FPS Shop Name	Name of the Proprietor/Partner	Address Of FPS
28	1 - NARELA	9052	M/S VINIT PROVISIONAL STORE	Karan Singh	39/12/2 Gautam Colony Safiabad Road, Narela Narela
29	1 - NARELA	9061	M/S BALAJI PROV. STORE	Vijay Singh	PLOT NO. 8 POCKET No.8 J J Colony SECTOR-A-5 NARELA Narela
30	1 - NARELA	9063	M/S AMBE MAA STORE	Ashok Kumar	A-561-562 PHASE-1 METRO VIHAR HOLAMBI KALAN VILLAGE HOLAMBI KALAN
31	1 - NARELA	9065	M/S SONI ENTERPRISES	Shakuntla	756-757 SECTOR-A-6 POCKET-II Narela Narela
32	1 - NARELA	9066	M/S VINAYAK STORE	Vinod Kumar Chohan	B-583 HOLAMBI KALAN PHASE I METRO VIHAR metro vihar phase-01 Narela
33	1 - NARELA	9067	M/S SHRI DURGA MATA	Sanjay Kumar	B-222, Holambi Kalan Phase-I Metro Vihar VILLAGE HOLAMBI KALAN
34	1 - NARELA	9093	M/S DESRAJ	Sarla Devi	A-91-92, Holambi Kalan, metro vihar phase-01 Narela
35	1 - NARELA	9094	M/S RUKSANA STORE	Ruksana Begam	21/22 HOLAMBI KHURD METRO VIHAR VILLAGE HOLAMBI KHURD
36	1 - NARELA	9103	M/S DURGA STORE	Dharmbir	B-2 PHASE-1 HOLAMBI KALAN METRO VIHAR metro vihar phase-01 Narela
37	1 - NARELA	9122	Sarvodaya SHG	Satwanti	1123 Harijan Basti Tigipur Road Bakhtawar Pur Delhi Bakhtawar Pur
38	1 - NARELA	9123	Laxmi SHG	Rukshana	37A JANGHU MOHALLA VILLAGE BAKHTAWAR PUR DELHI Bakhtawar Pur
39	1 - NARELA	9164	RAVI PROVISION STORE	Ravi Dutt Sharma	12 SHIV MANDIR GALI VILLAGE LAMPUR Lampur
40	1 - NARELA	9165	PARMILA STORE	Parmila Devi Mann	264 VILLAGE IRADAT NAGAR NAYA BANS Naya Bans
41	1 - NARELA	9166	JAI BHOLEY STORE	Usha Rani	A-5/46 SWARAN JYANTI VIHAR JJ COLONY NARELA Narela
42	1 - NARELA	9168	BALAJI STORE	Mahesh Kumar Gupta	B-262-63 METRO VIHAR PHASE II HOLAMBI KALAN NARELA metro vihar phase-2 Narela
43	1 - NARELA	9210	RAHUL STORE	Rahul Kumar	79 AMBEDKAR COLONY STREET NO. 2 VILLAGE ALIPUR AliPur
44	1 - NARELA	9409	HARSH PROVISIONAL STORE	Payal	K.H. NO. 37/5, GALI NO.-1SANJAY COLONY MAIN SABOLI RAOD NARELA NARELA,SANJAY COLONY
45	1 - NARELA	9410	M/S JATIN STORE	Sushila	H. NO. 15 POCKET 4 A/6 J.J. COLONY NARELA Narela
46	1 - NARELA	9411	M/S GIRI RAJ STORE	Mausam	KH. NO. 46/20, GF SWATANTAR NAGAR NARELA DELHI Narela

73. श्री संजीव झाः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्तमान में कितने बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड धारक हैं और उनके कुल पारिवारिक सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2012-13 में अंतिम बार बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड बनाए गए थे;

(ग) 2012 से अब तक कितने नए बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली के सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों में महिलाओं की संख्या क्या है, पूर्ण विवरण दें?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद दो श्रेणी के राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें अंत्योदय (AAY-66,285) एवं PR/PRS (16,72,732) तथा दिल्ली में 72,77,995 लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। (इस अधिनियम के लागू होने के बाद बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं रही तथा AAY एवं PR/PRS कार्ड अस्तित्व में आए)।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं रही तथा AAY एवं PR/PRS कार्ड अस्तित्व में आए।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार है।

(घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार है।

74. सुश्री शिखा रॉयः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, विशेषकर ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में, खराब पाइप लाइनों के नवीकरण की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण?

जल मंत्रीः (क) जी हाँ, खराब पाईप लाईनों के नवीनीकरण की योजना प्रस्तावित है। समय-समय पर जरूरत के अनुसार खराब पाईप लाईनों का नवीनीकरण किया जाता है।

(ख) योजना अभी विचाराधीन है। इस वित्तीय वर्ष में दिल्ली जल बोर्ड को पाईप नवीनीकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान रखा गया है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

75. श्री गजेन्द्र दरालः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा के अन्तर्गत कितने राशन डिपो आते हैं, उनकी जानकारी दी जाये;

(ख) मुंडका विधानसभा में पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कितने नये राशन कार्ड बनाये गए हैं, उसकी जानकारी दी जाये; और

(ग) अभी तक मुंडका विधानसभा में कुल कितने राशन कार्ड धारक हैं, उनकी कैटेगरी के हिसाब से संपूर्ण जानकारी दी जाये?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) 44

(ख) पिछले 10 वर्षों में (01.03.2015 से 28.02.2025) कुल 10,528 कार्ड बनाए गए हैं।

(ग) अंत्योदया कार्ड-806

PR/PRS-34,040

Total=34,846

76. श्री प्रेम चौहानः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू करने के संबंध में 8 मार्च 2025 का कैबिनेट निर्णय का नोटिफिकेशन साझा करें;

(ख) क्या सरकार इस योजना के लिए पात्र महिलाओं को बैंक खाते खुलवाने में सहायता दे रही है;

(ग) क्या महिला समृद्धि योजना के लिए सरकार की ओर से कोई हेल्पलाइन शुरू की गयी है; और

(घ) देवली विधान सभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये कब से मिलना शुरू होंगे?

मुख्यमंत्रीः (क) प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है तथा अनुमोदन के पश्चात अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

(ख) पारदर्शिता और प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूपा दिया जा रहा है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, बैंक खाता सहायता के बारे में आगे की जानकारी प्रदान की जाएगी।

(ग) एक बार योजना अधिसूचित हो जाए और सभी मानदंड, दिशानिर्देश, रूपरेखाएं अंतिम रूप दे दी जाएं तो हेल्पलाइन के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

(घ) जैसे ही योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी और योजना के दिशा-निर्देश और पोर्टल तैयार होंगे, आवेदनल पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

77. श्री अरविंदर सिंह लवलीः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने के लिए क्या प्रकिया है;

(ख) क्या नए राशन कार्ड बनने पर रोक लगी हुई है;

(ग) पिछले दस वर्षों में दिल्ली व गांधी नगर में कितने नए राशन कार्ड बने हैं; और

(घ) गांधी नगर विधानसभा में कितने राशन कार्ड होल्डर्स व कितने बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, पूर्ण विवरण दें?

आपूर्ति एव खाद्य मंत्री: (क) दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने के लिए

1. वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से कम
2. बिजली का मीटर 2 kw से कम
3. आयकर दाता न हो
4. घर का कोई सदस्य सरकार सेवा में न हो
5. A से E Category की कालोनी में मकान न हो
6. चार पहिया वाहन न हो (आजीविका के निर्वहन हेतु छूट है)।

(ख) भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 तय की गई है और इतने ही लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

(ग) पिछले दस वर्षों (01.03.2015 से 28.02.2025) में गांधी नगर में 2181 राशन कार्ड बने हैं और पूरी दिल्ली में 4,21,281 राशन कार्ड बने हैं।

(घ) वर्तमान में गांधी नगर विधान सभा में राशन कार्ड की संख्या निम्नलिखित है:-

AAY-1014

PR/PRS-19313

BPL-00

TOTAL-20327

78. श्री जरनैल सिंहः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण शुरु हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब शुरु होगा;

(ग) क्या महिला समृद्धि योजना की पात्र महिलाओं को आवेदन के लिए किसी विशेष समयसीमा का पालन करना होगा;

(घ) क्या सरकार इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कोई स्वतंत्र समिति गठित करने की योजना बना रही है; और

(ङ) तिलक नगर विधानसभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये कब से मिलना शुरु होंगे?

मुख्यमंत्रीः (क) पारदर्शिता और प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, महिला समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) एक बार जब योजना अधिसूचित हो जाएगी और सभी मानदंड, दिशानिर्देश, रूपरेखाएं अंतिम रूप दे दी जाएंगी तो किसी विशिष्ट समय-सीमा के बारे में जानकारी जनता को बता दी जाएगी।

(घ) हां, दिनांक 08.03.2025 के कैबिनेट निर्णय के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई है।

(ङ) जैसे ही योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी और योजना के दिशा-निर्देश और पोर्टल तैयार होंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

79. श्री सही राम: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) पहले वर्ष में महिला समृद्धि योजना को लागू करने की अनुमानित कुल लागत क्या है, और सरकार इसे लंबे समय तक बनाए रखने की क्या योजना बना रही है;

(ख) दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के लाभार्थियों का क्षेत्रवार विवरण क्या है;

(ग) 8 मार्च 2025 की कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए क्या निर्णय लिए गए, बैठक के कार्यवृत साझा करें; और

(घ) तुगलकाबाद विधानसभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये कब से मिलना शुरू होगा?

मुख्यमंत्रीः (क) पहले वर्ष के लिए कुल लागत 5100 करोड़ रुपये अनुमानित है। सरकार योजना की जरूरतों और मूल्यांकनर के आधार पर वार्षिक प्रावधान करेगी।

(ख) पारदर्शिता और प्रभावी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन पंजीकरणस प्रक्रिया के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, इसे जनता को बता दिया जाएगा।

(ग) कैबिनेट निर्णय संख्या 3178, दिनांक 08.03.2025 के अनुसार, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय नीचे पुनः प्रस्तुत हैंः

(क) 'महिला समृद्धि योजना' का कार्यान्वयन।

(ख) बजट में योजना के लिए 4100 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई।

(ग) विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री और तीन मंत्रियों श्री प्रवेश साहिब सिंह, मंत्री (पीडब्ल्यूडी); श्री आशीष सूद, मंत्री (गृह) और श्री कपिल मिश्रा, मंत्री (कानून) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

(घ) ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा।

(घ) जैसे ही योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी और योजना के दिशा-निर्देश और पोर्टल तैयार होंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

80. श्रीमती नीलम पहलवानः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नजफगढ़ विधानसभा में वर्तमान यूजीआर एवं डब्लुटीपी से जो पानी की सप्लाई की जा रही है वह सप्लाई जरूरत से काफी कम है;

(ख) यदि हाँ, तो पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए जल बोर्ड की क्या योजना है;

(ग) क्या यह सत्य है कि नजफगढ़ विधानसभा में काफी स्थानों पर जल बोर्ड की यूजीआर से पाईप लाईन नहीं डाली है, जिसके कारण लोग ग्राउंड वाटर पर निर्भर है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में कब तक यूजीआर बनाकर लोगों की पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी?

जल मंत्रीः (क) जी हां।

(ख) पानी की इस कमी को वैल्पिक स्त्रोतों द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी कालोनियों में जिनका मानचित्र शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, पानी की लाइनें बिछा दी गईं हैं। सूची संलग्न है।

(घ) नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी कोई नया यूजीआर बनाने की योजना नहीं है।

SUPPLEMENTARY INF. TO VIDHAN-SABHA QUESTION No. 80 ANNEXURE

Subject : List of colonies in Najafgarh AC where water lines have been laid.

S.No	Reg. No	Name of colony	Status of water line
1	38	Dharam Pura Ph-I, kakrola Road , Najafgarh	Water line exists
2	61	New Roshan Pura, E-Block, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
3	476 A	Gopal Nagar, M-N Block, Najafgarh, Delhi-43	Water line exists
4	476 B	Gopal Nagar, M-N Block, Najafgarh, Delhi-43	Water line exists
5	163	New Gopal Nagar Exten. ABCD Block , South of Dhansa Road, Najafgarh	Water line exists
6	172	Nathu Ram Park , Tehsil road, Najafgarh	Water line exists
7	290	Indra Park, Najafgarh, New Delhi-	Water line exists
8	511	Ugrasen Park nangloi Road,Delhi-43	Water line exists
9	611	Sai Baba Enclave, Najafgarh, Delhi-43	Water line exists
10	637	New Roshan Pura Extn. Block P,P-1,P-2, N-1,B-1, N Najafgarh	Water line exists
11	648 A	Najafgarh Extn. (Maksudabad), Nangloi Road, Delhi	Water line exists
12	648 B	Najafgarh Extn. (Maksudabad), Nangloi Road, Delhi	Water line exists
13	648 C	Najafgarh Extn. (Maksudabad), Nangloi Road, Delhi	Water line exists
14	732 A	Old Roshan Pura, J-Block, Najafgarh-43	Water line exists
15	732 B	Old Roshan Pura, J-Block, Najafgarh-43	Water line exists
16	818	Nehru Garden Colony New Roshanpura Najafgarh (LOP)	Water line exists
17	826	New Roshanpura Colony, S-Block, Najafgarh, New Delhi-110043.	Water line exists
18	853	Old Roshanpura Extn. C-Block, Najafgarh.	Water line exists
19	867	New Roshan Pura Extn. O-Block, Najafgarh, Delhi-	Water line exists
20	883 A	Dharam Pura Extn. D-Block, Kakrola Road Najafgarh, New Delhi-	Water line exists
21	917	Shiv Nagar New Roshanpura	Water line exists
22	939	Shiv Nagar Virendra Market, Raghuvir enclave, Najafgarh, New Delhi	Water line exists
23	939 A	Shiv Nagar Virendra Market, Raghuvir enclave, Najafgarh, New Delhi	Water line exists
24	948	Dharampura Extn. R-Block, Kakrola road, Najafgarh, Nd-43	Water line exists
25	991	New Roshan Pura (KLM Block) Najafgarh, New Delhi	Water line exists
26	998	Prem Nagar Ph-1,2,4 thana Road, Najafgarh, Delhi	Water line exists
27	1105	Roshan Garden, Najafgarh, Delhi	Water line exists
28	1127 A	Gopal Nagar B-Block Main Dhansa Road, Najafgarh	Water line exists
29	1127 B	Gopal Nagar B-Block Main Dhansa Road, Najafgarh	Water line exists

Subject : List of colonies in Najafgarh AC where water lines have been laid.			
S.No	Reg. No	Name of colony	Status of water line
30	1134	Main Gopal Nagar, Najafgarh, Delhi	Water line exists
31	1219	Lokesh Park & Heera Park Extn. Najafgarh, Delhi	Water line exists
32	1242	Dharam Pura J-Block Cly, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
33	1276 A	Gopal Nagar A-Block,Main Dhansa road,Khara crossing, Najafgarh, New Delhi	Water line exists
34	1276 B	Gopal Nagar A-Block,Main Dhansa road,Khara crossing, Najafgarh, New Delhi	Water line exists
35	1276 C	Gopal Nagar A-Block,Main Dhansa road,Khara crossing, Najafgarh, New Delhi	Water line exists
36	1276 D	Gopal Nagar A-Block,Main Dhansa road,Khara crossing, Najafgarh, New Delhi	Water line exists
37	1291	Gupta Park, Najafgarh, delhi	Water line exists
38	1375	Sri Sai Baba Enclave Najafgarh, Delhi	Water line exists
39	1334	F-Block Indira Park Najafgarh	Water line exists
40	1403 A	Dharam Pura –H & I Block , Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
41	1403 B	Dharam Pura –H & I Block , Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
42	1470	Todarmal Block, Prem Nagar, Najafgarh, Delhi-43	Water line exists
43	1481	Lokesh Park, Near DTC Bus Terminal, Bahadurgarh Road.	Water line exists
44	1490	Prem Nagar-Ph-III, Najafgarh, Delhi-43	Water line exists
45	1505	New Roshan Pura Extn. X-Block, Najafgarh, New Delhi-	Water line exists
46	1545	Sudan Garden, Najafgarh, New Delhi	Water line exists
47	317	Bajrang Enclave, Nangloi Road, Najafgarh	Water line exists
48	1066	Dharampura extn. A-2 Block, Najafgarh New Delhi-43	Water line exists
49	1265	Prem Nagar A-Block Ph-V, Najafgarh, Delhi	Water line exists
50	744	New Roshan Pura A2, B1, A2, N1 & P3 Block, Najafgarh, N. Delhi.	Water line exists
51	812	Vardhman Vihar, U&F Block, New Roshanpura Extn., Najafgarh.	Water line exists
52	108	Gopal Nagar, N-Block, M.D. Road, Najafgarh	Water line exists
53	46	Sai Baba enclave, B-Block (Part-B) Najafgarh	Water line exists
54	538	Deepak Vihar, Najafgarh, Delhi-	Water line exists
55	892	Neelkanth Enclave Najafgarh	Water line exists
56	383	Roshan Mandi, Najafgarh road, Delhi-43	Water line exists

Subject : List of colonies in Najafgarh AC where water lines have been laid.			
S.No	Reg. No	Name of colony	Status of water line
57	1542	Indra Park Extension, Guru nagar, Najafgarh	Water line exists
58	332	Ajay park, Naya Bazar, D-Block, Najafgarh	Water line exists
59	1557	Roshan Vihar Kakrola Road, Najafgarh, New Delhi	Water line exists
60	989	Laxmi Vihar Block ABC Main Najafgarh Road , Near DTC Bus Depot.	Water line exists
61	1388	Shri Anand niketan Laxmi Vihar D-Block, Najafgarh, Delhi	Water line exists
62	227	Roshan Garden-II, Kakrola Road, Najafgarh	Water line exists
63	883 B	D-Block,Srichand Park(Dharampura Extn.) Najafgrah	Water line exists
64	60	Sangam Vihar, kakrola Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
65	60 A	Sangam Vihar, kakrola Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
66	60 B	Sangam Vihar, kakrola Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
67	82	Dwarka Vihar, Kakrola Road, Najafgarh, New delhi-43	Water line exists
68	586	Jai Vihar, Nangloi road, Najafgarh, New Delhi-	Water line exists
69	1335	Laxmi vihar B- Block Nangli,Sakrawati, Delhi	Water line exists
70	1192	Dalip Vihar, Near Saroj Cinema, Najafgarh, delhi	Water line exists
71	1374	Shankerpark Dharam Pura Extn. Najafgarh	Water line exists
72	1572	Sainik Enclave Nangli Sakrawati village Maksudabad	Water line exists
73	242	Dharmpura, Block A-3, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
74	387	Chander Mohalla Dharampura Extn., Najafgarh	Water line exists
75	1263	Chander Mohalla Dharampura Extn., Najafgarh	Water line exists
76	1238 A	Dharam Pura A-1 Block, Najafgarh, Delhi-	Water line exists
77	1238 B	Dharam Pura A-1 Block, Najafgarh, Delhi-	Water line exists
78	41	New Hira Park, Dichaon Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
79	1372	Nirmal Vihar, Najafgarh, Delhi	Water line exists
80	31	Najafgarh Park Colony , Block A,B & C , Dichaon road, Najafgarh	Water line exists
81	64	Shiv Enclave, Main dichaon road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
82	69	Janta Vihar, Jharoda Road, Najafgarh	Water line exists
83	69 A	Shyam Lok, Janta Vihar, Jharoda Road, Najafgarh	Water line exists

Subject : List of colonies in Najafgarh AC where water lines have been laid.			
S.No	Reg. No	Name of colony	Status of water line
84	712	Mahesh Garden, Main Bahadur Garh Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
85	712 A	Mahesh Garden, Main Bahadur Garh Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
86	1510	Mahesh Garden , No.1, Haibatpura, Bahadurgarh Road, Najafgarh, N.D	Water line exists
87	1161	Nanu Ram Park Haibat Pura, Jharoda Road, Najafgarh, Delhi-43	Water line exists
88	1058	Sultan Garden B-Block, Najafgarh, Nangloi Road, Delhi-43	Water line exists
89	159	Naya gopal Nagar, Surakhpur Road, Najafgarh New Delhi-	Water line exists
90	1081	Sunder Nagar Gopal Nagar Extn. Surakh Pur Road, Najafgarh, Delhi	Water line exists
91	1235	Gopal Nagar Extn. Ph-II Block A &B , Surakhpur Road, Najafgarh	Water line exists
92	253	Shri Krishna Colony, Surakh colony Road, Gopal Nagar, Najafgarh	Water line exists
93	896	Aradhna Enclave Gopal Nagar Extn., Najafgarh New Delhi	Water line exists
94	206	Gopal Nagar Ph-2, Z-Block, New Delhi-43	Water line exists
95	1042	Gopal Nagar Ph-2, Z-Block, Surakhpur Road, Najafgarh, Delhi	Water line exists
96	963	West Gopal Nagar Ph-II, Surakhpur Road, Najafgarh, Delhi-	Water line exists
97	513 A	Shiv Enclave Extn. Nangloi Road, Najafgarh New Delhi-43	Water line exists
98	513 B	Shiv Enclave Extn. Nangloi Road, Najafgarh New Delhi-43	Water line exists
99	398	Jai Vihar-Ph-II, Dichaon village, Najafgarh, Delhi-49	Water line exists
100	130-ELD	Village Khaira, Najafgarh New Delhi 43	Water line exists
101	65 (ELD)	Mitraon utthan Samity ICE factory road village Mitraon (ELD)	Water line exists
102	690A	Mitraon Extn.Main Dhansa Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
103	690B	Mitraon Extn.Main Dhansa Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
104	690C	Mitraon Extn.Main Dhansa Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
105	690D	Mitraon Extn.Main Dhansa Road, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
106	413	Naveen Place, D-Block, Najafgarh, New Delhi-	Water line exists
107	804	Surya Kunj, Bahadurgarh Road, Najafgarh, Delhi – 110043.	Water line exists
108	1405	Naveen Place Block-C-I, Jharoda Road,	Water line exists
109	1329	Vinoba Enclave A-1 Block, Najafgarh Main Road opp. DSIDC Shop, Delhi	Water line exists

Subject : List of colonies in Najafgarh AC where water lines have been laid.			
S.No	Reg. No	Name of colony	Status of water line
138	1191 B	Krishna Vihar West, Najafgarh, Delhi	Water line exists
139	980	Nanda Enclave Dhansa Road, Najafgarh, Delhi	Water line exists
140	403	New Gopal Nagar,A&B Block, Nanak Piou, Dhansa Road, Najafgarh	Water line exists
141	393	Gopal Nagar Extn., P&RBlock, Najafgarh	Water line exists
142	1057	Gopal Nagar P Block & Gopal Nagar Extn. (EFG&H Blocks)Main Dhansa road	Water line exists
143	828	Chetan Vihar(Gopal Nagar Extn.) Dhansa Road, Najafgarh, Delhi.	Water line exists
144	5 (LOP)	D Block Gopal Nagar,Najafgarh	Water line exists
145	1053	Gopal Nagar Extn. Ph-I, Main Khaira Road, Delhi-43	Water line exists
146	1606	Gopal Nagar, Block AM & N Block Extn., Najafgarh	Water line exists
147	84 (ELD)	Dichaon kalan Ext. main Dichaon road Ex. (ELD)	Water line exists
148	1477	Prem nagar Z-block Paprawat Road	Water line exists
149	1039	Ganpat Enclave X-Block, New roshan Pura Extn. Najafgarh, Delhi-43	Water line exists
150	1175 A	Prem Nagar D-Block, Najafgarh	Water line exists
151	1175 B	Prem Nagar D-Block, Najafgarh	Water line exists
152	970	Prem Nagar, B-Block Ph-III, Najafgarh, delhi	Water line exists
153	1040	Prem Nagar C Block	Water line exists
154	ELD -140	Jerman Nagar Kashmiri Colony Revenu Estate Of Village Khera On Old Khaira Road Najafgarh New Delhi	Water line exists
155	1516	Prem Nagar, Z-Block, Kashmiri Colony, Near Khaira Village, Paprawatr Road	Water line exists
156	364	Prem Nagar, G-Block, Left out portion Near Sant Kabir Ashram, Najafgarh	Water line exists
157	1070	Prem Nagar Z- Block, Najafgarh South West, Delhi	Water line exists
158	976	Prem Nagar, H-Block, Old Khaira Road, Najafgarh, D-43	Water line exists
159	160	Roshan Vihar,BDO office, Gurgaon road, Najafgarh	Water line exists
160	160 A	Roshan Vihar,BDO office, Gurgaon road, Najafgarh	Water line exists
161	786	Ganapati Enclave Extn. Najafgarh, New Delhi.	Water line exists
162	1461	Prem Nagar B-Block, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
163	931	Madhav Enclave, khaira Road, Najafgarh, New Delhi-	Water line exists
164	536	Roshan Vihar Ph-II, Paprawat Road Najafgarh	Water line exists
165	96 (ELD)	E-Block, Prem Nagar, Najafgrah, N.D.43	Water line exists

Subject : List of colonies in Najafgarh AC where water lines have been laid.			
S.No	Reg. No	Name of colony	Status of water line
110	170	Saraswati Kunj, CRPF Road , Jharoda Kalan, Najafgarh	Water line exists
111	495	Sainik Enclave, CRPF Colony, Jharoda Kalan, New Delhi-72	Water line exists
112	534	Naveen Place, Jharoda road, Najafgarh	Water line exists
113	1113	Surya Kunj Pt.-I, Dichaon Road Najafgarh, Delhi	Water line exists
114	177	Vinoba Enclave Extn.	Water line exists
115	116 A	Vinoba Enclave,C-Block, Near CRPF, Najafgarh Bhadurgar Road Delhi	Water line exists
116	116 B	Vinoba Enclave,C-Block, Near CRPF, Najafgarh Bhadurgar Road Delhi	Water line exists
117	895	Haibatpura Extn. Near Anaj Mandi Bahadurgarh Road, Najafgarh, Delhi	Water line exists
118	9	Krishna Enclave opp. C.R.P.F. camp, Dichaon Road, Jharoda Kalan	Water line exists
119	1449	Hari Dass Enclave, Jharoda Kalan, New delhi-72	Water line exists
120	1459	Baba Haridass Enclave B-Block, Jharoda Kalan, N.Delhi-72	Water line exists
121	640	Sainik Enclave, jharoda Kalan Road, Najafgarh	Water line exists
122	415	Ugersen Park, Dichaon Road	Water line exists
123	645	Sainik Enclave Part-II, Jharoda Kalan , Najafgarh, Delhi	Water line exists
124	685	Krishna Enclave Part-II, Dichao Kalan Road, New Delhi-72	Water line exists
125	1104	Sainik Niketan, Najafgarh, Delhi	Water line exists
126	1595	Vijay Park Extn.(LOP) Gali No.15, Najafgrah	Water line exists
127	98	Dichaon enclave Opp. D.K. depot, Nangloi road	Water line exists
128	1279	Gupta Market Najafgarh, Delhi	Water line exists
129	152	Indira Market & Aggarwal Colony, Aibatpura, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
130	363	Gopal Nagar Extn. Main surakhpur Road, Najafgarh	Water line exists
131	417 A	Saraswati Enclave, Gopal Nagar, surakhpur Road	Water line exists
132	417 B	Saraswati Enclave, Gopal Nagar, surakhpur Road	Water line exists
133	1273 A	Gopal Nagar extn. Najafgarh	Water line exists
134	1273 B	Gopal Nagar extn. Najafgarh	Water line exists
135	689	Shyam Enclave(Z-Block), Gopal Nagar Extn., Najafgarh	Water line exists
136	733	Kashmiri Enclave, Kishan Chand enclave, Basco Colony, arya Nagar, Gopal Nagar Extn. Najafgarh	Water line exists
137	1191 A	Krishna Vihar West, Najafgarh, Delhi	Water line exists

Subject : List of colonies in Najafgarh AC where water lines have been laid.			
S.No	Reg. No	Name of colony	Status of water line
166	1526	Prem Nagar G-Block Left out Portion, Najafgarh, New Delhi-43	Water line exists
167	1227	Chinar Enclave, Najafgarh, Delhi	Water line exists
168	985	East Krishna Vihar A B Block, Khaira Road Najafgarh	Water line exists
169	955	Raghubir Block, Prem Nagar, Najafgarh Paprawat Road	Water line exists
170	1126	Gopal Nagar Ph-II, Shyam Vihar Chandan Enclave, Najafgarh Delhi	Water line exists
171	314	Vatasta Enclave (Kashmiri Colony) Prem Nagar, Z- Block, Najafgarh	Water line exists
172	1277A	Prem Nagar Najafgarh G-Block &G-1, Delhi	Water line exists
173	1277 B	Prem Nagar Najafgarh G-Block &G-1, Delhi	Water line exists
174	881	Shiv Vihar, Prem Nagar, G-Block Paprawat Road Najafgarh	Water line exists
175	705	New Roshan Pura Extn.,Y Block, Paprawat Rd , Naj, New Delhi-43	Water line exists
176	849	New Roshanpura Extn., Part-II(Prem Nagar 'G'Block) Najafgarh,Delhi	Water line exists
177	1611	Prem Nagar, D-Block Extension	Water line exists
178	1590	Prem Nagar AB& DEF Najafgarh	Water line exists
179	592	Vivek Nagar, E-Block, Roshan Vihar, Ph-2, Najafgarh, Delhi-	Water line exists
180	1564	Prem Nagar F & G Block Najafgarh	Water line exists
181	1019	New Roshan Pura Z-Block, Najafgrah	Water line exists
182	129 (ELD)	Village Khaira (ELD)	Water line exists
183	137 (ELD)	Jharoda kalan (ELD)	Water line exists
184	100 ELD	Baba Hari Dass Colony, Jharoda Kalan New Delhi 72	Water line exists
185	1197	Satyam Puram Jharoda Kalan Border, Delhi	Water line exists
186	144	Chandan place, Kali Piau, Jharoda Road, Najafgarh	Water line exists
187	722 B	Baba Hari Dass Nagar, (Geetanjali Enlcave Nagar) Najafgarh, Bahadur garh road, Najafgarh	Water line exists
188	72	Ekta Vihar (Block A,B& C) near new grain market, Jharoda Road , Najafgarh	Water line exists
189	722 A	Baba Hari Dass Nagar, Najafgarh, Bahadur garh road, Najafgarh	Water line exists

SE(W) Project-I

EE (Proj) W-IX

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

192. श्री हरीश खुराना: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने 'यूजीआर' हैं;

(ख) मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में यूजीआर की कुल क्षमता कितनी है;

(ग) विगत पाँच वर्षों में मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति के आँकड़ों का महीनावार विवरण प्रदान करें; और

(घ) मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में यूजीआर से जिन क्षेत्रों में जल आपूर्ति की जा रही है, उनकी जानकारी दें?

जल मंत्री: (क) मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में एक प्राईमरी यूजीआर है। तथा चार सकेण्डरी यूजीआर है।

(ख) इस प्रश्न का उत्तर नीचे सूची में है।

क्र.सं.	यूजीआर का नाम	यूजीआर की क्षमता
1.	कीर्ति नगर (प्राईमरी)	21 एमएल
2.	करमपुरा बीपीएस (सकेण्डरी)	0.4 एमएल
3.	जयदेव बीपीएस (सकेण्डरी)	0.30 एमएल
4.	मोती नगर बीपीएस (सकेण्डरी)	0.30 एमएल
5.	32 ब्लॉक मोती नगर बीपीएस (सकेण्डरी)	0.40 एमएल

(ग) इस प्रश्न का उत्तर नीचे सूची में है।

महीना/ साल	2020-2021 कुल पम्पिंग (इन एमजीडी)	2021-2022 कुल पम्पिंग (इन एमजीडी)	2022-2023 कुल पम्पिंग (इन एमजीडी)	2023-2024 कुल पम्पिंग (इन एमजीडी)	2024-2025 कुल पम्पिंग (इन एमजीडी)
अप्रैल	162.45	170.16	167.23	162.04	168.95
मई	165.08	170.55	158.85	152.13	169.94
जून	172.32	166.41	159.79	159.05	163.11
जुलाई	177.88	176.91	173.15	161.83	153.93
अगस्त	166.19	175.51	165.64	168.19	145.22
सितम्बर	164.64	180.13	161.908	154.31	148.03
अक्टूबर	172.73	167.01	174.02	153.27	147.52
नवम्बर	171.69	170.57	168.05	177.17	166.06
दिसम्बर	176.64	180.51	178.64	188.23	157.61
जनवरी	170.02	169.82	170.21	172.88	160.72
फरवरी	159.54	154.02	156.24	171.08	139.59
मार्च	177.05	166.72	170.24	176.42	102.42

मार्च 2025 से पम्पिंग विवरण 01.03.2025 से 20.03.2025 तक।

(घ)

क्र.सं.	यूजीआर का नाम	यूजीआर का क्षेत्र
1.	कीर्ति नगर (एचटी)	रमेश नगर, कीर्ति नगर, मानसरोवर गार्डन और सरस्वती गार्डन
2.	डी ब्लॉक करमपुरा	डी ब्लॉक करमपुरा
3.	बी ब्लॉक नया मोती नगर	बी ब्लॉक नया मोती नगर
4.	32 ब्लॉक नया मोती नगर	32 ब्लॉक नया मोती नगर
5.	जयदेव पार्क बीपीएस	जयदेव पार्क बीपीएस

193. श्री विशेष रविः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूमिगत जल प्रयोग नीति से संबंधित पहाड़गंज गेस्टहाउस ओनर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर कार्रवाई हेतु लिखित पत्र संख्या 124523 दिनांक 2/09/2023 पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई तथा इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(ग) उपर्युक्त संबंध में कार्रवाई तथा इस समस्या का समाधान कब तक होगा?

जल मंत्रीः (क) इस पत्र से संबंधित विषय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (Hon'ble NGT) के अंतर्गत विचाराधीन है।

(ख) उपरोक्त अनुसार।

(ग) उपरोक्त अनुसार।

194. श्री अजय महावरः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घोंडा विधानसभा में पानी तथा सीवर की पाईप लाईनें कब डाली गई थीं, इसका क्षेत्र अनुसार ब्यौरा दें, घोंडा विधानसभा में कितने एम.एम. की और कुल कितने किमी लम्बी सीवर लाईन है। कॉलोनी वाईस सीवर लाईन के नक्शे के साथ सूची प्रदान करें;

(ख) घोंडा विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड सीवर के रख रखाव में अप्रैल 2020 से अब तक कितना व्यय हुआ है व भविष्य में जल बोर्ड सीवर रख-रखाव संम्बंधी क्या-क्या योजना हैं;

(ग) यमुना विहार यूजीआर व उस्मानपुर यूजीआर की कुल क्षमता कितनी है और घोंडा विधानसभा में कितनी हैं। घोंडा विधानसभा में कितना एमजीडी पानी उपयोग होता है व अन्य विधानसभाओं में कितना एमजीडी पानी यूजीआर से जाता है और घोंडा विधानसभा के लिए कितना एमजीडी पानी बढ़ाने की जरुरत है;

(घ) घोंडा विधानसभा में सीवर मेन होलों की हालत बिलकुल जर्जर व खराब है। इनका निरीक्षण कराकर उनकी मरम्मत का कार्य कितनी समय अवधि मे कराया जायेगा;

(ङ) घोंडा विधानसभा पेरिफेरल सीवर लाईन की सफाई सुपर सकर मशीन के द्वारा होनी है जो लम्बे समय से लंबित है और जिसके कारण सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन पेरिफेरल लाईनों की सफाई कितने समय के अन्तराल पर होनी चाहिए और अब कब की जाएगी;

(च) घोंडा विधानसभा में लगभग सभी कॉलोनियों की सीवर लाईनों में सिल्ट जमा हुआ है, जिसकी अनेक वर्षों से डीसिल्टिंग नहीं हुई है और जिसके कारण पूरी तरह से सड़कों पर सीवर की गंदगी बह रही है। इन्हें तत्काल (बाल्टी वाली मशीन) सीवर क्लीनिंग मशीन के द्वारा पूरी डीसिल्टिंग करने की आवश्यकता है। क्या विभाग द्वारा इसका कोई प्रावधान है यदि हां, तो कब तक इन सीवरों की सफाई की जाएगी; और

(छ) घोंडा विधानसभा में दिल्ली जलबोर्ड परियोजना विभाग द्वारा सीवर राईजिंग मेन का कार्य कब शुरु हुआ था और इसकी समय अवधि क्या है, इसका कितना प्रतिशत काम हुआ है और कितना बाकी है, इस कार्य से घोंडा विधानसभा में क्या-क्या लाभ होगा और यह कार्य कब तक पूर्ण होगा, इस कार्य में कितने एम.एम. की और कितनी लम्बी लाईन डाली गयी है?

जल मंत्रीः (क) घोंडा विधानसभा में पानी की लाइनें लगभग 15 से 35 साल पहले डाली गई थीं, तथा सीवर की लाइनें 12 से 35 साल पहले डाली गई थीं। घोंडा विधानसभा अंतर्गत सीवर की लाइनें 250, 300, 450, 600, 700, 800 एवं 900, एम.एम. व्यास की है तथा कुल 161 किमी लम्बी सीवर लाईन है। ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं है, नक्शा संलग्न है।

(ख) घोंडा विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड सीवर के रख रखाव में अप्रैल 2020 से अब तक 762.82 लाख रुपये व्यय हुआ है। भविष्य में घोंडा विधानसभा के अन्तर्गत आने वाली सीवर की लाइनों को मशीनों द्वारा सफाई करने का प्रावधान वित वर्ष 2025-26 के एक्शन प्लान में प्रस्तावित है।

(ग) यमुना विहार यूजीआर की क्षमता 3.30 एमजी व उस्मानपुर यूजीआर की क्षमता 2.89 एमजी है, इन दोनों यूजीआर से करीब 13.26 एमजीडी पानी वितरित किया जाता है। घोंडा विधानसभा में लगभग 7.9 एमजीडी पानी की

आपूर्ति होती है। उपरोक्त जलाश्य से लगभग 5.36 एमजीडी पानी अन्य विधानसभा क्षेत्रों को भी सप्लाई किया जाता है। घोंडा विधानसभा क्षेत्र की पानी की मांग लगभग 20.00 एमजीडी है, वर्तमान में यहाँ लगभग 7.9 एमजीडी पानी की आपूर्ति होती है तथा 12.10 एमजीडी पानी बढ़ाने की जरूरत है।

(घ) घोंडा विधानसभा में सीवर मेन होलों की मरम्मत का कार्य करने का प्रावधानन एक्शन प्लान 2025-26 में लिया गया है। बजट की उपलब्धता के अनुसारा कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में कराया जायेगा।

(ङ) घोंडा विधानसभा पेरिफेरल सीवर लाईन की सफाई सुपर सकर मशीन के द्वारा करने का प्रावधान एक्शन प्लान 2025-26 में लिया गया है। पेरिफेरल लाईनों की सफाई वर्ष में एक बार या आवश्यकता अनुसार की जाती है। इन पेरीफेरल सीवर लाइनों की सफाई वित्त वर्ष 2025-26 में कर दी जाएगी।

(च) सीवर लाइन की सफाई सीवर क्लीनिंग मशीन (बाल्टी वाली मशीन) द्वारा कार्य करने का प्रावधान एक्शन प्लान 2025-26 में लिया गया है। एस्टिमेट तैयार कर दिया है, बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जायेगा। इन सीवर लाइनों की सफाई वित्त वर्ष 2025-26 में कर दी जाएगी।

(छ) घोंडा विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड परियोजना विभाग द्वारा सीवेर राईजिंग मेन के 02 कार्य दिनांक 01.08.2022 एवं 10.11.20.22 को क्रमशः शुरू हुए और इनकी अवधि 09 महीने थी जिनका 95% एवं 81% कार्य हो चुका है और 5% एवं 19% बाकी है। इन कार्यों के पूरा होने के उपरांत घोंडा विधानसभा में सीवर संबंधित शिकायतों में कमी आएगी। इन कार्यों का दिसम्बर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। इन कार्यों के अंतर्गत 800 मिमी व्यास के 2950 मीटर एवं 1600 मीटर लंबाई डाली गई है।

WAZIRABAD ROAD
MAIN BRAHMPURI ROAD
ROAD NO.59
GAMRI ROAD
MAIN ROAD JAFFRABAD
GHONDA
YAMUNA MARGINAL BANDH MARG
BHAJANPURA
66_GHONDA
BRAHAMPURI

195. श्री कुलवन्त राणाः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2013-14 व इसके आसपास विजय विहार के साथ अन्य कालोनियों में करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाईन डालने का कार्य किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कम्पनी द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने के बाद कार्य की समीक्षा किसने की;

(ग) यदि कार्य में दोष था तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) यदि कार्य में दोष नहीं था तो सीवर लाइन जाम होने के क्या कारण है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र की सीवर लाईनों की सफाई पिछले 10 वर्षों में नहीं हुई है;

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र की सभी सीवर लाईनें जाम हो रही है;

(ज) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त सीवर लाईनों की सफाई की कोई योजना बनाई जा रही है;

(झ) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल मंत्री: (क) यह सत्य नहीं है हालांकि वर्ष 2018-23 के दौरान विजय विहार के साथ अन्य कालोनियों में 83.82 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाईन डालने का कार्य किया गया था।

(ख) इस कार्य की समीक्षा समय-समय पर इंजिनियर-इन-चार्ज संबन्धित इंजिनियर एवं थर्ड पार्टी M/s. RITES Ltd. के द्वारा की गई तथा कार्य संतोष जनक पाया गया।

(ग) प्रोजेक्ट विभाग द्वारा कार्य संपूर्ण होने के पश्चात इस कार्य को आगे के रखरखाव के लिए संयुक्त निरीक्षण के पश्चात मेंटेनेंस विभाग को सौंप दिया गया है।

(घ) सीवर लाईन जाम होना एक सामान्य समस्या है जिसको नियमित मेंटनेंस से ही दूर किया जाता है।

(ङ) यह सत्य नहीं है, सीवर लाईनों की सफाई, आवश्यकता अनुसार समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

(च) उपरोक्तानुसार

(छ) यह सत्य नही है, सीवर जाम की शिकायत मिलने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है तथा सीवर जाम की समस्या को दूर किया जाता है।

(ज) सीवर सफाई का कार्य मशीनों द्वारा नियमित रूप से आवश्यकतानुसार करवाया जाता है।

(झ) विभाग द्वारा सीवर सफाई के लिए सुपर सकर मशीन, डिक्की एवं सीवर कम जेटिंग मशीन की योजना बना दी गयी है।

(ञ) उपरोक्तानुसार।

196. श्री कुलवन्त राणाः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि लोग गंदा पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में साफ पानी की आपूर्ति न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) इसमें किन अधिकारियों की कोताही है तथा सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है;

(च) क्या सरकार द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को साफ पानी मुहैया करवाने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है; और

(छ) यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी दी जाए?

जल मंत्रीः (क) यह सत्य नहीं है, रिठाला विधानसभा में हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की गुणवता जांच के बाद ही सेक्टर–7, सेक्टर–11, सेक्टर–23 एवं ओल्ड अवन्तिका भूमिगत जलाशय द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है तथा

आपूर्ति के दौरान क्षेत्र में फील्ड स्टाफ द्वारा भी पानी की गुणवता की जांच की जाती है, तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि पानी पीने योग्य है।

(ख) उपरोक्त अनुसार।

(ग) यह सत्य नहीं है, यदि किसी क्षेत्र से गन्दे पानी की शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है तथा पानी की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की लैब द्वारा सैंपल टेस्ट कराया जाता है।

(घ) उपरोक्त अनुसार।

(ङ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लम्बे समय से गंदे पानी की शिकायत लंबित नहीं है।

(च) अधिकारियों द्वारा कोई कोताही नहीं है। रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत साफ पानी की सप्लाई की जा रही है तथा भविष्य में पानी की गुणवता बरकरार रखने के लिए निवारक उपाय आवश्यकतानुसार किये जाते हैं जिसमें पुरानी क्षतिग्रस्त लाईनों को बदलना, रिसाव वाले जल कनेक्शनों को ठीक करना एवं लाईनों की सफाई कार्य सम्मिलित है।

(छ) उपरोक्त अनुसार।

197. श्री अभय वर्मा: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी, सीवर व अन्य कार्यों को करने के लिए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया व पीने के पानी की पाईप लाइन और सीवर लाईन कितने किलोमीटर डाली गयी, विस्तृत जानकारी दें;

(ख) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने रेनीवैल हैं, सभी रेनीवैल की क्षमता अनुसार विस्तृत जानकारी दें;

(ग) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने बोर वैलों से पानी निकाला जा रहा हैं और उससे कहाँ-कहाँ पानी की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं और उनसे शोधित पानी की आपूर्ति कहाँ-कहाँ की जा रही है;

(ङ) शाहदरा लिंक ड्रेन के जीर्णोधार के कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्या है, अब तक कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ है;

(च) पिछले कई महीनों से इस कार्य के बंद पड़े होने के क्या कारण हैं, और

(छ) इस कार्य पर अब तक कितना धनराशि खर्च किया गया है विस्तृत जानकारी दें?

जल मंत्रीः (क) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी, सीवर व अन्य कार्यों को करने के लिए कुल बजट का प्रावधान एवं डाली गयी, पीने के पानी की पाईप लाइन और सीवर लाइन की विस्तृत जानकारी संलग्नक (1) के अनुसार है।

(ख) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 07 रैनी वेल्स हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः

क्र.सं.	रैनी वेल्स	Yield (एम.जी.डी.)
1.	P-4	0.9
2.	V-8	0.6
3.	V-9	0.5
4.	V-10	0.6
5.	V-11	0.6
6.	P-3	0.0 विद्युतीकृत नहीं
7.	V-7	0.0 विद्युतीकृत नहीं

(ग) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में बोरवैलों से पानी की आपूर्ति की विस्तृत जानकारी संलग्नक (2) के अनुसार है।

(घ) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है।

(ङ) अब तक कार्य की प्रगति 77 प्रतिशत है।

(च) नाले पर बंद (Weir) बनाने के मुद्दे पर आई एंड एफसी विभाग ने काम रोक दिया है।

(छ) अब तक कार्य पर कुल व्यय 531.30 लाख रुपये है।

Unstarred Q. No. 197

संलग्नक - "1"

वर्ष	बजट का प्रावधान किया गया	पीने के पानी की पाईप लाइन (किलोमीटर)	बजट का प्रावधान किया गया	सीवर लाईन (किलोमीटर)
2020-2021	16315892	1.20	28592881	2.25
2021-2022	20872000	1.50	15465000	1.02
2022-2023	78934534	5.71	206998310	4.86
2023-2024	116444327	6.29	[illegible]71582473	6.24
2024-2025	64098952	1.11	104821767	2.57

EE(D)-012

A.E(D)-012

संलग्नक - "2"

क्रम स.	पता	विधानसभा	वार्ड	सेवाकृत क्षेत्र
1	गुरु रामदास नगर	58	203	गुरु रामदास नगर
2	जे&के ब्लॉक लक्ष्मी नगर	58	201	जे&के ब्लॉक लक्ष्मी नगर
[illegible]	किशन कुंज एमसीडी स्कूल70	58	201	किशन कुंज
4	डब्ल्यूबी-ब्लॉक, शकरपुर	58	202	डब्ल्यूबी-ब्लॉक, शकरपुर
5	ईस्ट एंड एन्क्लेव लक्ष्मी नगर	58	203	ईस्ट एंड एन्क्लेव लक्ष्मी नगर
6	रमेश पार्क जेई स्टोर टी/वेल नं-01	58	201	रमेश पार्क
7	रमेश पार्क जेई स्टोर टी/वेल नं-02	58	201	रमेश पार्क

EE(D)-012

AE(D)-012

198. श्री राज करन खत्री: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरेला विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने टैंकर चलाये जा रहे हैं, पूर्ण ब्यौरा दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा में टैंकरों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक बढ़ा दिया जायेगा;

(घ) दिल्ली सरकार की पानी कनेक्शन नीति क्या है, पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं; और

(ङ) उपरोक्त विधान सभा में पिछले 5 साल में कितनी पानी की पाईप लाईन डाली गयी है, इसका पूर्ण ब्यौरा दें?

जल मंत्री: (क) नरेला विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 10 न. टैंकर चलाये जा रहे हैं। जिनमें 6 टैंकर किराये पर एवं 4 टैंकर विभागीय हैं।

(ख) यह सत्य नहीं है, वर्तमान में नरेला विधान सभा में टैंकरों की संख्या प्रयाप्त मात्रा में है।

(ग) आवश्यकतानुसार समय-समय पर टैंकरों की संख्या बढ़ायी जाती है।

(घ) दिल्ली जल बोर्ड के नीति के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड उपभोक्ता द्वारा आनलाईन जल कनेक्शन आवेदन के पश्चात आवासीय ईकाई में घरेलू जल

कनेक्शन और व्यवसायिक ईकाई में व्यवसायिक कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्धारित दस्तावेज के आधार पर आवंटित किया जाता है।

(ङ) नरेला विधान सभा में पिछले 5 साल में लगभग 17.07 कि.मी. पानी की पाईप लाईन डाली गयी है।

199. श्री गजेन्द्र दराल: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधान सभा में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने टैंकर चलाये जा रहे हैं, इसकी जानकारी दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि डीजेबी द्वारा पानी के कनेक्शन चार्जिज 240 गज के 1000 रूपये के हिसाब से लिये जाते हैं परन्तु 241 गज या इससे अधिक होने पर यह चार्जिज 110 रूपये स्कवेयर फीट के हिसाब से देना पड़ता है;

(ग) यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी दें;

(घ) क्या भविष्य में वर्तमान दिल्ली सरकार द्वारा पानी कनेक्शन नीति में कोई सुधार करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो पूर्ण जानकारी दें; और

(च) उपरोक्त विधान सभा में पिछले 10 साल में पानी की कितनी पाईप लाईन डाली गयी है, संपूर्ण ब्यौरा दिया जाये?

जल मंत्रीः (क) मुंडका विधानसभा वार्ड संख्या 34, 35 एवं 36 में M/s NWS Pvt. Ltd. द्वारा अनुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 11 टैंकर चलाए जा रहे हैं।

मुंडका विधानसभा वार्ड संख्या 32 एवं 33 में 14 सरकारी टैंकर एवं 8 प्राइवेट टैंकर चलाए जा रहे हैं।

पूरी मुंडका विधानसभा में कुल 33 पानी के टैंकर चलाए जा रहे हैं।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड़ द्वार पानी का कनेक्शन देने का नियम संलग्न है।

(ग) उपरोक्त।

(घ) पानी के कनेक्शन दिए जाने के संबंध में सुदृढ़ प्रक्रिया वर्तमान समय में पहले से ही लागू है। अतः वर्तमान समय में इसमें परिवर्तन हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है। फिर भी समय-समय पर आवश्यकतानुसार इस प्रक्रिया में सुधार किया जाता है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) उपरोक्त।

(च) मुंडका विधानसभा वार्ड संख्या 34, 35 एवं 36 में पिछले 10 साल में पानी की कुल 247.50 किलोमीटर पाइप लाइन डाली गई है।

मुंडका विधानसभा वार्ड संख्या 32 एवं 33 में पिछले 10 साल में पानी की कुल 237 किलोमीटर पाइप लाइन डाली गई है।

पूरी मुंडका विधानसभा में पिछले 10 साल में पानी की कुल 484.50 किलोमीटर पाइप लाइन डाली गई है।

ANNEXURE 61

Date... 23/04/2024
Sign. ...

OFFICE OF DIRECTOR (REVENUE)
DELHI JAL BOARD: GOVT OF N.C.T. OF DELHI
VARUNALAYA PH-II, KAROL BAGH,
NEW DELHI-110005

F NO. 680(24-25)DJB/DOR/IFC/2024/ 1371 DATED: 01.04.2024

CIRCULAR

Subject: Revised Rates for Levy of Infrastructure Charges (Water and Sewer) w.e.f. 01-04-2024 (FY, 2024-25).

This is in continuation of this office earlier circular issued vide F.No.680(22-23)DJB/DOR/IFC/2023/4304 to 4482 dated 11.05.2023 (under reference of Board vide Resolution NO. 1020 dated 24.09.2020), regarding subject cited above.

Keeping in view of the Board decision, revised rates of Infrastructure Charges of water and sewer w.e.f. 01.04.2024 will be as under:

(A) Infrastructure Charges(Water) :-

Infrastructure Charges(Water) Types of Properties		Rates in Rs. Per Sq. Feet Colony Category			
		A,B	C	D	E,F,G,H
Commercial	Existing Rate	405.17	289.41	173.65	115.76
	Revised Rate	425.43	303.88	182.33	121.55
Institutional	Existing Rate	289.41	231.53	144.70	86.82
	Revised Rate	303.88	243.11	151.94	91.16
Residential	Existing Rate	231.53	173.65	115.76	57.88
	Revised Rate	243.11	182.33	121.55	60.77

(1 Sqm= 10.76 Sq. Feet)

(B) Infrastructure Charges(Sewer) :-

Infrastructure Charges(Sewer) Types of Properties		Rates in Rs. Per Sq. Feet Colony Category			
		A,B	C	D	E,F,G,H
Commercial	Existing Rate	243.11	173.65	104.19	69.46
	Revised Rate	255.27	182.33	109.40	72.93
Institutional	Existing Rate	173.65	138.92	86.82	52.09
	Revised Rate	182.33	145.87	91.16	54.69
Residential	Existing Rate	130.92	104.19	69.45	34.73
	Revised Rate	145.87	109.40	72.92	36.47

(1 Sqm= 10.76 Sq. Feet)

For strict compliance & necessary action by all concerned.

Z.R.O NWS-II. Encl.

1/4/24
(GURPREET SINGH)
DIRECTOR(REVENUE)

Contd page......2/-

200. श्री संजीव झाः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्वरूप नगर में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जलापूर्ति बढ़ाने के उददेश्य से नया यूजीआर बनाया गया है;

(ख) इस नए यूजीआर को बनाने का काम कब शुरू हुआ और कब तक पूरा हुआ;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस यूजीआर को दिसंबर 2024 में शुरू करने की योजना थी;

(घ) यदि हां, तो किस कारणवश यह यूजीआर शुरू नहीं हुआ; और

(ङ) दिल्ली सरकार के द्वारा इस यूजीआर को कब तक शुरू किया जाना है?

जल मंत्रीः (क) जी हाँ, स्वरूप नगर में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक जलाशय बनाया गया है ताकी उपभोक्ताओं को उपयुक्त दबाव से पानी मिल सके।

(ख) यह कार्य 02.06.2019 को शुरू हुआ था तथा 28.03.2023 को समाप्त हुआ।

(ग) जी हाँ।

(घ) इस यूजीआर को पल्ला एमबीआर से पानी प्राप्त होना था, पल्ला एमबीआर का कार्य पूर्ण ना होने की वजह से पानी प्राप्त नहीं हुआ। अभी पल्ला एमबीआर पर हाइड्रो टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, जो कि 15.04.2025 तक पूर्ण होने का अनुमाानन है, उसके उपरांत पल्ला एमबीआर का ट्रायल रन किया जायेगा।

(ङ) इस यूजीआर को जून 2025 में शुरू करने की योजना है।

201. श्री संजय गोयल: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार द्वारा शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कितने सीवर सफाई के उपकरण लगाये गये हैं तथा क्या यह उपकरण विधानसभा क्षेत्र में सफाई के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में सीवर की सफाई के लिए कितने सफाई कर्मचारी हैं तथा क्या यह संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कितने एमजीडी पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है;

(ङ) क्या यह पानी पूरी शाहदरा विधानसभा क्षेत्र की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या योजना बना रही है;

(छ) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में अभी कितने एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही है; और

(ज) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में बने झिलमिल सीईटीपी से ट्रीटिड साफ पानी के निकल कर दोबारा नाले में गिरने वाले पानी के सदुपयोग के लिए सरकार क्या योजना बना रही है?

जल मंत्री: (क) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में सीवर सफाई व रख रखाव के लिए 8 मशीनें लगाई गई है। इस विधान सभा में सफाई के और मशीनों कीर आवश्यकता है और शीघ्र की स्वीकृत होने पर अतिरिक्त मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ख) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र 21 विभागीय एवं 6 सफाई कर्मचारी अनुबंध के आधार पर कार्यरत है जो की पर्याप्त नहीं है।

(ग) निविदा द्वारा अनुबंध के आधार पर 10 सफाई कर्मचारियों को शीघ्र ही लगाया जाएगा।

(घ) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 22 एमजीडी पानी की आवश्यकता है। यद्यपि वर्तमान में केवल 12.67 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही है।

(ङ) जी नहीं, 12.67 एमजीडी पानी शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है।

(च) 1. यमुना जल बंटवारे के लिए 1994 के समझौते को वर्ष 2025 के बाद संशोधित किया जाएगा और दिल्ली पेयजल की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए अपने कच्चे पानी के हिस्से को बढ़ाने का प्रतिनिधित्व करेगी।

2. दिल्ली को अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी पर रेणुकाजी, लखवार औरद किशाऊ नामक तीन (3) अपस्ट्रीन भंडारण निर्माणाधीन हैं, जिससे दिल्ली के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी।

दिल्ली को उपरोक्त पानी मिलने पर इस विधानसभा क्षेत्र में भी अतिरिक्त पानी दिया जाएगा।

(छ) वर्तमान में शाहदरा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 12.67 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही है।

(ज) झिलमिल सीईटीपी का रख रखाव दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं है।

202. श्री अनिल झाः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराड़ी में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ख) पाइपलाइन लीकेज की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गयी है;

(ग) क्या सरकार किराड़ी क्षेत्र में जल आपूर्ति की निगरानी के लिये कोई विशेष तंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है;

(घ) क्या जल आपूर्ति में सुधार के लिए क्या कोई नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है?

(ङ) किराड़ी में सीवरेज परियोजना कई वर्षों से अधूरी पड़ी रहने के क्या कारण हैं;

(च) इस काम के अपने समय पर पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं;

(छ) इस सीवरेज परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या इस परियोजना में देरी बजट की कमी, प्रशासनिक लापरवाही, ठेकेदारों की अक्षमता या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण हो रही है;

(झ) क्या इस परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिये कोई स्वतंत्र एजेंसी या निगरानी समिति गठित की गयी है;

(ञ) इस परियोजना की प्रारंभिक समय सीमा क्या थी और अब तक इसमें कितनी देरी हो चुकी है;

(ट) परियोजना के अंतर्गत अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए क्या नयी समय सीमा तय की गयी है;

(ठ) यदि परियोजना में देरी होती है तो क्या सरकार या प्रशासन ने इसके लिये कोई दंडात्मक उपाय (Penalty clause), पेनल्टी क्लॉज उपाय तय किये हैं; और

(ड) यदि हां, तो वह अभी तक क्यूं लागू नहीं हुए?

जल मंत्री: (क) किराड़ी में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने 8.5 MGD पानी उपलब्ध कराया है जो कि कुछ वर्ष पहले तक सिर्फ 7.0 MGD था। इसके अतिरिक्त जहाँ पर भी पानी की कमी है वहाँ पर टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति कराई जाती है।

(ख) लीकेज की समस्या को हल करने के लिए त्वरित रूप से प्रयास किये जाते हैं और स्थाई समाधान के लिए पुरानी पाइपलाइन को बदलने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हाँ, किराड़ी विधानसभा के अलग-अलग क्षेत्र में जल आपूर्ति की निगरानी के लिए वाल्व स्थापित किए गए हैं जिनको अलग-अलग क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए नियंत्रिक किया जाता है ताकि पानी का वितरण एरिया में सुचारू रूप से किया जा सके।

(घ) जल आपूर्ति में सुधार के लिए आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर पाइप लाइन बिछाने की योजना बनाई जाती है।

(ङ) किराड़ी की सीवर लाइन की परियोजना का वर्क आर्डर दिसम्बर 2020 में किया गया था तथा वर्क आर्डर के अनुसार यह कार्य 18 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण होना था। अभी तक लगभग 73% कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य में देरी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।

1. कोविड-2019 के कारण कार्य स्थगित रहा।
2. समय-समय पर लगने वाले प्रदुषण प्रतिबंध के कारण कार्य स्थगित रहा।
3. भाग्य विहार SPS के लिए जमीन के आवटन में देरी।
4. विभिन्न विभागों द्वारा जैसे कि DDA, I&FC, DSIIDC, TATA Power इत्यादि द्वारा अनुमति में देरी के कारण कार्य स्थगित रहा।
5. मानसून, इत्यादि।

(च) उपरोक्त अनुसार।

(छ) इस परियोजना को विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जा रही है, कार्य को लगातार निर्विध्न रूप से जारी रखने के लिए समय-समय पर दूसरे विभागों जैसे बाढ़ नियंत्रण, DSIIDC और Tata Power Limited इत्यादि के साथ अन्तविभाग्ये समस्याओं के निवारण के लिए बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ज) नहीं।

(झ) नहीं।

(ञ) वर्क आर्डर के अनुसार इस कार्य के समाप्ति की समय सीमा 18 दिसम्बर 2024 थी।

(ट) वर्तमान में परियोजना के प्रस्तावित 423 किलोमीटर सीवर लाइन नेटवर्क में से लगभग 307 किलोमीटर सीवर लाइन डल चुकी है और 3 सिवेज पंप हाउस का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

(ठ) इस कार्य के अनुबंध (C.A.) के अनुसार।

(ड) इस कार्य के अनुबंध (C.A.) के अनुसार किया जायेगा।

203. सुश्री शिखा रॉय: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दिल्ली में, विशेषकर ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में, खराब सीवर लाइनों को बदलने की कोई योजना है;

(ख) वर्ष 2020 से 2025 तक ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में सीवर प्रणाली के सुधार हेतु कौन-से कार्य किए गए;

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण?

जल मंत्री: (क) ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइनों को बदलने की कोई विस्तृत योजना नहीं है। समय-समय पर जरूरत के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खराब सीवर लाईनों को बदला जाता है।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्तानुसार।

अनुलग्नक-'क'

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER(D)-103
ENGINEER'S BHAWAN, ANDREWS GANJ, NEW DELHI-110049
DELHI JAL BOARD

SUB: Detail of Improvement of Sewer works under EE(M)-50

S.NO.	NAME OF WORK
1	*IMP. OF S/SYSTEM BY REPL. OF OLD DAMAGED BADLY SILTED UP SEWER LINE H.NO. 1-2/78 TO I20/157 LIG DDA FLATS KALKAJI A.C.50*
2	*IMP. OF SEWER SYSTEM CLEANING OF SEWER LINE BY SCM IN SANT NAGAR PAMPOSGH ENCLAVE HEMKUNT ZAMROODPUR AND G.K ENCLAVE A.C.50*
3	*imp. of sewerage system by cleaning of main sewer line of chirag delhi and savitri nagar village a.c.50*
4	*IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY REPLACEMENT OF SEWER LINE OLD DAMAGED BADLY SILTED UP SEWER LINE FROM POCKETB-29 TO B-59 GANGOTRI ENCLAVE A.C.50*
5	*IMP. OF SEWERAGE SYSTEM BY REPLACEMENT OF EXISTING OLD/ DAMAGED SEWER LINE FROM H.NO. 116 TO N-170 GK-I A.C.50*
6	*IMP. OF SEWERAGESYSTEM BY DESILTING OF DEEP MIN SEWER LINE BY SUPER SUCKER MACHINE IN DDA FLATS KALKAJI D.E. & G. BLOCK C,R. PARK A.C.50*
7	*IMP. OF SEWER SYSTEM BY REMOVAL OF SILT SUPER SUCKER MACHINE IN DEF BLOCK EAST OF KAILASH G-K-I A.C.50*
9	IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY REPAIR AND MAINTENENCE OF SEWERAGE SYSTEM IN C.R. PARK WARD A.C.50
10	IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY REPAIR AND MAINTENENCE OF OCCURS DAMAGE SEWERAGE SYSTEM IN C.R. PARK WARD A.C.50
11	IMPROVEMENT OF SEWER SYSTEM BY REMOVAL OF SILT THROUGH SUPER SUCKER MACHINE IN B,W,M,N,E & R BLOCK AND KAILASH COLONY A.C.50
12	IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY REPLACEMENT OF OLD 300 MM DIA SEWER LINE BY 450 MM DIA AND 400 MM DIA SEWWER LINE BY PIPE BURSTING METHOD FROM NANDI VIHAR ROAD TO KALKA DEVI MARG T-POINT A.C.50
13	IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY DESILTING OF SEWER LINE SHAH PUR JATT AND ASIAD VILLAGE BY SCM A.C.50
14	IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY REPLACEMENT OF OLD 300 MM DIA SEWER LINE BY 450 MM DIA AND 400 MM DIA SEWWER LINE BY PIPE BURSTING METHOD FROM NANDI VIHAR ROAD TO KALKA DEVI MARG T-POINT A.C.50
15	IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY REPALCEMENT OF OLD/DAMAGED SILTED UP SEWER LINE AT POCKET -K C.R.PARK AND B-191 TO B-200 C.R.PARK UNDER EE(M)-50 (AC-50)

16	IMP. OF SEWERAGESYSTEMBY REPLACEMENT OF EXISTING OLD /BADLY SILTED UP 150 MM DIA S.W./ PIPE SEWERLINE H.NO. 1451 TO 1461 C.R. PARK A.C.50
17	IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY REPLACEMENT OF OLD 300 MM DIA SEWER LINE BY 450 MM DIA SEWER LINE BY PIPE BRUSTING METHOD FROM BUS STAND CENTRAL SCHOOL ANDREWJ GANJ TO NANDI VIDHI ROAD JAMROOD PUR A.C.50
18	IMPROVEMENT OF SEWERAGE SYSTEM BY REPLACEMENT OF OLD/BADLY SILTED UP SEWER LINE FROM A-293 TO A-260 AND BLOCK NO. 2/293 TO A-260 AND BLOCK NO. 2/33 TO 3/82 DDA FLATS KALKAJI UNDER EE(M)50
19	IMPROVMENT OF SEWERAGE SYSTEMBY REPLACEMENT OF OLD DAMAGED SILTED SEWER LINE FROM B-326 CR. PARK A.C.50
20	IMP. OF SEWERAGE SYSTEM BY REPL. OF EXISTING OLD BADLY SILTED UP 150 MMDI SEWER LINE FROM H.NO. I-1597 TO I-1648 C.R.PRK A.C.50
22	IMP. OF SEWERAGE SYSTEM BY REPLACEMENT OF EXISTING OLD 450 MM DIA SEWER LINE BY 600 MM DIA SEWER LANE SAVITRI CINEMA TO 574 E G.K-II A.C.50

22/03/25
for AAO(D)-103

204. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की बढ़ती आबादी के कारण दिल्ली में पीने के पानी की मात्रा कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में वर्तमान जनसंख्या के अनुसार कितने पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बढ़ती जनसंख्या व दिन प्रति दिन कम होती पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ ठोस उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करने के क्या-क्या प्रयास कर रही है?

जल मंत्री: (क) जी हाँ।

(ख) 25 मिलियन की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली को 50 GPCD पानी की दर से 1250 MGD पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है।

(ग) 1. यमुना जल बंटवारे के लिए 1994 के समझौते को वर्ष 2025 के बाद संशोधित किया जाएगा और दिल्ली पेयजल की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए अपने कच्चे पानी के हिस्से को बढ़ाने का प्रतिनिधित्व करेगी।

2. दिल्ली को अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी पर रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ नामक तीन (3) अपस्ट्रीम भंडारण निर्माणाधीन हैं; जिससे दिल्ली के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी।

(घ) गर्मियों में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है।

205. श्री जितेन्द्र महाजनः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षो से दिल्ली में वैध/अवैध रूप से चल रहे समर्सिबल की संख्या की जानकारी उपलब्ध कराई जाए;

(ख) दिल्ली जल बोर्ड व रेवेन्यू विभाग द्वारा सील करे गए समर्सिबल की जानकारी प्रदान करें;

(ग) पिछले पांच वर्षो में समर्सिबल की सील तोडने वाले लोगों की संख्या की जानकारी प्रदान करें व उन सभी लोगों पर क्या कार्रवाही की गई, इसकी जानकारी भी प्रदान की जाए;

(घ) दिल्ली में क्षेत्रवार गिरते भूजल स्तर की स्थिति पर क्या कोई कमेटी बनाई गई है या कोई जांच कराई गई;

(ङ) दिल्ली के क्षेत्रवार भूजल की जानकारी प्रदान कराई जाए;

(च) पिछले पाचं वर्षो में मकान बनाते समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पालन ना करने पर कितने भवनों पर कार्रवाही करी गई, उनकी संख्या की जानकारी प्रदान कराई जाए;

(छ) दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आने वाले व रोहतास नगर विधानसभा में आने वाले कितने सरकारी भवनों/ईमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है और कितने भवनों में यह सिस्टम चालू है, सूची उपलब्ध कराई जाए;

(ज) दिल्ली सरकार/दिल्ली जल बोर्ड के अन्तर्गत कितने पानी के टैंकर हैं इनकी संख्या की जानकारी दी जाए; और

(झ) दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति के लिए किन-किन रिहाईसी इलाकों में कितने टैंकर भेजे जाते हैं?

जल मंत्रीः (क) पांच वर्षों से दिल्ली में वैध/अवैध रूप से चल रहे समर्सिबल की संख्या जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु इस समय तक दिल्ली जल बोर्ड की जानकारी में कुल अवैध समर्सिबल की सं. 22010 है।

(ख) जिलाधिकारी कार्यालयों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार 17100 समर्सिबल सील किये जा चुके हैं।

(ग) जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित है।

(घ) यह जानकारी केन्द्रीय भूजली प्राधिकरण (CGWA) से संबंधित है।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

(च) पिछले पांच वर्षों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पालन न करने पर कुल 297 उपभोक्ताओं पर कार्यवाही की गई।

(छ) रोहताश नगर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले दिल्ली जल बोर्ड के सभी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है तथा सुचारु रूप से चालू है। सूची संलग्नित है। संलग्नक-1

रोहताश नगर विधान सभा में अन्य सरकारी भवनों/ईमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में संबंधित कोई डेटा अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ज) दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में 1019 पानी के टैंकर कार्यरत है। (769 अनुबंधित+250 विभागीय)।

(झ) दिल्ली के विभिन्न अनाधिकृत कॉलोनियों, जे जे क्लस्टर, पुनर्वास बस्तियां तथा अन्य पीने के पानी की कमी वाली क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-

विषय : रोहताश नगर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले दिल्ली जल बोर्ड के सभी कार्यालयों मैं स्थित रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सूची।

1. सीवेज पम्पिंग स्टेशन राम नगर
2. लोनी रोड वाटर इमरजेंसी
3. LIG/MIG फ्लैट्स बूस्टर पम्पिंग स्टेशन लोनी रोड
4. शाहदरा UGR एवं क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी कार्यालय शाहदरा

अधिशाषी अभियंता (डी)-021

206. श्रीमती नीलम पहलवान: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नजफगढ़ विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सोम बाजार, नवादा बाजार, राम बाजार, ढ़ांसा बस स्टैंड के बहादुर गढ़ बस स्टैंड से नांगलोई बस स्टैंड इत्यादि तक जल भराव की भयंकर समस्या है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है; और

(ग) इस समस्या का पूर्णरूप से समाधान कब तक कर दिया जाएगा?

जल मंत्री: (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार हाँ यह सत्य है कि वर्षा के समय यहाँ जल भराव होता है।

नजफगढ़ विधान सभा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सोम बाजार, नवादा बाजार, राम बाजार, ढासा बस स्टैंड के बहादुर गढ़ बस स्टैंड से नांगलोई बस स्टैंड की

आंतरित नालियों का बरसाती पानी लोक निर्माण विभाग (PWD) के नालों में जाता है जोकि वर्षा के समय ओवरफ्लों हो जाते हैं जिसके कारण जल भराव होता है। अत: इस समस्या का निवारण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का प्रश्न है वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के कारण कोई जलभराव नहीं है।

207. श्री मुकेश कुमार अहलावत: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मी के मौसम में पानी की चरम माँग की पूर्ति के लिए विभाग की क्या योजना है और क्या फरवरी 2025 के बाद माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कोई बैठक की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण और यदि नहीं, तो उसके कारण;

(ग) ट्रंक सीवर लाइनों के 'डीसिल्टिंग' हेतु कार्ययोजना का विस्तृत विवरण समयसीमा के साथ दें;

(घ) 'सिल्टेड ट्रंक सीवर लाइनों' में से प्रत्येक के कारण प्रभावित होने वाले घरों की कुल संख्या क्या है;

(ङ) विगत दस वर्षों में ट्रंक सीवर लाइनों की डीसिल्टिंग के वर्क ऑर्डरों का विवरण उनकी तिथि व खर्च सहित दें; और

(च) विगत दस वर्षों में मंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा ट्रंक सीवर लाइन की डीसिल्टिंग के संबंध में कितनी बैठकें की गई हैं, प्रत्येक बैठक के मिनिट्स उपलब्ध कराएँ?

जल मंत्री: (क) गर्मी के मौसम में पानी की चरम मांग की पूरी के लिए सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की सप्लाई टैंकरों द्वारा पूरी की जाएगी।

(ख) सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में पानी की पूर्ति के लिए फरवरी माह में कुल 5 टैंकर उपलब्ध थे। लेकिन पानी की चरम मांग के लिए मार्च माह में टैंकरों की संख्या 6 कर दी गई है।

(ग) सुल्तानपुरी विधानसभा ट्रंकसीवर लाइन की डिसिलटींग के कार्य का प्रावधान वर्ष 2025-26 के कार्ययोजना में ले रखा है।

(घ) सुल्तानपुरी विधानसभा की ट्रंकसीवर लाइन अभी सही कार्य कर रही है। हालांकि इसकी डिसिलटींग का प्रावधान वर्ष 2025-26 के कार्ययोजना में ले रखा है।

(ङ) इस कार्यालय द्वारा विगत दस वर्षों में डिसिल्टिंग के कराये गए कार्य जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. नरेला और कोरोनेशन पिलर एसटीपी के तहत 900 मिमी से अधिक आकार के ट्रंक सीवर की सफाई का कार्य-
   i. वर्क आर्डर नं. 04(2022-23)/EE(C)DR-III दिनांक 24.5.2022 कुल खर्चा: 275.39 लाख।
2. कोंडली एसटीपी के अधीन 900 मिमी व्यास से अधिक आकार के ट्रंक सीवरों की सफाई का कार्य-
   i. वर्क आर्डर नं. 07(2022-23)/EE(C)DR-X दिनांक 22.03.2023 कुल खर्चा:- 460 लाख।

3. द्वारका एसटीपी के अधीन 900 मिमी व्यास से अधिक आकार के ट्रंक सीवरों की सफाई का कार्य–

   i. वर्क आर्डर नं. 03(2022-23)/EE(P)SR-II दिनांक 09.ख01.2023 कुल खर्चा:– 480.44 लाख।

4. ओखला एसटीपी के अधीन 900 मिमी व्यास से अधिक आकार के ट्रंक सीवरों की सफाई का कार्य–

   i. वर्क आर्डर नं. 02(2022-23)/EE(C)DR-VI दिनांक 03.01.2023 कुल खर्चा:– 437.91 लाख।

5. केशवपुर एसटीपी के अधीन 900 मिमी व्यास से अधिक आकार के ट्रंक सीवरों की सफाई का कार्य–

   i. वर्क आर्डर नं. 08(2022-23)/EE(C)DR-XII दिनांक 03.11.2022 कुल खर्चा:– 171.42 लाख।

6. निलोठी एसटीपी के अधीन 900 मिमी व्यास से अधिक आकार के ट्रंक सीवरों की सफाई का कार्य–

   i. वर्क आर्डर नं. 02(2022-23)/EE(C)DR-XII दिनांक 07.06.2022 कुल खर्चा:– 140.26 लाख।

7. यमुना विहार एसटीपी के अधीन 1000 मिमी व्यास से अधिक आकार के ट्रंक सीवरों की सफाई का कार्य–

   i. वर्क आर्डर नं. 01(2022-23)/EE(C)DR-IX दिनांक 26.05.2022 कुल खर्चा:– 510 लाख।

8. रोहिणी और रिठाला एसटीपी के अधीन 900 मिमी व्यास से अधिक आकार के ट्रंक सीवरों की सफाई का कार्य–

    i. वर्क आर्डर नं. 05(2022-23)/EE(C)DR-III दिनांक 13.06.2022 कुल खर्चाः– 1180 लाख।

9. रोहिणी और रिठाला एसटीपी के अधीन 900 मिमी व्यास से अधिक आकार के ट्रंक सीवरों की सफाई का कार्य–

    i. वर्क आर्डर नं. 05(2022-23)/EE(C)DR-III दिनांक 13.06.2022 कुल खर्चाः– 1180 लाख।

(च) इस कार्यालय से संबंधित नहीं हैं।

208. श्री प्रेम चौहानः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवली विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने एमएलडी पानी दिया जा रहा है;

(ख) क्या पानी की ये आपूर्ति पर्याप्त है; और

(ग) जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार देवली विधानसभा में रोजाना कितने एमएलडी पानी की जरुरत है, इसका विवरण दिया जाए?

जल मंत्रीः (क) देवली विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगभग 40 एमएलडी पानी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाटर टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई को अनुपूरित किया जा रहा है।

(ख) पानी की आपूर्ति उपलब्धता के अनुसार की जाती है।

(ग) देवली विधानसभा में रोजाना लगभग 78 एमएलडी पानी की जरूरत है।

209. सुश्री आतिशी: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालकाजी विधानसभा के अंतर्गत श्रीनिवासपुरी, प्राइवेट कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो का क्या कारण है;

(ख) पिछले 6 महीने में यहाँ से सीवर ओवरफ्लो की कितनी शिकायतें आई है;

(ग) सीवर ओवरफ्लो को लेकर श्रीनिवासपुरी, प्राइवेट कॉलॉनी से पिछले 6 महीने मे 1916 हेल्पलाइन पर कितनी शिकायतें आई, जेई व एई के पास सीधे कितनी शिकायतें आई और एमएलए कार्यालय से ट्रांसफर होकर कितनी शिकायतें आई; और

(घ) यहाँ होने वाले सीवर ओवर"लो की समस्या के समाधान के लिए विभाग की क्या योजना है, समय सीमा सहित पूर्ण विवरण दें?

जल मंत्री: (क) श्री निवासपुरी, प्राईवेट कॉलोनी में संकीर्ण गलियों के कारण, सीवर की सफाई करने के लिए सीवर की मशीनों को गलियों के अन्दर पहुंचने में समस्या होती है।

(ख) पिछले छह महीनों में सीवर ओवरफ्लो कुल 172 शिकायतें आईं। साथ ही इनका निवारण भी कर दिया गया है।

(ग) सीवर ओवरफ्लो को लेकर श्रीनिवासपुरी प्राईवेट कॉलोनी से पिछले 6 महीने में 1916 हेल्पलाइन पर 4 शिकायतें आईं, जेई व एई के पास सीधे 58 शिकायतें आईं और एमएलए कार्यालय से ट्रांसफर होकर 110 शिकायतें आईं।

(घ)) यहाँ होने वाले सीवर ओवरफ्लो की समस्या को साथ-साथ ही निराकरण कर दिया जाता है। सीवर की समस्या के समाधान के लिए सीवर डिसीलिटिंग की भी योजना है।

210. श्री सोम दत्तः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समय-समय पर पानी के बिलों में राहत हेतु जनता की सुविधा हेतु स्कीम लाई जाती है;

(ख) पिछली बार दिल्ली जब बोर्ड की स्कीम कब आई थी तथा यह कितने दिनों तक चली थी;

(ग) वर्तमान में क्या ऐसी कोई स्कीम डीजेबी में विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां तो यह स्कीम जनता की सुविधा हेतु कब तक आएगी?

जल मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) पिछली विलंब शुल्क माफी योजना 5 माह, 1 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2023, तक की अवधि तक जारी रही।

(ग) इस प्रकार कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) यह जानकारी दिल्ली जब बोर्ड के द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने के उपरांत ही दी जा सकती है।

211. श्री सुरेन्द्र कुमारः क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकल पुर विधानसभा क्षेत्र में नियमित पीने का पानी न मिलने का क्या कारण हैं;

(ख) इस विधानसभा में कब से 8 एमजीडी पानी मिलने की शुरूआत होगी समय-सीमा बताने की कृपा करें;

(ग) क्या यह सत्य है कि गोकल पुर विधानसभा क्षेत्र में भागीरथी प्लांट हैं, और

(घ) यदि हॉ, तो इसके बाद भी इस विधानसभा को पीने का पानी नहीं दिए जाने के क्या कारण है?

जल मंत्रीः (क) गोकलपुर विधान सभा में पानी की उपलब्धता के अनुसार पानी की आपूर्ति की जाती है। क्षेत्र की जलापूति की समय सारणी संलग्नक "A" के अनुसार है।

(ख) सोनिया विहार एवं भागीरथी जल सयंत्रों तथा टूबवैलों से वर्तमान में लगभग 7.29 एमजीडी पानी इस विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध हो रहा है। दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने पर इस क्षेत्र में अतिरिक्त 8.0 एमजीडी पानी उपलब्ध हो पाएगा।

(ग) जी हाँ।

(घ) गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में भागीरथी एवं सोनिया विहार जल सयंत्र से जलापूर्ति की जा रही है।

Unst Q. No. 211 due for 28/03/25

Annexure - "A"

Timing Schedule of Water Supply in Gokulpur AC-68

S. NO.	Concerned CE	Concerned SE/EE	Name of Constituency	Name of Ward	Name of colony	Timing Morning	Timing Evening	Name of UGR/BPS/Direct Tapping	Remarks
1	CE(EAST)	SE(C-02)/EE(D)-023	Gokalpur	Harsh Vihar ward no 237	Ganga Sahai Colony,Budh Vihar,80 gazz Colony, part of Mandoli Village,Harizan Basti	06:00 a.m to 08:00 a.m	Not available	Tahirpur	Daily in Morning
2	CE(EAST)	SE(C-02)/EE(D)-023	Gokalpur	Harsh Vihar ward no 237	Harsh Vihar A,B,C,D Block,Bank Colony	06:00 a.m to 08:00 a.m	On Mon,Wed & Fri from 06:00 p.m to 08:00 p.m	Tahirpur	Alternate day supply in these colonies of Harsh Vihar Ward
3	CE(EAST)	SE(C-02)/EE(D)-023	Gokalpur	Saboli ward no 238	Sushila Garden,Saboli Extension,Mandoli Extension,Saboli Village,Pratap Nagar,Saboli Bagh	06:00 a.m to 08:00 a.m	On Tue,Thu & Sat from 06:00 p.m to 08:00 p.m	Tahirpur	Alternate day supply in these colonies of Saboli Ward Ward
4	CE(EAST)	SE(C-02)/EE(D)-023	Gokalpur	Saboli ward no 238	Meet Nagar A,B,C Block,Shakti Garden,E-Block East Gokalpur	06:00 a.m to 08:00 a.m	05:00 p.m to 07:00 p.m	Bhagirathi	Daily supply
5	CE(EAST)	SE(C-02)/EE(D)-024	Gokalpur	Gokalpur Ward no 239	Amar colony A,B,C,D Block,Gokalpuri RSC ,Ganga Vihar , Gokalpur Village, Gokalpur Village Extension.	06:00 a.m to 08:00 a.m	05:00 p.m to 07:00 p.m	Bhagirathi	
6	CE(EAST)	SE(C-02)/EE(D)-025	Gokalpur	johripur Ward no 240	Johripur extention , Tunda Nagar, Khajani Ngar , Kardam Farm,	06:00 a.m to 08:00 a.m		Bhagirathi	
7	CE(EAST)	SE(C-02)/EE(D)-026	Gokalpur	johripur Ward no 240	Mata Wali Gali , Pradhan wali gali , Dugarpur Mohalla,Kanhaiya Vihar, Ram Mohalla		05:00 p.m to 07:00 p.m	Bhagirathi	
8	CE(EAST)	SE(C-02)/EE(D)-027	Gokalpur	johripur Ward no 240	Ambedkar Vihar , Ram Vihar, Jagdamba colony, part of Bhagirathi Vihar, Ramabai Mohalla	06:00 a.m to 08:00 a.m	6.00 pm to 08 :00 p.m	New Sonia Vihar	
9	CE(EAST)	SE(C-02)/EE(D)-027	Gokalpur	johripur Ward no 240	Bhagirathi Viahar, Indra Vihar , Chaman Park	06:00 a.m to 08:00 a.m	05:00 p.m to 07:00 p.m	Yamuna Vihar UGR	

CE (East)

212. श्री सुरेन्द्र कुमारः क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड के पास रिसाइक्लर मशीनें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन मशीनों के टेंडर कब किए गए, और ये टेंडर कब तक वैध है, और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें खरीदने की सरकार की क्या योजना है?

जल मंत्रीः (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी नहीं, वर्तमान में ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

213. श्री सुरेन्द्र कुमारः क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड के पास मिनी सुपर सकर मशीनें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन मशीनों के टेंडर कब किए गए तथा ये टेंडर कब तक वैध है, और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें खरीदने की सरकार की क्या योजना है?

जल मंत्रीः (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी नहीं, वर्तमान में ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

214. चौधरी जुबैर अहमदः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में कई इलाकों में ड्रेन का पानी सीवर में जाता है, जिससे सीवर ब्लाक होने की समस्या उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे समस्या वाले स्थानों की विस्तृत सूची उपलब्ध करवाएं; और

(ग) जल बोर्ड द्वारा इस समस्या का समाधान के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

जल मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) ऐसे स्थानों की विस्तृत सूची संलग्न है।

(ग) उपरोक्त सूची संबंधित विभाग को अपनी ड्रेनल को सीवर लाइन से अलग करने के लिए भेज दी गई है तथा ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से सीवर की सफाई की जाती है।

215. चौधरी जुबैर अहमदः क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीलमपुर विधान सभा की सीवर व्यवस्था बदहाल हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि पीने के पानी में सीवर का गन्दा पानी मिलने से बीमारियां बढ़ रही हैं;

संलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ग) यदि हाँ, तो इस समस्या के समाधान हेतू सरकार क्या कदम उठा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल मंत्रीः (क) यह सत्य नहीं है। परन्तु क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण शिकायतों की संख्या अधिक रहती है तथा शिकायतों का निवारण शीघ्र से शीघ्र किया जाता है तथा पुरानी सीवर की लाइनों को आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध तरीके से बदला जाता है।

(ख) यह सत्य नहीं है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) उपरोक्त अनुसार।

216. चौधरी जुबैर अहमदः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रोजाना कितने एमजीडी पानी की आवश्यकता होती है;

(ख) वर्तमान में दिल्ली में विभिन्न स्त्रोतों से रोजाना कितना कच्चा पानी (रॉ वाटर) आता है;

(ग) दिल्ली में पानी की सप्लाई के इन स्त्रोतों के नाम बताइये;

(घ) दिल्ली को यमुना नदी के माध्यम से मिलने वाले जल के लिए समझौता किस साल में हुआ था;

(ङ) समझौते के तहत दिल्ली को कितना पानी मिलता है;

(च) उस दौरान दिल्ली की आबादी कितनी थी तथा वर्तमान में दिल्ली की आबादी कितनी है;

(छ) क्या दिल्ली में जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार की कोई विस्तृत और समयबद्ध योजना है, और

(ज) यदि हाँ, तो साझा करें?

जल मंत्रीः (क) 25 मिलियन की आबादी को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली को 50 जीपीसीडी की दर से 1250 एमजीडी पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है।

(ख) Yamuna & Bhakra Bases

Management Board-610 MGD

Ganga Water-254 MGD

Ground Water-126 MGD

Total-900

(ग) Yamuna & BBMB

Ganga Water

Ground Water

(घ) यमुना नदी से दिल्ली को मिलने वाले पानी के लिए 1994 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ङ)

State Seasonal Allocation of Yamuna Water (BCM)				
	July-Oct	Nov-Feb Feb	March-June	Annual
Delhi	0.58	0.068	0.076	0.724

(च) वर्ष 1994 में दिल्ली की जनसंख्या लगभग 01 करोड़ थी तथा वर्तमान जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है।

(छ) हाँ।

(ज) 1. यमुना जल बंटवारे के लिए 1994 के समझौते को वर्ष 2025 के बाद संशोधित किया जाएगा और दिल्ली पेयजल की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए अपने कच्चे पानी के हिस्से को बढ़ाने का प्रतिनिधित्व करेगी।

2. दिल्ली को अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी पर रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ नामक तीन (3) अपस्ट्रीम भंडारण निर्माणाधीन हैं।

रेणुका बांध-अन्य भंडारण बांधों के पूरा होने तक दिल्ली को 23 क्यूमेक पानी आवंटित किया गया है। रेणुका बांध की योजना यमुना नदी की सहायक नदी गिरि पर बनाई गई है। यह परियोजना निर्माण के अंतिम चरण में है और इसके 2030 तक पूरा होने की संभावना है।

* किशाऊ बांध-इससे दिल्ली को 372 एमजीडी पानी मिलेगा। डीजेबी ने किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड को 8.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह बांध उत्तरांचल में टोंस नदी पर बनाया जाना है।

* लखवार व्यासी बांध-इससे दिल्ली को 135 एमजीडी पानी मिलेगा। डीजेबी ने पहले ही यूजेवीएन लिमिटेड को 7.79 करोड़ रुपये की पहली किस्त का भुगतान कर दिया है। लखवार परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर एक बहुउद्देशीय योजना है, जो मुख्य रूप से बिजलीघर है।

217. चौधरी जुबैर अहमदः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड से पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए कमर्शियल, घरेलू व इंडस्ट्रिल उपभोक्ताओं के लिए क्या प्रक्रिया होती है;

(ख) दिल्ली जल बोर्ड से पानी का नया कनेक्शन लेने पर कमर्शियल, घरेलू व इंडस्ट्रिल उपभोक्ताओं को कितना डेवलपमेंट चार्ज देना होता है;

(ग) डेवलपमेंट चार्ज तय करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड किस प्रक्रिया का पालन करता है;

(घ) दिल्ली के झंडेवालान स्थित आरएसएस हेडक्वार्टर केशव कुंज की नई बिल्डिंग को पानी व सीवर का नया कनेक्शन कब मिला;

(ङ) ये कनेक्शन कमर्शियल हैं, घरेलू हैं अथवा इंडस्ट्रियल हैं;

(च) इस बिल्डिंग का निर्मित और टोटल एरिया क्या है तथा इसे किस आधार पर और किसने मापा है;

(छ) यदि किसी अफसर ने नापा है तो उसके नाम और पद को साझा करें;

(ज) यदि ये जानकारी किसी दस्तावेज से ली गई है तो उस दस्तावेज को साझा करें; और

(झ) आरएसएस हेडक्वार्टर केशव कुंज की नई बिल्डिंग को पानी व सीवर का नया कनेक्शन देते समय कितना डेवलपमेंट चार्ज लिया गया?

जल मंत्रीः (क) दिल्ली जल बोर्ड में कमर्शियल, घरेलू व इंडस्ट्रिल का जल कनेक्शन लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाते हैं।

1. सम्पति के दस्तावेज, मालिकाना हक, अथवा बिजली के तीन बिल।

2. पहचान पत्र।

3. फोटोबैंक का कैंसिल चेक।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड से पानी का नया कनेक्शन लेने पर कमर्शियल, घरेलू व इंडस्ट्रिल उपभोक्ताओं से वर्तमान में कोई डेवलमेंट चार्ज नहीं लिया जाता है।

(ग) लागू नहीं है।

(घ) केशव कुंज की नई बिल्डिंग को जल कनेक्शन दिनांक 10.12.2024 को स्वीकृत किया गया था। सीवर का नया कनेक्शन स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ङ) यह कनेक्शन कमर्शियल है।

(च) प्लाट का कुल एरिया–16919.12 sqm

निर्मित एरिया–4962.49 sqm

इसे दिल्ली नगर निगम के स्वीकृत अभिन्यास (Layout) प्लान से लिया गया है।

(छ) नहीं, लागू नहीं है।

(ज) इसे दिल्ली नगर निगम के स्वीकृत अभिन्यास (Layout) प्लान से लिया गया है। फाइल की छाया प्रतिलिपि संलग्न है।

(झ) आरएसएस हेडक्वार्टर केशव कुंज की नई बिल्डिंग को पानी व सीवर का नया कनेक्शन देते समय कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया गया है।

218. श्री इमरान हुसैन: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुनक नहर में वर्तमान में कितने पानी की मात्रा की हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार की इस हानि को कम करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो समय सीमा सहित पूर्ण विवरण दें?

जल मंत्री: (क) मुनक नहर दिल्ली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही दो भागों में बंट जाती है, CLC और DSBI CLC में अनुमानित हानि 5 प्रतिशत है और DSB में अनुमानित हानि 30 प्रतिशत है।

(ख) चूंकि दोनों ही नहर हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। अत: पानी की मात्रा की हानि को कम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा हरियाणा

संलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

सरकार के संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। यह कार्य हरियाणा सरकार डिपाजिट कार्य के रूप में करेगी जिसकी योजना बन गई है।

(ग) उपरोक्त कार्य हरियाणा सरकार के विभाग के अन्तर्गत आता है। अतः समय सीमा हरियाणा सरकार के विभाग के द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना दिल्ली जल बोर्ड को अविलम्ब प्राप्त होगी।

219. श्री इमरान हुसैनः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड की वर्तमान में कितनी जल शोधन क्षमता है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान जल शोधन क्षमता को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो संभावित समय सीमा सहित लक्ष्य और कार्य योजना का पूर्ण विवरण दें?

जल मंत्रीः (क) दिल्ली जल बोर्ड की वर्तमान स्थापित जल उपचार क्षमता 821 एमजीडी है। जिसके मुकाबले वर्तमान में 865 एमजीडी उत्पादन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

(ख) हाँ।

(ग) 1. द्वारका में दूसरे 50 एमजीडी डब्ल्यूटीपी का निर्माण पूरा होने की संभावित तिथि दिसंबर 2025 है।

2. चंद्रावल में मौजूदा 90 एमजीडी डब्ल्यूटीपी के स्थान पर 105 एमजीडी डब्ल्यूटीपी का निर्माण क्षमता में 15 एमजीडी की वृद्धि होगी। पूरा होने की तिथि दिसंबर 2026 है।

220. श्री जरनैल सिंह: क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुल कितने घरेलू व कमर्शियल पानी के कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने उपभोक्ताओं को 20,000 लीटर प्रतिमाह निशुल्क जल योजना का लाभ मिलता है;

(ग) इनमें से कितने कनेक्शशंस ऐसे हैं जहां एक साल से ज्यादा के पानी के बिल बकाया चल रहे है;

(घ) क्या विभाग पुराने बिलों को निपटाने से संबंधित कोई योजना लाने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए?

जल मंत्री: (क) 03 मार्च 2025 तक दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिए गए घरेलू व कमर्शियली पानी के कनेक्शन की कुल संख्या 28,99,615 थी।

(ख) 1 अप्रैली 2024 से 28 फरवरी 2025 की समयावधि में कुल 18,54,836 उपभोक्ताओं को '20,000 मीटर प्रतिमाह निशुल्क जल योजना' का लाभ कम से कम एक बार मिला है।

(ग) लगभग 4,22,000 उपभोक्ताओं द्वारा पिछले एक वर्ष में पानी के बिलों का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ङ) यह जानकारी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने के उपरांत ही दी जा सकती है।

221. श्री प्रवेश रतनः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन सभी इलाकों की विधानसभा वार लिस्ट साझा करें जहां सीवर ओवरफ्लो होते हैं;

(ख) इन इलाकों में सीवर के ओवरफ्लो होने का क्या कारण है, विधानसभा वार समस्याओं का विवरण साझा करें;

(ग) सीवर ओवरफ्लो की समस्या को दूर करने के लिए बनाई गई विस्तृत और समयबद्ध योजना साझा करें; और

(घ) 20 फरवरी 2025 के बाद से सीवर ओवरफ्लो की समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए है, जानकारी साझा करें?

जल मंत्रीः (क) जब भी सीवर के फ्लो में रुकावट़ होती है वहां सीवर ओवरफ्लो हो सकता है। चूंकि यह रुकावट किसी भी स्थान में हो सकती है। इसलिए इसे इलाके में चिन्हित नहीं किया जा सकता।

(ख) सीवर लाइन में सीवर फ्लो की रुकावट अनेक कारणों जैसे मलबा, अवशिष्ट पदार्थों तथा नालियों द्वारा बोतल, पॉलीथिन, घर का कूड़ा कचरा इत्यादि सीवर लाइन में आने के कारण हो जाती है।

(ग) जहां भी सीवर ओवरफ्लो की समस्या होती है वहां आवश्यकता अनुसार सीवर क्लीनिंग मशीनों द्वारा सफाई करा दी जाती है। प्रत्येक वर्ष सीवर की सफाई हेतु डिसिल्टिंग एक्शन प्लान बनाया जाता है। जहां मानसून से पहले सफाई करा दी जाती है।

(घ) विभिन्न मशीनों द्वारा सीवर लाइनों की सफाई और रुकावट हटाने का कार्य प्रगति पर है।

222. श्री परवेश रतनः क्या माननीय **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जलबोर्ड के पास कितनी सुपर-सकर मशीन उपलब्ध हैं; और

(ख) इन मशीनों के टेंडर कब किए गए तथा ये टेंडर कब तक वैद्य है?

जल मंत्रीः (क) मुख्य अभियंता (मैन्ट्मन्स) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विवरण निम्नलिखित है।

1. मुख्य अभियंता (पूर्व) के कार्यालय के अंतर्गत वर्तमान में कोई सुपर सकर मशीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुल 08 सुपर-सकर मशीनों को अनुबंधित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।
2. मुख्य अभियंता (पश्चिम) के कार्यालय के अंतर्गत वर्तमान में कोई सुपर सकर मशीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुल 08 सुपर-सकर मशीनों को अनुबंधित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
3. मुख्य अभियंता (मध्य उत्तर) के कार्यालय के अंतर्गत वर्तमान में 01 सुपर सकर मशीन उपलब्ध है। हालांकि 06 सुपर सकर मशीनों को अनुबंधित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।
4. मुख्य अभियंता (दक्षिण) के कार्यालय के अंतर्गत वर्तमान में कोई भी सुपर सकर मशीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुल 08 सुपर सकर मशीनों को अनुबंधित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ख) मुख्य अभियंता (मैन्ट्मन्स) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विवरण निम्नलिखित है।

1. मुख्य अभियंता (पूर्व) के कार्यालय के अंतर्गत 08 सुपर सकर मशीनों के लिए निविदाएं 01.03.2025 व 03.03.2025 को आमंत्रित की गयी है तथा उपरोक्त सुपर सकर मशीनों को 4 माह की समयावधि के लिए लगाना प्रस्तावित है।

2. मुख्य अभियंता (पश्चिम) के कार्यालय के अंतर्गत 08 सुपर सकर मशीनों के लिए निविदाएं 01.03.2025 व 03.03.2025 को आमंत्रित की गयी है तथा उपरोक्त सुपर सकर मशीनों को 4 माह की समयावधि के लिए लगाना प्रस्तावित है।

3. मुख्य अभियंता (मध्य उत्तर) उपलब्ध मशीन का टेंडर 12/12/2024 को किया गया और इस टेंडर की वैधता तीन माह थी।

4. मुख्य अभियंता (दक्षिण) के कार्यालय के अंतर्गत 08 सुपर सकर मशीनों के लिए निविदाएं 04.03.2025 व 07.03.2025 को आमंत्रित की गयी है तथा उपरोक्त सुपर सकर मशीनों को 4 माह की समयावधि के लिए लगाना प्रस्तावित है।

223. श्री पवन शर्मा: क्या माननीय **जल मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र की जल बोर्ड की ठप्प हो चुकी लाइनों व सीवर व्यवस्था को देखते हुए नवीनतम तकनीक वाली कोई नई परियोजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण और यदि नहीं, तो उसके कारण?

जल मंत्री: (क) उत्तम नगर विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सीवर की लाइनों का सुधार किया जाएगा। जिसमें सुपर सकर मशीन, अन्य सीवर

साफ करने वाली मशीनों द्वारा सीवर लाइनों की सफाई करने का काम किया जाएगा।

(ख) उपरोक्त।

224. श्री अजय महावर: क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घोंडा विधानसभा के विधायक के पिछले कार्यकाल में दिए गए सुझाव व मांग के अनुसार मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उपरोक्त बहु प्रतिक्षित मांग को कब तक पूरा कर दिया जाएगा;

(ग) यमुना विहार डिपो के कारण लगने वाले भयंकर जाम की समस्या को देखते हुए क्या सरकार की इन बसों को किसी और पार्किंग की जगह स्थानांतरित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें?

परिवहन मंत्री: (क) और (ख) इस दिशा में अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है।

(ग) और (घ) ऐसी अभी कोई योजना नहीं है।

225. श्री अभय वर्मा: क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में परिवहन विभाग द्वारा लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या कार्य कराये गये, विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें;

(ख) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाले बस रूटों की विस्तृत जानकारी दें;

(ग) दिनांक 29.03.2022 को विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल में परिवहन विभाग द्वारा लक्ष्मीनगर विधानसभा के विकास मार्ग और मदर डेयरी रोड पर लगने वाले जाम के संबंध में ट्रैफिक पुलिस से जानकारी लेकर विधायक को प्रेषित करने के आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई जानकारी न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

परिवहन मंत्री: (क) और (ख) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली क्लस्टर व डीटीसी बसों द्वारा संचालित बस मार्गों की सूची अनुलग्नक 01 और अनुलग्नक 02 में दी गई है।

(ग) और (घ) दिल्ली के एनसीटी में यातायात प्रबंधन की देखभाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाती है। हालांकि, परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा, GNCTD भी अनुचित पार्किंग के लिए चालान जारी करता है। यदि कोई हो तो दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है। चूंकि, क्षेत्र-विशिष्ट चालान रिपोर्ट प्रदर्शित करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए नो पार्किंग चालान की अभियोजन रिपोर्ट पूर्ण एनसीटी दिल्ली के लिए है। 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन क्षेत्र टीमों द्वारा जारी किए गए नो पार्किंग चालान की अभियोजन रिपोर्ट को संलग्न किया गया है।

परिशिष्ट 'क'

Route Originating & Passing through Laxmi Nagar Constituency

.o.	Route No.	From	To	DTC Schedule Buses
1	39	Jheel	Tri Nagar Jai Mata Mkt.	17
2	39A	Anand Vihar ISBT	Tri Nagar Jai Mata Mkt.	3
3	39STL	Jheel	Anand Parvat	2
4	73	Anand Vihar ISBT	Tilak Nagar	18
5	85	Anand Vihar ISBT	Punjabi Bagh (T)	19
6	85EXT	Anand Vihar ISBT	West Enclave	12
7	118EXT	Mori Gate (T)	Mayur Vihar Phase-III	22
8	306	Nehru Place Terminal	Kalyan Puri	10
9	307	Kamla Market	Trilok Puri 31/27-Blk.	10
10	307A	N.D. Rly. Station Gate No-2	Mayur Vihar Phase-II	2
11	309	Anand parbat	Kalyan Puri	24
12	310	Inder Puri	Jheel	6
13	316	Jheel	Karam Pura Terminal	5
14	335	Hauz Khas (T)	Nand Nagri (T)	2
15	340	KENDRIYATerminal	Nand Nagri Terminal	7
16	347	ISBT (Maharana Pratap Bus (T)	Noida Sec-35/51	11
17	348	Mori Gate (T)	Mayur Vihar Phase-III	4
18	349	KendriyaTerminal	Mayur Vihar Phase-II	1
19	352	Wazir Pur J J Colony	Shahdra Terminal	4
20	353	Babarpur Extn. Terminal	Anand Parvat	3
21	356	Mayur Vihar Phase-III	Mehrauli Terminal	2
22	374	Nehru Place Terminal	Nand Nagri (T)	2
23	378	KendriyaTerminal	Mayur Vihar Phase-III	3
24	391	KENDRIYATerminal	Kalyan Puri	1
25	443	Shahdara (T)	Badar Pur Border	2
26	443A	Jheel	Badar Pur Border	10 Trip
27	469	Anand Vihar ISBT	Lado Sarai Firni Road	31
28	473	Anand Vihar ISBT	Badar Pur Border	27
29	623	Shahdara (T)	Nangal Dewat	34
30	624A	Munirika	Anand Vihar ISBT	1 Trip
31	720	Shahdara (T)	Janak Puri B-1	8
32	740	Anand Vihar ISBT	Uttam Nagar (T)	6
33	740A	Anand Vihar ISBT	Binda Pur D D A Flats	1
34	740EXT	Anand Vihar ISBT	Uttam Nagar (T)	12
35	949A	Jheel	Sawda Ghevera JJ Clusters	6
36	YAMUNA MUDRIKA(+)	Kashmere Gate City Bus Teminal	Kashmere Gate City Bus Teminal	5
37	YAMUNA MUDRIKA(-)	Kashmere Gate City Bus Teminal	Kashmere Gate City Bus Teminal	5
38	OMS (+)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	16
39	OMS (-)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	17
40	DS-36	Patpar Ganj (Madhu Vihar)	Krishi Bhawam	2 Trip
41	DS-38	Patpar Ganj (Madhu Vihar)	JLN Stadium	2 Trip
42	DS-39	Patpar Ganj (Madhu Vihar)	Shivaji Stadium	2 Trip
43	DS-40	Patpar Ganj (Madhu Vihar)	Kend. Terminal	2 Trip
		Total Buses		360+19 Trips

अनुलग्नक 1: लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली क्लस्टर बसों द्वारा संचालित बस मार्गों की सूची

क्रमांक	डिपो का नाम	मार्ग संख्या	से	तक	संचालन के लिए निर्धारित क्लस्टर बसों की संख्या
1	बुराड़ी-1	OMS (-)	बुराड़ी क्रॉसिंग	बुराड़ी क्रॉसिंग	15
2	बुराड़ी-1	OMS (+)	बुराड़ी क्रॉसिंग	बुराड़ी क्रॉसिंग	15
3	बुराड़ी-1	YMS (-)	मोरी गेट टर्मिनल	मोरी गेट टर्मिनल	10
4	बुराड़ी-1	YMS (+)	मोरी गेट टर्मिनल	मोरी गेट टर्मिनल	10
5	दिलशाद गार्डन	469	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	अंबेडकर नगर	9
6	दिलशाद गार्डन	623	शाहदरा टर्मिनल	नांगल देवत गांव	10
7	दिलशाद गार्डन	702	शाहदरा टर्मिनल	एआरएसडी कॉलेज/धौला कुआं	4
8	दिलशाद गार्डन	336A	न्यू सीमा पुरी	मुनिरका गांव	7
9	घुमनहेड़ा-1	740EXT	उत्तम नगर टर्मिनल	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	14
10	घुमनहेड़ा-2	740	उत्तम नगर टर्मिनल	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	6
12	घुमनहेड़ा-2	OMS (-)	उत्तम नगर टर्मिनल	उत्तम नगर टर्मिनल	15
13	घुमनहेड़ा-2	OMS (+)	उत्तम नगर टर्मिनल	उत्तम नगर टर्मिनल	15
14	इंद्रप्रस्थ	307	त्रिलोक पुरी 27 ब्लॉक टर्मिनल	कमला मार्केट/अजमेरी गेट	10
15	इंद्रप्रस्थ	317	शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल	शाहदरा टर्मिनल	6
16	इंद्रप्रस्थ	320	शाहदरा टर्मिनल	केन्द्रीय टर्मिनल	3
17	इंद्रप्रस्थ	340	न्यू सीमा पुरी	केन्द्रीय टर्मिनल चर्च रोड	6
18	इंद्रप्रस्थ	359	शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल	मयूर विहार फेज III (टी) पेपर मार्केट	7
19	इंद्रप्रस्थ	370	केन्द्रीय टर्मिनल	नंद नगरी टर्मिनल	2
20	इंद्रप्रस्थ	390	केन्द्रीय टर्मिनल	त्रिलोक पुरी 13 ब्लॉक	1
21	इंद्रप्रस्थ	391	कल्याण पुरी टर्मिनल	केन्द्रीय टर्मिनल चर्च रोड	5
22	इंद्रप्रस्थ	473	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	बदरपुर बॉर्डर टर्मिनल	10
23	राजघाट	39	झील टर्मिनल	त्रि नगर जय माता मार्केट	12

क्रमांक	डिपो का नाम	मार्ग संख्या	से	तक	संचालन के लिए निर्धारित क्लस्टर बसों की संख्या
24	राजघाट	85	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	पंजाबी बाग टर्मिनल	10
25	राजघाट	310	झील टर्मिनल	इंद्रपुरी टर्मिनल	4
26	सीमा पुरी	85	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	पंजाबी बाग टर्मिनल	9
27	सीमा पुरी	85Ext	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	वेस्ट एन्क्लेव	9
28	सीमा पुरी	88A	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	जय माता मार्केट	7
29	सीमा पुरी	OMS (-)	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	11
30	सीमा पुरी	OMS (+)	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	11
31	शास्त्री पार्क	MC-137	शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन	मयूर विहार फेज III (टी) पेपर मार्केट	13
32	यमुना विहार	274	बाबरपुर एक्सटेंशन	ओखला एक्सटेंशन (अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव)	9
कुल					275

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT: ENFORCEMENT BRANCH
5/9, UNDERHILL ROAD, NEW DELHI - 110054

DATA AS PER NIC E-CHALLAN PORTAL

S.no	Period of data	Total no. of No parking Challan
1	2022	107628
2	2023	130875
3	2024	148409
	Total	386912

226. श्री संजीव झाः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछली सरकार में मोहल्ला बस सर्विस के लिए नई बसों की खरीद की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन बसों की संख्या कितनी है तथा वर्तमान में वे बसें किस जगह पर है;

(ग) परिवहन विभाग को इन बसों की खेप कब प्राप्त हुई तथा अब तक इन बसों को सड़कों पर न चलाये जाने का कारण क्या है, उसका विवरण उपलब्ध करवाएं;

(घ) वर्तमान सरकार कब तक इन बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारने की योजना बना रही है; और

(ङ) क्या इन बसों के रूट निर्धारण में पहले की भांति विधायकों से रूट्स के संबंध में सुझाव लेने की कोई योजना है?

परिवहन मंत्रीः (क) क्लस्टर-GNCTD के परिवहन विभाग ने क्लस्टर स्कीम सकल लागत अनुबंध मॉडल (GCC) के तहत राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रम (NEBP) के तहत 1,900 (12M) और 1,040 (9M) इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का अनुबंध दिया है। बजट भाषण में, यह घोषणा की गई थी कि इन 1040 (9 मीटर) इलेक्ट्रिक बसों को पहले/अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए संचालित किया जाएगा।

दिल्ली परिवहन निगम-सीईएसएल द्वारा राष्ट्रीय ई बस कार्यक्रम एनईबीपी चरण 1 के तहत 1040 9 मीटर लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसों के वेटलीज

मॉडल में अनुबंध करने के लिए परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर सीईएसएल द्वारा 21.09.2022 को निविदा जारी की गई थी। सफल बोलीदाताओं को 15.05.2023 को एलओए जारी किए गए हैं। दिल्ली परिवहन निगम और ऑपरेटरों के बीच 03.10.2023 को एग्रीमेंट किए गए हैं।

(ख) क्लस्टर–वर्तमान में 280 बसें (9 मीटर) कुशकनाला डिपो में खड़ी हैं तथा द्वारका डिपो में कुछ बसें खड़ी हैं जिनका निविदा के अनुसार स्वदेशीकरण अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस कारण से ये संचालन में नहीं हैं।

(ग) क्लस्टर–संचालन में न होने का कारण OEM/ऑपरेटरों द्वारा RFP/निविदा शर्तों का पालन न करना था, जिसके कारणस कोई खेप प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली परिवहन निगम–ऑपरेटरों के द्वारों एनईवीपी निविदा के अनुसार स्वदेशीकरण अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी के कारण डीटीसी को कोई खेप प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सरकार निविदा शर्तों के गैर–अनुपालन को दूर करने का प्रयास कर रही हैं, निपटान हो जाने के बाद, इन बसों के संचालन के लिए निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) जून 2023 में विधायकों और यात्रियों सहित आम जनता से मार्गों के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए बनाई गई ईमेल आईडी पर प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर 9 मीटर बस सेवाओं के लिए मार्ग तैयार किए गए हैं।

227. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में मैट्रो लाइन का और भी विस्तार किया जायेगा;

(ख) यदि हॉ, तो दिल्ली में मैट्रो लाइन का कुल कितना विस्तार कहां-कहां प्रस्तावित है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सीमा पुरी विधान सभा क्षेत्र को भी मैट्रो से जोड़ा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली में सीमा पुरी विधान सभा की पुनर्वास कालोनी, नई सीमा पुरी, सुंदर नगरी, नंद नगरी, जीटीबी एंकलेव को भी मैट्रो से जोड़ा जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

परिवहन मंत्रीः (क) यह सत्य है कि दिल्ली में मैट्रो लाइन का और भी विस्तार किया जाएगा।

(ख) डीएमआरसी फेस-4 निर्माणाधीन 112.42 किलोमीटर का प्रस्तावित विस्तार

क्र.सं.	विवरण	लंबाई (किमी)	स्टेशन (संख्या)
1.	लाईन-7 एक्सटेंशनः मजलिस पार्क-मौजपुर	12.3188	8
2.	लाईन-8 एक्सटेंशनः जनकपुरी पश्चिम-आर. के. आश्रम	29.262	22

3.	लाईन–10 एरोसिटी–तुगलकाबाद	23.622	15
4.	लाईन–5 एक्सटेंशन: इन्द्रलोक–इन्द्रप्रस्थ	12.377	10
5.	लाईन–11 लाजपत नगर–साकेत जी ब्लॉक	8.385	8
6.	लाईन–1 एक्सटेंशन: रिठाला–कुंडली	26.463	21
	कुल लंबाई	112.427	84

(ग) से (च) मेट्रो परियोजना अत्यधिक पूंजी गहन है, इसलिए परियोजनाओं को चरणों में कार्यान्वित किया जाता है। पूरे शहर को एक ही चरण में मैट्रो नेटवर्क से कवर करना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।

भविष्य में, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर सरकार की मंजूरी के अधीन, उन क्षेत्रों के लिए जहां मैट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं है, मैट्रो सेवाओं पर विचार किया जाएगा।

228. श्री प्रेम चौहान: क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015 में तथा इस समय वर्ष 2025 में दिल्ली सरकार के बसों के बेड़े में (डीटीसी तथा क्लस्टर बसों सहित, अलग–अलग) कुल बसों की संख्या बताएँ;

(ख) विगत दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष बसों की खरीद व परिचालन हेतु दिल्ली सरकार का कितना खर्च था;

(ग) आगामी पाँच वर्षों में दिल्ली सरकार के बसों के बेड़े में, वर्षवार, कितनी नई बसें शामिल करने का लक्ष्य है; और

(घ) 20 फरवरी, 2025 के बाद से दिल्ली सरकार के बसों के बेड़े के मूल्यांकन व वृद्धि हेतु कितनी बैठकें हुई हैं उनके मिनिट्स साझा करें?

परिवहन मंत्री: (क) क्लस्टर–क्लस्टर योजना के तहत बसों की संख्या इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	सक्रिय क्लस्टर बेड़े की संख्या
2014–15	1292
2024–25	3147

दिल्ली परिवहन निगम–दिनांक 01.01.2015 में दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल 4879 बसें थीं। तथा इस समय दिनांक 20.03.2025 को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल 4125 बसें हैं।

(ख) क्लस्टर–क्लस्टर बसों के संचालन के लिए, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा पिछले 10 वित्तीय वर्षों में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (करोड़ रुपये में) निम्नानुसार किया गया:

वित्तीय वर्ष	कुल अंतर (राशि करोड़ में)
2011-12	27.73
2012-13	67.11
2013-14	132.68
2014-15	210.93
2015-16	260.72
2016-17	290.18
2017-18	363.46
2018-19	405.74
2019-20	520.74
2020-21	906.17
2021-22	1,134.29
2022-23	1,604.22
2023-24	1,256.07
2024-25 (Till Feb 25)	1,063.14

(ग) क्लस्टर–परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी ने राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रम (एनईबीपी) के तहत 1,900 (12 मीटर) और 1,040 (9 मीटर) इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का अनुबंध दिया है। उक्त कार्यक्रम में, इन बसों को सकल

लागत मॉडल के तहत खरीदा जाता है। इनका शामिल होना वित्त वर्ष 2026-27 तक पूरा होने की संभावना है।

दिल्ली परिवहन निगम-सीइएसएल द्वारा राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रम (एनइबीपी) चरण-1 के तहत 1040, 9-मीटर लो फ्लोर (400 मिमी) एसी इलेक्ट्रिक-वेटलीज बसों की डिलीवरी संभवतः मार्च 2026 में पूरी कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 2660 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का लक्ष्य है।

(घ) 2 मीटिंग माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में और एक माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग नहीं हुई।

229. श्री विरेन्द्र सिंह कादियानः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन विभाग की कितनी सेवाएँ 'फेसलेस मोड़' में उपलब्ध है;

(ख) विगत पाँच वर्षों में कितने नागरिकों ने परिवहन विभाग की 'फेसलेस सेवाओं' का लाभ उठाया है;

(ग) वित्त वर्ष 2023-24 व 2024-25 में प्रत्येक फेसलेस सेवा के लिए 'क्लियरेंस/अप्रूवल' की दर क्या रही है; और

(घ) फेसलेस मोड़ में प्रस्तुत की जाने वाली सेवाओं में प्रत्येक में पेंडेंसी की मौजूदा स्थिति क्या है?

परिवहन मंत्रीः (क) परिवहन विभाग की 47 सेवाएँ 'फेसलेस मोड़' में उपलब्ध है।

(ख) से (घ) अनुलग्नक संलग्न है।

Annexure - 2

Point 2

No. of Faceless Applications Received related to DL during 19-02-2021 to 24-03-2025 as per sarathi portal as on 25-03-2025

Service/Transaction	No. of Applications Received
ADD A COV TO DL	269
ALTR DL PHOTO+	3
ALTR NAME IN DL	17631
CHANGE DL ADDR.	353271
CHANGE DL DOB	2793
CHNG ADDR IN CL	1247
DL EXTRACT	53847
DLREPLACE	15818
DUPL PSV BADGE	8
HAZRDUS ENDOR.	244
IDP TO DL HOLDR	55249
ISSUE DUPL CL	717
ISSUE DUPL DL.	208617
ISSUE NEW DL.	23
ISSUE OF CL	13761
ISSUE PSV BADGE	55502
LL FOR AEDL	101473
RENEWAL OF CL	35800
RENEWAL OF DL	953762
RENEWAL+ReTest	150
SURRENDER COVS	4
Grand Total	**1870189**

1351C

q/c

Number of Faceless Applications Received related to RC during 19.02.2021 to 24.03.2025 as per vahan database as on 25.03.2025

Service/Transaction	No. of Applications Received
Change of Address in RC	20477
Dealer Issue/Renewal of Trade Certificate	45
Duplicate Permit	1081
Fresh Permit	67974
Hypothecation Addition	238649
Hypothecation Continuation	7032
Hypothecation Termination	534668
Issue of Duplicate RC	188962
Issue of NOC	384538
Permanent Surrender of Permit	52842
Permit Surrender	433
Renewal of Permit	121636
Renewal of Permit Authorization	100071
Retention of Registration No	6096
Transfer of Ownership	1098707
Transfer of Permit	42032
Transfer of Permit (Death Case)	602
Grand Total	**2865845**

Annexure - 3

Point 3

Service/Transaction	No. of Faceless Applications Received and Approved related to DL as per sarathi portal as on 25-03-2025			
	No. of Applications Received		No. of Applications Approved	
	2023-24	2024-25 (till 24-03-2025)	2023-24	2024-25 (till 24-03-2025)
ADD A COV TO DL	1	2	1	2
ALTR NAME IN DL	4146	3675	1740	1690
CHANGE DL ADDR.	83189	79941	79559	72938
CHANGE DL DOB	826	25	61	5
CHNG ADDR IN CL	263	247	212	172
DL EXTRACT	14847	9236	13866	7395
DLREPLACE	3843	3719	3754	3511
HAZRDUS ENDOR.	60	60	45	44
IDP TO DL HOLDR	16896	16488	16405	15789
ISSUE DUPL CL	145	107	122	77
ISSUE DUPL DL.	47517	41105	46401	38429
ISSUE OF CL	4691	1340	4144	959
ISSUE PSV BADGE	12195	8070	10563	6573
LL FOR AEDL	29151	33431	29060	33381
RENEWAL OF CL	7557	9691	7087	9035
RENEWAL OF DL	206888	222047	204929	211029
RENEWAL+ReTest	2	3	1	1
Grand Total	**432218**	**429187**	**417951**	**401030**

Service/Transaction	No. of Faceless Applications Received and Approved related to RC as per vahan database as on 25.03.2025			
	No. of Applications Received		No. of Applications Approved	
	2023-24	2024-25 (till 24-03-2025)	2023-24	2024-25 (till 24-03-2025)
Change of Address in RC	4912	4203	3558	2384
Duplicate Permit	138	72	133	59
Fresh Permit	16807	16820	16737	15972
Hypothecation Addition	70213	69767	69689	65406
Hypothecation Continuation	2108	1730	1943	1173
Hypothecation Termination	123847	97741	118256	83929
Issue of Duplicate RC	46655	38948	42294	31239
Issue of NOC	108424	97852	105661	89465
Permanent Surrender of Permit	12502	11171	11831	10083
Permit Surrender	194	59	194	51
Renewal of Permit	31537	26397	31061	22959
Renewal of Permit Authorization	25837	25898	25668	23769
Retention of Registration No	1591	1696	1581	1630
Transfer of Ownership	291434	268498	281765	238723
Transfer of Permit	11909	9275	11855	8728
Transfer of Permit (Death Case)	55	386	55	336
Grand Total	**748163**	**670513**	722281	595906

Annexure - 4

Cnt 4

No. of Faceless Applications Pending related to DL during 19-02-2021 to 24-03-2025 as per sarathi portal as on 25-03-2025	
Service/Transaction	**No. of Applications Pending**
ADD A COV TO DL	7
ALTR DL PHOTO+	1
ALTR NAME IN DL	1109
CHANGE DL ADDR.	4752
CHANGE DL DOB	219
CHNG ADDR IN CL	26
DL EXTRACT	2716
DLREPLACE	153
DUPL PSV BADGE	0
HAZRDUS ENDOR.	24
IDP TO DL HOLDR	115
ISSUE DUPL CL	24
ISSUE DUPL DL.	2030
ISSUE NEW DL.	1
ISSUE OF CL	534
ISSUE PSV BADGE	1095
LL FOR AEDL	131
RENEWAL OF CL	343
RENEWAL OF DL	8403
RENEWAL+ReTest	5
SURRENDER COVS	0
Grand Total	**21688**

4/c ~~133/c~~

Total number Faceless Applications Pending related RC during 19.02.2021 to 24.03.2025 as per vahan database as on 25.03.2025	
Service/Transaction	**No. of Applications Pending**
Change of Address in RC	5294
Dealer Issue/Renewal of Trade Certificate	8
Duplicate Permit	20
Fresh Permit	1017
Hypothecation Addition	5369
Hypothecation Continuation	996
Hypothecation Termination	33189
Issue of Duplicate RC	19268
Issue of NOC	16623
Permanent Surrender of Permit	1803
Permit Surrender	10
Renewal of Permit	4413
Renewal of Permit Authorization	2437
Retention of Registration No	89
Transfer of Ownership	55956
Transfer of Permit	697
Transfer of Permit (Death Case)	50
Grand Total	**147239**

230. श्री प्रवेश रतनः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने केंद्र मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मौजूदा नियम-कानूनों के अनुपालन में 'ऑटोमेटड फिटनेस टेस्टिंग' सुविधा प्रदान करते हैं;

(ख) क्या दिल्ली में नियम-कानूनों की अवहेलना करते हुए कुछ 'मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग सेंटर' अभी भी काम कर रहे हैं, यदि हाँ, तो कितने और कहाँ-कहाँ; और

(ग) 1 अप्रेल 2024 के बाद से, कितने वाहनों ने इन सेंटरों मं फिटनेस टेस्ट कराया और इनमें से कितने वाहनों ने नियम-कानूनों का उल्लंघन करते हुए मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग सेंटर से टेस्ट कराया?

परिवहन मंत्रीः (क) ऑपरेशन–वर्तमान में एक ऑटोमेटेड परीक्षण फिटनेस केंद्र झुलझुली, दिल्ली में काम कर रहा है।

(ख) ऑपरेशन–वर्तमान में मैनुअल फिटनेस परीक्षण निम्नलिखित टेस्टिंग सेंटर पर नियम 62 CMVR 1989 के अनुसार किया जा रहा है।

1. VIU, बुराड़ी
2. जिला परिवहन कार्यालय, मॉल रोड़
3. जिला परिवहन कार्यालय, मयूर विहार
4. जिला परिवहन कार्यालय, दक्षिण क्षेत्र
5. जिला परिवहन कार्यालय, द्वारका

(ग) ऑपरेशन–वाहन रिकॉर्ड के अनुसार कुल 1,31,285 वाहनों को केंद्रों से मैनुअल फिटनेस मिला, जैसा कि बिंदु ख में सूचीबद्ध है, जिन्हें नियमानुसार फिटनेस मिली है।

231. श्री सही रामः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुशक नाला डिपो पर 8 मीटर की कितनी इलेक्ट्रिक बसें खड़ी हैं तथा ये बसें कितने समय से खड़ी हैं;

(ख) क्या दिसम्बर 2024 और उसके बाद से परिवहन मंत्री द्वारा इस डिपो में इन बसों का निरीक्षण किया गया;

(ग) यदि हां, तो उन परिवहन मंत्री का नाम बताइये;

(घ) अब तक 8 मीटर की इन बसों के परिचालन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ये बसें कब तक सड़कों पर चलने लगेंगी और किन–किन रूटों पर संचालित होंगी, पूण विवरण दें?

परिवहन मंत्रीः (क) कोई 8 मीटर की इलेक्ट्रिक बस शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) पूर्व मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री सुश्री आतिशी ने 03 दिसंबर 2024 को कुशक नाला डिपो और वहां खड़ी बसों का निरीक्षण किया था।

(घ) और (ङ) (क) के मध्य इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

232. श्री प्रवेश रत्नः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में चल रहे सरकारी/अर्धसरकारी ईवी चार्जिंग स्टेशन व ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की कुल संख्या क्या है;

(ख) दिल्ली सरकार की 'सिंगल विंडो' योजना के अंतर्गत कितने 'इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट' लगाए गए हैं; और

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों में कितने सरकारी चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं?

परिवहन मंत्री: (क) इवी शाखा–वर्तमान में, दिल्ली में कुल 3100 चार्जिंग स्टेशन/4793 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। (डिस्कोम द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार)

दिल्ली परिवहन निगम–दिल्ली परिवहन निगम में कनवर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 7 सरकारी और दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा 7 प्राइवेट इवी. चार्जिंग स्टेशन चालित हैं।

(ख) DISCOMS (BRPL, BYPL और TPDDL) द्वारा संचालित सिंगल विंडो स्कीम के तहत, 1607 चार्जिंग पॉइंट्स/625 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के एनसीटी में स्थापित किए गए थे (डिस्कोम द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार)।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम में कनवर्जेस एनजी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 7 सरकारी चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं।

233. श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों की फिटनेज जाँच केवल 'ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों' में ही कराए जाने के संबंध में भारत सरकार का कोई आदेश है, यदि हाँ, तो उसकी

प्रति उपलब्ध कराएँ और दिल्ली में कार्य कर रहे ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों की कुल संख्या व उनकी सूची उपलब्ध कराएँ;

(ख) क्या उस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि ऑटोमेटेड टेस्टिंग केंद्र के अधिकार क्षेत्र में कोई मैनुअल टेस्टिंग सेंटर काम नहीं कर सकता है;

(ग) दिल्ली में ऐसे कितने अधिकारक्षेत्र हैं, उनकी सूची प्रदान करें;

(घ) क्या दिल्ली में अभी भी वाहनों की मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग हो रही है; यदि हाँ, तो ऐसे केंद्रों की सूची दें;

(ङ) दिल्ली में मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग की स्वीकृति किस सक्षम प्राधिकारी ने दी है, संबंधित आदेश की प्रति के साथ विवरण दें;

(च) अप्रेल 2020 से 12 मार्च 2025 तक मैनुअल तथा ऑटोमेटेड माध्यम से कितने वाहनों की जाँच की गई है, महीनेवार विवरण प्रदान करें; और

(छ) दिल्ली में ऑटोमेटेड वाहन जाँच केंद्रों की प्रतिदिन की अधिकतम क्षमता क्या है?

परिवहन मंत्री: (क) नियम 62(1) ख CMVR 1989 के अनुसार वाहनों की फिटनेस ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के माध्यम से की जानी है। नियम 62 CMVR 1989 की प्रति संलग्न है। वर्तमान में दिल्ली में केवल एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन उपलब्ध है जो झुलझुली दिल्ली में स्थित है।

(ख) हाँ नियम में यह प्रावधान है कि जहां नियम 175 CMVR 1989 के तहत पंजीकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में संचालित है, वहां वाहन की फिटनेस केवल ऐसे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से की जाएगी।

(ग) दिल्ली में 6 अधिकार क्षेत्र हैं सूची इस प्रकार है-

1. VIU झुलझूली

2. VIU बुराड़ी

3. जिला परिवहन कार्यालय मॉल रोड़

4. जिला परिवहन कार्यालय मयूर विहार

5. जिला परिवहन कार्यालय दक्षिण क्षेत्र

6. जिला परिवहन कार्यालय द्वारका

(घ) मैनुअल फिटनेस परीक्षण निम्नलिखित केंद्रों से किया जा रहा है-

1. ViU बुराड़ी

2. जिला परिवहन कार्यालय मॉल रोड़

3. जिला परिवहन कार्यालय मयूर विहार

4. जिला परिवहन कार्यालय दक्षिण क्षेत्र

5. जिला परिवहन कार्यालय द्वारका

(ङ) मैनुअल फिटनेस परीक्षण 62 CMVR 1989 के अनुसार किया जा रहा है।

(च) कंप्यूटर शाखा द्वारा उपलब्ध कराई गई डेटा शीट अनुलग्नक ए के रूप में उत्तर के साथ संलग्न है।

(छ) प्रतिदिन दो शिफ्टों में 360 वाहन।

ANNEXURE-A

Point no A

Month Wise number of Fitness issued in Viu Jhuljhuli during 01.04.2020 to 24.03.2025 as per vahan database as on 25.03.2025	
Month	**count**
Jun-20	257
Jul-20	622
Aug-20	413
Sep-20	415
Oct-20	429
Nov-20	337
Dec-20	1170
Jan-21	653
Feb-21	972
Mar-21	1804
Apr-21	561
Jun-21	839
Jul-21	1198
Aug-21	916
Sep-21	1859
Oct-21	1514
Nov-21	1982
Dec-21	2066
Jan-22	1259
Feb-22	1433
Mar-22	2469
Apr-22	1214
May-22	476
Jun-22	1410
Jul-22	1088
Aug-22	931
Sep-22	1062
Oct-22	1198
Nov-22	1472
Dec-22	2067
Jan-23	1693
Feb-23	1649
Mar-23	2396
Apr-23	1022
May-23	658
Jun-23	1675
Jul-23	1664
Aug-23	1558
Sep-23	2017
Oct-23	2209
Nov-23	2246

Point no B

Month wise number Fitness issued during 01.04.2020 to 24.03.2025 (Exc. VIU Jhuljhuli) as per vahan database as on 25.03.2025=131284	
Month	**count**
May-20	29
Jun-20	7776
Jul-20	7515
Aug-20	7090
Sep-20	7716
Oct-20	7340
Nov-20	6884
Dec-20	20775
Jan-21	18350
Feb-21	25828
Mar-21	32895
Apr-21	7245
Jun-21	18748
Jul-21	18918
Aug-21	15470
Sep-21	30622
Oct-21	22507
Nov-21	23926
Dec-21	19675
Jan-22	14980
Feb-22	17623
Mar-22	15932
Apr-22	7678
May-22	5172
Jun-22	11415
Jul-22	8052
Aug-22	8902
Sep-22	11508
Oct-22	10431
Nov-22	11584
Dec-22	16327
Jan-23	18664
Feb-23	21616
Mar-23	22408
Apr-23	11843
May-23	5516
Jun-23	16399
Jul-23	13417
Aug-23	16771
Sep-23	21087
Oct-23	21168

3/c

Annexure-A SS/C

Nov-23	18103
Dec-23	14994
Jan-24	18811
Feb-24	24343
Mar-24	17515
Apr-24	10241
May-24	8117
Jun-24	10742
Jul-24	10795
Aug-24	10381
Sep-24	13115
Oct-24	8550
Nov-24	7319
Dec-24	8922
Jan-25	12268
Feb-25	17147
Mar-25	13688
Grand Total	**832853**

c-23	2372
an-24	2211
Feb-24	2091
Mar-24	2559
Apr-24	1526
May-24	1421
Jun-24	2630
Jul-24	3181
Aug-24	2543
Sep-24	3868
Oct-24	6705
Nov-24	7264
Dec-24	8458
Jan-25	9681
Feb-25	7186
Mar-25	5827
Grand Total	**122396**

234. श्री विरेन्द्र सिंह कादियानः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आज की तिथि में कितने आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट कराते हैं और कितने आरटीओ मैनुअल ड्राइविंग टेस्ट कराते हैं; और

(ख) विगत दस वर्षो में दिल्ली में किए गए मैनुअल व ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट के वर्षवार आँकड़े दें?

परिवहन मंत्रीः (क) वर्तमान में निम्नलिखित श्रेणियों के लिए ड्राईविंग टेस्ट जिला परिवहन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के तहत 12 स्वचालित ड्राईविंग टेस्ट ट्रेक पर टेस्ट लिये जाते हैं:-

हल्का मोटर वाहनर (एल.एम.वी.), मोटर साईकिल (एम.सी.डब्ल्यू), मोटर साईकिल बिना गियरवाली (एम.सी.डब्ल्यू.ओ.जी.), ई-रिक्शा, ई-कार्ट।

वर्तमान में भारी मोटर वाहन के ड्राईविंग टेस्ट निम्नलिखित मेनुअल ड्राईविंग टेस्ट ट्रेक पर लिये जाते हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं:-

(क) ड्राईविंग एवं यातायात अनुसंधान संस्थान (आई.डी.टी.आर.) लोनी रोड़, जिसका रखरखाव एवं संचालन मारुती सूजुकी इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

(ख) ड्राईविंग प्राशिक्षण संस्थान (डी.टी.आई.) बुराड़ी, संचालन जिसका रखरखाव एवं एम एस अशोक लीलैंड द्वारा किया जाता है।

(ख) विगत दस वर्षो में दिल्ली में किए गए मैनुअल व ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट के वर्षवार आंकड़े-

राज्य	वर्ष	मैनुअल	ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट
दिल्ली	2017	40667	0
दिल्ली	2018	340024	0
दिल्ली	2019	363530	0
दिल्ली	2020	319581	0
दिल्ली	2021	313995	35
दिल्ली	2022	330423	159136
दिल्ली	2023	215849	246382
दिल्ली	2024	33841	379124

235. श्री कुलदीप कुमारः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्तमान में डीटीसी और परिवहन विभाग (क्लस्टर योजना) में कुल कितने बस डिपो चल रहे हैं, विगत दस वर्षों से इनकी बस क्षमता व निर्माण वर्ष सहित सूची प्रदान करें;

(ख) वर्तमान में कितने बस डिपो निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं, इन पर आने वाले अनुमानित व्यय, क्षमता व इनके पूरे होने की समयावधि सहित संपूर्ण विवरण दें;

(ग) निर्माणाधीन बस डिपो को समय से पूरा करने हेतु दिनांक 20.02.2025 के बाद से कितनी बैठके की गई, मिनट्स उपलब्ध करायें;

(घ) मौजूदा बस डिपो में से कितने डिपो का (इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन हेतु) विद्युतीकरण किया गया है तथा उन पर कितना खर्च किया गया है; और

(ङ) कितने डिपो का अभी विद्युतीकरण किया जाना है, इनके विद्युतीकरण किये जाने की समय सीमा और उन पर आने वाले अनुमानित खर्च का डिपोवार विवरण दें?

परिवहन मंत्रीः (क) दिल्ली परिवहन निगम–वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम में कुल 44 डिपो हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट क पर उपलब्ध है।

क्लस्टर–डिम्टस दिल्ली में वर्तमान में डीटीसी और परिवहन विभाग (क्लस्टर योजना) में कुल बस डिपो का वर्णन अनुच्छेद एक में संलग्न है।

(ख) वर्तमान में एक बस डिपो सावदा धेवरा में निर्माणधीन है। जिसकी अनुमानित व्यय 46.78 करोड़ है। इसकी क्षमता 200 बसों की होगी और इसकी समयावधि 8 महीने हैं।

(ग) यह कार्य लोक निर्माण विभाग और डीएमआरसी द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग और डीएमआरसी द्वारा की गई बैठकों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(घ) मौजूदा 44 डिपो में से 24 डिपो में विधुतीकरण का कार्य पूरा हो गया है, जिसके खर्च का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	डिपो का नाम	कुल खर्च (लगभग) (रू.)
1.	मुंडेलाकला डिपो	143813469.00
2.	रोहिणी सैक्टर 37 डिपो	493255413.00
3.	राजघाट डिपो	65815598.00
4.	मायापुरी डिपो	71498882.00
5.	नेहरू प्लेस डिपो	77726490.00
6.	रोहिणी डिपो–प्रथम	66887025.00
7.	रोहिणी डिपो–द्वितीय	68191210.00
8.	बी.बी.एम. डिपो	51285351.00
9.	हसनपुर डिपो	150082019.00
10.	सुभाष प्लेस डिपो	72467910.00
11.	वजीरपुर डिपो	65659702.00
12.	सुखदेव विहार डिपो	125987136.00
13.	कालका जी डिपो	112625461.00
14.	नरायणा डिपो	2787815575.00
15.	सावदा घेवरा डिपो	220012331.00

16.	ईस्ट विनोद नगर डिपो	106464618.00
17.	शादीपुर डिपो	105929433.00
18.	नन्द नगरी डिपो	114595731.00
19.	गाजीपुर डिपो	108941136.00
20.	जी.टी. करनाल डिपो	70381452.00
21.	राजघाट डिपो	85033245.00
22.	आई.पी. डिपो	152116000.00
23.	द्वारका डिपो-सैक्टर-2	125974842.00
24.	केशोपुर डिपो	103280020.00

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम के 20 डिपो में विधुतीकरण कार्य अभी पूरा होना है और विधुतीकरण किए जाने की अनुमानित समय सीमा जून, 2026 है, अनुमानित खर्च का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	डिपो का नाम	अनुमानित खर्च (रू.)
1.	श्रीनिवासपुरी डिपो	193871107.00
2.	अम्बेडकर नगर डिपो	195198315.00
3.	नांगलोई डिपो	119780581.00
4.	नांगलोई डिपो	109728103.00

5.	सैन्ट्रल वर्कशॉप ओखला	357121696.00
6.	तेहखण्ड डिपो	235799604.00
7.	वसन्त विहार डिपो	184251512.00
8.	हरी नगर डिपो प्रथम और द्वितीय	403767779.00
9.	सैन्ट्रल वर्कशॉप बी.बी.एम. कॉप्लैक्स	195705925.00
10.	नरेला डिपो	427874285.00
11.	रोहिणी डिपो-तृतीय	494175780.00
12.	रोहिणी डिपो चतुर्थ	374668244.00
13.	कंझावला डिपो प्रथम	394201300.00
14.	द्वारका डिपो सैक्टर-8	235519880.00
15.	घुम्मनहेडा डिपो-प्रथम	502196505.00
16.	खडखडी नाहर डिपो	602151882.00
17.	दिचाउकलां डिपो	208949953.00
18.	बवाना डिपो	530743495.00
19.	सरोजिनी नगर डिपो	250000000.00
20.	नोएडा डिपो	250000000.00

परिशिष्ट-'क'

	North			South			West			East		
S.NO.	Depot Name	Make	Future Status	Depot Name	Make	Future Status	Depot Name	Make	Future Status	Depot Name	Make	Future Status
1	RHN-3	ALL CNG	ALL CNG	TKD	TML CNG	TML CNG	HND-1	TML CNG	TML CNG	NOD	ALL CNG	ALL CNG
2	GTKD	TML CNG	TML CNG	SND	TML CNG	TML CNG	HND-2	TML CNG	TML CNG	RJD-1	ALL CNG	ALL CNG
3	BD	TML CNG	TML CNG	SNPD	TML CNG	Switch Mobility (Cluster)	DWD-8	TML CNG	TML CNG	HPD	TML Electric	TML Electric
4	NRLD	TML CNG	TML CNG	AND	TML CNG	PMI	DKD	TML CNG	TML CNG	RJD-2	JBM Electric	JBM Electric
5	KNJD	TML CNG	TML CNG	OKD	TML CNG	GreenCell	DWD-2	ALL CNG	PMI	NND	TML Electric	TML Electric
6	RHN4	ALL CNG	Switch Mobility (Cluster)	KJD	TML Electric	TML Electric	SPD	ALL CNG	PMI	EVND	Upcoming PMI Electric	Upcoming PMI Electric
7	BBM	TML Electric	TML Electric	SVD	TML Electric	TML Electric	PGD	ALL CNG	PMI	IPD	Upcoming TML Electric	Upcoming TML Electric
8	WPD	TML Electric	TML Electric	NPLD	TML Electric	TML Electric	MPD	TML Electric	TML Electric	GPD	Upcoming JBM Electric	Upcoming JBM Electric
9	SPLD	TML Electric	TML Electric	VVD	Multilevel Parking Depot	Multilevel Parking Depot	ND	TML Electric	TML Electric			
10	RHN-1	TML Electric	TML Electric				MKD	TML Electric	TML Electric			
11	RHN-2	TML Electric	TML Electric				KPD	Upcoming JBM Electric	Upcoming JBM Electric			
12	RHN-37	JBM Electric	JBM Electric				GHD	Vacated	Vacated			
13	NLD	Upcoming JBM Electric	Upcoming JBM Electric				KKND	Vacated	Vacated			
14	Sawda Ghevra	Vacated	Vacated									
TOTAL	14			9			13			8	Grand Total= 44	

Manager (Operation) 26/03/25

Sr. Mgr (Monitoring Cell)

परिशिष्ट-क-II

List of DTC Bus Depot with tentative of Bus to be parked

S.No	Name of Depot	Date of Commissioning	Tentative Bus parking Capacity (In Nos.)	status of
1	Rohini -II	04.02.1985	100	
2	Mayapuri	04.02.1974	100	
3	Nehru Place	10.09.1982	55	
4	BBM	19.11.1954	70	
5	Rohini -I	14.02.1985	100	
6	Naraina	08.08.1975	100	
7	Shadipur	08.07.1956	121	
8	Subash Place	22.12.1984	165	
9	Hasanpur	20.07.1976	160	
10	Kalkaji	31.10.1964	140	
11	East Vinod Nagar	23.08.1985	118	
12	Nangloi	30.05.1980	115	
13	Peeragarhi	22.08.1984	90	
14	Rajghat-I	29.10.2009	150	
15	Sukhdev Vihar	19.05.1975	125	
16	Sarojini Nagar	31.08.1952	100	
17	Sriniwaspuri	28.02.1974	130	
18	Wazirpur	22.12.1973	130	
19	Gazipur	30.05.1988	115	
20	Noida	02.1984	120	
21	Ambedkar Nagar	01.1975	130	
22	Tehkhand	13.02.1984	130	
23	Nand Nagri	28.09.1981	130	
24	Dwarka Depot-2	04.08.2005	130	
25	Dwarka Depot-8	17.05.2005	130	
26	Vasant Vihar	12.08.74	326	
27	Harinagar I & II	30.04.1959	394	
28	Dichaon Kalan	24.12.1972	100	
29	Ghumman Hera-I	20.06.1987	115	
30	Rohini-III	19.07.1985	130	
31	Rohini-IV	05.11.1985	115	
32	Keshopur	22.02.83	130	
33	Kanjhawala-I	02.7.1988	125	
34	Narela	07.02.1989	130	
35	Bawana	06.02.1969	155	
36	GT Karnal Road	05.05.1975	130	
37	Rajghat-II	29.10.2009	50	
38	Mundela Kalan	04.12.2017	100	
39	Rohini Sec-37	19.03.2012	150	
40	CWS-II	30.05.1980	250	
41	Sawada Ghevra	26.03.2021	200	
42	Kharkhari Nahar	05.06.2023	150	
43	I.P Depot	8.1958	180	
44	CWS-I BBM	1.1982	150	

DTC – Operational
– Inoperative

Focus depots –

This information may be taken from operation Department.

Annexure 1: **Details of Cluster Bus depots along with capacity - 26.03.2025**

S. No	Depot Name	Date of Allotment	Capacity including reserve fleet
1	Kushak Nallah	22-07-2011	244
2	BBM-I	06-03-2012	87
3	Kanjhawala	23-06-2011	139
4	Sunehri pullah	09-05-2011	220
5	Okhla-IV & V	17-07-2013	150
6	Dilshad Garden	13-09-2013	130
7	BBM-II	13-05-2016	65
8	Rajghat	17-09-2013	125
9	Seemapuri	17-01-2017	136
10	Kair	05-07-2013	310
11	Dichaon Kalan	25-01-2017	177
12	Dwarka Sec-22	04-02-2019	270
13	Rewla Khanpur	03-01-2020	109
14	Hari Nagar-III	15-10-2019	76
15	Rani Khera- I	13-02-2019	174
16	Bawana Sec-1	13-02-2019	97
17	Rani Khera- II	31-01-2019	147
18	Rani Khera- III	31-01-2019	147
19	Bawana Sec-5	19-03-2020	200
20	Indraprastha	12-12-2019	158
21	Yamuna Vihar	12-12-2019	64
22	Ghumanhera- I	23-11-2021	170
23	Ghumanhera- II	28-12-2021	200
24	Majlis Park (9M Electric)	February 2022	50
25	Shastri Park (9M Electric)	March 2021	50
26	Rohini Sec-37 - II (12 M Electric)	03.11.2023	140
27	Burari - I (12 M Electric)	03.11.2023	160

236. सुश्री आतिशीः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) FAME योजना के अंतर्गत दिल्ली में कितनी बसों की खरीद की गई थी;

(ख) इन बसों की निविदा में क्या स्थानीयकरण का तत्व भी शामिल था, यदि हाँ, तो विवरण दें;

(ग) विगत पाँच वर्षों में FAME योजना के बाहर कितनी क्लस्टर व डीटीसी बसों की खरीद का आदेश दिया गया व इसके लिए RFP/निविदा दस्तावेज का प्रारूप किसने तैयार किया था;

(घ) क्या उक्त निविदाओं में अतिरिक्त स्थानीयकरण का तत्व भी था, यदि हाँ, तो उसका विवरण दें;

(ङ) बस निर्माताओं ने स्थानीयकरण की शर्त का पालन किया है या नहीं, इसे प्रमाणित करने के लिए किन एजेंसियों को अधिकृत किया गया है;

(च) क्या दिल्ली में FAME योजना के बाहर खरीदी गई कोई ऐसी बसें अभी–भी चल रही हैं, जिनमें वांछित स्थानीयकरण प्रमाणपत्र नहीं है, यदि हाँ, तो ऐसी बसों की संख्या; और

(छ) क्या कोई क्लस्टर बस ऑपरेटर ऐसी बसें चला रहे हैं जिनमें प्रमाणपत्र नहीं है, क्या इन ऑपरेटरों को भुगतान किया जा रहा है, यदि हाँ तो उन्हें किए गए भुगतान का विवरण दें?

परिवहन मंत्रीः (क) हालांकि, FAME योजना के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा 1221 (300+921) बसों को अनुबंधित किया गया है, पर यह खरीद नहीं है।

(ख) हाँ, इन बसों की निविदा में Ministry of Heavy Industry के द्वारा दिशा निर्देशित PMP (Phase Manufacturing Program) के अनुरूप ही स्थानीयकरण किया गया।

(ग) क्लस्टर–FAME योजना के बाहर, परिवहन विभाग को NEBP चरण–1 अनुबंध के अंतर्गत 1900 (12 मीटर) इलेक्ट्रिक और 1040 (9 मीटर) इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई थी। संबंधित सफल ऑपरेटरों/बोलीदाताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। RFP/निविदा दस्तावेज कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) द्वारा तैयारा किया गया था।

दिल्ली परिवहन निगम–विगत पाँच वर्षों में FAME योजना के बाहर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा खरीद के आदेशों का विवरण निम्न है:

वर्ष	बसों की संख्या व प्रकार	RFP/निविदा दस्तावेज का प्रारूप को तैयार करने वाली संस्था
2020	1000 एसी सीएनजी बसों की खरीद हेतु	मैसर्स डिमटस परन्तु परिवहन विभाग के पत्र संख्या 48791 दिनांक 11.06.2021 के अनुसार आगामी आदेश तक निवदा को आस्थगन में रखा गया है।

2020	579 बसें FAME योजना के बाहर)	सीईएसएल
2022	1040 इलैक्ट्रिक 9 मीटर एसी बसों के अनुबंध हेतु	सीईएसएल

(घ) उक्त निविदाओं में से 1500 बसों की निविदा में Ministry of Heavy Industry के द्वारा दिशा निर्देशित PMP (Phase Manufacturing Program) के अनुरूप ही स्थानीकरणा किया गया है तथा 1040 इलेक्ट्रिक 9 मीटर एसी बसों की निविदा में स्वदेशीकरण और घटकवार विनिर्माण और उत्पति सूचना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है।

(ङ) मूल उपकरण निर्माता (OEM)/बस निर्माताओं ने RFP और निविदा दस्तावेज के संदर्भ में स्वदेशीकरण की शर्त प्रस्तुत नहीं की है। एआरएआई, आईसीएटी जैसी एजेन्सी नोडल एजेन्सी या सीएमपीआर के नियम 12 के तहत अधिसूचित कोई अन्य परीक्षण एजेन्सी है, जो वाहन स्तर पर 50% से अधिक घरेलू मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए मानदंडों के साथ-साथ स्वदेशीकरण के अनुपालन को प्रमाणित करती है।

दिल्ली परिवहन निगम—हाँ, बस निर्माताओं ने स्थानीयकरण की शर्त का पालन किया है। इसे प्रमाणित करने के लिए ARAI/ICAT/CIRT etc. एजेंसियों को अधिकृत किया गया है तथा बस निर्माताओं द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिनका विवरण इस प्रकार है:

बसों की संख्या व प्रकार	अधिकृत एजेंसियों का नाम
300 ईलेक्ट्रिक 12 मीटर एसी बसों के अनुबंध हेतु	मैसर्स टाटा की 100 बसों के लिए PMP Certificate-ARAI मैसर्स जेबीएम की 200 बसों के लिए PMP Certificate-ICAT
1500 ईलेक्ट्रिक 12 मीटर एसी बसों के अनुबंध हेतु (जिससे 921 बसे FAME योजना के अंतर्गत व 579 बसों को FAME योजना के बाहर)	मैसर्स टाटा की 1500 बसों के लिए-ARAI
1040 ईलेक्ट्रिक 9 मीटर एसी बसों के अनुबंध हेतु	अभी प्रक्रिया में है।

(च) हाँ, परिवहन विभाग के अधीन दिल्ली में 300 (12 मीटर) क्लस्टर बसें हैं, जिन्होंने निविदा शर्तों का अनुपालन नहीं किया है। हालांकि, इस प्रमाणन अनुपालन को प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

(छ) क्लस्टर–जैसा कि बिंदु (च) में बतायाा गया है, 300 (12 मीटर) बसें चल रही हैं, अक्टूबर–2024 तक समझौते के अनुसार भुगतान जारी कर दिया गया है।

फरवरी 2024–अक्टूबर 2024 तक रू. 548593702/– का भुगतान किया जा चुका है।

237. श्री सहीरामः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में क्लस्टर बसों को चलाने के लिए कितने ड्राईवर नियुक्त है;

(ख) 31 मार्च 2025 के बाद दिल्ली में कितनी क्लस्टर बसों का परिचालन बंद हो जायेगा;

(ग) बंद होने वाली क्लस्टर बसों के मौजूदा ड्राइवरों के डिप्लायॅमेंट को लेकर सरकार की क्या योजना है; और

(घ) क्या सरकार की इन क्लस्टर बसों के ड्राइवरों को इलैक्ट्रिक बसों में बतौर ड्राईवर तैनात करने की कोई योजना है?

परिवहन मंत्रीः (क) क्लस्टर बसों के लिए ऑपरेटर द्वारा 8286 ड्राइवर नियुक्त किए गए हैं।

(ख) 31 मार्च 2025 को कोई भी क्लस्टर बस संचालन बंद नहीं होगा। हालांकि, क्लस्टर 6,7,8,9 के अंतर्गत 997 क्लस्टर CNG बसों का अनुबंध अवधि 15 अप्रैल 2025 को पूरा होना है।

(ग) 997 क्लस्टर बसों के अंतर्गत ये ड्राइवर निजी ऑपरेटरों के कर्मचारी हैं। अनुबंध की शर्तें पूरी होने के बाद, ये ड्राइवर किसी अन्य ऑपरेटर से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(घ) यह इलेक्ट्रिक बस संचालन जिसके लिए दिल्ली सरकार ने निजी ऑपरेटरों के साथ समझौता किया है, सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल पर

आधारित है, जहाँ ऑपरेटर परिवहन विभाग को बस संचालन के लिए बस और ड्राइवर प्रदान करेगा।

238. श्री सहीरामः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीटीसी बसों में तैनात संविदा कंडक्टरों और संविदा ड्राईवरों की कितनी संख्या है;

(ख) क्या सरकार की इन संविदा कंडक्टरों और संविदा ड्राईवरों को नियमित (पक्की नौकरी) करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 20 फरवरी, 2025 के बाद से क्या कदम उठाए गए?

परिवहन मंत्रीः (क) वर्तमान में संविदा कंडक्टरों व संविदा ड्राईवरों की संख्या इस प्रकार हैः-

1. डीटीसी बसों पर तैनात संविदा कंडक्टरों की संख्या 12116 है।
2. FCMS के अंतर्गत तैनात संविदा सवाहकों की संख्या 5891 है।

   कुल संख्या-18007

3. डीटीसी बसों पर तैनात संविदा ड्राईवरों की संख्या 4600 है।

(ख) और (ग) तत्काल इस संदर्भ में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

239. श्री कुलदीप कुमारः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक जितनी इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त की गई हैं उनमें से कितनी केंद्र से आंशिक आर्थिक सहायता प्राप्त हैं,

(ख) आज तक खरीदी गई इ-बसों की, निविदावार, औसत लागत क्या है व इनमें से कितनी राशि का वहन केंद्र सरकार ने किया है व कितनी राशि दिल्ली सरकार ने दी है; और

(ग) आज तक खरीदी गई इ-बसों की, एक वर्ष की व बसों के 12 वर्षीय जीवनकाल की, निविदावार औसत परिचालन लागत क्या है व इस परिचालन लागत में से कितनी राशि का वहन केंद्र सरकार ने किया है व कितनी राशि दिल्ली सरकार ने दी है?

परिवहन मंत्रीः (क) क्लस्टर–क्लस्टर योजना के तहत आज की तारीख में चार सौ इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। इनमें से 100 फर्स्ट/लास्ट माइल कनेक्टिविटी (फीडर 9 मीटर ई-बसें) केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ खरीदी गई हैं।

दिल्ली परिवहन निगम–

दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा अनुबंधित बसों की संख्या	केंद्र से आंशिक आर्थिक सहायता प्राप्त बसों की संख्या
300 इलेक्ट्रिक बसें FAME योजना के अंतर्गत	300 (रूपये 55 लाख प्रति बस)
1500 इलेक्ट्रिक बसें CESL के ग्रैंड चैलेंज के अंतर्गत	921 (रूपये 45.26 लाख प्रति बस)
1040 इलेक्ट्रिक बस (एनइबीपी) चरण-1 CESL	शून्य

(ख) क्लस्टर–परिवहन विभाग ने आज की तारीख तक कोई इलेक्ट्रिक बस नहीं खरीदी है। परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल की गई। इन बसों का अनुबंध जीसीसी मॉडल के तहत किया गया था, जहां केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बस खरीदने के लिए ऑपरेटर को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता है।

दिल्ली परिवहन निगम–अभी तक, दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा कोई इलेक्ट्रिक बस नहीं खरीदी गई है।

(ग) क्लस्टर–परिचालन व्यय (वीजीएफ) जीएनसीटीडी द्वारा वहन किया जाएगा।

दिल्ली परिवहन निगम–

दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा अनुबंधित बसों की संख्या	प्रथम वर्ष की अनुमानित परिचालन लागत (रूपये में)	10/12 वर्षो की अनुमानित परिचालन लागत (रूपये में)
300 इलेक्ट्रिक बसें FAME योजना के अंतर्गत	162.48 करोड़	1824.28 करोड़ (10 वर्ष)
1500 इलेक्ट्रिक बसें CESL के ग्रैंड के अंतर्गत	498.65 करोड़	6687.87 करोड़ (12 वर्ष)
1040 इलेक्ट्रिक बस (एनइबीपी) चरण-1 CESL	325.13 करोड़	4593 करोड़

उपरोक्त परिचालन लागत का वहन दिल्ली सरकार द्वारा किया जाना है।

240. श्री कुलदीप कुमारः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई, 2020 से प्रतिवर्ष वाहन की श्रेणीवार दी गई राशि का विवरण दें व लाभान्वित ईवी वाहन क्रेताओं की संख्या बताएँ;

(ख) दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 के अंतर्गत रोडटेक्स की संपूर्ण छूट से कितने ईवी वाहन क्रेता लाभान्वित हुए हैं, वर्ष 2020 से वाहन श्रेणीवार रोडटेक्स लाभ की जानकारी (रुपयों में) दें;

(ग) विगत पाँच वर्षों में दिल्ली में पंजीकृत सभी वाहनों में ईवी वाहनों की बिक्री का प्रतिशत बताएँ;

(घ) दिल्ली ईवी पॉलिसी को अंतिम बार 2024 में बढ़ाया गया था, उसके बाद से दिल्ली ईवी पॉलिसी के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है;

(ङ) दिल्ली ईवी पॉलिसी के अंतर्गत कुल अनुमानित बकाया प्रोत्साहन राशि कितनी है, जिसे दिया जाना शेष है; और

(च) बकाया प्रोत्साहन राशि के समय पर वितरण की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 20.02.2025 के बाद से कितनी बैठकें की गई हैं, बैठकों के मिनिट्स दें?

परिवहन मंत्रीः (क) विभिन्न वाहन श्रेणियों के दिल्ली ईवी नीति 2020 के तहत दी गई प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है (प्रोत्साहन पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)

	2020	2021	2022	2023
दो पहिया वाहन	0.39 करोड़ रूपये	2.41 करोड़ रूपये	35.48 करोड़ रूपये	26.50 करोड़ रूपये
तीन पहिया वाहन	3.25 करोड़ रूपये	20.37 करोड़ रूपये	55.43 करोड़ रूपये	21.32 करोड़ रूपये
चार पहिया वाहन	1.73 करोड़ रूपये	9.08 करोड़ रूपये	2.37 करोड़ रूपये	0.015 करोड़ रूपये

2,19,992 इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या को दिल्ली ईवी नीति 2020 (वाहन डेटाबेस के अनुसार) के तहत रोड़ टैक्स की छूट प्रदान की गई है।

(ख) 2,19,992 इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या को दिल्ली ईवी नीति 2020 (वाहन डेटाबेस के अनुसार) के तहत रोड़ टैक्स की छूट प्रदान की गई है। हालांकि सड़क कर लाभ (रुपये में) वाहन डेटाबेस पर उपलब्ध नहीं है।

वाहन श्रेणीवार	कुल इलेक्ट्रिक वाहन सड़क कर छूट
दो पहिया वाहन	109919
तीन पहिया वाहन	83724
चार पहिया वाहन	24215
अन्य वाहन	2134
कुल	2,19,992

(ग) पिछले पांच वर्षों में दिल्ली में पंजीकृत सभी वाहनों के बीच ईवी वाहन की बिक्री का प्रतिशत है:

(वाहन डेटा बेस के अनुसार)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
प्रतिशत ईवी वाहन	2.70%	7.73%	10.51%	11.77%	11.33%	9.39%

(घ) दिल्ली ईवी नीति 2020 को अंतिम बार 17.12.2024 को पूर्वव्यापी प्रभाव को साथ 01.01.2024 से 31.038.2025 तक बढ़ाया गया था। नीति के विस्तार के बाद प्रोत्साहन राशि का वितरित किया जाना है।

(ङ) वर्तमान में बकाया प्रोत्साहन राशि 48.36 करोड़ रुपये डिसबर्स्ड होना है।

(च) 20.02.2025 के बाद इस संबंध में कोई भौतिक बैठक आयोजित नहीं की गई है।

241. श्री प्रेम चौहान: क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार के स्कूलों से 12 वीं से पासआउट होने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर देने की योजना पर 20 फरवरी 2025 के बाद से दिल्ली सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ख) इस योजना का क्या प्रारूप है तथा इस योजना के लिए क्या पात्रता रहेगी; और

(ग) इस योजना की शुरूआत कब होगी?

परिवहन मंत्रीः (क) से (ग) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

242. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या माननीय **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा कुल कितनी बसों को नियमित रूप से चलाया जा रहा है, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या विभाग द्वारा उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो फीडर बस चलाये जाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण रूट सहित दें;

(घ) क्या विभाग द्वारा पीक ऑवर्स में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नये बस रूटों पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण दें?

परिवहन मंत्रीः (क) क्लस्टर–मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली क्लस्टर तथा डीटीसी बसों द्वारा संचालित बस मार्गों की सूची अनुलग्नक क एवं ख में दी गई है।

(ख) और (ग) इस कार्य की प्रक्रिया जारी है।

(घ) और (ङ) नए बस रूटों के परिचालन हेतु रूट रैस्नलाइजेशन की प्रक्रिया जारी है।

परिशिष्ट -'क'

Routes Orginating & Passing through Mustafabad Vidhan Sabha Constituency

S.No.	Route No.	From	To	DTC Sch. Buses
1	33	Bhajan Pura	Noida Sec-43 P. C. Sadar Pur	12
2	33A	Badar Pur Khadar Shank No. 27	Shashi Chowk Noida Sec-36/37	2
3	165	Anand Vihar ISBT	Shahbad Dairy	26
4	165A	Anand Vihar ISBT	Shahbad Dairy	19
5	206A	Bhajan Pura	Mayur Vihar Ph-III	5
6	208A	Harsh Vihar	Karampura Terminal	7
7	210	Kendriya Terminal	Harsh Vihar	9
8	212	Anand Parbat	Anand Vihar ISBT	22
9	227A	Old Delhi Rly. Station	Karawal Nagar Pusta (SBS Colony Gali No-4)	9
10	229	Nand Nagri Terminal	Inderlok Metro Station	9
11	234	Karampura Terminal	Harsh Vihar	37
12	235	Wazir Pur JJ Colony	Nand Nagri Terminal	20
13	244	Nand Nagri Terminal	Nehru Place Terminal	3
14	248	Mori Gate (T)	Johri Pur	2
15	253	Mori Gate (T)	Yamuna Vihar Terminal	15
16	258	Mori Gate (T)	Chauhan Patti	8
17	258SPL	N.D. Rly. Station G.No. 2	Sabha Pur Village	1
18	259	Jahangir Puri E-Block	Harsh Vihar	19
19	261	Sarai Kale Khan (ISBT)	Nand Nagri (T)	7
20	333	Jahangir Puri E-Block	Anand Vihar ISBT	6
21	971	Anand Vihar ISBT	Rohini Sec-1 Avantika	40
22	971A	Anand Vihar ISBT	BH-Block, Shalimar Bagh	5
23	YAMUNA MUDRIKA(+)	Kashmere Gate City Bus Terminal	Kashmere Gate City Bus Terminal	5
24	YAMUNA MUDRIKA (-)	Kashmere Gate City Bus Terminal	Kashmere Gate City Bus Terminal	5
25	OMS (+)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	16
26	OMS (-)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBT	17
Total Buses				**326**

(ख)

अनुलग्नक 1: लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली क्लस्टर बसों द्वारा संचालित बस मार्गों की सूची

क्रमांक	डिपो का नाम	मार्ग संख्या	से	तक	संचालन के लिए निर्धारित क्लस्टर बसों की संख्या
1	बुराड़ी-1	OMS (-)	बुराड़ी क्रॉसिंग	बुराड़ी क्रॉसिंग	15
2	बुराड़ी-1	OMS (+)	बुराड़ी क्रॉसिंग	बुराड़ी क्रॉसिंग	15
3	बुराड़ी-1	YMS (-)	मोरी गेट टर्मिनल	मोरी गेट टर्मिनल	10
4	बुराड़ी-1	YMS (+)	मोरी गेट टर्मिनल	मोरी गेट टर्मिनल	10
5	दिलशाद गार्डन	469	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	अंबेडकर नगर	9
6	दिलशाद गार्डन	623	शाहदरा टर्मिनल	नांगल देवत गांव	10
7	दिलशाद गार्डन	702	शाहदरा टर्मिनल	एआरएसडी कॉलेज/धौला कुआं	4
8	दिलशाद गार्डन	336A	न्यू सीमा पुरी	मुनिरका गांव	7
9	घुमनहेड़ा-1	740EXT	उत्तम नगर टर्मिनल	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	14
10	घुमनहेड़ा-2	740	उत्तम नगर टर्मिनल	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	6
12	घुमनहेड़ा-2	OMS (-)	उत्तम नगर टर्मिनल	उत्तम नगर टर्मिनल	15
13	घुमनहेड़ा-2	OMS (+)	उत्तम नगर टर्मिनल	उत्तम नगर टर्मिनल	15
14	इंद्रप्रस्थ	307	त्रिलोक पुरी 27 ब्लॉक टर्मिनल	कमला मार्केट/अजमेरी गेट	10
15	इंद्रप्रस्थ	317	शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल	शाहदरा टर्मिनल	6
16	इंद्रप्रस्थ	320	शाहदरा टर्मिनल	केन्द्रीय टर्मिनल	3
17	इंद्रप्रस्थ	340	न्यू सीमा पुरी	केन्द्रीय टर्मिनल चर्च रोड	6
18	इंद्रप्रस्थ	359	शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल	मयूर विहार फेज III (टी) पेपर मार्केट	7
19	इंद्रप्रस्थ	370	केन्द्रीय टर्मिनल	नंद नगरी टर्मिनल	2
20	इंद्रप्रस्थ	390	केन्द्रीय टर्मिनल	त्रिलोक पुरी 13 ब्लॉक	1
21	इंद्रप्रस्थ	391	कल्याण पुरी टर्मिनल	केन्द्रीय टर्मिनल चर्च रोड	5
22	इंद्रप्रस्थ	473	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	बदरपुर बॉर्डर टर्मिनल	10
23	राजघाट	39	झील टर्मिनल	त्रि नगर जय माता मार्केट	12

क्रमांक	डिपो का नाम	मार्ग संख्या	से	तक	संचालन के लिए निर्धारित क्लस्टर बसों की संख्या
24	राजघाट	85	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	पंजाबी बाग टर्मिनल	10
25	राजघाट	310	झील टर्मिनल	इंद्रपुरी टर्मिनल	4
26	सीमा पुरी	85	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	पंजाबी बाग टर्मिनल	9
27	सीमा पुरी	85Ext	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	वेस्ट एन्क्लेव	9
28	सीमा पुरी	88A	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	जय माता मार्केट	7
29	सीमा पुरी	OMS (-)	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	11
30	सीमा पुरी	OMS (+)	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	आनंद विहार आईएसबीटी टर्मिनल	11
31	शास्त्री पार्क	MC-137	शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन	मयूर विहार फेज III (टी) पेपर मार्केट	13
32	यमुना विहार	274	बाबरपुर एक्सटेंशन	ओखला एक्सटेंशन (अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव)	9
कुल					275

243. श्री विशेष रविः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्भवती महिलाओं को 21000 रु. मानदेय देने के लिए 20 फरवरी, 2025 के बाद से क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गर्भवती महिलाओं को 21000 रु. मानदेय देने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस योजना से लाभ उठाने के लिए योग्यता मानदंड एवं प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करें?

मुख्यमंत्रीः (क) और (ग) गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना की पारदर्शी क्रियांवयन हेतु सभी विशिष्ट मापदंडों पर संबंधित विभागों के बीच विचार-विमर्श कर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

244. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर/वर्कर/हेल्पर वर्तमान में स्थायी तौर पर कार्यरत है, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या विभाग द्वारा उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में उपरोक्त पदों पर कांट्रैक्ट के आधार पर लोगों को लगया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उन्हें कितना मानदेय प्रतिमाह मिलता है, पूर्ण विवरण दें;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में वर्कर/हेल्पर के पद पर कांट्रैक्ट के आधार पर आने वाले समय में भर्तियां की जाएगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो कितनी, पूर्ण विवरण दें?

मुख्यमंत्रीः (क) वर्तमान में मुस्तफावाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 02 आंगनवाड़ी सुपरवाइजर स्थायी तौर पर कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त मुस्तफावाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 277 आंगनवाड़ी वर्कर एवं 278 आंगनवाड़ी हेल्पर कार्यरत हैं जो मानद/अवैतनिक कार्यकर्ता की श्रेणी में आती हैं।

(ख) जी हाँ, विभाग द्वारा उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में सुपरवाइजर के पद पर कांट्रैक्ट एवं आउटसोर्स के आधार पर लोगों को लगाया गया है।

(ग) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में कुल 06 सुपरवाइजर को कांट्रैक्ट एवं आउटसोर्स के आधार पर लगाया गया है। इनके मासिक वेतन का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	पद के नाम	कार्यरत संख्या	मासिक वेतन
1.	सुपरवाइजर (कांट्रैक्ट)	1	रूपये 43,800/–
2.	सुपरवाइजर (आउटसोर्स)	5	रूपये 23,836/–

(घ) आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर मानद/अवैतनिक कार्यकर्त्ता की श्रेणी में आती हैं, जो मासिक मानदेय के भुगतान पर बाल विकास के क्षेत्र में अपनी

सेवाएं प्रदानन करती हैं। इन पदों पर भर्ती महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार विभाग के सम्बंधित जिला अधिकारी के स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा समय-समय पर की जाती है।

(ङ) उपरोक्त अनुसार।

245. श्री संजीव झाः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना के लिए 8 मार्च 2025 को एक कमेटी के गठन की घोषणा की गयी थी;

(ख) क्या इस कमेटी का गठन पूरा हो गया है;

(ग) यदि हॉ, तो क्या अभी तक कमेटी की कोई औपचारिक बैठक हुई है;

(घ) यदि हॉ, तो उस कमेटी की बैठक में क्या फैसले लिए गए, उनसे अवगत करवाये;

(ङ) महिला समृद्धि योजना में इलिजिबल होने की पात्रता क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा होली/दीवाली में मुफ्त सिलेंडर देने की कोई योजना है; और

(छ) सरकार द्वारा महिलाओं को होली/दीवाली में मुफ्त सिलेंडर देने की दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

मुख्यमंत्रीः (क) हाँ।

(ख) प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिसूचना के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ग) नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) योजना के विस्तृत दिशा–निर्देशों के तैयार होने के बाद, इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

(च) योजना विचाराधीन है।

(छ) योजना विचाराधीन है।

246. श्री संजय गोयलः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा विधान सभा में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं, विवरण दें;

(ख) शाहदरा विधान सभा में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कितने बच्चे लाभ ले रहे हैं, विवरण दें;

(ग) शाहदरा विधान सभा में आंगनवाड़ी केंद्रों के सभी कर्मचारियों का विवरण दें;

(घ) आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने संबंधी मानकों का विस्तार से विवरण दें;

(ङ) क्या शाहदरा विधान सभा के सभी आंगनवाड़ी केंद्र क्या इन मानकों पर खरा उतरते हैं, विवरण दें;

(च) यदि नहीं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी, उसका क्या परिणाम हुआ, विस्तारपूर्वक विवरण दें;

(छ) शाहदरा विधान सभा के विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली योजना के लाभार्थियों का विस्तार से विवरण दें; और

(ज) शाहदरा विधान सभा के आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण तथा उनके सुधार हेतु क्या कार्य किये गये, विवरण दें?

मुख्यमंत्रीः (क) शाहदरा विधान सभा क्षेत्र में 105 आंगनवाड़ी केंद्र हैं।

(ख) शाहदरा विधान सभा क्षेत्र में 5907 बच्चे लाभ ले रहे हैं।

(ग) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 104 आंगनवाड़ी वर्कर एवं 105 आंगनवाड़ी हेल्पर कार्यरत हैं।

(घ) आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है-

भारत सरकार के जनसंख्या मानदंडों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र सम्बंधित परियोजना में लक्षित लाभार्थियों को ICDS सेवाएँ प्रदान करने हेतु उपयुक्त क्षेत्र में खोला जाता है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है–

1. 400-800 की जनसंख्या पर एक नया आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करना।
2. पीने के पानी, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ जगह की उपलब्धता को देखना।
3. आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना।

(ङ) जी हाँ।

(च) उपरोक्त अनुसार।

(छ) शाहदरा विधान सभा के विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली योजना के पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:-

गर्भवती महिलाऐं-688

धात्री माताएं-838

7 माह के वर्ष तक के बच्चे-784

1-3 वर्ष तक के बच्चे-3561

3-6 वर्ष तक के बच्चे-1562

(ज) आंगनवाड़ी केंद्रों में निरीक्षण प्रतिदिन सुपरवाइजर एवं ब्लाक कोऑर्डिनेटर द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर परियोजना एवं अधिकारी जिला कार्यालय व मुख्यालय द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। विभाग द्वारा प्रत्येक केंद्र में वजन व लम्बाई मापने की मशीन दी जाती है। जिसमें लाभार्थियों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है। सभी केन्द्रों में बच्चों के लिए खेल पिटारा किट भी उपलब्ध कराई गयी है जिससे शालापूर्व शिक्षा के स्तर में सकारात्मक सुधार लाया गया है। सभी आंगनवाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है और इस पर सभी लाभार्थियों का पूर्ण विवरण पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध रहता है।

247. सुश्री शिखा रॉय: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली में, विशेषकर ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में, सक्रिय/निष्क्रिय आँगनवाड़ी केंद्रों का विवरण है;

(ख) यदि हाँ, तो विवरण दें;

(ग) क्या सरकार की निष्क्रिय आँगनवाड़ियों को पुनः सक्रिय करने की कोई योजना है;

(घ) क्या सरकार की नए आँगनवाड़ी केंद्र खोलने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हाँ, तो विवरण दें; और

(च) सरकार का इन नए केंद्रों के माध्यम से कितनी महिलाओं के लिए रोज़गार सृजन का लक्ष्य है?

मुख्यमंत्रीः (क) जी हाँ। दिल्ली में, विशेषकर ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में, सक्रिय आंगनवाड़ी केंद्रों का विवरण मौजूद है। तथा निष्क्रिय आंगनवाड़ी कोई नहीं है।

(ख) ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में कुल 50 आंगनवाड़ी केंद्र सक्रिय रूप से संचालित है, जिनका विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ग) उपरोक्त अनुसार।

(घ) भारत सरकार द्वारा फिलहाल कोई नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की संस्तुति प्रदान नहीं की गई है।

(ङ) उपरोक्त अनुसार।

(च) उपरोक्त अनुसार।

अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

248. सुश्री आतिशीः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 मार्च 2025 को हुई दिल्ली सरकार कैबिनेट की बैठक के दौरान दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लागू करने के सम्बंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इससे जुड़ा कैबिनेट नोटिफिकेशन साझा करें;

(ग) कैबिनेट के फैसले के बाद क्या महिला एवं बाल विकास विभाग ने कोई नोटिफिकेशन निकाला;

(घ) अगर हां तो उसे साझा करें;

(ङ) क्या कैबिनेट की बैठक में 4 सदस्यों की समिति बनी है;

(च) यदि हां, तो उस समिति की अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं तथा इन बैठकों के मिनिटस आफ मीटिग साझा करें;

(छ) क्या अभी तक महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता तय हुई है;

(ज) यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दीजिए;

(झ) क्या महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है;

(ञ) यदि नहीं, तो रजिस्ट्रेशन कब तक शुरू होगा;

(ट) दिल्ली में कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा;

(ठ) महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र महिलाओं को 2500 प्रतिमाह मिलना कब शुरू होगा, और

(ड) कालकाजी विधानसभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये कब से मिलना शुरू होगा?

मुख्यमंत्रीः (क) कैबिनेट निर्णय संलग्न है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) प्रस्ताव को अनुमोदन और अधिसूचना जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) हाँ।

(च) नहीं।

(छ) योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों के तैयार होने के बाद, इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

(ज) –

(झ) जैसे ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा और योजना तथा पोर्टल के दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(ञ उपरोक्तानुसार।

(ट) सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जायेगा।

(ठ) जैसे ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा और योजना तथा पोर्टल के दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(ड) उपरोक्तानुसार।

CABINET MATTER

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)
DELHI SECRETARIAT, I. P. ESTATE, NEW DELHI

CABINET MEETING No.2

CABINET DECISION NO. 3178 DATED 08.03.2025

Subject: Mahila Samriddhi Yojana (MSY) for financial benefit of Rs. 2,500/- per month to eligible women beneficiaries in National Capital Territory of Delhi.

Decision: The Council of Ministers approved the following as under:-

a) Implementation of the scheme 'Mahila Samriddhi Yojana'.
b) Approved allocation of Rs.5100/- Crores for the scheme in the budget.
c) To formulate detailed guidelines and implementation, a Committee will be constituted under the chairpersonship of Hon'ble Chief Minister and three Ministers – Shri Pravesh Sahib Singh, Minister (PWD); Shri Ashish Sood, Minister (Home) and Shri Kapil Mishra, Minister (Law).
d) Portal to be made ready at the earliest possible for online registration.

-Sd/-

(Dharmendra)
Secretary to the Cabinet

No.F.53/724/GAD/CN/2025/202-211 Dated: 08.03.2025

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
2. Spl. Secretary to Chief Minister, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. Secretary to Minister (PWD), Govt. of NCT of Delhi.
4. Secretary to Minister (Home), Govt. of NCT of Delhi.
5. Secretary to Minister (Industries), Govt. of NCT of Delhi.
6. Secretary to Minister (Social Welfare), Govt. of NCT of Delhi.
7. Secretary to Minister (Law & Justice), Govt. of NCT of Delhi
8. Secretary to Minister (Health & Family Welfare), GNCT of Delhi
9. Secretary (WCD), WCD Department, GNCT of Delhi.
10. Staff Officer to Chief Secretary, GNCTD, Delhi Sectt., New Delhi.

8.3.25

(Navin Kumar Choudhary)
Addl. Chief Secretary (GAD)

249. चौधरी जुबैर अहमदः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए किसी समिति का गठन किया गया;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन कब हुआ और इस समिति में कौन-कौन सदस्य है;

(ग) गठन के बाद से महिला समृद्धि योजना समिति की कितनी बैठकें हुई है;

(घ) दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लागू करने की दिशा में सरकार ने अब तक कौन-कौन से प्रशासनिक कदम उठाए हैं;

(ङ) दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया कितनी सुगम बनाई गई है; और

(च) सीलमपुर विधानसभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये कब से मिलना शुरू होंगे?

मुख्यमंत्रीः (क) हाँ, 08 मार्च 2025 को कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी। इस समिति की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, और इसमें तीन मंत्री सदस्य होंगे।

(ख) कैबिनेट निर्णय संख्या 3178, दिनांक 08.03.2025 के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने महिलास समृद्धि योजना के विस्तृत दिशाा-निर्देश तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय

लिया। इस समिति में तीन मंत्रियों, श्री प्रवेश साहिब सिंह (मंत्री, पीडब्ल्यूडी), श्री आशीष सूद (मंत्री, गृह) और श्री कपिल मिश्रा (मंत्री, कानून) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जिसका प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिसूचना के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ग) अभी कोई बैठक नहीं हुई है।

(घ) योजना का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है, और दिशा-निर्देश तैयार हो रहे हैं।

(ङ) योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों के तैयार होने के बाद, इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

(च) योजना की अधिसूचना और दिशा-निर्देशों के लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

250. श्री सोम दत्त: क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक परिवार की कितनी महिलाएं महिला समृद्धि योजना का लाभ उठा सकती है;

(ख) दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना की जानकारी को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या प्रयास कर रही है;

(ग) योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए सरकार ने कौन-कौन से पारदर्शी उपाय अपनाए है; और

(घ) सदर बाजार विधानसभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये कब से मिलना शरू होंगे?

मुख्यमंत्रीः (क) योजना के दिशा-निर्देशों के तैयार होने के बाद, यह जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

(ख) योजना के दिशा-निर्देश प्रक्रियाधीन है।

(ग) योजना के दिशा-निर्देश प्रक्रियाधीन है।

(घ) जैसे ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा और योजना तथा पोर्टल के दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

251. श्री इमरान हुसैनः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के 18 से 60 वर्ष आयु की कितनी महिलायें हैं तथा इनमें से कितनी महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र हैं;

(ख) सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत अब तक कितनी राशि का वितरण किया है;

(ग) यदि कोई पात्र महिला आवेदन करने से वंचित रह जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है; और

(घ) बल्लीमारान विधान सभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये कब से मिलना शुरू होंगे?

मुख्यमंत्रीः (क) सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जायेगा।

(ख) सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5100 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

(ग) यदि कोई पात्र महिला आवेदन करते समय किसी भी समस्या का सामना करती है, तो विभाग औरद जिला कार्यालय उसे सभी अन्य योजनाओं की तरह सहायता प्रदान करेंगे।

(घ) जैसे ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा और योजना तथा पोर्टल के दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

252. श्री इमरान हुसैनः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत अबतक कितनी गर्भवती महिलाओं को 6 न्यूट्रीशन किट बांटे गए हैं; और

(ख) क्या दिल्ली सरकार द्वारा 20 फरवरी के बाद से इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर कोई प्रारूप तैयार किया गया है?

मुख्यमंत्रीः (क) और (ख) मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना की पारदर्शी क्रियांवयन हेतु सभी विशिष्ट मापदंडों पर संबंधित विभागों के बीच विचार-विमर्श कर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

253. श्री मुकेश कुमार अहलावतः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला समृद्धि योजना को शुरू करने के लिए मूल रूप से प्रस्तावित समय सीमा क्या है;

(ख) क्या इस विषय पर 20 फरवरी 2025 को हुई पहली केबिनेट बैठक के दौरान कोई चर्चा की गयी थी;

(ग) योजना की पहली किस्त मिलने में देरी होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार इस योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि की निगरानी कैसे कर रही है; और

(ङ) सुल्तानपुरी माजरा विधान सभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये कब से मिलना शुरू होंगे?

मुख्यमंत्रीः (क) प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिसूचना के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ख) 20 फरवरी 2025 को हुई पहली कैबिनेट बैठक में 'महिला समृद्धि योजना' से सम्बंधित कोई चर्चा नहीं की गयी थी।

(ग) जैसे ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा और योजना तथा पोर्टल के दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और इसके बाद पात्र महिलाओं को भुगतान किया जाएगा।

(घ) योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों के तैयार होने के बाद, इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

(ङ) जैसे ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा और योजना तथा पोर्टल के दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

254. श्री मुकेश कुमार अहलावतः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा 14 मार्च, 2025 को होली के दिन दिल्ली की महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिया गया;

(ख) क्या दिल्ली सरकार द्वारा आगामी सालों में होली और दीपावली के त्यौहार पर महिलाओं को फ्री सिलेंडर देने की कोई योजना बनाई गई;

(ग) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक बनाई जायेगी;

(घ) क्या सरकार की इस योजना का लाभ दिल्ली की सभी गृहणियों को मिलेगा या फिर उज्जवला योजना से जुड़ी चुनिन्दा महिलाओं को ही;

(ङ) 20 फरवरी, 2025 के बाद से दिल्ली में गरीब परिवारों की महिलाओं को अब तक कुल कितने गैस सिलेंडर रूपये 500/– की रियायती दर पर वितरित किये गए हैं;

(च) अगर गरीब परिवार की महिलाओं को रूपये 500/– की रियायती दर पर गैस सिलेंडर वितरित नहीं किये गए तो उसका क्या कारण रहा;

(छ) क्या दिल्ली सरकार ने गरीब परिवार की महिलाओं को रूपये 500/– की रियायती पर गैस सिलेंडर देने को लेकर कोई योजना बनाई है;

(ज) क्या 20 फरवरी, 2025 के बाद से इस योजना का कोई प्रारूप बनाया गया है; और

(झ) यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी साझा करें?

मुख्यमंत्रीः (क) योजना विचाराधीन है।

(ख) से (झ) उपरोक्त अनुसार।

255. श्री प्रेम चौहानः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवार को बेटी की शादी के समय 50,000 रूप्ये की आर्थिक सहायता देने की योजना पर 20 फरवरी 2025 के बाद से दिल्ली सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ख) यदि अब तक योजना शुरू नहीं हुई है तो इसकी शुरूआत कब होगी; और

(ग) इस योजना की पात्रता क्या रहेगी?

मुख्यमंत्रीः (क) इस समय, विभाग महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन पर ध्यान दे रहा है। अन्य योजनाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उचित कदम उठाए जाएंगे।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों के तैयार होने के बाद, पात्रता से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक किया जाएगा।

256. श्री अनिल झाः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षो में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कितने नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं तथा वर्तमान में किराड़ी में कुल कितने राशन कार्ड धारक (APL, BPL एवं अंत्योदय कार्ड) है;

(ख) इस क्षेत्र में नये राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया किस स्तर तक पहुंची है और क्या इस संबंध में कोई नई योजनायें लागू की जा रही हैं;

(ग) नये बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड जारी करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें कितना समय लगता है;

(घ) बीपीएल कार्ड के लिये कुल कितने नये आवेदन प्राप्त हुये हैं, और उसमें से कितने स्वीकृत किये गये हैं; और

(ङ) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कितनी उचित मूल्य की दुकानें (राशन दुकानें) संचालित हो रही हैं तथा विभाग द्वारा इन दुकानों की निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

खाद्य और आपूर्ति मंत्रीः (क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में (01.03.2015 से 28.02.2025) 12293 राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

विवरण निम्नलिखित हैं-

AAY - 887

PR-S - 2,394

PR - 48,615

Total - 51,896

(ख) भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 तय की गई है और इतने ही लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा चुके है। राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

(ग) वर्तमान में बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे।

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार।

(ङ) 41, विभाग द्वारा इन दुकानों की निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु खाद्य संभरण निरीक्षक, खाद्य संभरण अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है।

257. श्री विशेष रविः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने बीपीएल कार्ड बने हुए हैं;

(ख) करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने बीपीएल कार्ड बने हुए हैं;

(ग) करोल बाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी बीपीएल कार्ड धारकों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर सहित पूर्ण विवरण दें;

(घ) दिल्ली में नये बीपीएल कार्ड विभाग ने कब से बनाने बंद किए हुए हैं; और

(ङ) क्या भविष्य में नये बीपीएल कार्ड बनाने की विभाग की कोई योजना है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) वर्तमान में बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड दिल्ली में नहीं हैं।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार।

(घ) अंतिम बार बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड फरवरी 2009 में बनाए गए थे।

(ङ) ऐसी कोई योजना नहीं है।

258. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अब तक कुल कितने राशन कार्ड जारी किये गये हैं उसका पूर्ण विवरण दें;

(ख) विभाग के पास नये राशन कार्ड के लिये कुल कितने आवेदन विचारधीन हैं तथा इन्हें कब तक राशन कार्ड जारी कर दिया जायेगा; और

(ग) क्या विभाग की निकट भविष्य में लोगों को जल्द से जल्द नये राशन कार्ड उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) 43661 (28.02.2025 तक) विवरण निम्नलिखित है-

AAY - 1019

PR-S - 2895

PR - 39747

Total - 43661

(ख) और (ग) 353086, भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 तय की गई है और इतने ही लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

259. श्री अभय वर्माः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में खाद्य एवं संभरण विभाग को नये राशन कार्ड बनाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने नये राशन कार्ड बनाये गये और कितने आवेदन अभी तक लंबित हैं, वर्ष अनुसार एवं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र अनुसार विस्तृत जानकारी दें;

(ख) क्या खाद्य एवं संभरण विभाग द्वारा राशनकार्ड धारियों के सत्यापन की कोई व्यवस्था है;

(ग) यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी दें; और;

(घ) यदि नही ंतो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क)

वर्ष	आवेदन पत्र	बनाए गए	लंबित
2020-21	94794	31282	62121
2021-22	59468	11327	46249

2022–23	35542	17140	27750
2023–24	31994	8806	29259
2024–25 (28.02.2025 तक)	44171	12831	40776
कुल 28.02.2025 तक	265969	81386	206155

(ख) जी हाँ।

(ग) दिनांक 20.03.2025 तक 19,25,690 लाभार्थियों का सत्यापन हो चुका है।

(घ) लागू नहीं है।

260. श्री संजीव झा: क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार दिल्ली में ई–श्रम कार्ड धारकों के लिए नए राशन कार्ड बनाने का फैसला किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र सर्किल 02 में ऐसे कितने आवेदन प्राप्त किए गए;

भाग (क) के संबंध में विस्तृतत जानकारी http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ग) इन प्राप्त आवेदन पर अभी तक क्या करवाई हुई;

(घ) इन प्राप्त हुए आवेदनों में से कितने राशन कार्ड बना दिये गए तथा कितने अभी पेंडिंग है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि ई-श्रम कार्ड धारकों के नए राशन कार्ड बनाने का फैसला एलोकेशन (Allocation) न आने की वजह से रोक दिया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो यह किस आदेश के तहत हुआ उसका विवरण, तथा सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) जी हाँ।

(ख) 1287

(ग) 1287 आवेदनों में से 585 आवेदनों पर कार्यवाही हो चुकी है।

(घ) बना दिए गए - 413

लंबित - 702

(ङ) यह सत्य नहीं।

(च)) लागू नहीं।

261. श्री संजय गोयलः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन कार्डों के निस्तारण में विलंब का कारणों सहित विवरण दें;

(ख) शाहदरा विधान सभा के स्वीकृत आवेदनों का विवरण दें;

(ग) शाहदरा विधान सभा में स्वीकृत राशन कार्ड आवेदकों का विवरण जिनको अभी तक राशन नहीं मिल रहा है;

(घ) राशन कार्ड आवेदन करने वाली साइट के निरंतर न चलने के कारण तथा साइट सुचारू रूप से चले, उसके लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है; और

(ङ) राशन कार्ड आवेदक के लिए सालाना पारिवारिक आय एक लाख से बढ़ाने के लिए क्या विभाग कोई योजना ला रहा है, विवरण दें?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 तय की गई है और इतने ही लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

(ख) 21092 (दिनांक 28.02.2025 तक)

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार।

(घ) राशन कार्ड आवेदन करने वाली साइट के निरंतर रूप से चलती रहती है। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसका सुचारु रूप से समाधान किया जाता है।

(ङ) इस प्रकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

262. श्री जितेन्द्र महाजनः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नापतौल विभाग द्वारा अब तक कितने लोगों को प्रमाणीकरण जारी किये गए है;

(ख) बाट और तोल से सम्बन्धित कार्यो में कितने लोगों का पंजीकरण किया गया है; और

(ग) यदि इस कार्य के लिए किसी एजेंसी को नियुक्त किया गया है तो उस एजेंसी द्वारा अब तक कितने लोगों को लाईसेंस जारी किये गए हैं?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) बाट एवम माप उपकरणों का प्रमाणीकरण वर्ष 1976 से स्टैण्डर्ड माप तोल एक्ट 1976 अंतर्गत विभाग द्वारा किया जा रहा था। विधिक माप विज्ञानं 2009 लागू होने के उपरांत उपकरणों का प्रमाणीकरण इस एक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रमाणीकता की वैद्यता एक वर्ष के लिए होती है तथा मानक बाँट एवम माप की वैद्यता दो वर्ष के लिए होती है।

विभाग ने पिछले पांच वर्ष में कुल 21,32,155 प्रमाणीकरण जारी किये हैं।

(ख) निर्माता - 163

मरम्मतकर्ता - 270

डीलर - 456

(ग) बाट एवम माप विभाग में किसी भी एजेंसी को प्रमाणीकरण के कार्य हेतु नियुक्त नहीं किया गया है।

263. श्री जरनैल सिंहः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने राशन कार्ड बनाने की सीमा है, कारण सहित उत्तर दिया जाए;

(ख) दिल्ली में प्रति विधानसभा कितने व किस प्रकार के राशन कार्ड हैं, आंकड़ो सहित उत्तर दिया जाए;

(ग) प्रति विधानसभा एफपीएस कार्ड होल्डर व उनके अंतर्गत आने वाले अलग–अलग तरीके के राशन कार्ड की भी जानकारी दी जाए;

(घ) नए राशन कार्ड बनाने के कुल कितने आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, विधानसभावार जानकारी दें;

(ङ) नए नाम जोड़ने व काटने के कुल कितने आवेदन पेंडिंग हैं, विधानसभावार जानकारी दें; और

(च) नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) दिल्ली में राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 निर्धारित है जो कि पूरी हो चुकी है।

(ख) और (ग) सूची संलग्न है।

(घ) सूची संलग्न है।

(ङ) सूची संलग्न है।

(च) राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है।

263 (अ) (ग)

Assembly wise, Category wise total Ration Card/Members

S. No.	District	Assembly	Total Shops	Total Cards	Total Units	NFSA					
						AAY		PRS		PR	
						Cards	Members	Cards	Members	Cards	Members
1	Cenral	BALLIMARAN	19	20584	86163	254	933	1171	5134	19159	80096
2	Cenral	CHANDNI CHOWK	13	15709	63839	857	3698	1808	8319	13044	51822
3	Cenral	KAROL BAGH	17	19630	77595	801	3125	976	4197	17853	70273
4	Cenral	MATIA MAHAL	10	18239	74155	454	1905	971	4195	16814	68055
5	Cenral	MOTI NAGAR	17	14022	55568	2247	8867	1405	5795	10370	40906
6	Cenral	PATEL NAGAR	30	23276	92983	1063	4210	2491	11069	19722	77704
7	Cenral	SADAR BAZAR	25	22598	92743	1064	4108	2971	13126	18563	75509
8	East	GANDHI NAGAR	36	20328	80332	1014	4370	2514	11298	16800	64664
9	East	KONDLI	25	24939	113156	535	2419	1945	9314	22459	101423
10	East	KRISHNA NAGAR	28	18568	72597	544	2150	1695	7276	16329	63171
11	East	LAXMI NAGAR	23	12909	51031	119	454	411	1860	12379	48717
12	East	PATPARGANJ	19	20448	89670	493	2181	1676	8744	18279	78745
13	East	SHAHDARA	26	21028	89192	890	3905	2223	10337	17915	74950
14	East	TRILOK PURI	34	24904	107593	585	2605	1349	6251	22970	98737
15	East	VISHWAS NAGAR	14	14512	62759	904	4190	2209	10712	11399	47857
16	New Delhi	GREATER KAILASH	8	5312	21125	204	827	486	2372	4622	17926
17	New Delhi	JANGPURA	12	11297	46204	847	3412	1621	6975	8829	35817
18	New Delhi	KASTURBA NAGAR	9	5530	21881	421	1598	580	2504	4529	17779
19	New Delhi	MALVIYA NAGAR	10	7286	29820	143	623	637	2841	6506	26356
20	New Delhi	NEW DELHI	10	6019	24601	507	2068	547	2244	4965	20289
21	New Delhi	OKHLA	31	35351	153080	273	1089	2561	12193	32517	139798
22	New Delhi	R.K PURAM	15	12189	51873	723	3074	2411	11638	9055	37161
23	North	ADARSH NAGAR	24	23090	94394	2631	10460	6197	28130	14262	55804
24	North	BURARI	29	38440	142441	987	3712	2579	11010	34874	127719
25	North	MODEL TOWN	11	13062	53492	1681	6548	3571	15793	7810	31151
26	North	SHAKUR BASTI	9	6438	25944	771	3039	1309	5903	4358	17002
27	North	SHALIMAR BAGH	16	13588	54678	1106	4553	1590	7259	10892	42866
28	North	TIMARPUR	16	22369	87316	881	3287	1520	6295	19968	77734
29	North	TRI NAGAR	21	16874	70492	521	2010	2678	12870	13675	55612
30	North	WAZIRPUR	30	21212	86505	2764	10736	6844	29657	11604	46112
31	North East	BABARPUR	28	24061	97782	332	1351	1553	6782	22176	89649
32	North East	GHONDA	45	30140	120055	1357	5533	2173	8995	26610	105527
33	North East	GOKALPUR	33	38967	171588	856	3653	2791	12617	35320	155318
34	North East	KARAWAL NAGAR	40	43145	170335	1559	6682	3330	14462	38256	149191
35	North East	MUSTAFABAD	32	43666	186873	1019	4516	2895	12782	39752	169575
36	North East	ROHTASH NAGAR	45	29090	122711	983	4187	5548	26384	22559	92140
37	North East	SEELAMPUR	49	32834	139737	1032	4500	4877	22654	26925	112583
38	North East	SEEMAPURI	42	29552	136983	1455	6340	4783	23602	23314	107041
39	North West	BADLI	42	47774	193018	2966	11562	3574	15834	41234	165622
40	North West	BAWANA	43	48412	204990	2443	9911	6485	30910	39484	164169
41	North West	KIRARI	41	51896	211919	887	3813	2394	10887	48615	197219
42	North West	MUNDKA	44	34845	146593	806	3364	4239	19373	29800	123856

Assembly wise, Category wise total Ration Card/Members

S. No.	District	Assembly	Total Shops	Total Cards	Total Units	NFSA					
						AAY		PRS		PR	
						Cards	Members	Cards	Members	Cards	Members
43	North West	NARELA	46	42217	172775	2134	8525	3652	16221	36431	148029
44	North West	RITHALA	29	33710	143005	421	1719	1060	4798	32229	136488
45	North West	ROHINI	12	9084	37521	788	3098	1033	4318	7263	30105
46	North West	SULTANPUR MAJRA	45	33388	154817	1808	7454	4157	20264	27423	127099
47	South	AMBEDKAR NAGAR	22	17717	78322	74	330	368	1698	17275	76294
48	South	BADARPUR	48	42113	186924	257	1168	512	2376	41344	183380
49	South	CHHATTARPUR	23	25900	107167	615	2497	3730	16739	21555	87931
50	South	DEOLI	41	38147	171559	721	3337	2635	13149	34791	155073
51	South	KALKAJI	28	15099	66308	1018	4312	5217	25127	8864	36869
52	South	MEHRAULI	18	18728	76676	1287	5232	1802	7937	15639	63507
53	South	SANGAM VIHAR	31	36042	163370	91	266	491	2389	35460	160715
54	South	TUGHLAKABAD	37	32871	138130	827	3478	4023	18073	28021	116579
55	South West	BIJWASAN	37	32264	134318	1116	4720	3595	16339	27553	113259
56	South West	DELHI CANTT	11	10125	40782	530	2183	503	2115	9092	36484
57	South West	DWARKA	40	28307	115656	435	1795	2979	12798	24893	101063
58	South West	MATIALA	50	43303	184418	872	3443	3551	16703	38880	164272
59	South West	NAJAFGARH	42	36933	159563	942	4019	1725	7530	34266	148014
60	South West	PALAM	49	26766	111213	174	722	2750	12142	23842	98349
61	South West	RAJENDER NAGAR	25	18800	79119	1674	7024	2433	11169	14693	60926
62	South West	UTTAM NAGAR	34	28905	111862	80	271	1177	4791	27648	106800
63	West	HARI NAGAR	28	12428	47646	1162	4631	1140	4605	10126	38410
64	West	JANAKPURI	21	18155	74624	254	1039	738	3164	17163	70421
65	West	MADIPUR	28	21741	92508	1560	6820	2924	13042	17257	72646
66	West	MANGOLPURI	33	25815	117351	2032	9006	3806	18152	19977	90193
67	West	NANGLOI JAT	39	31246	128363	1195	4943	2200	9742	27851	113678
68	West	RAJORI GARDAN	21	19473	80770	720	2947	2277	10110	16476	67713
69	West	TILAK NAGAR	14	12665	50171	524	2012	1038	4260	11103	43899
70	West	VIKAS PURI	48	45191	177250	1072	4281	1205	4856	42914	168113
				1741266	7277994	66362	272840	168309	765200	1506595	6239954

263(घ) 263 (घ)

Department of Food, Supplies and Consumer Affairs
Govt. of NCT of Delhi

Users | Applications Related | Approval Related | Incremental Data Download | Other Reports | Dashboard | POS | CRF and UAT | Account

IT_ADMIN

From Date (DD/MM/YYYY)	01/03/2016	To Date(DD/MM/YYYY)	28/02/2025
Application Status?	Pending	Whether Member Entry Finished ?	Both
Migrant-Workers?	No		
	View		

Application Entry/Ration Card Status

District Name	Circle Name	Nos. of Application pending for Receiving at FSO dashboard — Application entered at eDistrict and available at FSO dashboard for accept								Nos. of Application Received — Phase-I						Phase-II		Grand Total (Applications)	Grand Total (Members)
		AAY	Members in AAY	PRS	Members in PRS	Fresh	Members in Fresh	TOTAL APPLICATIONS	TOTAL MEMBERS	AAY	Members in AAY	BPL	Members in BPL	TOTAL APPLICATIONS	TOTAL MEMBERS	Fresh	Members in Fresh		
CENTRAL	19-SADAR BAZAR	0	0	0	0	118	377	118	377	943	3111	0	0	943	3111	1289	4402	2232	7513
CENTRAL	20-CHANDNI CHOWK	0	0	0	0	0	0	0	0	106	330	0	0	106	330	475	1536	581	1866
CENTRAL	21-MATIA MAHAL	0	0	0	0	0	0	0	0	47	167	0	0	47	167	456	1492	503	1659
CENTRAL	22-BALLIMARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	2187	696	2187
CENTRAL	23-KAROL BAGH	40	135	0	0	141	487	181	622	821	2798	0	0	821	2798	1717	5749	2538	8547
CENTRAL	24-PATEL NAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	2003	7063	0	0	2003	7063	3030	10263	5033	17326
CENTRAL	25-MOTI NAGAR	44	155	0	0	124	450	168	605	58	176	0	0	58	176	641	2217	699	2393
EAST	55-TRILOK PURI	159	526	0	0	785	2180	944	2706	783	2698	0	0	783	2698	3694	13030	4477	15728
EAST	56-KONDLI	194	633	0	0	116	306	310	939	1166	3947	0	0	1166	3947	4596	15863	5762	19810
EAST	57-PATPARGANJ	262	838	0	0	688	2097	950	2935	1761	6159	0	0	1761	6159	4439	14516	6200	20675
EAST	58-LAXMI NAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1326	4621	0	0	1326	4621	1179	4016	2505	8637
EAST	59-VISHWAS NAGAR	23	71	0	0	71	211	94	282	391	1352	0	0	391	1352	1181	4076	1572	5428
EAST	60-KRISHNA NAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1957	6871	0	0	1957	6871	2092	7486	4049	14357
EAST	61-GANDHI NAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1721	6149	0	0	1721	6149	3135	11725	4856	17874
EAST	62-SHAHDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	782	2676	0	0	782	2676	1866	6638	2648	9314
NEW DELHI	40-NEW DELHI	0	0	0	0	0	0	0	0	10	35	0	0	10	35	67	217	77	252
NEW DELHI	41-JANGPURA	3	10	0	0	34	110	37	120	30	89	0	0	30	89	413	1205	443	1294
NEW DELHI	42-KASTURBA NAGAR	16	56	0	0	11	34	27	90	50	139	0	0	50	139	916	2994	966	3133
NEW DELHI	43-MALVIYA NAGAR	6	18	0	0	12	40	18	58	36	108	0	0	36	108	319	1113	355	1221
NEW DELHI	44-R.K PURAM	38	114	0	0	130	418	168	532	31	87	0	0	31	87	782	2630	813	2717
NEW DELHI	50-GREATER KAILASH	14	42	0	0	82	265	96	307	28	79	0	0	28	79	51	183	79	262
NEW DELHI	54-OKHLA	123	397	0	0	377	1385	500	1782	332	1121	0	0	332	1121	5499	19693	5831	20814
NORTH	2-BURARI	321	1012	0	0	0	0	321	1012	3125	10080	0	0	3125	10080	10262	34145	13387	44225
NORTH	3-TIMARPUR	413	1352	0	0	0	0	413	1352	1215	4116	0	0	1215	4116	2366	8180	3581	12296
NORTH	4-ADARSH NAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	566	1856	0	0	566	1856	2856	9714	3422	11570
NORTH	14-SHALIMAR BAGH	49	153	0	0	343	1156	392	1309	563	1765	0	0	563	1765	1187	4053	1750	5818
NORTH	15-SHAKUR BASTI	144	425	0	0	100	278	244	703	261	834	0	0	261	834	449	1383	710	2217
NORTH	16-TRI NAGAR	161	567	0	0	344	1195	505	1762	281	990	0	0	281	990	1514	5349	1795	6339
NORTH	17-WAZIRPUR	80	258	0	0	119	338	199	596	415	1381	0	0	415	1381	1423	4869	1838	6250
NORTH	18-MODEL TOWN	85	278	0	0	101	337	186	615	268	895	0	0	268	895	1168	3916	1436	4811
NORTH EAST	63-SEEMAPURI	88	241	0	0	0	0	88	241	378	1250	0	0	378	1250	4616	15731	4994	16981
NORTH EAST	64-ROHTASH NAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	872	3054	0	0	872	3054	2929	16307	3801	13361

NORTH EAST	65-SEELAMPUR	262	939	0	0	15	58	277	997	833	3086	0	0	833	3086	5189	19140	6022	22226
NORTH EAST	66-GHONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1356	4599	0	0	1356	4599	4773	16481	6129	21080
NORTH EAST	67-BABARPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1089	3962	0	0	1089	3962	4765	17957	5854	21919
NORTH EAST	68-GOKALPUR	572	2004	0	0	1321	4634	1893	6638	2604	9147	0	0	2604	9147	6869	25292	9473	34439
NORTH EAST	69-MUSTAFABAD	0	0	0	0	539	1739	539	1739	1112	3826	0	0	1112	3826	6543	23180	7655	27006
NORTH EAST	70-KARAWAL NAGAR	179	597	0	0	870	3030	1049	3627	2276	7083	0	0	2276	7083	10461	36293	12737	43376
NORTH WEST	1-NARELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1918	6248	0	0	1918	6248	7987	27829	9905	34077
NORTH WEST	5-BADLI	513	1556	0	0	1547	5277	2060	6833	1193	3959	0	0	1193	3959	8104	27749	9297	31708
NORTH WEST	6-RITHALA	0	0	0	0	0	0	0	0	2230	7434	0	0	2230	7434	4343	13920	6573	21354
NORTH WEST	7-BAWANA	0	0	0	0	0	0	0	0	3668	12291	0	0	3668	12291	8530	28228	12198	40519
NORTH WEST	8-MUNDKA	288	865	0	0	313	1092	601	1957	2963	10084	0	0	2963	10084	7981	27245	10944	37329
NORTH WEST	9-KIRARI	1845	6307	0	0	1939	6642	3784	12949	4914	16495	0	0	4914	16495	8014	27927	12928	44422
NORTH WEST	10-SULTANPUR MAJRA	118	386	0	0	0	0	118	386	1516	5148	0	0	1516	5148	3493	11890	5009	17038
NORTH WEST	13-ROHINI	33	117	0	0	124	333	157	450	207	669	0	0	207	669	598	1993	805	2662
SOUTH	45-MEHRAULI	1	3	0	0	36	115	37	118	114	327	0	0	114	327	1142	3605	1256	3932
SOUTH	46-CHHATTARPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	290	964	0	0	290	964	1589	5526	1879	6490
SOUTH	47-DEOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	87	247	0	0	87	247	7690	24136	7777	24383
SOUTH	48-AMBEDKAR NAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	5	10	1668	5602	1673	5612
SOUTH	49-SANGAM VIHAR	53	162	0	0	851	2850	904	3012	10	28	0	0	10	28	2103	7050	2113	7078
SOUTH	51-KALKAJI	187	616	0	0	661	2167	848	2783	11	47	0	0	11	47	565	1781	576	1828
SOUTH	52-TUGHLAKABAD	21	67	0	0	277	914	298	981	148	459	0	0	148	459	1724	5461	1872	5920
SOUTH	53-BADARPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2658	8879	0	0	2658	8879	9071	30878	11729	39757
SOUTH WEST	32-UTTAM NAGAR	223	678	0	0	243	728	466	1406	2232	7374	0	0	2232	7374	2793	8756	5025	16130
SOUTH WEST	33-DWARKA	510	1594	0	0	497	1646	1007	3240	1619	5253	0	0	1619	5253	3704	12970	5323	18223
SOUTH WEST	34-MATIALA	464	1557	0	0	243	861	707	2418	2625	8954	0	0	2625	8954	6377	21419	9002	30373
SOUTH WEST	35-NAJAFGARH	683	2266	0	0	991	3488	1674	5754	2140	7240	0	0	2140	7240	5024	17170	7164	24410
SOUTH WEST	36-BIJWASAN	637	2178	0	0	324	1095	961	3273	1068	3680	0	0	1068	3680	5358	17621	6426	21301
SOUTH WEST	37-PALAM	519	1579	0	0	480	1530	999	3109	1553	5031	0	0	1553	5031	3570	11672	5123	16703
SOUTH WEST	38-DELHI CANTT	0	0	0	0	0	0	0	0	915	3042	0	0	915	3042	414	1390	1329	4432
SOUTH WEST	39-RAJENDER NAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1084	3740	0	0	1084	3740	1532	5104	2616	8844
WEST	11-NANGLOI JAT	401	1218	0	0	1249	3068	1650	4286	2732	8555	0	0	2732	8555	8721	29601	11453	38156
WEST	12-MANGOLPURI	283	884	0	0	445	1548	728	2432	302	996	0	0	302	996	2957	10497	3259	11493
WEST	26-MADIPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2604	8947	2604	8947
WEST	27-RAJORI GARDAN	367	1201	0	0	547	1857	914	3058	380	1298	0	0	380	1298	1887	6681	2267	7979
WEST	28-HARI NAGAR	55	174	0	0	74	240	129	414	175	509	0	0	175	509	763	2531	938	3040
WEST	29-TILAK NAGAR	5	17	0	0	38	119	43	136	436	1461	0	0	436	1461	1025	3058	1461	4519
WEST	30-JANAKPURI	666	2130	0	0	261	831	927	2961	1620	4886	0	0	1620	4886	3459	11447	5079	16333
WEST	31-VIKAS PURI	0	0	0	0	0	0	0	0	4334	14484	0	0	4334	14484	6196	20511	10530	34995
		11148	36376	0	0	17581	57526	28729	93902	76743	257492	0	0	76743	257492	236889	809416	313632	1066908

Details of RC Entry Status FPS Wise

District Name	Circle Name	FPS License No.	Name of FPS	FPS Mobile No.	FPS Address	Nos. of Application Received								Grand Total (Applications)	Grand Total (Members)
						Phase-I						Phase-II			
						AAY	Members in AAY	BPL	Members in BPL	TOTAL APPLICATIONS	TOTAL MEMBERS	Fresh	Members in Fresh		
CENTRAL	19-SADAR BAZAR	-	-	-	-	943	3111	0	0	943	3111	1289	4402	2232	7513
CENTRAL	20-CHANDNI CHOWK	-	-	-	-	106	330	0	0	106	330	475	1536	581	1866
CENTRAL	21-MATIA MAHAL	-	-	-	-	47	167	0	0	47	167	456	1492	503	1659
CENTRAL	22-BALLIMARAN	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	696	2187	696	2187
CENTRAL	23-KAROL BAGH	-	-	-	-	821	2798	0	0	821	2798	1717	5749	2538	8547
CENTRAL	24-PATEL NAGAR	-	-	-	-	2003	7063	0	0	2003	7063	3030	10263	5033	17326
CENTRAL	25-MOTI NAGAR	-	-	-	-	58	176	0	0	58	176	641	2217	699	2393
EAST	55-TRILOK PURI	-	-	-	-	783	2698	0	0	783	2698	3694	13030	4477	15728
EAST	56-KONDLI	-	-	-	-	1166	3947	0	0	1166	3947	4595	15859	5761	19806
EAST	56-KONDLI	7004	M/S YOGESH STORE	8178250295	2/131, Khichripur, Delhi-110091 KHICHRIPUR	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4
EAST	57-PATPARGANJ	-	-	-	-	1761	6159	0	0	1761	6159	4439	14516	6200	20675
EAST	58-LAXMI NAGAR	-	-	-	-	1326	4621	0	0	1326	4621	1179	4016	2505	8637
EAST	59-VISHWAS NAGAR	-	-	-	-	391	1352	0	0	391	1352	1181	4076	1572	5428
EAST	60-KRISHNA NAGAR	-	-	-	-	1957	6871	0	0	1957	6871	2092	7486	4049	14357

263 (उ)

Department of Food, Supplies and Consumer Affairs
Govt. of NCT of Delhi

Users | Applications Related | Approval Related | Incremental Data Download | Other Reports | Dashboard | FGS | CRF and UAT | Account   IT ADMIN

From Date (DD/MM/YYYY)	01/03/2016	To Date(DD/MM/YYYY)	28/02/2025	Pending With(FSI/FSO)	All(FSI/FSO)

View Report

Circle Wise Report For Modification/Deletion/Addition of Members

		A = Applications																M = Members in applications							
S.No.	Circle Name	Member Addition Requests								Member Deletion Requests								Member Modification Requests							
		Received (A)	Received (M)	Approved (A)	Approved (M)	Rejected (A)	Rejected (M)	Pending (A)	Pending (M)	Received (A)	Received (M)	Approved (A)	Approved (M)	Rejected (A)	Rejected (M)	Pending (A)	Pending (M)	Received (A)	Received (M)	Approved (A)	Approved (M)	Rejected (A)	Rejected (M)	Pending (A)	Pending (M)
1	01-NARELA	16979	31142	11688	21391	1444	2700	4959	8971	3680	4349	3686	4369	112	119	127	169	1052	1342	929	1226	235	253	3	3
2	02-BURARI	13557	26615	7406	15707	1290	2518	8135	15769	3082	3880	2995	3782	134	175	49	60	813	1102	770	1022	111	126	24	51
3	03-TIMARPUR	7765	13477	5534	9779	743	1126	1789	3082	2076	2530	2029	2483	39	44	52	61	743	869	754	895	44	45	11	11
4	04-ADARSH NAGAR	10057	18867	6447	12215	979	2228	3094	5474	3328	4093	3242	4005	127	152	13	13	1053	1262	946	1152	154	170	7	7
5	05-BADLI	17973	30973	10807	18382	1848	3041	6793	11944	4694	5730	4901	5996	166	192	43	53	1056	1275	827	934	292	408	22	40
6	06-RITHALA	17169	28834	15016	25030	2570	4398	1023	1739	2781	3263	2744	3233	109	131	122	150	757	962	686	836	145	222	35	89
7	07-BAWANA	20358	39725	19677	37930	1132	2347	2385	4731	4590	5516	4784	5772	44	55	22	27	1498	1900	1575	1991	78	89	28	40
8	08-MUNDKA	10913	18453	7401	12326	443	767	4685	8139	4397	5415	4361	5374	141	167	7	11	926	1094	786	880	215	302	4	4
9	09-KIRARI	24987	46529	21599	42701	1971	3188	8885	15807	3519	4097	3717	4363	48	55	4	4	1086	1412	1010	1274	227	301	10	20
10	10-SULTANPUR MAJRA	12927	24336	11258	20654	1620	3443	2433	4507	5625	8988	5781	8992	307	826	48	64	2864	4244	2698	3881	558	1484	30	49
11	11-NANGLOI JAT	8757	14656	1961	3319	813	1401	6606	10987	3762	5371	3281	4570	603	1029	17	24	836	987	538	585	329	432	19	24
12	12-MANGOLPURI	10473	17592	8808	14760	1494	2444	1674	2951	4404	5535	4198	5313	317	382	98	125	1505	2110	1366	1952	224	282	19	25
13	13-ROHINI	2815	4429	2413	3740	363	574	236	397	725	848	658	776	51	55	22	23	282	321	224	257	69	77	0	0
14	14-SHALIMAR BAGH	4371	7426	3721	6473	900	1404	84	147	1392	1685	1332	1595	46	72	81	94	436	491	380	412	53	73	23	29
15	15-SHAKUR BASTI	1971	3340	1623	2815	368	556	62	109	991	1377	904	1273	77	100	45	55	249	300	222	266	48	58	4	4
16	16-TRI NAGAR	5565	9405	4162	6987	1223	2415	984	1770	3141	6148	3300	6809	78	113	25	37	581	677	514	571	112	158	7	14
17	17-WAZIRPUR	8735	15633	6408	11560	2684	4631	951	1801	3328	4291	3339	4358	101	118	11	15	902	1071	813	913	159	229	10	16
18	18-MODEL TOWN	5659	10655	4391	8519	734	1248	1079	1965	1475	1870	1458	1866	52	53	23	29	428	494	390	442	69	88	6	7
19	19-SADAR BAZAR	9676	16411	10239	17476	439	585	32	50	2413	2912	2409	2922	35	36	54	64	743	905	725	885	47	54	2	2
20	20-CHANDNI CHOWK	5071	8346	4059	6684	1075	1739	107	185	1976	2469	1957	2438	30	46	88	94	621	688	585	633	50	67	6	11
21	21-MATIA MAHAL	6269	10567	5168	8644	1270	2201	44	76	2149	2560	2065	2474	42	46	113	125	548	625	544	613	22	29	2	8
22	22-BALLIMARAN	7787	13030	7397	12374	644	1042	34	60	2461	2896	2400	2834	33	33	58	59	753	895	688	814	90	110	50	141
23	23-KAROL BAGH	6559	10884	6719	11221	486	797	226	387	1946	2179	1951	2187	57	66	7	8	598	731	602	741	29	34	4	4
24	24-PATEL NAGAR	9722	17295	7811	13950	2995	5267	498	953	1844	2198	1693	2019	122	132	56	74	632	792	590	741	108	114	14	24
25	25-MOTI NAGAR	3307	6320	3135	6036	541	994	0	0	1219	1474	1219	1477	17	17	13	18	517	617	510	612	27	32	8	9
26	26-MADIPUR	5772	9358	5218	8611	1005	1430	0	0	2404	2918	2320	2825	121	137	0	0	492	697	342	417	180	312	0	0
27	27-RAJORI GARDAN	5080	8702	5259	8944	548	887	134	251	2049	2512	2050	2524	55	71	6	7	623	718	606	683	71	98	2	2
28	28-HARI NAGAR	2994	4942	2412	3993	681	1104	7	9	1312	1586	1223	1493	110	118	3	6	537	684	414	492	169	257	2	2
29	29-TILAK NAGAR	4270	7159	3255	5364	1263	2196	48	81	1322	1612	1257	1552	95	117	5	5	305	334	284	303	106	121	4	4
30	30-JANAKPURI	6167	9922	5480	8707	1036	1707	359	603	1677	2088	1573	1966	137	162	14	18	368	478	269	320	137	200	2	2
31	31-VIKAS PURI	20634	37415	15325	27822	1103	1721	6606	12313	3582	4325	3458	4339	256	287	76	84	1118	1433	906	1064	373	557	18	25

S.No.	Circle Name	Member Addition Requests								Member Deletion Requests								Member Modification Requests							
		Received (A)	Received (M)	Approved (A)	Approved (M)	Rejected (A)	Rejected (M)	Pending (A)	Pending (M)	Received (A)	Received (M)	Approved (A)	Approved (M)	Rejected (A)	Rejected (M)	Pending (A)	Pending (M)	Received (A)	Received (M)	Approved (A)	Approved (M)	Rejected (A)	Rejected (M)	Pending (A)	Pending (M)
32	32-UTTAM NAGAR	9038	15036	6226	10399	1030	1567	2686	4646	2613	3002	2536	2910	127	151	40	50	700	848	636	772	111	123	9	12
33	33-DWARKA	10105	16284	9357	15198	1550	2517	59	95	2063	2362	1934	2204	177	219	4	4	1010	1237	921	1123	146	172	2	2
34	34-MATIALA	17856	31142	17338	30357	2028	3824	587	1059	3804	4884	3875	5026	147	195	8	11	1019	1364	956	1256	147	217	0	0
35	35-NAJAFGARH	11353	18236	11657	18602	1029	1645	75	136	4663	5688	4368	5321	416	536	13	16	1234	1448	1149	1359	150	157	8	9
36	36-BIJWASAN	15734	27007	14083	24383	2161	3648	911	1642	2660	3353	2582	3239	127	161	6	7	1083	1322	956	1200	215	235	4	7
37	37-PALAM	9453	14790	8583	13485	2246	4546	455	773	2452	2829	2350	2720	164	186	75	89	961	1159	850	1031	235	283	15	16
38	38-DELHI CANTT	3943	6663	3605	6108	629	999	9	13	854	998	841	983	32	36	6	6	329	390	295	332	57	82	4	5
39	39-RAJENDER NAGAR	5944	10376	5365	9288	1165	2064	1	4	2061	2592	2018	2530	75	106	1	1	699	854	633	711	112	193	0	0
40	40-NEW DELHI	2183	3840	1955	3476	352	573	17	30	783	999	724	926	76	92	0	0	291	321	221	248	79	82	1	1
41	41-JANGPURA	4610	8384	4464	8309	344	530	39	72	1202	1461	1172	1427	44	55	0	0	511	645	477	614	51	54	0	0
42	42-KASTURBA NAGAR	2115	3786	1909	3500	201	297	52	91	498	736	468	723	36	38	7	6	172	197	140	163	40	42	0	0
43	43-MALVIYA NAGAR	2846	4881	2712	4589	240	383	228	405	500	603	482	591	36	38	14	16	169	247	140	210	34	40	9	14
44	44-R.K PURAM	3242	5604	2673	4651	637	1057	95	171	1065	1387	997	1314	111	145	48	48	346	432	277	337	88	117	0	0
45	45-MEHRAULI	8397	19024	6899	11470	1782	8268	292	483	1278	1554	1236	1509	34	40	3	4	533	718	417	567	147	193	5	5
46	46-CHHATTARPUR	12020	26606	11150	21712	2080	7410	214	441	1891	2834	1885	2884	84	175	24	29	679	891	607	821	142	157	9	10
47	47-DEOLI	16116	27756	16442	28202	1057	1705	59	100	3949	4900	4013	4975	64	79	103	133	1318	1666	1304	1682	121	138	7	13
48	48-AMBEDKAR NAGAR	7048	11713	6934	11507	642	1023	0	0	2153	2686	2207	2755	41	57	11	15	805	986	800	986	49	57	2	2
49	49-SANGAM VIHAR	15457	26457	15993	27381	269	539	33	56	3075	3778	3121	3849	10	10	3	5	908	1293	933	1302	28	50	3	3
50	50-GREATER KAILASH	1615	2701	1365	2291	267	458	28	45	491	641	483	632	12	13	0	0	146	184	124	156	24	31	0	0
51	51-KALKAJI	6638	12071	6093	11095	815	1403	24	44	2338	3144	2331	3135	67	95	46	67	856	1010	774	895	111	149	9	10
52	52-TUGHLAKABAD	13981	25262	13635	24334	1205	2435	42	80	2597	3162	2636	3213	31	32	137	140	1076	1334	1048	1280	88	137	7	8
53	53-BADARPUR	17277	29073	16926	28564	1475	2279	0	0	2593	3019	2555	2979	87	95	5	5	1142	1561	1099	1481	128	184	0	0
54	54-OKHLA	13833	25927	11744	22438	1530	2711	1277	2363	2525	3178	2505	3165	55	70	14	18	1097	1508	1081	1468	80	87	13	41
55	55-TRILOK PURI	8364	14930	4510	8027	458	809	4315	7696	2464	3159	2071	2674	454	578	5	7	816	980	686	739	178	286	1	1
56	56-KONDLI	10488	17241	8904	14422	467	717	2301	3972	2994	3687	2618	3206	482	616	1	1	966	1206	867	1042	176	259	1	1
57	57-PATPARGANJ	9378	16089	8552	14806	684	1027	1040	1864	2104	2705	1918	2483	218	273	7	7	647	861	633	859	74	92	6	6
58	58-LAXMI NAGAR	4346	7383	3352	5707	851	1378	559	972	1241	1424	1190	1370	59	62	26	28	423	515	402	445	70	124	5	5
59	59-VISHWAS NAGAR	4863	8147	3840	6401	572	863	898	1569	1400	1746	1309	1627	88	100	55	79	439	548	365	462	95	121	5	9
60	60-KRISHNA NAGAR	4491	7674	2316	3877	647	1042	2151	3738	1833	2095	1677	1927	123	133	8	8	522	609	467	550	100	106	4	4
61	61-GANDHI NAGAR	5886	10875	3055	5665	962	1653	2817	5263	1742	2098	1653	1998	75	90	91	105	418	525	326	366	123	188	8	14
62	62-SHAHDARA	5707	10156	5096	8976	218	406	1319	2424	2324	2864	2332	2894	31	32	117	146	718	878	760	935	42	43	9	14
63	63-SEEMAPURI	13098	22313	9891	16690	1465	2195	2523	4566	5367	6783	5302	6725	105	120	47	60	1338	1584	1225	1406	160	230	23	31
64	64-ROHTASH NAGAR	10826	18824	8562	14822	559	923	2544	4565	3340	4236	3199	4098	225	287	79	98	976	1096	971	1093	84	88	9	11
65	65-SEELAMPUR	11066	19322	6732	11530	2229	3758	3296	6028	3378	3969	3303	3881	92	111	90	105	987	1221	888	1074	165	242	6	6
66	66-GHONDA	13239	22475	9578	16276	865	1444	3368	5774	2903	3363	2723	3172	131	137	93	110	854	974	749	831	124	163	5	5
67	67-BABARPUR	7328	13222	3505	6424	262	459	3945	7023	2301	2862	2330	2906	25	29	7	8	535	613	513	570	51	72	4	9
68	68-GOKALPUR	14254	24606	11017	19173	1020	1572	3819	6720	4314	5256	4056	4907	246	339	106	134	885	1062	750	867	173	237	19	25
69	69-MUSTAFABAD	19902	35855	12666	24198	991	1611	8739	15088	3453	4069	3360	3959	197	231	219	267	926	1139	796	922	210	304	8	14
70	70-KARAWAL NAGAR	16926	33013	9116	17312	2193	5696	8531	15874	3628	4681	3500	4572	67	110	194	244	877	1126	765	945	158	212	38	65
	Total	**665305**	**1177182**	**539597**	**949759**	**74882**	**139435**	123306	221193	**176238**	**221502**	**172145**	**217388**	**8333**	**10978**	3015	**3645**	**54333**	**68062**	**49494**	**60907**	**8897**	**12531**	634	**1045**

Design and Developed by NIC Delhi State Unit

The contents are provided by concerned departments. NIC will not be responsible for any inaccuracy in the data on this website. For further information, please contact Department of Food & Supply, Govt. Of NCT of Delhi.

264. श्री सुरेन्द्र कुमारः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकल पुर विधानसभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड (एपीएल, बीपीएल, एएवाई और पीएचएच)0 चालू हैं सभी की सूची नाम, राशन कार्ड नम्बर पता व मोबाईल नम्बर सहित देने की कृपा करें;

(ख) गोकल पुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 05 वर्षों में कितने राशन कार्ड रदद किए गए, उसकी सूची देने की कृपा करें;

(ग) कितने राशन कार्डो पर हर महिने राशन दिया जा रहा है; (एपीएल, बीपीएल, एएवाई और पीएचएच) सभी की सूची नाम राशन कार्ड नम्बर पता व मोबाईल नम्बर सहित देने की कृपा करें; और

(घ) नए राशन कार्ड जो लेबर कार्ड के आधार पर बनाए जा रहे हैं या बनाए जाने हैं, उनकी सूची देने की कृपा करे?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः (क) AAY-856, PR/PRS-38108

कार्ड धारकों का विवरण विभाग की वेबसाईट https://nfs.delhigovt.nic.in/ पर उपलब्ध है।

(ख) 653, रद्द कार्ड धारकों का विवरण विभाग की वेबसाईट https://nfs.delhigovt.nic.in/ पर उपलब्ध है।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार।

(घ) 187, कार्ड धारकों का विवरण विभाग की वेबसाईट https://nfs.delhigovt.nic.in/ पर उपलब्ध है।

265. श्री सोम दत्तः क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदर बाजार विधानसभा ए.सी.-19 में सभी कैटेगरी में कुल कितने वैलिड राशन कार्ड हैं, पते सहित पूर्ण विवरण दें; और

(ख) सदर बाजार विधान सभा में अब तक कुल कितनी पेंडिग एप्लीकेशन हैं, इनके पेंडिंग होने के क्या कारण हैं तथा ये पेंडिंग राशन कार्ड कब तक बनेंगे?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: (क) 22035, AAY-994, PR/PRS-21,041

कार्ड धारकों का विवरण विभाग की वेबसाईट https://nfs.delhigovt.nic.in/ पर उपलब्ध है।

(ख) 1970, भारत सरकार द्वारा दिल्ली में राशन लाभार्थियों की सीमा 72,77,995 तय की गई है और इतने ही लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

266. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या माननीय **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी विधवा/वृद्धावस्था/दिव्यांग व अन्य प्रकार के पेंशन लाभार्थी हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या विभाग द्वारा उपरोक्त प्रकार की पेंशन का दुबारा से कोई विशेष कैंप मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगाया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें;

(घ) विभाग द्वारा उपरोक्त लाभार्थियों को पेंशन मिलने में अनावश्यक देरी की समस्या को दूर करने के लिए क्या सरकार किसी योजना पर कार्य कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें?

समाज कल्याण मंत्रीः (क) मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आर्थिक सहायता लाभार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	लाभार्थी
वृद्धावस्था आर्थिक सहायता	8302
विकलांग आर्थिक सहायता	2556

विधवा पेंशन महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है।

(ख) विभाग में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार लागू नहीं होता।

(घ) विभाग द्वारा लाभार्थियों को वित्तीय सहायता नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है। परन्तु कई बार बैंक स्तर पर कुछ तकनीकी कारणों से कुछ लाभार्थियों की वित्तीय सहायता संबंधित बैंक द्वारा विभाग में वापस आ जाती है। ऐसी स्थिति में लाभार्थी द्वारा विभाग में संपर्क करने पर संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा उन्हें बैंक में संपर्क करने व अपने बैंक खाते को आधार से एन.पी.सी.आई. मैपर (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) (NPCI Mapper) National Payments Corporation of India पर लिंक कराने की सलाह दी जाती है।

साथ ही इस संदर्भ में सभी संबंधित जिला कार्यालयों में नोटिस बोर्ड (Notice Board) भी लगवाये गये हैं जिससे कि लाभार्थी अपने बैंक खातों को (एन.पी. सी.आई. मैपर) (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) (NPCI Mapper) National Payments Corporation of India पर लिंक कराने हेतु जागरूक हों।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से भी इस संदर्भ में लाभार्थियों को जागरूक किया गया है।

(ङ) उपरोक्त (ड) के अनुसार।

-3/N-

8 May Kindly see the Note No. Min/SW/2025/235 dated 12.3.2025 issued by Sh. Ashok Daryani, OSD to Minister (SW) placed opposite in file regarding the commencement of Second Session of Eighth Legislative Assembly Session w.e.f. 24.3.2025 to 28.3.2025.

9 Further it is submitted that this RGO Office has received 7 Questions including 1 Starred & 6 Unstarred received from Office of Secretary Legislative Assembly, NCT of Delhi & directed to submit the reply in the office of Hon'ble Minister (SW) on or before 24.3.2025. Accordingly the reply has been prepared and placed opposite in file for approval please. The reply in respect of these question are given as below :-

Sl. No.	Name of the MLA	Starred Question	Unstarred Question	Reply at page no
1.	Sh. Vishesh Ravi	62	-	86/C
2.	Sh. Mohan Singh Bisht	-	266	85/C
3.	Sh. Abhay Verma	-	267	83/C to 84/C
4.	Sh. Sanjay Goyal	-	268	81/C to 82/C
5.	Sh. Veer Singh Dhingan	-	269	80/C
6.	Sh. Som Dutt	-	270	79/C
7.	Sh. Imran Hussain	-	271	77/C to78/C

10 Submitted Please.

RGO/46 24/03/25

24/03/25 Charan Singh (RGO)

DD (Media (LA)) 24/3/25

Director (SW)

24/3

DIRECTOR SOCIAL WELFARE 24 MAR 2025 DY No. 3395

Secy (SW) Submitted for kind perusal pl. VpKataria 24/3/2025

Hon'ble Min. (SW)

Secy (SW) VpKataria

2272/RGO/DSW 25-03-2025

267. श्री अभय वर्मा: क्या माननीय **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में समाज कल्याण विभाग द्वारा जन-कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजना चलायी गयी;

(ख) उपरोक्त वर्ष अनुसार कितने नये लोग जुड़े, उनकी संख्या बतायी जाए;

(ग) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की विस्तृत सूची नाम, फोन नम्बर एवं पता उपलब्ध करवायी जाए;

(घ) समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों के सत्यापन की क्या व्यवस्था है, विस्तृत जानकारी दें; और

(ङ) यदि नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री: (क) दिल्ली में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में समाज कल्याण विभाग द्वारा जन-कल्याण हेतु निम्न योजनाएँ चलायी जा रही है–

- वृद्धावस्था आर्थिक सहायता
- विकलांग आर्थिक सहायता
- दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना

- मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (22 जून 2021 में अधिसूचित की गई)
- सुगम्य सहायक योजना (23 जनवरी 2024 में अधिसूचित की गई)
- गैर सरकारी संगठन सहायता अनुदान (Grant-in-aid to NGOs)

(ख) वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 में रिक्तियाँ पूर्ण होने के कारण नये आवेदन नहीं भरे गये। वर्ष 2024-25 (नवम्बर 2024) में 80000 नई रिक्तियाँ खोली गई जिसके अन्तर्गत आवेदन PFMS (Public Financial Management System) पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद अब तक कुल 10620 नये लाभार्थी जुड़े।

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2020 से जनवरी 2025 तक नये जुड़े लाभार्थियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

- विकलांग आर्थिक सहायता - 41823
- दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना - 65481
- मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 22 जून 2021 में अधिसूचित-12438
- सुगम्य सहायक योजना-132 (23 जनवरी 2024 में अधिसूचित)
- गैर सरकारी संगठन सहायता अनुदान (Grant-in-aid to NGOs)- स्वैच्छिक कार्यवाही प्रकोष्ठ के द्वारा समाज कल्याण संस्थानों/संगठनों

को अनुदान नियमावली 2008 के अंतर्गत पात्र स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान प्रदान कर समाज कल्याण क्षेत्र से संबंधित लाभार्थियों को निम्नवत् लाभ पहुँचाया गया था–

क्र.सं.	अनुदान वर्ष	स्वयं सेवी संस्थाओं की संख्या
1.	2020–21	13
2.	2021–22	12
3.	2022–23	16
4.	2023–24	13
5.	2024–25	प्रक्रिया जारी है।

(ग) बुजुर्गों से संबंधित जानकारी संवदेनशील एवं व्यक्तिगत होने के कारण डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

(घ) संबंधित जिले में योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं अधीक्षक द्वारा किया जाता है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के अनुसार।

268. श्री संजय गोयल: क्या माननीय **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा विधान सभा में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों का विस्तृत विवरण दें;

(ख) क्या वृद्धावस्था पेंशन कोटा पूरा हो गया है, विवरण दें;

(ग) क्या इस कोटे को विधान सभा क्षेत्र के अनुसार पुनः आवंटित करने का कोई प्रावधान है, विवरण दें;

(घ) वृद्धा आश्रमों का विवरण दें तथा कर्मचारियों का भी विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग मैन पावर की कमी से जूझ रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार इसको पूरा करने के लिए क्या कोई योजना ला रही है?

समाज कल्याण मंत्रीः (क) शाहदरा विधान सभा में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	लाभार्थी
वृद्धावस्था आर्थिक सहायता	5137
विकलांग आर्थिक सहायता	1547
दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना	104
मुख्यमंत्री कोविड–19 परिवार आर्थिक सहायता योजना	1263 (जिला पूर्व) विधान सभा अनुसार ब्यौरा उपलब्ध नही है

(ख) नई दिल्ली विधान सभा के अतिरिक्त अन्य सभी विधान सभा क्षेत्रों में वृद्धावस्था आर्थिक सहायता का कोटा पूर्ण हो चुका है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(घ) I) (a) ज्योतिबाफुले स्मारक वृद्धा आश्रम, वजीरपुर

(b) वृद्धा आश्रम, पॉकेट IV, बिंदापुर

(c) वृद्धा आश्रम, ताहिरपुर

II) कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(ङ) जी हाँ।

(च) (I) कार्यालयों/गृहों/संस्थाओं/जिलों में विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में एक संयुक्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(II) साथ ही सेवाएँ विभाग को रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव भेजा गया है।

(III) डीएसएसएसबी को भेजी गई रिक्तियों को अति शीघ्र भरने को कहा गया है।

आतारांकित प्रश्न संख्या– 268 का संलग्नक

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(घ)	वृद्धाश्रमों का विवरण दें तथा कर्मचारियों का भी विवरण दें।	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों का विवरण निम्नलिखित है :–

क्रमांक	वृद्धावास केंद्र का नाम	पता
1.	ज्योतिबाफुले स्मारक वृद्धा आश्रम, वजीरपुर,	वजीरपुर अशोक विहार, दिल्ली–52
2.	वृद्धा आश्रम, बिंदापुर	पॉकेट–4, बिंदापुर, नई दिल्ली– 59
3.	वृद्धा आश्रम, ताहिरपुर कुष्ठ परिसर	तहिरपुर, कुष्ठ रोग कॉम्प्लेक्स, दिल्ली– 93

कर्मचारियों का विवरणः–

क्रमांक	वृद्धावास केन्द्र का नाम	कर्मचारियों का विवरण
1.	ज्योतिबाफुले स्मारक वृद्धा आश्रम, वजीरपुर	**अधीक्षक**– 01 **डॉक्टर**– 01 **अधिकारी**– 01 संविदा **केअर टेकर**– 02 संविदा – 01 आउटसोर्स **हाऊस आंटी**– 03 संविदा – 03 आउटसोर्स **स्टाफ नर्स**– 05 आउटसोर्स **कुक**– 01 रेगुलर –01 आउटसोर्स **किचन हेल्पर**– 02 आउटसोर्स **हाऊस कीपिंग**– 03 आउटसोर्स **सेनिटेशन वर्कर**– 01 पार्ट टाइम **सिक्युरिटी गार्ड**– 08 आउटसोर्स

CHARAN SINGH
Superintendent/R.G.O.
Deptt. of Social Welfare
Delhi

		2.	वृद्धा आश्रम, बिंदापुर	अधीक्षक– 01 कल्याण अधिकारी– 01 रेगुलर – 01 आउटसोर्स जूनियर असिस्टेन्ट– 01 रेगुलर डॉक्टर– 01 रेगुलर – 01 पार्ट टाइम नर्सिंग ऑफिसर– 01 रेगुलर मनोचिकित्सक– 01 रेगुलर मनोवैज्ञानिक– 01 आउटसोर्स फिज़ियोथेरेपिस्ट– 01 आउटसोर्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट– 01 रेगुलर ए.एन.एम– 01 आउटसोर्स अटेंडेन्ट– 01 रेगुलर किचन हेल्पर– 02 आउटसोर्स हाऊस आंटी– 02 संविदा चौकीदार– 02 संविदा सिक्युरिटी गार्ड– 09 सेनिटेशन वर्कर– 07 कुक– 02 आउटसोर्स केअर टेकर– 07 स्टाफ नर्स– 01	
		3.	वृद्धा आश्रम, ताहिरपुर कुष्ठ परिसर	अधीक्षक– 01 डॉक्टर– 01 कल्याण अधिकारी– 05 (स्थायी– 02, अस्थायी– 02 और आउटसोर्स– 01) केअर टेकर– 11 (स्थायी– 03, अस्थायी– 03 और आउटसोर्स– 05) कुक– 03 (स्थायी– 02 तथा आउटसोर्स– 01)	

CHARAN SINGH
Superintendent/R.G.O.
Deptt. of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

				हेल्पर – 03 (अस्थायी– 01 तथा आउटसोर्स– 02) जी.एन.एम.– 02 आउटसोर्स नर्सिंग ऑडर्ली– 01 संविदा ड्रेसर– 01 अंशकालिक

26/03/25
CHARAN SINGH
Superintendent/R.G.O.
Deptt. of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

269. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या माननीय **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा पुरी विधान सभा क्षेत्र में कुष्ठ आश्रम ताहिरपुर में कुल कितनी कॉलोनियॉ किस-किस नाम से बसी हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि कुष्ठ आश्रम की कुछ कालोनियों को सरकार द्वारा बसाया गया था;

(ग) यदि हॉ, तो कुष्ठ आश्रम की किस-किस कॉलोनी को सरकार ने कब-कब बसाया था;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कुष्ठ आश्रम के रख-रखाव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार कुष्ठ आश्रम में रख-रखाव की क्या जिम्मेदारी उठा रही है?

समाज कल्याण मंत्रीः (क) सीमा पुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के अधिकार क्षेत्र में तीन कॉलोनियाँ स्थित है:

1. कस्तूरबा ग्राम कुष्ठ आश्रम

2. विलेज ऑफ होप फेज-I

3. विलेज ऑफ होप फेज-II

(ख) उपरोक्त उत्तर (क) के अनुसार।

(ग) उपरोक्त (क) में वर्णित तीन कालोनियों को वर्ष 1994 से 1997 के बीच बसाया गया था।

(घ) और (ङ) समाज कल्याण विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़कों की मरम्मत आदि सेवाएँ प्रदान करता है।

270. श्री सोम दत्त: क्या माननीय **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसी–19 सदर बाजार विधानसभा में विभाग द्वारा किस-किस कैटेगिरी में और कुल कितनी पेंशन दी जा रही हैं, नाम व पते सहित पूर्ण जानकारी दें;

(ख) पिछले 5 वर्षों में कुल कितनी पेंशन बंद हुई व किस कारण बंद हुई; और

(ग) नाम व पते सहित पूर्ण विवरण दें?

समाज कल्याण मंत्री: (क) एसी–19 सदर बाजार विधानसभा में विभाग द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

योजना	सहायता राशि	लाभार्थी	जनवरी 2025 में दी गई कुल लाभार्थियों की संख्या
वृद्धावस्था आर्थिक सहायता	60–69 आयु वर्ग– रूपये 2000/– प्रतिमाह (500 रूपये की अतिरिक्त सहायता राशि अनुसूचित जाति/ जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों हेतु)	1564 (इनमें 81 अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थी सम्मिलित है)	7073
	70 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग–रूपये 2500/– प्रतिमाह	5514	
विकलांग आर्थिक सहायता	रूपये 2500/– प्रतिमाह	1517	1517

बुजुर्गों एवं दिव्यांगों से संबंधित जानकारी संवदेनशील एवं व्यक्तिगत होने के कारण डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

(ख) एसी–19 सदर बाजार विधान सभा में पिछले 5 वर्षो में बन्द हुई आर्थिक सहायता का विवरण निम्न प्रकार है–

वृद्धावस्था आर्थिक सहायता – 2023

दिव्यांग आर्थिक सहायता – 178

कारण: लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति एवं अन्य विभिन्न कारणों जैसे कि डबल पेंशन धोखाधड़ी, लाभार्थी द्वारा स्वयं आर्थिक सहायता बंद करवाने की प्रार्थना आदि करने पर विभाग द्वारा आर्थिक सहायता बंद कर दी जाती है।

(ग) बुजुर्गों एवं दिव्यांगों से संबंधित जानकारी संवेदनशील एवं व्यक्तिगत होने के कारण डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

271. श्री इमरान हुसैन: क्या माननीय **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर 2024 से अब तक दिल्ली में कितने वरिष्ठ नागरिकों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है;

(ख) इनमें से कितने आवेदकों को पेंशन स्वीकृत की गई है, विधानसभा वार आंकड़े प्रस्तुत करें;

(ग) वर्ष 2014–15 से 2024–25 के बीच में समाज कल्याण विभाग को कितनी धनराशि का बजट आवंटित की गई थी, वर्षवार बजट आवंटन का विवरण दें;

(घ) मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है इस योजना के तहत लाभार्थियों को क्या सहायता दी जाती है तथा 22 जून, 2021 से अब तक कितने लाभार्थियों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) सरकार ने इस योजना के तहत कुल कितना व्यय किया है?

समाज कल्याण मंत्री: (क) नवम्बर 2024 से दिनांक 24/03/2025 तक दिल्ली में कुल 70034 वरिष्ठ नागरिकों ने वृद्धावस्था आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया।

(ख) इनमें से दिनांक 24/03/2025 तक कुल 20582 आवेदकों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। विधानसभा वार ब्यौरा संलग्न 'ख' है।

(ग)

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि (रूपये लाख में)
1.	2014-15	74634
2.	2015-16	79991
3.	2016-17	92266
4.	2017-18	141134
5.	2018-19	170259
6.	2019-20	180668

7.	2020–21	179833
8.	2021–22	219237
9.	2022–23	211165
10.	2023–24	186618
11.	2024–25	194139

(घ) कोविड–19 के कारण मृत्यु हो जाने वाले लोगों के परिवारों के लिये दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड–19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 22 जून, 2021 से शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से दो प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है–

(अ) मासिक पारिवारिक आर्थिक सहायता योजना 2500 रू. प्रतिमाह की सहायता उन दिल्ली वासियों के लिये है जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की कोविड–19 के कारण मृत्यु हुई है।

22 जून, 2021 से माह जनवरी 2025 तक कुल 11894 लाभार्थियों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है।

(ब) एकमुश्त सहायता: 50,000/– (प्रति मृत्यु) की अनुग्रह राशि की सहायता उन दिल्ली वासियों के लिये है। जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की कोविड–19 के कारण मृत्यु हुई है। यह अनुग्रह राशि राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(ङ) समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना के तहत् 5 मार्च 2025 तक कुल रूपये 117.01 करोड़ व्यय किया गया है।

(ख)

Hello neera ! Log off English

eDistrict Delhi
Service at doorstep.....

National Capital Territory of Delhi

CONSTITUENCY WISE APPLICATION STATUS REPORT UNDER E-DISTRICT DELHI

Select Service --All--

Search on Date of Application From To

Search

Date From: 24/11/2024 Date To 24/03/2025

S.No	Constituency Name	Received			Pending at Operator	Pending for Scruitney/ Verifier	Pending for Physically Verifier	Pending for Approval	Application Approved	Application Under Objection	Application Granted for Sanction	Applica Reject
		CSC	Citizen	Total Received								
1	ADARSH NGR.	0	1000	1000	0	0	0	419	10	229	340	2
2	AMBEDKAR NAGAR	0	1000	1000	0	498	0	221	1	118	151	11
3	BABARPUR	0	1000	1000	0	81	0	104	2	493	317	3
4	BADARPUR	0	1000	1000	0	226	0	439	0	193	131	11
5	BADLI	0	1000	1000	0	0	0	361	12	279	348	0
6	BALLIMARAN	0	1000	1000	0	0	0	401	2	475	91	31
7	BAWANA	0	1000	1000	0	0	0	160	22	250	567	1
8	BIJWASAN	0	1000	1000	0	494	0	108	0	193	181	24
9	BURARI	0	1005	1005	0	1	0	10	13	381	598	2
10	CHANDNI CHOWK	0	1000	1000	0	0	0	590	0	160	79	171
11	CHHATARPUR	0	1000	1000	0	440	0	237	2	154	155	12
12	Delhi Cantt.	0	1000	1000	0	729	0	39	0	111	113	8
13	DEOLI	0	1000	1000	0	307	0	335	2	215	136	5
14	DWARKA	0	1000	1000	0	259	0	172	0	249	290	30
15	GANDHI NGR.	0	1000	1000	0	147	0	124	0	422	304	3
16	GHONDA	0	1000	1000	0	121	0	316	0	298	262	2
17	GOKALPUR	0	1000	1000	0	89	0	194	0	330	382	5
18	GREATER KAILASH	0	1000	1000	0	304	0	196	0	256	234	10
19	HARI NAGAR	0	1000	1000	0	0	0	0	0	229	690	81
20	JANAKPURI	0	1000	1000	0	0	0	0	0	210	543	247
21	JANGPURA	0	1000	1000	0	0	0	0	0	577	362	61
22	KALKAJI	69	1000	1069	14	254	0	385	1	205	196	14
23	KARAWAL	0	1062	1062	0	31	0	1	1	527	502	0
24	KAROL BAGH	0	1000	1000	0	0	0	54	8	704	181	53
25	KASTURBA NAGAR	0	1000	1000	0	0	0	0	0	872	73	55
26	KIRARI	0	1000	1000	0	1	0	404	0	248	342	5
27	KONDLI	0	1000	1000	0	59	0	33	0	487	421	

CHARAN SINGH
Superinte...dent/R.G.O.
D... ...ial Welfare
... of Delhi

3/24/2025, 7:40 PM

https://edistrict.delhi.gov.in/in/en/Report/ConstiWiseReport.html?q=MZhxFudjOL0dkfwqsvT6WJ...

28	KRISHNA NAGAR	0	1000	1000	0	8	0	43	0	385	561	3
29	LAXMI NAGAR	0	1000	1000	0	60	0	57	0	521	357	5
30	MADIPUR	0	1000	1000	0	0	0	0	0	123	742	135
31	MALVIYA NAGAR	0	1000	1000	0	514	0	177	0	70	229	10
32	MANGOL	1	1000	1001	0	21	0	397	0	353	227	3
33	MATIALA	0	1000	1000	0	47	0	179	0	349	398	27
34	MATIA MAHAL	0	1000	1000	0	0	0	304	5	497	158	36
35	MEHRAULI	0	1000	1000	0	784	0	7	0	111	92	6
36	MODEL TOWN	0	1000	1000	0	0	0	820	6	91	82	1
37	MOTI NAGAR	0	1000	1000	0	0	0	669	0	191	72	68
38	MUNDKA	0	1000	1000	0	10	0	498	0	188	300	4
39	MUSTAFABAD	0	1000	1000	0	101	0	192	2	360	343	2
40	NAJAFGARH	0	1000	1000	0	0	0	68	0	405	494	33
41	NANGLOI JAT	0	1000	1000	0	0	0	0	0	283	633	84
42	NARELA	0	1000	1000	0	0	0	673	11	94	221	1
43	NEW DELHI	0	895	895	0	19	0	15	0	573	56	232
44	OKHLA	0	1000	1000	0	576	0	265	1	91	61	6
45	PALAM	0	1000	1000	0	515	0	98	0	142	230	15
46	PATEL NAGAR	0	1000	1000	0	0	0	289	5	522	151	33
47	PATPARGANJ	0	1000	1000	0	50	0	42	0	511	397	0
48	RAJINDER NG.	0	1000	1000	0	0	0	149	0	515	255	81
49	RAJOURI GDN.	0	1000	1000	0	0	0	0	0	164	785	51
50	RITHALA	0	1000	1000	0	0	0	408	0	252	333	7
51	R.K.PURAM	0	1000	1000	0	499	0	4	0	156	328	13
52	ROHINI	0	1000	1000	0	665	0	165	0	82	86	2
53	ROHTAS NAGAR	0	1000	1000	0	109	0	181	0	442	266	2
54	SADAR BAZAR	0	1000	1000	0	0	0	1	0	560	346	92
55	SANGAM VIHAR	0	1000	1000	0	359	0	418	2	143	69	9
56	SEELAMPUR	0	1000	1000	0	79	0	74	0	576	270	1
57	SEEMA PURI	0	1000	1000	0	37	0	82	2	524	354	1
58	SHAHDARA	2	1000	1002	0	120	0	208	0	303	359	12
59	SHAKUR BASTI	0	1000	1000	0	722	0	203	0	36	38	1
60	SHALIMAR	1	999	1000	0	361	0	344	0	140	144	11
61	SULTANPUR MAJRA	0	1000	1000	0	88	0	458	0	248	194	12
62	TILAK NAGAR	0	1000	1000	0	0	0	0	0	137	801	61
63	TIMARPUR	0	1000	1000	0	0	0	338	0	314	134	214
64	TRILOKPURI	0	1000	1000	0	38	0	30	0	560	372	0
65	TRI NAGAR	0	1000	1000	0	730	0	122	0	60	87	1
66	TUGHLAKABAD	0	1000	1000	0	200	0	390	0	289	106	15
67	UTTAM NAGAR	0	1000	1000	0	428	0	122	0	230	209	11
68	VIKASPURI	0	1000	1000	0	0	0	0	0	217	668	115
69	VISHWAS NAGAR	0	1000	1000	0	202	0	151	0	330	315	2
70	WAZIRPUR	0	1000	1000	0	0	0	228	0	404	270	[illegible]
Total		73	69961	70034	14	11383	0	14172	110	21407	20582	

CHARAN SINGH
Superintendent/R.G.O. 3/24/2025, 7:40 PM
Deptt. of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi

272. श्री विशेष रवि: क्या माननीय **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरबार रेस्टोरेंट व मद्रास रेस्टोरेंट पहाड़गंज द्वारा फूड वेस्ट को सीवर लाइन में डालने के संबंध में कार्रवाई हेतु लिखित पत्र संख्या 127322 दिनांक 10/09/2024 पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई तथा उसके लिए कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(ग) उपर्युक्त संबंध में कार्रवाई कब तक होगी?

पर्यावरण मंत्री: (क) दिनांक 10.09.2024 के पत्र के संदर्भ में कहा गया है कि दरबार रेस्टोरेंट डीपीसीसी से वैध सहमति लेकर चल रहा है और पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। दूसरे रेस्टोरेंट के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि मद्रास रेस्टोरेंट, चित्रगुप्त रोड़, पहाड़गंज के नाम से ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

273. श्री अजय महावर: क्या माननीय **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ओ जोन में स्थित होने के कारण घोंडा विधानसभा के पुराने गांव गढ़ी मेंडू और पुराना गांव उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड़ से शास्त्री पार्क तक पुराने पुश्ते की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाकर गांव को ओ जोन से निकालकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) घोंडा विधानसभा तीसरे पुश्ते उस्मानपुर खादर में स्थित वन क्षेत्र और जीव जंतुओं के रखरखाव हेतु वन विभाग को अब तक कितना बजट आबंटित किया गया, कितना बजट खर्च किया गया और इस बजट से क्या क्या कार्य किए गए, सूची सहित पूर्ण विवरण दें; और

(घ) घोंडा विधानसभा के यमुना खादर में कितने और कौन कौन से वन्य जीव हैं?

पर्यावरण मंत्रीः (क) शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण, आई. एंड एफ.सी.डी., एल.एम. बंध कार्यालय परिसर, दिल्ली जल बोर्ड, डी.एस.आई.आई.डी.सी. एवं ऊर्जा विभाग के उत्तर मिले, जिनका विवरण इस प्रकार है।

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण का उत्तर Annexure-A पर उपलब्ध है।

2. आई. एंड एफ.सी.डी., एल.एम. बंध कार्यालय परिसर का उत्तर Annexure-B पर उपलब्ध है।

3. दिल्ली जल बोर्ड का उत्तर Annexure-C पर उपलब्ध है।

4. डी.एस.आई.आई. डी.सी. का उत्तर Annexure-D पर उपलब्ध है।

5. ऊर्जा विभाग का उत्तर Annexure-E पर उपलब्ध है।

(ग) घोंडा विधानसभा तीसरे पुश्ते उस्मानपुर खादर में स्थित वन क्षेत्र और जीव जन्तुओं के रखरखाव हेतु वन विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 55000 बम्बू और 7000 झाड़ियों के पौधा रोपण किया। जिसमें की बम्बू की निम्न प्रजातियां जैसे की बम्बू तुल्डा, बम्बू नुटन्स, Dendrocalamus species और झाड़ियों की निम्न प्रजातियां जैसे की चांदनी, हार सिंगार, फालसा, जंगली करोंदा, अश्वगंधा, बेर Cassia biflora, Largerstroemia indica इत्यादि का पौधा रोपण किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पौधारोपण एवं रखरखाव हेतु 76,47,334/- रूपये आबंटित किये गये जिसमें से अभी तक रूपये 71,48,281/- उपयोग किया जा चुका है। CAMPA बजट के तहत 5.3 हेक्टर जमीन पर लगे 5900 वृक्षों के रखरखाव हेतु आवंटित 15,00,000/- रुपए में से 12,28,263/- का उपयोग किया गया है।

(घ) वन विभाग के वन क्षेत्र में नीलगाय, साँप, गौरिया, मोर, मैना, जंगली सूअर, तोता इत्यादि और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाये जाते हैं।

Annexure- A

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
PARLIAMENT & COORDINATION BRANCH
VIKAS SADAN, INA, NEW DELHI-110023

No. F5(03)/MISC/2015/P&C/VS/DDA/130 **Dated: 24.03.2025**

To,

The Deputy Secretary (Parliament Section),
Urban Development, GNCTD,
9th Level, C-Wing, Delhi Secretary,
IP Estate, New Delhi - 110002.

Sub: Unstarred questions raised in Second Session (Budget Session), 2025 of 8th Delhi Legislative Assembly-regarding.

Sir,

This has reference to letter no. F53(09)USQ75/2ndSection (Budget Section)2025/UD/216-220 dated 17.03.2025 vide which it was asked to send appropriate material to the department for preparation of answer to the Legislative Assembly Sabha questions.

In this regard, please refer to this office letter no. F.5(3)/Misc./2015/P&C/VS/769 dated 02.08.2018 wherein it is stated that as per Article 239 AA (3)(a) of the Constitution, the Legislative Assembly has the power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the State List, or in the Concurrent List, except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of the List in so far as it relates to the said entries 1, 2 and 18. Therefore, on reserved subjects, ie., subjects mentioned in the Entries 1, 2 and 18, the State Government has no powers either to make law or take an executive action. Further, Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi states that the subject matter of Questions must relate to a matter of administration for which the Government is responsible.

Therefore, in view of the provisions contained in Article 239 AA (3) and (4) read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any Question on any Reserved Subject. It is further added that if the answers of the questions raised by the Assembly related to DDA are required, the same should be routed through the Ministry of Housing and Urban Affairs, GoI, as DDA works under the control of the Central Government.

However, DDA would continue to respond to correspondence from GNCTD with regards to issues pertaining to DDA's role in the development of NCT of Delhi and public welfare.

This is for information & perusal approved by competent authority.

24-3.2025

(Surendra Kumar Meena)
Commissioner-cum-Secretary

Encl: As above

Copy to:-

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

1. Special Secretary to LG, LG office, Delhi for information please.
2. Under Secretary, DD(I/II/III/IV/V/VI) MoHUA for information please.

(Surendra Kumar Meena)
Commissioner-cum-Secretary

216

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Office of the Commissioner-cum-Secretary)
Block-B, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023

No. F.5(3)/Misc./2015/P&C/VS/ 769 Dated: 2nd August, 2018

To

Shri Sandeep Mishra
Special Secretary (Parliament Section)
Urban Development Deptt., GNCTD
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat
I P Estate, New Delhi-110002.

Sub: Unstarred questions raised on 7.6.2018 in Second Part of 7th Session of Sixth Delhi Legislative Assembly – Reg.

This is with reference to your letter No. F.53(USQ)/Budget Session-Second- June-2018/Delhi Assembly/UD/D-7175-7176 dated 9.7.2018 on the subject mentioned above having reference No. F.USQ/Budget Session-II June-2018/Delhi Assembly/UD/D-6983-43 (USQ-80), 6925-34 (USQ-78), 6977-80(USQ-89) and 6901-6904 (USQ-70) dated 29.5.2018 and Supplementary-First D-7066 to 7068 dated 13.6.2018 vide which it was asked to send appropriate material to the department for preparation of answer to the referenced subject.

In this regard, it is stated that as per Article 239 AA (3)(a) of the Constitution, the Legislative Assembly has the power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the State List , or in the Concurrent List, except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of the List in so far as it relates to the said entries 1, 2 and 18. Therefore, on reserved subjects, i.e., subjects mentioned in the Entries 1, 2 and 18, the State Government has no powers either to make law or take an executive action. Further, Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi states that the subject matter of Questions must relate to a matter of administration for which the Government is responsible.

Therefore, in view of the provisions contained in Article 239 AA (3) and (4) read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any Question on any Reserved Subject. It is further added that if the answers of the questions raised by the Assembly related

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

2 6 5

...s are required, the same should be routed through the Ministry of Housing ...Urban Affairs, Government of India, as DDA works under the control of the ...entral Government.

However, DDA would continue to respond to correspondence from GNCTD with regard to issues pertaining to DDA's role in the development of NCT of Delhi and public welfare.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(D. SARKAR)
Commissioner-cum-Secretary

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

Annexure-B

कार्यालय मुख्य अभियंता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 273 पर्यावरण
दिनांक : ———
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अजय महावर
क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि ओ जोन में स्थित होने के कारण घोंडा विधानसभा के पुराने गांव गढ़ी मेंडू और पुराना गांव उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं;	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से संबंधित नहीं है।
(ख)	यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड़ से शास्त्री पार्क तक पुराने पुश्ते की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाकर गांव को ओ जोन से निकालकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है;	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग कि वजीराबाद रोड़ से शास्त्री पार्क तक पुराने पुश्ते की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाने की कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है।

शिव कुमार

(शिव कुमार)
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

Annexure-C

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF DIRECTOR (A & P)
VARUNALAYA PHASE-II
KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

No. DJB/Dir.(A&P)/Parl. Cell/2025/85 Dated : 25/3/25

To

The Dy. Secretary(Parliament Cell),
Urban Development Department
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, "C" Wing, Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi-110002.

Subject:-Vidhan Sabha Un-starred Question No. 273 due for 28.03.2025.

Sir,

Kind attention is invited towards your letter dated 22.03.2025 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl As above.

(Amit Kumar Jain)
Director (A&P)

No. DJB/Dir.(A&P)/Parl. Cell/2025/86 Dated : 25/3/25

Copy to:
Member (DR.)

Director (A&P)

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

विभाग : दिल्ली जल बोर्ड
प्रश्न संख्या – अतारांकित 273
दिनांक- 19-03-2025
विधायक - श्री अजय महावर

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है की ओ ज़ोन मे स्थित होने के कारण घोंडा विधान सभा के पुराने गॉव गढ़ी मेंडु और पुराना गॉव उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओ से वंचित है ।	जी हॉ, यह गॉव ओ जोन के अंतर्गत आते है, परतु पानी की सुविधा टॅंकरों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है ।
ख)	यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड से शास्त्री पार्क तक पुराने पुश्ते की बाउन्ड्री लाइन पर पक्का बांध बना कर गाँव को ओ ज़ोन से निकाल कर मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ।	वर्तमान मे दिल्ली जल बोर्ड मे इस तरह की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।
ग)	घोंडा विधान सभा तीसरे पुश्ते उस्मानपुर खादर मे स्थित वन क्षेत्र और जीव जन्तुओ के रख रखाव हेतु वन विभाग को अब तक कितना बजट आबंटित किया गया, कितना बजट खर्च किया गया और इस बजट से क्या क्या कार्य किए गए, सूची सहित पूर्ण विवरण दे, और	दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नही है ।
घ)	घोंडा विधान सभा के यमुना खादर मे कितने और कोण कोण से वन जीव है?	दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नही है ।

मुख्य अभियंता (पूर्व)

अधीक्षण अभियंता (सी)-02

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

Annexure-D

DELHI STATE INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE DEV. CORP. LTD.
Plot No.74/A, Ring Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024

Office of the Executive Engineer (Plg. UC)

No: DSIIDC/EE (Plg.)/2024-25/1663 Dated- 25/3/2025

सेवा मे

उप–सचिव (सं0 शा0)
शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9 वॉं तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय ,
आई.पी इस्टेट, नई दिल्ली–110002

विषयः– आठवी दिल्ली विधानसभा के द्वितीय सत्र (बजट सत्र) 2025 का तारांकित प्र0 सं. 273 माननीय विधायक श्री अजय महावर दिनांक 28.03.2025 के संदर्भ मे।

संदर्भः एफ. 53 अत– 273/द्वितीय सत्र (बजट सत्र) 2025/श.वि./291.98 दिनांक 28.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे यह कहा जाता है कि डी.एस.आई.आई.डी.सी से सम्बन्धित अन–ऑथोराईज्ड कालोनियो की जानकारियॉं/सामग्री निम्नलिखित है:–

कम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि ओ जोन मे स्थित होने के कारण घोड़ा विधान सभा के पुराने गांव गढी मेडू और पुराना गावं उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली पानी सड़क जैसी बेसिक सुचिधाओं से वंचित है	यह प्रश्न डी.एस.आई.आई.डी.सी से सम्बन्धित नही है।
ख)	यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड से शास्त्री पार्क की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाकर गांव को ओ जोन से निकालकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है	
ग)	घोडा विधानसभा तीसरे पुश्ते उस्मानपुर खादर मे स्थित वन क्षेत्र औ जीव जन्तुओ के रखरखाव हेतू वन विभाग को अब तक कितना बजट आबंटित किया गया कितना बजट खर्च किया गया और इस बजट से क्या क्या किए गए सूची सहित पूर्ण विवरण दें और	
घ)	घोडा विधानसभा के यमुना खादर मे कितने और कौन कौन से वन्य जीव हैं?	

भवदीय

(ए. के सिन्हा) 25/3/2025
अधिशासी अभियन्ता – Plg

प्रतिलिपी सूचनार्थ प्रेषित:–

1. उप सचिव (प्रश्न शाखा), दिल्ली विधानसभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

Annexure-E

ऊर्जा विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002

एफ 14 (232)/विधान सभा/ अतारांकित प्रश्न संख्या 273/पावर/2025/1458-1459 दिनांक : 25/3/2025

सेवा में

वन एव वन्यजीव विभाग,
ए-ब्लॉक, दूसरा तल,
विकास भवन, आई पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

विषय:– अतारांकित प्रश्न संख्या 273 माननीय विधायक श्री अजय महावर दिनांक 28.03.2025 के संदर्भ में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एफ 53/ अता0 प्र0–273/द्वितीय सत्र (बजट सत्र)2025/श.वि. / 291–98 दिनाक 23.03.2025 के सन्दर्भ में माननीय विधायक श्री अजय महावर द्वारा उठाए गये विषय के संबंध में प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि ओ जोन में स्थित होने के कारण घोंडा विधानसभा के पुराने गांव गढ़ी मेंडू और पुराना गांव उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली, पानी, सडक जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं:	**संबंधित बिजली वितरण कंपनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि एनजीटी के निर्देशानुसार गांव गढ़ी मेंडू और पुराना उस्मानपुर ओ-जोन में आते हैं जिसकी वजह से वहाँ कोई भी नये कनेक्शन नही लगाये जा रहे हैं।**
ख)	यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड से शास्त्री पार्क तक पुराने पुश्ते की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाकर गांव को ओ जोन से निकालकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है.	यह प्रश्न ऊर्जा विभाग से संबंधित नहीं है।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

भवदीय
विकास पाण्डे 24/3/2025
(विकास पाण्डे)
उप सचिव (ऊर्जा)

एफ 14 (232)/विधान सभा/ अतारांकित प्रश्न संख्या 273/पावर/2025/1458-1459 दिनांक 25/3/2025

प्रति लिपि

उप सचिव (प्रश्न शा0) शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 9 वाँ तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

274. श्री अभय वर्मा: क्या माननीय **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व मुख्यमंत्री के 6-फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित सरकारी आवास के निर्माण के दौरान कितने पेड़ काटे गये, उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए;

(ख) यदि विभाग के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है तो जिस विभाग के पास उपलब्ध है, वहाँ से जानकारी प्राप्त कर वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जाए;

(ग) पेड़ काटने के क्या नियम एवं शर्तें हैं, उसकी जानकारी दी जाए;

(घ) उपरोक्त संदर्भ में यदि पेड़ काटने की अनुमति को लेकर कोई आवेदन दिया गया था तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जाए;

(ङ) यदि इन पेड़ों को काटने की अनुमति सक्षम अधिकारी या विभाग से नहीं ली गयी तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी, विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवायी जाए; और

(च) किसी के घर के दरवाजे के बीचों बीच पेड़ आ रहा है, तो उसे काटने के क्या नियम हैं, विस्तृत जानकारी दी जाए?

पर्यावरण मंत्री: (क) दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्ष अधिकारी (केंद्रीय) द्वारा 28 वृक्षों को प्रत्यारोपण एवं काटने के लिए अनुमति दी गयी थी और निरीक्षण दिनांक 25.02.2022 को किये गए निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि 6 वृक्षों को हानि पहुंचाई गयी थी जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	अनुमति का विवरण
1.	10.11.2020 को वृक्ष अधिकारी केन्द्रीय द्वारा 9 वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु अनुमति प्रदान की गई।
2.	04.01.2021 को वृक्ष अधिकारी केन्द्रीय द्वारा 2 वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु अनुमति प्रदान की गई।
3.	17.08.2021 को वृक्ष अधिकारी केन्द्रीय द्वारा 6 वृक्षों को काटने हेतु अनुमति प्रदान की गई।
4.	28.02.2022 को वृक्ष अधिकारी केन्द्रीय द्वारा 04 वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु एवं 02 वृक्षों के काटने हेतु अनुमति प्रदान की गई।
5.	12.04.2022 को वृक्ष अधिकारी केन्द्रीय द्वारा 4 वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु एवं 01 वृक्ष को काटने हेतु अनुमति प्रदान की गई।

i. कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने 45-47, राजपुर रोड़ से 4 वृक्षों के प्रत्यारोपण और 02 वृक्षों की कटाई की अनुमति के लिए 23.02.2022 को आवेदन किया था, हालांकि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने वन और वन्यजीव विभाग से कोई भी अनुमति प्राप्त करने से पहले ऐसे वृक्षों को नुकसान पहुंचाया। जब वन विभाग के अधिकारी ने अनुमति देने से पहले निरीक्षण के लिए 25.02.2022 को साइट का दौरा किया, तो निरीक्षण अधिकारी द्वारा 25.02.2022 को उनकी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार साइट पर 6 वृक्षों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने के वृक्ष अपराध की रिपोर्ट की गई थी।

ii. अनुमतियों की प्रतिलिपि Annexure-A और नोटिस की प्रतिलिपि Annexure-B पर संलग्न की गई है।

(ख) उपरोक्तानुसा लागू नहीं।

(ग) 1. गैर-वन क्षेत्र के लिए वृक्ष प्रत्यारोपण/काटने की अनुमति दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय न्यायालयों ने विभिन्न आदेश पारित किये हैं जो वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्ष प्रत्यारोपण काटने की अनुमति देने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2024, उचित अधिनियम, नियम, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2011, 25.05.2015, 26.11.2021, 17.01.2022, 31.08.2023, 14.09.2023 व 09.08.2024 तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 01.11.2013 की प्रतिलिपियाँ संदर्भ हेतु संलग्न हैं। जिसकी प्रतिलिपि Annexure-C पर संलग्न की गई है।

3. इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कोई अन्य प्रासंगिक आदेश वृक्ष प्रत्यारोपण/काटने का आवेदन करते समय लागू होगा।

4. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, भवरीन कंधारी बनाम श्री सीडी सिंह के मामले में दिनांक 31.08.2023 और

09.08.2024 के आदेश में, CONT, CAS (C) संख्या 1149/2022 में, वृक्ष अधिकारी द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण/कटाई की अनुमति देने से पहले माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19.12.2024 के आदेश के अनुसार, दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के संबंध में 49 से अधिक वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई का प्रस्ताव वृक्ष अधिकारी द्वारा गहन जांच के बाद अनुमोदन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित माननीय केंद्रीय सशक्तता समिति (Central Empowered Committee) को प्रस्तुत किया जाएगा।

6. हालांकि, वन और वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत वृक्ष अधिकारियों द्वारा वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई की अनुमति देने के संबंध में 31.08.2023, 14.09.2023 और 09.08.2024 के स्थगन/निरसन आदेशों को हटाने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक CM application (सं. 3370/2025 संपर्क CONT. CAS. (C) संख्या 1149/2022 में) दायर की गयी है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

7. जिस भूमि से वृक्षों को हटाया जाना है। यदि उसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर या उससे अधिक हो तो वह प्रस्ताव दिल्ली वन (परिरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट (exemption) के लिए मंजूरी हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है। मंजूरी

प्राप्त होने के पश्चात सचिव (पर्यावरण एवं वन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के हस्ताक्षर के तहत अधिसूचना फॉर्म में जारी किया जाता है। उपरोक्त सभी प्रकार के अनुमोदन के पश्चात उप–वन संरक्षक द्वारा एक पत्र सुरक्षा जमा राशि हेतु जारी किया जाता है। इसके बाद आवेदक इस राशि को डी.डी./चेक अथवा ऑनलाइन के माध्यम भुगतान कर सकता है। राशि प्राप्त होने के बाद सम्बंधित उप–वन संरक्षक आवेदक यानि उपभोगी संस्था/व्यक्ति वृक्ष प्रत्यारोपण/काटने/हटाने की अनुमति प्रदान करता है।

8. यदि परियोजना क्षेत्र भू–आकृति विज्ञान रिज (गैर–वन) में आता है तो दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने से पहले रिज प्रबंधन बोर्ड (Ridge Management Board), माननीय केंद्रीय सशक्तता समिति (Central Empowered Committee) के द्वारा अनुशंसित एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अनुमोदन अनिवार्य है।

9. वन क्षेत्रों के वृक्ष काटने हेतु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं।

10. रिज वन क्षेत्र में वृक्ष काटने हेतु रिज प्रबंधन बोर्ड (Ridge Management Committee), माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

(घ) आवेदन की प्रतिलिपि Annexure-D संलग्न है।

(ङ) अत: सभी वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने की अनुमति ली गयी थी।

1. कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने 46-47, राजपुर रोड़ से 4 वृक्षों के प्रत्यारोपण और 02 वृक्षों की कटाई की अनुमति के लिए 23.02.2022 को आवेदन किया था, हालांकि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने वन और वन्यजीव विभाग से कोई भी अनुमति प्राप्त करने से पहले ऐसे वृक्षों को नुकसान पहुंचाया। जब वन विभाग के अधिकारी ने अनुमति देने से पहले निरीक्षण के लिए 25.02.2022 को साइट का दौरा किया, तो निरीक्षण अधिकारी द्वारा 25.02.2022 को उनकी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार साइट पर 6 वृक्षों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने के वृक्ष अपराध की रिपोर्ट की गई थी।

2. वृक्ष अधिकारी के आदेश क्रमांक DCF(C)/DPTA/Offence/21-22/3572-74 दिनांक 04.07.2023 के अनुसार 06 वृक्षों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने के वृक्ष अपराध के लिए कुल 60,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा 19.07.2023 को जमा करा दिया गया।

3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण के मामले में, वृक्ष अधिकारी (केन्द्रीय) द्वारा कार्यकारी अभियंता को एक पत्र F.No.37/CFD/DCF(C)/ Site-inspection reports/2023-24/1220-24 दिनांक 04.05.2023 को जारी किया गया जिसमें सूचित किया गया कि शेष 197 वृक्षों की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली गई है और शेष वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण पूर्ण करने के लिए किया जायेगा। जिसकी प्रतिलिपि Annexure-E पर संलगन की गई है।

4. पुनः वृक्ष अधिकारी (केन्द्रीय) ने लोक निर्माण विभाग को प्रतिपूरक वृक्षारोपण विफलता के बदले में 197 वृक्षों का 100 गुना अर्थात 19700 वृक्ष लगाने तथा 7 वर्षों तक इनके सफलतापूर्वक रखरखाव का निर्देश 14.08.2024 को दिया था। जिसकी प्रतिलिपि Annexure-F पर संलग्न की गई है।

5. विभाग में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, वृक्ष अधिकारी केंद्रीय द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण OA No. 334/2023 में एक हलफनामा जमा किया गया था जिसके अनुसारः-

   a. लोक निर्माण विभाग के दो अधिकारी श्री विनय चौधरी, अधिशासी अभियंता और श्री रजत कांत सहायक अभियंता (अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ) को 6, फ्लैग स्टाफ रोड़ और 45-47 राजपुर रोड़ पर चल रहे निर्माण कार्यों में अवैधता/अनियमितताओं के साथ उनके कदाचार के लिए सतर्कता निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर जुलाई, 2024 में उनके अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

समस्त प्रस्ताव केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (प्रारंभिक जांच संख्या PE No. 0032023A0006) एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (OA No. 334/2023 के नरेश चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य) के संज्ञान में है।

(च) उपरोक्त (ग) के अनुसार।

दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के धारा 8 (वृक्षों की कटाई और निष्कासन पर प्रतिबन्ध) के अनुसारः

इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में की गई व्यवस्था के अलावा, इस समय लागू किसी अन्य कानून अथवा किसी परंपरा अथवा दस्तूर या संविदा में किसी बात के होते हुए, कोई भी व्यक्ति वृक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना किसी भी भूमि में से चाहे वह उसके स्वामित्व में हो या उसके अधिकार में अथवा अन्यथा हो, किसी वृक्ष अथवा वनोपज को नहीं काटेगा, उसका निष्कासन नहीं करेगा या उसको नहीं बेचेगा।

बशर्ते यदि वृक्ष को तत्काल नहीं हटाया गया और उससे जान माल या यातायात के लिए गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना हो, तो भू-स्वामी ऐसे वृक्ष को काटने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है और उसकी सूचना 24 घंटें के अंदर संबंधित वृक्ष अधिकारी को देना अनिवार्य है।

275. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या माननीय **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पर्यावरण के सुधार के लिए सरकार उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यावरण सुधार के लिये क्या कदम उठाए गए है, विस्तृत जानकारी दिलाई जाये;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के पार्कों में पेड़-पौधों की सुरक्षा के लिए भी कोई पर्याप्त कदम उठाए गए है;

(घ) क्या यह सत्य है कि घनी आबादियों के आसपास गरीब बच्चों व युवाओं को खेल के मैदान न होने के कारण विकसित पाकों में क्रिकेट व अन्य

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

खेलों के आयोजन से पेड-पौधों व पार्कों की हरियाली, घास आदि को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली के दिलशाद गार्डन सहित दिल्ली के विकसित किए जा रहे पार्कों में पेड़-पौधे, हरियाली, घास आदि की बर्बादी से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

पर्यावरण मंत्री: (क) हाँ।

(ख) क. वायु प्रदूषण नियंत्रण:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग, लगभग 30 हितधारक विभागों के साथ समन्वय से दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमित रूप से क्षेत्रवार उपाय कर रहा है। इन उपायों में पर्यावरण में जुड़ी शहर की विभिन्न चिंताएं दूर करने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना (अप्रैल से सितंबर), शीतकालीन कार्य योजना (अक्टूबर से फरवरी) और 17 क्षेत्रवार कार्य बिंदुओं के साथ पर्यावरण कार्य योजना 2024-25 का कार्यान्वयन शामिल है। विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा निर्देशित चरणबद्ध कार्रवाई योजना -GRAP आदेशों को भी सक्रियता से लागू कर रहा है।

वायु प्रदूषण का स्तर नियंत्रित करने की दिशा में सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी साबित हुए हैं। अच्छे दिन (अच्छा/संतोषजनक/मध्यम वायु गुणवत्ता सूचकांक-AQI) वर्ष 2018 के 159 में बढ़कर वर्ष 2024 में 209 हो गए हैं। AQI में यह ऐतिहासिक सुधार दिल्ली में लगभग 30 हितधारक विभागों के केंद्रित प्रयासों से संभव हुआ है, जो आईआईटी कानपुर के अध्ययन के अनुसार, वायु

प्रदूषण के चिन्हित प्रमुख स्त्रोतों हैं, इन स्रोतों में वाहन प्रदूषण, सड़क की धूल, निर्माण और विध्वंस धूल, खुले में कचरा जलाना और औद्योगिक उत्सर्जन हैं शामिल हैं।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नांकित शामिल हैं:

I. **लगातार वास्तवित समय वायु गुणवत्ता निगरानी:** रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का एक व्यापक स्थानिक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें 40 केंद्र हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड–सीपीसीबी और आईआईटीएम के 14 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के अलावा दिल्ली में 24 स्थलों पर वास्तविक समय के आधार पर 8 परिवेशी वायु गुणवत्ता मापदंडों यानी $PM_{2.5}$, PM_{10}, SO_2, NO_2, CO, NH_3, O_3 और बेंजीन पर निगरानी रख रही है; दिल्ली में कुल 40 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (CAAQMS) हैं।

II. कार्य योजनाओं की साक्ष्य आधारित आयोजना और कार्यान्वयन जैसे:

i. **व्यापक कार्य योजना (CAP)**–केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2018 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना (CAP) से संबंधित निर्देश जारी किए, जिसमें 12 कार्य बिंदु शामिल हैं, यानी वायु गुणवत्ता निगरानी, वाहन उत्सर्जन कम करने की कार्रवाई, सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने की रणनीति, एनएमटी नेटवर्क में सुधार, भीड़भाड़ और प्रदूषण

कम करने के लिए पार्किंग नीति, यातायात प्रबंधन, बिजली संयंत्र और उद्योग, जनरेटर सेट, खुले में कचरा जलाना, घरेलू चूल्हा और खान पान का खुला स्थल, सड़क की धूल और निर्माण धूल की रोकथाम के उपाय।

ii. **ग्रीष्मकालीन कार्य योजना (SAP)**–13–सूत्रीय ग्रीष्मकालीन कार्य योजना (अप्रैल–सितंबर 2024) शुरू की गई, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य घटकों पर केंद्रित है, यानी धूल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण अभियान, वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, खुले में कचरा जलाना, नगर वन का विकास, शहरी खेती, दिल्ली में झील/तालाबों का विकास, दिल्ली में पार्कों (हरित पार्क) का विकास, ई–कचरा इको–पार्क, इको–क्लब गतिविधियों और पड़ोसी राज्य सरकार के साथ समन्वय, जो 30 से अधिक हितधारक विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई।

iii. **शीतकालीन कार्य योजना (WAP)**–21–सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना 2024 (1 अक्टूबर 2024 से 28 फरवरी 2025) वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य घटकों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे पराली जलाने पर नियंत्रण, धूल प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर रोक, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अधिक प्रदूषण वाले स्थलों–हॉटस्पॉट की निगरानी, आदि। इन कार्यों को सरकारी विभागों/नगर निगमों द्वारा किया जाना और दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य था। शीतकालीन कार्य योजना 2024–25 के कार्यान्वयन पर संबंधित हितधारक विभागों से दैनिक डेटा रिपोर्टिंग ली गई।

iv. **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत राज्य कार्य योजना**–वायु प्रदूषण रोकथाम उपायों के तहत परिवेशी वायु गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों (परिवहन/सड़क की धूल/अपशिष्ट और बायोमास जलाने) में हस्तक्षेप की एक श्रृंखला बनाई जा रही है और लागू की जा रही है। 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$) की सांद्रता में 40% कमी का लक्ष्य रखा गया है। PRANA पोर्टल पर अपलोड की गई वार्षिक कार्य योजना (शहर कार्य योजना) के निम्नलिखित घटक हैं:

- वायु गुणवत्ता डेटा
- बुनियादी ढांचे में मजबूती
- निगरानी नेटवर्क और सेवा अंशापन अध्ययन
- जन संपर्क
- सड़क धूल तथा निर्माण और विध्वंस
- वाहन
- उद्योग
- अपशिष्ट और बायोमास
- कूड़ा एकत्र करना और जलाना

III. **स्रोत पर प्रदूषण नियंत्रण:** पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 13 हॉटस्पॉट पर 4555 से अधिक प्रदूषण स्रोतों की सूची

बनाई है और उठाए गए मुद्दों/शिकायतों को संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन निवारण के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप पर अपलोड किया गया है।

IV. **सख्ती से प्रवर्तनः** वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की जांच के लिए, जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व), पुलिस उपायुक्तों और दिल्ली नगर निगम के उपायुक्तों की सह-अध्यक्षता में 11 जिला-वार क्रॉस-फंक्शनल टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने खुले में कचरा जलाने, निर्माण और विध्वंस धूल, सड़क धूल, यातायात जाम, पार्किंग मानदंड उल्लंघन, पराली जलाने, डीजल जनरेटर सेट, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से संबंधित उल्लंघनों की जांच इत्यादि के लिए औचक दौरा किया।

V. **चरणबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना (GRAP) का कार्यान्वयनः** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ग्रैप को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के 4 अलग-अलग चरणों के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक-AQI के माध्यम से परिलक्षित होता है। गुणवत्ता श्रेणी इस प्रकार हैं:

i. खराब श्रेणी (POOR Category): 201-300 तक

ii. बहुत खराब श्रेणी (VERY POOR Category): 301-400 तक

iii. गंभीर श्रेणी (SEVERE Category): 401-450 तक

iv. गंभीर + (SEVERE+Category) श्रेणी: AQI: 450 से अधिक

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का कार्यान्वयन सक्रिय रूप से किया जा रहा है और 13.12.2024

को जारी GRAP के संशोधित I-IV चरणों के तहत कार्यान्वित ससभी कार्यों को लागू किया जा रहा है तथा एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, उसकी उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है।

VI. **सड़क की धूल पर नियंत्रण:**

i. सड़क की धूल पर नियंत्रण के लिए लगभग 86 Mechanized Road Sweepers (MRS), 231 water sprinklers/tankers और 255 (189 मोबाइल और 66 स्थिर) एंटी-स्मॉग गन (ASG) सड़कों और खुले स्थलों में तैनात किए गए हैं, ताकि सड़क की धूल कम की जा सके। इसके अतिरिक्त, 156 सरकारी और निजी इमारतों में इमारतों के ऊपर Anti-Smog Guns तैनात किए गए हैं। एजेंसियों को 13 चिन्हित हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान देते हुए सड़क धूल नियंत्रण के लिए मशीनों को डबल शिफ्ट में परिचालित करने का निर्देश दिया गया है।

ii. Mechanized Road Sweepers के परिचालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन वास्तविक समय जीपीएस डैश्बोर्ड (GPS dashboard) विकसित किया गया है।

iii. सड़क पर धूल दोबारा जमने की स्थिति कम करने के लिए सड़कों और खुले क्षेत्रों में स्थिर और मोबाइल एंटी-स्मॉग गन की तैनाती की गई।

iv. दिल्ली में गड्ढा मुक्त सड़कें सुनिश्चित करने के लिए सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा सड़क की मरम्मत की जाती है।

v. फिर से जमने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़क किनारे हरियाली और paving करना।

vi. सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा लंबाई और चौड़ाई के साथ प्रति सप्ताह प्रति जोन (दोनों तरफ से अंत तक) कम से कम एक सड़क मरम्मत/रखरखाव/सुधार।

vii. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की दिनांक 11.06.2021 को जारी निर्देश संख्या 21 के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा 12 "Dust Control & Management Cells" (DCMCs)– एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीएमआईआईडीसी, डीडीए, एनसीआरटीसी, आईएंडएफसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, डीएमआरसी और डीजेबी का गठन किया गया है। मासिक/त्रैमासिक कार्रवाई रिपोर्ट CAQM को भेजी जा रही है।

VIII. **निर्माण और ध्वस्त स्थलों पर धूल नियंत्रणः**

i. 230 बड़े निर्माण स्थलों पर 504 एंटी-स्मॉग गन की तैनाती।

ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर और उससे अधिक भूखंड के निर्माण और विध्वंस स्थलों के लिए एक Web Portal डीपीसीसी द्वारा सितंबर, 2021 में शुरू किया गया था ताकि परियोजना शुरू

करने वालों को अपने स्वयं के धूल शमन उपयों का स्व-ऑडिट करने में मदद मिल सके। परियोजनाकारों को अपने स्वयं के धूल शमन उपायों के स्व-ऑडिट में मदद के लिए 18.03.2025 तक C&D web portal पर 500 वर्ग मीटर से अधिक के लगभग 1403 निर्माण स्थल पंजीकृत हैं (जिनमें से 596 स्थल सक्रिय हैं और 807 स्थलों पर निर्माण पूरा हो चुका है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि निर्माण एजेंसियां धूल से निपटने के उपायों का आकलन करती हैं और उन्हें नियामक एजेंसियों को बेहतर निगरानी और निरीक्षण में मदद करती हैं।

iii. निर्माणर और ध्वंस स्थलों और खुले क्षेत्रों में धूल से संबंधित उल्लंघनों के निरीक्षण के लिए सर्दियों के दौरान 523 (दिन और रात) गश्ती दल गठित किए गए।

iv. निर्माण और विध्वंस स्थलों का कड़ाई से निरीक्षण किया जा रहा है तथा निरीक्षण डेटा मासिक और त्रैमासिक आधार पर CAQM को भेजा जाता है।

v. "स्वच्छ निर्माण के साथ बेहतर वायु गुणवत्ता को आगे बढ़ाना" पर व्यापक टूलकिट सभी सरकारी विभागों को वितरित की गई, और इसके बाद क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

vi. पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 25.01.2024 को "निर्माण और विध्वंस परियोजना स्थल पर धूल शमन उपाय सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों द्वारा ठेकेदारों/बिल्डरों के लिए अनुबंध शर्तें लागू करने के बारे में परामर्श जारी किया गया।

VIII. **वाहन प्रदूषण नियंत्रणः**

i. क्रमश 15 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और CAQM को दैनिक आधार पर रिपोर्ट भेजी जाती है।

ii. दिल्ली विद्युत वाहन नीति को भारत में सबसे प्रगतिशील EV नीति और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नीतियों में एक मानी गयी है। यह नीति 31.03.2025 तक बढ़ा दी गयी है।

- नीति का उद्देश्य 31.03.2025 तक सभी नए वाहनों में से 25% की बैटरी चालित वाहन बनाना है।
- 2024 में कुल नए वाहनों के पंजीकरण में से 12% से अधिक विद्युत वाहन थे। 15.03.2025 तक पंजीकृ ई-वाहनों की कुल संख्या 3,69,378 है।

15.03.2025 तक

- विद्यमान चार्जिंग स्टेशनों की संख्या : 3100
- विद्यमान चार्जिंग पॉइंटों की संख्या : 4793
- विद्यमान स्वैपिंग स्टेशनों की संख्या : 893

iii. वर्ष 2026 तक लगभग 18000 सार्वजनिक और 30,000 निजी/अर्ध-सार्वजनिक विद्युत वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना।

iv. चिन्हि् और बहुस्तरीय पार्किंग स्थलों का 100% उपयोग सुनिश्चित करना।

v. वाहनों उत्सर्जन नियंत्रित करना और यातायात जाम में कमी लाना आदि।

vi. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों (PUC) का अनुपालन सख्ती से लागू करना।

IX. **औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रणः**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बॉयलर/भट्टी वाले सभी उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में बदलने का निर्देश दिया गया है। कुल 2083 उद्योगों में से, 1959 उद्योग पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में बदल गए हैं। शेष 124 स्वीकृत ईंधन यानी एलपीजी पर चल रहे हैं और पीएनजी में भी परिवर्तित होने की प्रक्रिया में हैं। औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण रोकने के लिए गैर-स्वीकृत (unapproved fuels) ईंधन के उपयोग की प्रभावी रूप से जांच की जाती है।

उद्योगों की निगरानी की जा रही है और केवल स्वीकृत ईंधन के उपयोग के अनुपालन के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है और मासिक आधार पर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जाती है।

X. **खुले में कचरा जलाने पर नियंत्रण**

i. कूड़ा स्थलों पर निगरानी के लिये चौबीसों घंटे कर्मियों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी लगाए गए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान कूड़ा स्थलों में आग लगने की घटनाओं में काफी कमी आई है। 2017 में आग लगने की लगभग 159 घटनाएं

हुई थीं, जो 2022 में 5, वर्ष 2023 में 1 और वर्ष 2024 में 1 रह गई हैं।

ii. 2024 में सर्दियों के दौरान खुले में बायोमास जलाने की रोकथाम के लिए 588 गश्ती दल तैनात किए गए। हितधारक विभागों के समन्वय से खुले में बायोमास जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है।

iii. राजस्व विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान खुले में बायोमास जलाने पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा गार्डों और श्रमिकों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने के लिए निवासी कल्याण संघों (RWA) के साथ बैठकें कीं।

iv. वर्ष 2019 में सभी तीन कूड़ा स्थलों (dumpsites) पर मौजूद कुल अपशिष्ट 280 लाख मीट्रिक टन था। दिल्ली नगर निगम ने 02.03.2025 तक 153 लाख 39 हजार मीट्रिक टनल का जैव खनन (bio-mining) किया है। तीनों स्थलों पर पुराने कचरे के शत प्रतिशत निवारण की समय-सीमा दिसंबर, 2028 है, बशर्ते कि नए कचरे की आवक बंद हो ओर दिल्ली नगर निगम में वैधानिक समिति का गठन हो जाए?

XI. **पराली जलाने पर नियंत्रण:**

2024-25 में 5000 एकड़ धान के खेतों में मुफ्त बायो-डीकंपोजर (bio-decomposer) का छिड़काव किया गया। पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 12 एफआईआर (FIR) दर्ज की गयी।

XII. **पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंधः**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन डिलीवरी सहित) और जलाने पर पूरे वर्ष के दौरान तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 19.12.2024 को निर्देश जारी किए गए।

XIII. **जन जागरुकता अभियानः**

i. पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2024 में लोगों के बीच पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए कई जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं जैसे कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों के लिए "प्रदूषण के खिलाफ दौड़", आईटीओ चौक, बारा खंभा रोड़ चौराहे और चंदगी राम अखाड़ा चौराहे पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान (जन-जागरूकता अभियान) आयोजिहत किया गया और दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों के इको क्लबों के कई छात्रों को भी पर्यावरण जागरूकता अभियान में लगाया गया।

ii. रेडियो जिंगल्स, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटर) के माध्यम से जनता तक नियमित जानकारी प्रसारित की जा रही है।

iii. ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशनन पर 83% से अधिक शिकायतों का समाधान और एमसीडी 311 App पर 80% से अधिक शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया गया।

iv. रेडियो जिंगल्स, समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण पर नियमित जागरूकता प्रभार।

XIV. ग्रैपा के चरण III और IV के तहत कार्रवाई और WPC 13029/1985 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न विशिष्ट आदेश जारी किए गए और कार्रवाई की गई, जो इस प्रकार है।

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के तहत कार्यरत सरकारी कार्यालयों को 50% कार्य क्षमता पर संचालित करने और शेष 50% को घर से काम करने का आदेश, 20.11.2024 को जारी किया गया। पहली बार, सड़क पर भीड़भाड़ कम करने के लिए आदेश और सरकारी कार्यालयों में अलग-अलग समय-सारणी के लिए 18.11.2024 को एक आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार फरवरी 2025 तक निम्नलिखित कार्यालय समय प्रभावी किए गए हैं:

i. दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कार्यालय: सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्यालय: सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक।

ख. निजी कार्यालयों को 50% कार्य बल से और बाकी को घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए और अलग-अलग समय पर भी विचार किया गया।

ग. चरण III और IV के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक उपस्थिति के साथ कक्षाएं बंद करना। शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.

दि.स. और उच्च शिक्षा शिक्षाा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हाइब्रिड मोड़ में कक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए गए।

घ. राशन घर ले जाने की सुविधा के साथ सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करना।

ङ. दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों को 8000/- रुपये का निर्वाह भत्ता जारी किया।

च. ट्रकों के प्रवेश पर परिवहन विभाग के वाहन प्रतिबंध आदेश, दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी पर प्रतिबंध ओर बीएस IV और उससे नीचे के एमजीवी (MGV) और एचजीवी (HGV) पर प्रतिबंध को GRAP चरण III और IV के दौरान लागू किया गया।

छ. सीमा प्रवेश बिंदुओं पर आदेश संख्या एफ, डीपीसीसी/(10)/(01)/(05)/एलजी-12/वॉल/ दिनांक 22.11.2024 के तहत गठित टीमों के अलावा, क्षेत्र अधिकार क्षेत्र के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. के हितधारक विभागों से अतिरिक्त टीमों के गठन के लिए दिनांक 22.11.2024 को आदेश जारी किया गया।

ज. नियमित बस सेवा के अलावा अतिरिक्त 80 गंतव्य बसों के साथ सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी बनाया गया और यात्रियों को ऑफ पीक घंटों के दौरान 10% की अतिरिक्त छूट के साथ अतिरिक्त 40 मेट्रो ट्रिप चलाए गए।

झ. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत 04.02.2025 को निर्देश जारी किए गए कि दिल्ली में चरणबद्ध कार्रवाई योजना (GRAP) के तहत स्टेज III (गंभीर) और स्टेज IV (गंभीर+) लागू होने पर दिल्ली में मौजूदा वाहन पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाए।

XV. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन-रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार आयोग के विभिन्न निर्देशों/सलाह/नीतियों का अक्षरशः अनुपालन कर रही है और नियमित अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भेजी जा रही है। आयोग ने 06.07.2023 को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने के लिए नीति भी बनायी है, जिसके लिए मासिक कार्रवाई रिपोर्ट वायु गुणवत्ता आयोग को प्रस्तुत की जा रही है। नीति में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए क्षेत्रवार लक्षित कार्य योजनाएं और समय सीमाएं हैं, जिनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- वायु गुणवत्ता निगरानी और स्रोत अंशापन की मजबूत करना?
- औद्योगिक प्रदूषण का उपशमन
- डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट से वायु प्रदूषण उपशमन
- वाहनों और परिवहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण उपशमन
- स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

- प्रभावी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से वायु प्रदूषण उपशमन
- प्रभावी सड़क यातायात प्रबंधन से वायु प्रदूषण उपशमन
- नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाने से वायु प्रदूषण उपशमनर
- निर्माण और ध्वंस से होने वाले वायु प्रदूषण का उपशमन
- फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण का उपशमन
- सड़कों और खुले क्षेत्रों में धूल से होने वाले वायु प्रदूषण का उपशमन
- हरित और वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए वायु प्रदूषण उपशमन
- पटाखे जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषा का उपशमन

XVI. **दिल्ली सरकार द्वारा नई पहलः**

पर्यावरण विभाग, दिल्ली नगर निगम द्वारा वायु प्रदूषण कम करने के लिए (I) एंटी–स्मॉग गन के साथ एकीकृत जल छिड़काव मशीन और (II) जल छिड़काव मशीन और एंटी–स्मॉग गन के साथ एकीकृत Mechanical Road Sweeping (MRS) मशीन, डंप वाहन और पानी टैंकर की तैनाती के प्रस्ताव कार्यान्वयन के लिए दिल्ली नगर निगम को धन मुहैया कराएगा, जिसमें पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से दिल्ली नगर निगम को OPEX मॉडल के तहत अनुदान सहायता कू रूप में धन मिलेगा, जैसा कि कैबिनेट द्वारा निर्णय संख्या 3134 दिनांक 18.11.2023 के अनुसार अनुमोदित किया गया है।

क. **अपशिष्ट प्रबंधनः**

- दिल्ली में वर्तमान नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन 11000 मीट्रिक टन (लगभग) है। कुल नगर निगम ठोस कचरा प्रसंस्करण (processing) क्षमता 8073 TPD है।

- 6550 TPD क्षमता के चार अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE-waste energy) plants हैं (1950 TPD का WTE ओखला, 1300 TPD का WTE नरेला बवाना, 1300 TPD का WTE गाजीपुर और 2000 TPD का WTE तेहखंड)।

- शेष ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निकट भविष्य में चालू किए जाने वाले WTE plants और जैव-सीएनजी/compressed bio-gas (CBG) प्लांटों का विवरण निम्नानुसार है:

  * जून 2027 में 3000 TPD क्षमता का नरेला-बवाना में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र।

  * दिसंबर 2027 में 2000 TPD क्षमता का बेस्ट टू एनर्जी प्लांट गाजीपुर।

  * ओखला में मौजूदा 1950 TPD डब्ल्यूटीई का जून 2026 में 2950 TPD तक विस्तार।

  * तेहखंड में मौजूदा 2000 TPD डब्ल्यूटीई का दिसंबर 2026 में 3000 TPD तक विस्तार।

* जून 2025 में ओखला में 300 TPD क्षमता का बायी सीएनजी प्लांट।

* मई 2025 में घोघा डेयरी में 100 TPD क्षमता का कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट।

* दिसंबर 2026 में गाजीपुर में 350 TPD क्षमता का कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट।

* अक्टूबर 2018 में सुल्तानपुर डबास में एक ईएसएलएफ और उसके बाद, आबंटन को शुद्धिपत्र दिनांक 25.01.2019 के माध्यम से संशोधित किया गया, (क्षेत्रफलः 49 एकड़)

- इन प्रस्तावित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के चालू होने से, वर्ष 2026 तक क्षमता 2750 TPD हो जाएगी और आगे वर्ष 2027 तक 5000 TPD क्षमता होगी। इससे Municipal Solid waste की समग्र परिचालन प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 15823 TPD हो जाएगी।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 16.02.2023 के आदेश के अनुसार OA 606/2018 में "Municipal Solid Waste Rules, 2016 and other environment issues के मामले में माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के अधीन Solid Waste Monitoring Committee (SWMC) का गठन किया गया है ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एमडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अनुपालन के संबंध में प्रगति की समीक्षा की जा सके।

- उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है और इसे शहरी स्थानीय निकायों के समन्वय में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- दिल्ली में निर्माण और ध्वंस कचरे के उचित निपटान के लिए, दिल्ली में उत्पन्न लगभग 6000 TPD के प्रसंस्करण को पूरा करने के लिए 5150 TPD क्षमता वाली 5 निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट हैं। 1000 TPD का प्लांट ओखला कूड़ा स्थल (reclaimed land) पर प्रस्तावित है।

ख. **जल प्रदूषण नियंत्रण:**

दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदम, इस प्रकार हैं:

(क) "दिल्ली में यमुना नदी के कायाकल्प के लिए कार्य योजना" (Action Plan for Rejuvenation of River Yamuna in Delhi) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा "अश्वनी यादव बनाम दिल्ली सरकार" के मामले में OA संख्या 21/2023 में दिनांक 09.01.2023 के आदेश के अनुसार तैयार की गई है।

उपर्युक्त कार्य योजना, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार द्वारा उक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 27.01.2023 को जारी किए गए आदेश और उक्त आदेश

में उल्लिखित निर्देशों के साथ 31.01.2023 को माननीय अधिकरण को प्रस्तुत की गई और जल शक्ति मंत्रालय, एनएमसीजी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि सहित सभी संबंधित विभागों/प्राधिकरणों को भी भेजी गई है।

(ख) "यमुना नदी के कायाकल्प के लिए कार्य योजना" के मुख्य आठ कार्य बिंदु निम्नलिखित हैं।

(i) सीवेज का 100% उपचार

(ii) नालों का अवरोधन

(iii) 1799 अनधिकृत कॉलोनियों और 639 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में सीवरेज नेटवर्क

(iv) CETP द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन

(v) मल गाद (सेप्टेज) प्रबंधन

(vi) बाढ़ के मैदानी क्षेत्र का विनियमन

(vii) एसटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग

(viii) अन्य मुद्दे

यमुना नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू क्षेत्र से निकलने वाला अवजल है, जो यमुना नदी में छोड़े जाने वाले कुछ अपशिष्ट जल का 80% से अधिक है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) हर महीने 8 स्थानों पर यमुना नदी के जल गुणवत्ता की निगरानी कर रही है और इसके परिणाम समिति की वेबसाइट पर डाले जाते हैं। समिति हर महीने यमुना नदी में अपशिष्ट छोड़ने वाले नालों की भी निगरानी करती है।

दिल्ली में अनुमानित अवजल उत्पादन 792 एमजीडी है। सीवेज के उचित उपचार और निपटान की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की है। दिल्ली जल बोर्ड के 37 चालू अवजल उपचार प्लांट (STP) हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 764.26 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) है और वर्तमान में इन एसटीपी के माध्यम से लगभग 618 एमजीडी सीवेज का उपचार किया जा रहा है।

भविष्य में सीवेज उत्पादन में होने वाली वृद्धि को और treatment के अंतर को समायोजित करने हेतु, दिल्ली में सीवर उपचार क्षमता वृद्धि योजनाः

दिल्ली सरकार मुख्य रूप से दिल्ली में सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्रों पर काम कर रही है:

(i) मौजूदा एसटीपी का पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन

(ii) मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और क्षमता वृद्धि

(iii) बाहरी दिल्ली में 40 नए एसटीपी/डीएसटीपी का निर्माण

(iv) ओखला, दिल्ली गेट और सोनिया विहार में नए एसटीपी का निर्माण

दिल्ली में 28 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र (नियोजित औद्योगिक क्षेत्र) हैं। 17 औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार के लिए, 46.7 एमजीडी

(212.3 एमएलडी क्षमता) की क्षमता वाले 13 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) लगाये गए हैं। सभी 13 सीईटीपी में प्राप्त होने वाले अपशिष्ट जल को उपचारित करने की पर्याप्त क्षमता है।

गैर-सीईटीपी औद्योगिके क्षेत्रों में संचालित इकाइयों में अलग से अपशिष्ट जल उपचार केंद्र हैं।

डीपीसीसी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और दिल्ली में 13 सीईटीपी की मासिक आधार पर नियमित निगरानी कर रही है।

डीपीसीसी जल अधिनियम के तहत बिना सहमति के संचालित होने वाले उद्योगों/इकाइयों का अपशिष्ट निर्वहन के लिए निर्धारित मानक पूरा नहीं करने वाले उद्योगों/इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करती है।

(ग) हाँ, दिल्ली नगर निगम पार्कों में पेड़-पौधों की देखभाल विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

(घ) नहीं, दिल्ली नगर निगम के तहत पार्कों में खेलों का आयोजन नहीं होता है, किंतु यह सत्य है कि बच्चों और युवाओं के खेलने से पेड़-पौधों तथा पार्कों की हरियाली और घास को नुकसान पहुंचता है।

(ङ) पेड़ों के विनाश को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली पेड़ संरक्षण अधिनियम, 1994 है। यह कानून पेड़ों के संरक्षण और प्रबंधन की देखरेख के लिए वृक्ष अधिकारियों की नियुक्ति को अनिवार्य करता है और नागरिकों को पेड़ों की कटाई से पहले अनुमति प्राप्त करने

और उल्लंघन के लिए दण्ड लगाने की व्यवस्था करता है। इस प्रकार यह कानून दिलशाद गार्डन सहित दिल्ली के सभी हिस्सों में पेड़ों के विनाश को रोकता है।

दिलशाद गार्डन क्षेत्र में बागवानी विभाग, (शाहदरा–उत्तरी जोन) दिल्ली नगर निगम द्वारा कुल 145 पार्कों का रख–रखाव किया जा रहा है, जिनका कुल क्षेत्रफल 59.54 एकड़ है।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पार्कों का रख–रखाव करते हैं एवं दिल्ली नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाइटी (डी.पी.जी.एस.) पार्कों के रख–रखाव के लिए आर.डब्लू.ए. आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्तमान में दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाइटी द्वारा दिलशाद गार्डन क्षेत्र में कुल 05 पार्कों के लिए निम्नलिखित आर.डब्लू.ए./एन.जी.ओ. को पार्कों के रख–रखाव हेतु वित्तिय सहायता प्रदान की है:–

1. ए.बी.डी. एण्ड ई ब्लॉक आर.

   डब्लू.ए., दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली

   पार्कों की संख्या – 02

   क्षेत्र – 1.79 एकड़

वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी की गई वित्तीय सहायता – रू. 1,88,190/–

2. श्री सांई वाटिका सेवा समिति (एन.जी.ओ.), दिलशाद गार्डन, पॉकेट–एफ, दिल्ली

पार्कों की संख्या - 03

क्षेत्र - 0.78 एकड़

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी की गई वित्तीय सहायता - 10,822/- रुपये।

276. श्री संजय गोयलः क्या माननीय **अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास एससी/एसटी/ओबीसी के लिए अलग से कोई फंड है, विस्तार से विवरण दें;

(ख) क्या सरकार की एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा मुफ्त देने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो विस्तार से विवरण दें;

(घ) क्या एससी/एसटी/ओबीसी को रियायती दर पर लोन देने की सरकार की कोई योजना है, विवरण दें;

(ङ) पिछले एक साल में विभाग के पास एससी/एसटी/ओबीसी के लोन के कितने आवेदन आये तथा शाहदरा विधान सभा के कितने आये, विस्तार से विवरण दें; और

(च) शाहदरा विधान सभा के आवेदनों की स्थिति, कितने स्वीकार हुए, कितने रिजेक्ट हुए, विवरण दें?

अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. कल्याण मंत्रीः (क) एससी/एसटी/ओबीसी के लिए विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं।

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट आबंटन (2024-25) (लाख रुपए में)	उद्देश्य
1.	पब्लिक स्कूल में टयूशन फीस की प्रति पूर्ति	2500	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करके सार्वजनिक/निजी स्कूल स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने में सहायता और सक्षम बनाना। कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र टयूशन फीस, लैब फीस और लाइब्रेरी फीस की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। प्रतिपूर्ति केवल उन छात्रों को मिलेगी जिन्होंने 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और पिछले वर्ष में उनकी उपस्थिति 70% से कम नहीं रही है। कक्षा में पुनरावर्तक छात्र इस योजना के पात्र नहीं होंगे। परिवार की आय 3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक होनी चाहिए। अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि 48,000/- रूपये या वास्तविक भुगतान जो भी कम है।
2.	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना	1000	इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि वे सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक

			खर्च वहन कर सकें। आवेदक दिल्ली सरकार का निवासी होना चाहिए। छात्रवृत्ति राशि 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले और पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 5000/- रुपये प्रति वर्ष है और 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले और पिछली कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 10,000/- रुपये प्रति वर्ष है। किसी विशेष कक्षा में बार-बार पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
3.	कॉलेज और विशविद्यालय के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति	189	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके कॉलेज स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना ताकि उनके माता-पिता पर वित्तीय बोझ कम हो सके। इस योजना में ओबीसी छात्रों के लिए पारिवारिक आय समीप 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। तथा एससी/एसटी छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
4.	विदेश में उच्च अध्ययनन के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	200	इस योजना में 100 चयनित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निम्नलिखित निनर्दिष्ट क्षेत्रों अर्थात इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, विशुद्ध विज्ञान एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं चिकित्सा, लेखांकन एवं वित्त, मानविकी, एवं सामाजिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य

		में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से विदेश में उच्चतर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अधिकतम 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जा रही है। पीएचडी पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए 20,00,000 रुपये (केवल बीस लाख रुपये) और मास्टर्स डिग्री के लिए अधिकतम 10,00,000 रुपये (केवल दस लाख रुपये) के अधीन प्रति वर्ष 5 लाख रुपये या वास्तविक जो भी कम हो।
5. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति-एससी (सीएसएस) (i) केंद्रीय अंशदान (ii) राज्य अंशदान	 5.00 94.00	इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक स्तर पर पढ़ रहे उन सभी बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन प्रदान करना है, ताकि शिक्षा क्षेत्र में उनकी भागीदारी में सुधार हो, स्कूल छोड़ने की घटना कम हो, उनका प्रदर्शन बेहतर हो और शिक्षा के पोस्ट-मैट्रिक चरण में प्रगति करने के उनके बेहतर अवसर हों। छात्र पूर्णकालिक आधार पर कक्षा IX और X में अध्ययनरत होने चाहिए और SC वर्ग से संबंधित होने चाहिए। डे स्कॉलर्स के लिए 3,500/- रुपये प्रति वर्ष और हॉस्टलर्स के लिए 7,000/- रुपये प्रति वर्ष। यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के बंटवारे के अनुपात में है।

6.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-एससी (सीएसएस) (i) केंद्रीय अंशदान (ii) राज्य अंशदान	 5.00 945.00	इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें मैट्रिकुलेशन के बाद के चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करके सबसे गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह योजना भारत के भीतर पोस्ट मैटिकुलेशन/पोस्ट सेकेंडरी (कॉलेज/विश्वविद्यालय) स्तर पर आगे की पढ़ाई करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है। छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा और उसके बाद की पढ़ाई करनी चाहिए और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के बंटवारे के अनुपात में है।
7.	ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस) (i) केंद्रीय अंशदान (ii) राज्य अंशदान	 70.00 45.00	इस योजना का उद्देश्य प्री-मैट्रिक स्तर पर पढ़ रहे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ओबीसी वर्ग के बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी भागीदारी में सुधार हो सके। छात्र केवल सरकारी स्कूलों में पूर्णकालिक आधार पर कक्षा IX और X में पढ़ रहे होने चाहिए। उन्हें ओबीसी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। छात्रवृत्ति 4,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जाती है। यह योजना केंद्र और

			राज्य के बीच 60:40 के बंटवारे के अनुपात में है।
8.	ओबीसी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस) (i) केंद्रीय अंशदान (ii) राज्य अंशदान	 317.00 210.00	इस योजना का उद्देश्य पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सेकेंडरी स्तर पर अध्ययन कर रहे ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदानर करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। छात्रवृत्ति उन सभी ओबीसी छात्रों को उपलब्ध है जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में पोस्ट मैट्रिकुलेशन/पोस्ट सेकेंडरी (कॉलेज/विश्वविद्यालय) स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना और न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक है।
9.	एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों को डॉ. बी.आर. अंबेडकर राज्य टॉपर पुरस्कार	10	यह पुरस्कार उन छात्रों को दिया जाता है जो व्यावसायिक/तकनीकी डिग्री कोर्स के प्रत्येक विषय में एससी/एसटी/ओबीसी में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं। छात्र ने दिल्ली से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। यह पुरस्कार उस छात्र को दिया जाता है जो डिग्री कोर्स के प्रत्येक विषय में एससी/एसटी/ओबीसी में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। इसके समर्थन में उसे दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एससी/एसटी/ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। टॉपर छात्र को कोर्स की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद केवल एक बार पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सभी व्यावसायिक/

तकनीकी पाठ्यक्रमों के टॉपर्स में से दिया जाता है। योग्यता आधारित पुरस्कार होने के कारण, परिवार की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि विद्यार्थी एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी से संबंधित है, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद प्रत्येक विषय में टॉप करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 25000/- रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

(ख) वर्तमान में इस तरह की कोई योजना विभाग में नहीं चलाई जा रही है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

(घ) दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ विकलांगता वित्तीय एवं विकास निगम (दिल्ली सरकार का उपक्रम) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार:

"यह निगम (वित्तीय एवं विकास निगम) एससी/एसटी/ओबीसी को रियायती दर पर लोन (महिलाओं के लिए 3.5% और 4% से 8% अनसूचित जाति और अन्य के लिए) देने की योजना चला रहा है, जिसके तहत उन्हें व्यवसायिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लोन उपलब्ध कराता है"।

(ङ) दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ विकलांगता वित्तीय एवं विकास निगम (दिल्ली सरकार का उपक्रम) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार:

"पिछले एक साल (वर्ष 2024-25) में विभाग के पास एससी/एसटी/ओबीसी के लोन के लिए कुल 02 आवेदन आए, जिनमें से शाहदरा विधानसभा से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ"।

(च) उपरोक्तानुसार।

277. श्री मुकेश कुमार अहलावतः क्या माननीय **अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री जय भीम योजना क्या है;

(ख) इस योजना की शुरुआत कब हुई व तब दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कौन थे;

(ग) मुख्यमंत्री जय भीम योजना के तहत अब तक कितने छात्रों को फी कोचिंग की सुविधा दी गई, वर्षवार और श्रेणीवार पूरा डेटा साझा करें;

(घ) क्या इस योजना के तहत छात्रों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी; और

(च) इस योजना के तहत किन-किन कोचिंग संस्थानों को एनरोल किया गया है, लिस्ट साझा करें?

अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. कल्याण मंत्रीः (क) दिल्ली सरकार की "जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना" विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करवाने के बारे में है।

योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए एनरोल कोचिंग संस्थानों को निर्धारित कोचिंग फीस देने का प्रावधान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को कोचिंग निर्धारित अवधि के दौरान रू. 2500 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी प्रावधान है।

(ख) योजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान की गई थी। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल तथा शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी थे।

(ग) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2029-20 में 4953 तथा 2071 अनुसूचित जाति के छात्रों को फ्री कोचिंग की सुविधा दी गई। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड महामारी के कारण योजना का संचालन नहीं हो सका।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोचिंग संस्थानों द्वारा विभाग में दी सूचना के अन्तर्गत 5668-अनुसूचित जाति, 51-अनुसूचित जनजाति, 4682-अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 2516-आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रों द्वारा योजना के अन्तर्गत नामांकन किया गया।

(घ) जी हां।

(ङ) योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रतिमाह रू. 2500 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

(च) योजना के अन्तर्गत एनरोल कोचिंग संस्थानों की सूची संलग्न है।

"Jai BhimMukhyamantriPratibhaVikasYojna"

LIST OF COACHING INSTITUTES EMPANELLED UNDER THE SCHEME

S.No.	Name and Address of the Coaching Institute
1	**Chanakya IAS Academy** 124, 2nd Floor, SatyaNiketan, New Delhi-110021.
2	**Khan Study Group** 2521, Hudson Lane, Near GTB Metro Station, Delhi-09.
3	**Alternative Learning Systems Ltd (ALS)** 1st and 2nd floor, Aggarwal Auto Mall, A Block, Plot-II, Shalimar Place, District Center, Delhi-88.
4	**Bharti Concept** 1st Floor, Batra Cinema Complex, Dr. Mukharjee Nagar,Delhi-09.
5	**My Mission IAS Academy** N-1, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009.
6	**Vajirao IAS Academy Pvt. Ltd.** B-365, second floor, Nirman Vihar Metro Gate number 4, opp. V3S Mall, Delhi-092.
7	**IES Academy PVT LTD** 28 B/7,2nd Floor, Jia Sarai Near IIT HauzKhas, New Delhi-110016.
8	**Dr. Lakshmaiha IAS Study Circle** 57/17, Above Kaventers, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi-60.
9	**The Cavalier** C-73, shardapuri, Marbel Mkt. Ramesh Nagar, N.D.-15.
10	**Parinam Coaching center PVt. Ltd.** 207, 2nd floor, Satija House (A-23-24), Commercial complex, Mukharjee Nagar, Delhi-09.
11	**Bright Brain Academy** RZ D-6, Palam Dabri Main Road, Mahavir Enclave, N.Delhi-45
12	**GS Mentors** 636, Ground Floor, Mukharjee Nagar, Delhi-09.
13	**Bhartiya Sarvodaya computer and management educational society.** 1449/21A, Durgapuri, Delhi-93.
14	**Vajirao and Reddy Institute PVT Ltd.** 19/1A, Shakati Nagar, Nangia Park, New Delhi-07.
15	**Photon IAS Academy.** Chamber number 3, 2nd floor, South Portion, Batra Cinema Complex, Mukharjee Nagar, Delhi-09.
16	**AJAB'S Academy Pvt. Ltd.** 202, 2nd floor, Dr. Mukharjee nagar Delhi-09.
17	**Pahuja Law Academy Pvt. Ltd.** 211-212, D-1, Second Floor, ViratBhawan, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-09. **Website:** www.pahujalawacademy.com
18	**BSC Academy Pvt. Ltd.** C-37, 2nd Floor, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, Delhi-92 Also having center at Rohini Delhi.

Deptt. for the Welfare of SC/ST...
Govt. of NCT of Delhi
B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate
New Delhi-110002

५१८

19	**NIRMAN IAS** a. 996, 1st floor, Mukherjee Nagar, Near Gandhi ViharBandh, Delhi-09.
20	**Evolution Educare Pvt. Ltd.** B-11, first floor, commercial complex, Mukharjee Nagar, Delhi
21	**GS World** 629, Main Road Mukharjee Nagar, Delhi.
22	**Aastha IAS** M-2, JyotiBhawan, Mukherjee Nagar, Delhi-09
23	**Dhyeya IAS,** 102, A-12-13, Ansal Building, Mukharjee Nagar, Delhi.
24	**Takshila Academy Pvt. Ltd.** D-11/154, Sec-8, (Opp. Metro Pillar No.389), Rohini, Delhi-85
25	**Sunrise Education and Welfare Society.** 1/3716, Ram Nagar, Loni Road, Shahdara, Delhi.
26	**SIMTECH Education and Welfare Society** Adarsh Building, 1449/9A, Durgapuri Chowk, Shahdara, Delhi-93.
27	**Jai Sri Ram Educational Society** A-70, HardevPuri, Gali number 5, 100 feet road, shahdara, Delhi-93.
28	**Helping Hands Welfare Society** Gali Number 13, Sona Sweets, second and third floor, sangamvihar, New Delhi.
29	**Classic IAS Academy,** UG 33-34, Ansal Chamber-1, BhikajiCama Place new delhi-66.
30	**ELITE IAS** A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar Delhi-09.
31	**Sihanta IAS Academy** B-14, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-09 .
32	**Saraswati IAS** A-20,102, Indraprasth Tower, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09.
33	**St. Joan's Education Society,** Lodhi Road Complex, Near new Barat Ghar, New Delhi-03.
34	**Sagar** 83, basement, ground and 3rd floor, Mall Road, Kingsway Camp Delhi.
35	**Cyber information technology society** NIC Institute, BarejaSadan, Main Mathura Road, Badarpur, New delhi-44.
36	***The Success IAS*** 110, 2nd floor, Jaina extension, Mukharjee Nagar, Delhi-09
37	**Ignited Minds** A-2, 1st floor commercial complex, Mukharjee Nagar Delhi-09.
38	**KRM Foundation (Dr. Ramaswamy IAS Academy)** Flat Number 22, Rajinder Park, Rajindra Place Metro, Delhi.
39	**Sachdeva Colleges Ltd.** 29, South Patel Nagar, New Delhi. Also having centers at Uttam Nagar , Jasola Delhi.
40	**Samarpan for Education and Welfare Society,** Shar Study Circle, 28 Jia Sarai, Near IIT Gate New Delhi-110016.
41	**Career Plus Educational Society.**

Field Office
Deptt. for the Welfare of SC/ST/OBC/Min
Govt. of NCT of Delhi
B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate
New Delhi-110002

31८

	301/A,-37,38,39 Ansal Building, Comm. Complex Dr. Mukherjee Nagar Delhi-09.
42	**K D Campus Pvt. Ltd.** 704, 1st floor, Mukharjee Nagar, New Delhi-09.
43	**Kiran Institute of Career Achievement.** 3rd floor, A-4 hemkund building, opp. Chawla Restaurant, Mukharjee nagar, Delhi-09.
44	**Ravindra Institute of Indian Civil Services (OPC) PVT. LTD.** *102, Second Floor,8-9, Ansal Building, Chawla, Restaurant Lane, Mukherji* Nagar, Delhi-110009
45	**Sri Chaitanya Educational Institute (Managed by varsity Education Management Pvt. Ltd.)** 63/3, Ghumman' House, Kalusarai, Sarvapriya Vihar, New Delhi-16.
46	**Think & Learn Pvt. Ltd.(Byju's Classes)** 1-B, 3rd Floor, Near Karol Bagh Metro Station Gate No. 8, Pusa Road Karol Bagh Delhi-110060

DINESH KUMAR
Field Officer
Deptt. for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.
Govt. of NCT of Delhi
B Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate
New Delhi-110002

278. श्री सोम दत्त: क्या माननीय **अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधानसभा सदर बाजार (एसी-19) की एस.सी. आबादी से संबंधित सूची उपलब्ध कराई जाए;

(ख) यह लिस्ट आखिरी बार कब अपडेट की गई थी; और

(ग) अब यह लिस्ट कब अपडेट की जाएगी?

अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.व. कल्याण मंत्री: (क) इस तरह की कोई सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपरोक्त अनुसार।

(ग) उपरोक्त अनुसार।

279. सुश्री शिखा रॉय: क्या माननीय **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक को हुए नुकसान का विवरण;

(ख) क्या इस नुकसान को वसूल करने हेतु सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण;

(घ) क्या सहकारी बैंक को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार ने किसी कमेटी का गठन किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका विवरण और यदि नहीं, तो उसके कारण?

सहकारिता मंत्रीः (क) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक से विगत पांच वर्षो में हुए हानि/लाभ का विवरण प्राप्त किया है जो कि निम्न प्रकार है:-?

31-03-2020 (Audited)	31-03-2021 (Audited)	31-03-2022 (Audited)	31-03-2023 (Audited)	31-03-2024 (Audited)
128.86 लाख (लाभ)	(-)130.10 लाख (हानि)	(-)191.82 लाख (हानि)	(-)94.98 लाख (हानि)	446.44 लाख (लाभ)

(ख) और (ग) दिल्ली सहकारी अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सहकारी बैंक को अपने परिचलन के दौरान हुए नुकसान की वसूली करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी सहकारी बैंक का वित्तीय मामलों का नियामक है।

(घ) और (ङ) यदि किसी सहकारी बैंक को अपने परिचालन में हानि होती है, तो इस अवस्था में दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बैंक के अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी समिति के गठन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

280. श्री कुलदीप कुमारः क्या माननीय **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में तत्कालीन एडिशनल आरसीएस की रिपोर्ट पर दिल्ली के उप-राज्यपाल महोदय एवं विजिलेंस विभाग ने जो सिफारिशें की थी उन पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई;

(ख) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में विगत 5 वर्षो में की गई सभी शिकायतों का ब्यौरा दें एवं उन पर कार्रवाई ना होने के कारण बताए जाएं एवं

इसमें समय से कार्रवाई ना करने के लिए दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के नाम बताएं;

(ग) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सदस्यता की जांच कब की गई, इनके सदस्य सोसाईटिओं का ऑडिट कब से नहीं हुआ, यदि हुआ है तो वह कौन-कौन सी फर्म से किया गया है सभी सदस्य सोसाईटिओं के ऑडिट की जानकारी दें;

(घ) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैक में एमडी की नियुक्ति का क्या नियम है;

(ङ) क्या वर्तमान में जो एमडी है वह नियुक्ति के सभी नियम कायदे कानून को पूर्ण करते है;

(च) यदि हां, तो जानकारी दें;

(छ) यदि नहीं, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई, जानकारी दें;

(ज) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों की कितनी शिकायतें लंबित है;

(झ) क्या विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई;

(ञ) यदि नहीं की गई तो दोषी अधिकारियों की सूची प्रदान करें;

(ट) विधान सभा की याचिका समिति में बैंक के कुल कितने मामले चल रहे हैं और उनमें विभाग की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई की गई; और

(ठ) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सभी सदस्यों की सूची तथा उसमें कौन-कौन सी सोसाइटी हैं सभी सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस फोन नंबर सहित उपलब्ध कराया जाए?

सहकारिता मंत्रीः (क) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में तत्कालीन अतिरिक्त पंजीयक सहकारी समितियां की रिपोर्ट पर उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और सतर्कता विभाग द्वारा की गई सिफारिशों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:-

दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में दिल्ली सरकार के शेयरों की हिस्सेदारी कम करने के मामले में विभाग ने पत्र संख्या एफ. सं. एआर (बीकेजी)/आरसीएस/2020-21/सीडी नंबर 107651211/130 दिनांक 23.02.2023 और उसके बाद अनुस्मारक दिनांक 16.10.2023 और 29.07.2024 द्वारा वित्त विभाग से अनुरोध किया कि वह दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मामलों में सरकार की वित्तीय पकड़ बनाए रखने के लिए दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करें।

दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए सदस्य सहकारी समिति को ऋण देने, नांगलोई में बैंक की 715 वर्ग गज भूमि को दिल्ली सहकारी विपणन एवं आपूति संघ को हस्तांतरित करने तथा बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक और अधिकारियों के रिश्तेदारों-संबंधियों की बैंक में नियुक्ति के मामलों में, दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 2003 की धारा 61 (1) के अनुसार श्री के.एस. मीना (रिटायर्ड आई.ए.एस.) को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निरीक्षण के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं रिपोर्ट का इंतजार है।

2.3 करोड़ रूपये के अनुचित-आकस्मिक शुल्कों पर जीएसटी के 42.3 लाख रूपये के विचलन के मामले में विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा यह जांचने के लिए श्री दिनेश कुमार, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की

नियुक्ति की गई है कि क्या विशेष लेखा परीक्षक ने नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा करने और पंजीयक सहकारी समितियां आदि के ध्यान में कमियों और अ नियमितताओं को उजागर करने के लिए सभी सावधानी बरती हैं।

चेयरमैन श्री विजेन्द्र सिंह तथा निदेशक श्री आर.एस. जून के विरूद्ध 16.023 करोड़ रूपये की वसूली के आदेश लंबित होने के मामले में डॉ. विजेन्द्र सिंह तथा श्री आर.एस. जून को जुर्माने से मुक्त करने के संबंध में दिनांक 02.06.2014 के आदेश की सत्यता की पुष्टि भारत सरकार के केन्द्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 के पत्र द्वारा की गई है।

संबंधित बैंक के अधिकारियों से सहायक कलेक्टर ग्रेड-II की शक्ति वापस लेने के मामले में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कानून और न्याय विभाग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार माननीय उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन के लिए फाइल प्रक्रिया में है।

दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सुश्री अनीता रावत की अवैध नियुक्ति के मामले में, दिनांक 11.05.2023 को बैंक को पत्र भेजकर सुश्री अनीता रावत को प्रबंध निदेशक के पद से हटाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, बैंक ने WPC संख्या 4277/2023 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.06.2023 को एक आदेश पारित किया जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी किया गया है।

संबंधित बैंक की सदस्य समितियों के सत्यापन के मामले में माननीय न्यायालय ने WPC संख्या 1072/2023 में अपने आदेश दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से

सदस्यता ऑडिट करने और उसके बाद दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के चुनाव के संचालन की निगरानी करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायूर्ति वी.के. जैन (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया। उक्त बैंक का चुनाव माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री वी.के. जैन की देखरेख में जून, 2024 के महीने में संपन्न हुआ है।

(ख) जब भी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे बैंक को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया जाता है और दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की सूचना एकत्रित की जा रही है और विधानसभा को शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और विधानसभा को शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

(घ) से (छ) दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी नियम, 2007 के नियम 58 में कहा गया है कि वित्तपोषित सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति सरकार के परामर्श से समिति द्वारा की जाएगी।

हालांकि, यह संज्ञान में आया है कि बैंक द्वारा दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी नियम, 2007 के नियम 58 का पालन नहीं किया गया है।

तदनुसार, इस कार्यालय के दिनांक 11.05.2023 के पत्र के माध्यम से बैंक को सुश्री अनीता रावत को प्रबंध निदेशक के पद से हटाने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा इस आदेश को WPC संख्या 4277/2023 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.06.2023 के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी किया है।

(ज) से (ञ) दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 2003 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार दिल्ली कोऑपरेटिव सोसायटी नियम, 2007 के नियम 166 के साथ सभी सहकारी समितियों की प्रबंध समिति को सेवा मामलों के संबंध में अपने कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तैयार करना आवश्यक है। जब भी संबंधित बैंक के खिलाफ बैंक के कर्मचारियों से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस शिकायत को संबंधित बैंक को उनके सेवा नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है।

वर्तमान में दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खिलाफ कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई कोई शिकायत लंबित नहीं है।

(ट) दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से संबंधित विधानसभा की याचिका समिति में कोई भी मामला लंबित नहीं है। पूर्व याचिका समिति द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां पूर्व याचिका समिति को उपलब्ध करा दी गई है।

(ठ) संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और विधानसभा को शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

281. श्री जितेन्द्र महाजनः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अधीन आने वाली स्वायत संस्थाओं के कर्मचारियों के भर्ती सम्बन्धित सर्विस रूल क्या सर्विसेज विभाग द्वारा बनाये जाते हैं, या अनुमोदित किये जाते हैं;

(ख) वह संस्थायें जिनके कर्मचारियों के सर्विस सम्बन्धित नियम सर्विसेज डिपार्टमेंट से अनुमोदित नहीं किये गए तथा उनकी जानकारी प्रदान करें;

(ग) इन संस्थाओं में कर्मचारियों के सर्विस रूल किस आधार पर बनाये जाते हैं तथा इन संस्थाओं में कर्मचारियों की भर्ती से सम्बन्धित क्या गाईड लाइन्स हैं;

(घ) पिछले दस वर्षो में इन संस्थाओं में कितने लोगों की किस माध्यम से नियुक्ति की गई, पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें;

(ङ) इन संस्थाओं में वर्तमान में कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त क्या सुविधाएं दी जा रही है; और

(च) क्या इन संस्थाओं में कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाती है, पूर्ण जानकारी प्रदान करें?

282. श्री मुकेश कुमार अहलावतः क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण कब से मिलना शुरु होगा; और

(ग) क्या इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर 20 फरवरी, 2025 के बाद से विभाग अथवा मंत्री परिषद् की कोई बैठक हुई?

उपरोक्त प्रश्न (अता. 281 और 282) का उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय सदस्यगण, आरक्षित विषयों पर तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के संदर्भ में व्यवस्था। मैं 'आरक्षित विषयों' (Reserved Subjects) पर तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के संबंध में अपनी व्यवस्था और आवष्यक निर्देश देना चाहूंगा।

जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 239 एए के अनुसार विषय आरक्षित हैं, न कि विभाग ये मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं कि 239 एए में विषय आरक्षित हैं विभाग नहीं हैं यहां पर होम मिनिस्टर हैं और गृह सचिव हैं और गृह विभाग है । इसी तरह से यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग विभाग है लैंड एंड बिल्डिंग मंत्री हैं और लैंड एंड बिल्डिंग सेक्रेटरी हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 239 एए के अनुसार विषय आरक्षित हैं न कि विभाग। गृह विभाग (जैसे कि आपराधिक कानून, अभियोजन, दिल्ली अग्निषमन सेवा आदि और भूमि एवं भवन विभाग) जैसे कि अस्पताल या स्कूलों के लिए भूमि का आवंटन, हाउसिंग, कार्यालय आवास, हाउसिंग लोन आदि, कई ऐसे कार्य करते हैं जो आरक्षित नहीं हैं। जो 239 एए में ये कार्य आरक्षित नहीं हैं इन विभागें में।

हमारे प्रक्रिया नियमों के अनुसार प्रश्नों की स्वीकार्यता तय करने के लिए अध्यक्ष अंतिम प्राधिकारी हैं। ये भी मैं सदन को स्पष्ट कर दूं जो प्रश्न आते हैं उनको तय करना ये अध्यक्ष का अधिकार है कि कौन सा प्रश्न सदन के समक्ष सूचना और जानकारी और मंत्री जी से पूछने के लिये है या वो कोई राजनीतिक द्वेषभाव से है। तो ये अधिकार अध्यक्ष का है ये तय करना कि कौन सा प्रश्न जो है वो स्वीकार्य है, उसके अंतिम प्राधिकारी अध्यक्ष हैं। नियम 48 के तहत

अध्यक्ष को प्रष्नों की स्वीकार्यता तय करने का अधिकार है। नियम 291 के तहत अध्यक्ष को नियमों की व्याख्या करने का अधिकार है और उनका निर्णय अंतिम होगा। नियम 292 के तहत अध्यक्ष के पास ऐसे किसी भी मामले में अवशिष्ट शक्तियां Residuary powers हैं जिसके लिए नियमों में प्रावधान नहीं किया गया है और नियम 293 के तहत किसी भी प्रष्न को अनुमति देने या न देने के संबंध में अध्यक्ष के किसी भी निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित विषयों से संबंधित प्रश्नों को मैं केस–टू–केस आधार पर स्वीकार करूंगा। 'सेवाओं' 'सर्विसिज' के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यह आरक्षित विषय नहीं है और इस विभाग के प्रश्नों को स्वीकार किया जाएगा तथा उनका उत्तर दिया जाएगा।

तो ये सदन के समक्ष जो है ये स्थिति को मैंने स्पष्ट कर दिया है और अधिकारी गण भी इस स्थिति को समझ लें और इसलिये सदन के जो पावर्स हैं वो करटेल न किये जाए और जो सदन की आवश्यकता है नियम के अनुसार उसके प्रश्नों के जवाब देने के लिए उनको तैयार रहना होगा। बाकी अधिकार अध्यक्ष के पास हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा जाना चाहिये या नहीं उसको तय मैं करूंगा।

अब हम यहां पर श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री...

...(व्यवधान)

सी.ए.जी. रिपोर्ट (डी.टी.सी.) पर चर्चा

माननीय अध्यक्षः मार्शल सुरेंद्र कुमार जी को बाहर ले जाईये। पुनर्दीप जी को बाहर ले जाईये। अभी सीएजी पर चर्चा शुरू हो रही है मात्र दो सदस्य रह

गये हैं विपक्ष के। मुझे लगता है वो भी यहां बैठना नहीं चाहेंगे क्योंकि सीएजी पर, बैठेंगे आप? बैठेंगे सीएजी पर? आप थोड़ा माईक अनिल झा का माईक खोलिये, सीएजी की चर्चा में डीटीसी में आप बैठना चाहेंगे? माईक खोलिये। क्योंकि बाकी सब सदस्य चले गये, आप रूकेंगे?

श्री अनिल झाः अध्यक्ष जी, कार्यवाही में सभी लोग शामिल होना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षः ठीक है सीएजी पर आप।

श्री अनिल झाः हमारी आपसे आग्रह है कि 2500 रूपये के मुद्दे पर...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ठीक है अब बैठ जाईये आप। इन्हें भी बाहर ले जाईये। ये भी बात नहीं करना चाहते।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री पुनरदीप सिंह साहनी व श्री अनिल झा को मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर किया गया)

माननीय अध्यक्षः अब मैं शुरू करता हूं श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री, हां नेता जी आप भी निकाल लीजिये। आप तो बैठेंगें न सदन में? भई वाह। राम सिंह जी के लिये ताली बजाई जाये। चलिये। बहुत बहुत बढ़िया। श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, वित मंत्री द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2025 एवं दिनांक 26 मार्च 2025 को क्रमशः प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली परिवहन विभाग के कामकाज

पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 4 तथा वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे एवं विनियोग लेखे पर चर्चा होगी। चर्चा के लिये मेरे पास नाम आये हैं डीटीसी पर श्री सतीश उपाध्याय जी।

श्री सतीश उपाध्याय: धन्यवाद अध्यक्ष जी, सदन में उपस्थित हमारे सभी माननीय सदस्यगण आज दिल्ली विधान सभा के सदन में ऐसे विषय पर हम चर्चा करने के लिये खड़े हैं जिसने दिल्ली की तथाकथित कट्टर ईमानदार सरकार का एक और कच्चा चिट्ठा इस सदन में खोला है। महोदय विषय है कि दिल्ली परिवहन निगम यानि एक वक्त दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की स्थिति और उसके लिये पूरी तरह से जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने डीटीसी को उसकी परिभाषा डीटीसी नहीं रही, उसकी परिभाषा अब हो गयी Drastically Troubled Corporation बना करके छोड़ दिया। डीटीसी समाप्त हो गयी। कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुली है, सरकार ने किस तरह से दिल्ली के लोगों को कष्टों में डाला है ये भी इस कैग रिपोर्ट में निकल करके आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा में ये मुख्यमंत्री के द्वारा सीएजी पर जांच रिपोर्ट खोली गयी थी दिल्ली को इस डीटीसी को इसने बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया और इनके धोखे की पोल भी खोल दी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिछली सरकार ने डीटीसी को सुधारने और जनता को बेहतर सुविधा देने के बजाये इसे कर्ज और घोटाले के अंधकार में धकेल दिया। यानि पूरी की पूरी व्यवस्था समाप्त हो गयी, कट्टर ईमानदार का मुखौटा पहनने वाली ये सरकार 12 वर्षो की विफलताओं का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस डीटीसी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिये था, मुनाफे में होना चाहिये था वो

आज दिवालियापन के कगार पर खड़ी है। आज डीटीसी की देनदारियां 37 हजार करोड़ रूपये तक पहुंच गयी। अध्यक्ष महोदय, अगर आंकड़ों की नजर से हम देखें डीटीसी का कुल घाटा 60 हजार करोड़ रूपये हो गया यानि 60 हजार करोड़ महोदय इसका मतलब हुआ कि सदन में जो एक लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है उसका 60 प्रतिशत घाटा केवल डीटीसी का है, केवल डीटीसी का है, इससे ज्यादा और कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। रिपोर्ट के अनुसार तथाकथित ईमानदार सरकार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद ही डीटीसी के बुरे दिन शुरू हो गये थे। डीटीसी का काला अध्याय प्रारंभ हो गया था। डीटीसी गर्त में जानी प्रारंभ हो गयी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2015-16 में डीटीसी का घाटा 28,263 करोड़ रूपये था जो 2021-22 में बढ़कर 65,274 करोड़ रूपये हो गया।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आखिर किया क्या, डीटीसी को लेकर के क्या किया और इसका जवाब है कुछ भी नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के, भाई-भतीजावाद के, लूट-खसोट के, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने डीटीसी को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का बिजनेस प्लान, अगर सरकार अपने निगम को चलाना चाहती है तो उसका एक व्यवसायिक प्लान बनाती है, उसका एक बिजनेस प्लान बनाती है। ये ही वजह है कि डीटीसी की बसें आम आदमी के यातायात का साधन जिसको बनना था वो सिर्फ भ्रष्टाचार और खर्चे का साधन बन गई। अध्यक्ष जी, जरा सोचिए, डीटीसी ने 2015 में प्रति-किलोमीटर परिचालन खर्च जो 213 रुपये था और 7 साल के अंदर 2022 में अध्यक्ष जी ये 457 रुपये हो गया, ये इनकी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से

चरमराई हुई थी उसका ये स्वरूप है। इसी दौरान 10 हजार किलोमीटर परिचालन पर ब्रेक डाउन की दर 2.90 प्रतिशत थी से बढ़कर के 4.57 प्रतिशत इनकी परिचालन दर बढ़ गई इनके भ्रष्टाचार के कारण और इसके कारण जो संभावित राजस्व में घाटा हुआ वो 6,668.60 करोड़ का हो गया। रिपोर्ट में एक और गंभीर सवाल उठता है, सवाल उठाया गया है कि 31 मार्च, 2022 तक डीटीसी के सभी रूटों पर बसें नहीं चल रही थी, लापरवाही का आलम यहां तक था कि कुल 814 रूटों में से 468 रूटों पर केवल बसें चल रही थी यानी 57 प्रतिशत, 57 प्रतिशत पर ही बसों का परिचालन हो रहा था और जिन रूटों पर बसें चल रही थी उसमें भी डीटीसी का मुनाफा तो दूर अपनी परिचालन लागत भी यानी अपना खर्चा भी डीटीसी नहीं निकाल पा रही थी। अध्यक्ष जी, क्या यही था ईमानदारों का जनता के लिए सस्ती और सुलभ सेवा देने का वायदा?

जो डीटीसी हर साल अपने बेड़े में बसें जोड़ता था उसका हाल ये हो गया, 2015 में डीटीसी के बेड़े में 4,344 बसें थी और 2023 में घटकर के 2,937 बसें केवल ये रह गई, ये इनकी जो कुव्यवस्था थी, जो जिस तरीके से इस डीटीसी को बेहाल किया दस साल के अंदर पूरी तरह से डीटीसी समाप्त हो गई। घटते बेड़े के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है अध्यक्ष जी, 2015 में डीटीसी में लो–फ्लोर एवरेज बसों की संख्या point 13 थी यानी 5 बसें थी जो 2022 में बढ़कर 17.44 प्रतिशत हो गई यानी 656 बसें हो गई। 31 मार्च, 2023 तक बढ़कर कुल बेड़े का 44.96 प्रतिशत यानी 1770 बसें हो गई। इसकी वजह पैसे की कमी नहीं, इसकी वजह पैसे की कमी नहीं बल्कि इनकी नीयत में कमी थी और उस नीयत के कारण से ये डीटीसी के हालात खराब हुए क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कट्टर ईमानदार की सरकार ने धन उपलब्ध होते हुए भी बसें नहीं खरीदी और जो खरीदी गई वो समय पर नहीं आई उसमें नुकसान हुआ और

फिर भी ऑपरेटरों पर 29.68 करोड़ का जो जुर्माना था वो भी भ्रष्टाचार के कारण नहीं लगाया गया, आखिर क्यों, इसकी वजह क्या थी, साफ समझ में आता है कि किस-किस की जेबें और कैसे-कैसे और कब-कब भरी गई। क्या इसी करप्शन को चलाए रखने के लिए जो ऑटोमैटिक स्वचलित किराया संग्रह की प्रणाली, एएफसीएस का घोटाला भी किया गया। अध्यक्ष जी, दिसंबर में 2017 में ये योजना लागू हुई लेकिन 2020 में इसे बंद भी कर दिया गया, 17 में लागू हुई, 20 में बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ और लोगों की जेबें भर दी गई यानी एक और परिचालन की योजना भ्रष्टाचार में चढ़ गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता से किए गए अपने वायदों से मखौल किया और उनका मजाक उड़ाया। डीटीसी को सुधारने और सुदृढ़ करने की बजाय उसे बर्बादी की राह पर धकेल दिया गया। ये भ्रष्टाचार, अयोग्यता, अर्कमण्ता की जीती जागती मिसाल है और जो कट्टर ईमानदारों के लिए कट्टर भ्रष्टाचार की जो पोल खुल रही है उसे देखते हुए मेरा मन कहता है,

'बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था।'

उन कट्टर बेईमानों ने जो शख्स पर जो उल्लू बिठाया था

फिर अंजामे गुलिस्तांयही होना था।

आज अध्यक्ष जी मैं मांग करता हूं कि कैग रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार की परतें खुले, बेईमानों को जेल में भेजा जाए और जो दोषी हैं कानून के हाथ उन तक पहुंचे। जिन अधिकारियों और जिन नेताओं की मिलीभगत से, जिन्होंने कुप्रबंधन में भूमिका निभाई है उनके खिलाफ कड़ी से

कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि समय की मांग को समझते हुए डीटीसी के पुनरूद्धार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि दिल्ली की जो लाईफ-लाईन कही जाने वाली डीटीसी है दुबारा से अपने मूल रूप में आ जाए और दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिले, परिवहन का सुगम साधन मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयलः माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और कल विपक्ष की नेता कह रही थी कि एक लाख करोड़ से ये किस तरह से इसको हवा-हवाई बजट में प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने आंकड़ें बड़ी जल्दी से उसको 78 हजार करोड़ रुपये ले आई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि यदि ये इतना काम कर लेते तो शायद डीटीसी भी घाटे में नहीं जाती क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। जब मैंने सीएजी रिपोर्ट को पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से कुप्रबंधन की वजह से लॉस डीटीसी को हुआ और डीटीसी की बसें में जबकि ये, इतनी जगह, सरकारी जमीन होने के नाते, सरकारी व्यवस्थाएं होने के नाते एक प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट में जाती है और लेकिन एक डीटीसी सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी लॉस में जाती है और ऑपरेटिंग लॉस जो माननीय अध्यक्ष जी 2021-22 तक का जो आपके लॉस था, ऑपरेटिंग लॉस 11 हजार 489 करोड़ रुपये, जिसमें 3 हजार 60 करोड़ रुपये ऑपरेटिंग लॉस और 8 हजार 432 करोड़ रुपये नॉन ऑपरेशन लॉसिस थे, ये देखिए डीटीसी की व्यवस्था का कुप्रबंधन। साथ में इसमें जो इंट्रेस्ट, गाड़ियों पर जो बसें खरीदी गई, बसों पर आपके जो इंट्रेस्ट लोन पर दिया गया 8 हजार 375 करोड़ रुपये खाली मात्र, कितनी बसों पर, 33 सौ बसों

पर आपके 8 हजार 375 करोड़ रुपये ये डीटीसी को नुकसान हुआ, ये था इनका कुप्रबंधन का जिसमें हमारी विपक्ष की नेता कह रही थीं कि 5 हजार करोड़ रुपये का जो रेवेन्यू इन्होंने इन्कम दिखाई है वो हवा-हवाई है, मैं कहना चाहता हूं यदि ये व्यवस्था 10 साल में कर ले होते तो शायद ये जो 11 हजार करोड़ रुपये का नुकसान इनकी कुप्रबंधन व्यवस्था की वजह से सिर्फ और सिर्फ डीटीसी को हुआ है। अनेकों अनेक विभाग हैं, अनेकों अनेक बोर्ड हैं, जहां पर हजारों करोड़ रुपये का नुकसान इनके कुप्रबंधन व्यवस्था की वजह से हुआ वो रूक सकता था।

ऐसे ही 63.10 करोड़ रुपये एक एडिशनल लायबिलिटी जीएसटी के रूप में डीटीसी को भरनी पड़ी यदि उस व्यवस्था को यदि टाइम्ली उन ठेकेदारों के माध्यम से जो व्यवस्थित तरीके से बिल दिये गये थे, उनको प्लानिंग करके उनको जोड़ लिया जाता तो शायद ये 63 करोड़ रुपये का भी रेवेन्यू का लॉस नहीं होता।

इसी तरह से डिले कलेक्शन, कलेक्शन करनी थी जोकि व्यवस्था में 29.86 करोड़ रुपये की, जो ऑपरेटर से इनको कलेक्शन करनी थी, इन्होंने उनको अपनी रिश्तेदारी निभाते हुए उस कलेक्शन का भी नुकसान 29.86 करोड़ रुपये का हुआ।

ऐसे ही आपके जो बसिस की वजह से, पुरानी बसें, आप ये देखिए अध्यक्ष जी यदि हम पूरी इस बात को देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो अपनी दिल्ली सरकार ने इनको डीटीसी को 2021-22 में जो अनुदान दिया वो 23 सौ 20 करोड़ रुपये दिया है, 23 सौ 20 करोड़ रुपये 3200 बसों को चलाने के लिए

दिया, ये देखिए डीटीसी का कितना बड़ा नुकसान दिया है, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुप्रबंधन की व्यवस्था थी।

साथ में आपके जो ब्याज की लागत जैसा कि मैंने पहले आपको बताया वो 8 हजार 475 करोड़ रुपये भी हमारी ये दिल्ली की सरकार ने उसको वहन करना पड़ा जोकि जनता के टैक्स का पैसा किसी अन्य डेवलपमेंट में लग सकता था।

साथ में अध्यक्ष जी जो बसों का, कर्मचारियों की संख्या 30 हजार 591, बस हैं कितनी 3 हजार 206, एक बस को चलाने के लिए 9 कर्मचारी लगभग, 9 कर्मचारी लगभग बस को चलान के लिए दिल्ली डीटीसी बस के अंदर हैं। आप ये देखिए कहां से बस प्रॉफिट में आ सकती है, एक बस को 9 कर्मचारी चला रहे हैं। और स्थिति ऐसी जहां कंडक्टर्स की आवश्यकता थी दो कि वहां कंडक्टर्स की व्यवस्था थी 4 की, जहां बस के ड्राइवर्स की व्यवस्था थी दो की होनी चाहिए यदि डे नाइट में आप प्लानिंग करते हैं, वहां व्यवस्था वो थी। इन्होंने जो आपके प्लानिंग की साथ में, दिल्ली की जनसंख्या इनमें लिखी है 3 करोड़ 20 लाख और आपके कुल यात्रियों की संख्या हैं 57 करोड़ 2 लाख, जो पिछले 21-22 के अंदर इस व्यवस्था को किया है। यदि हम इन सब आंकड़ों को यदि कम्पैरिजन करें और कम्पैरिजन करके जो 2009 के अंदर जो परिचालन व्यवस्था जो शुल्क की व्यवस्था तय की गई थी 2009 के बाद में 2016 में, समिति ने एक निर्णय लिया, एक सुझाव दिया दिल्ली सरकार को कि कुछ किलोमीटर cost of increase जो inflation हुआ उसकी व्यवस्था यदि बढ़ा दी जाए, उस पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से डीटीसी को नुकसान उठाना पड़ा।

और यदि हम देखें इन सारी व्यवस्थाओं के साथ-साथ में सीसीटीवी कैमरे जो लगने थे और सीसीटीवी और डीआईएमटीएस जैसी व्यवस्थाएं जो करनी थी, पैनिक बटन लगाने थे वो भी कहीं व्यवस्था में नजर नहीं आयें और सिर्फ और सिर्फ वो हवा-हवाई हो गये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोलना होता था, काम नहीं हुआ।

साथ में जो बसों के ऊपर जो एटवर्टाइजमेंट करनी थी क्योंकि बस दिल्ली की जगह केरल में नही चल सकती थी, दिल्ली की जगह गोवा में नहीं चल सकती थी बसें वो, दिल्ली की जगह पंजाब में नहीं चल सकती थी, लेकिन उस व्यवस्था को दिल्ली की क्योंकि दिल्ली में ही चलनी थी इसलिए जो व्यवस्था आपके जो tenders को करना था इनको जिसमें डिले किया जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ रुपये का डीटीसी को नुकसान हुआ, वो भी आपके केजरीवाल सरकार ने समय पर निर्णय नहीं लिया।

साथ में डीटीसी ने अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार वाहन उत्पादकता, लोड-फैक्टर, माइलेज जैसी महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी के लिए भी लापरवाही बरती। डाटा में विसंगतियां और इसीलिए ये सारा का सारा सिस्टम दिल्ली में पुरानी बसों की प्रतिशत संख्या काफी बढ़ गई और नई बसों को खरीदने के लिए समय पर निर्णय नहीं लिया गया, जिससे न केवल परिचालन लागत बढ़ी बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई।

साथ में डीटीसी को अपने दीर्घकालीन कोई योजना तैयार नहीं की कि हम अगले पांच साल में किस तरह से डीटीसी को चलायेंगे, कहां से कैसे प्रॉफिट आयेगा, कैसे डीटीसी के अंदर इस ऑपरेटिंग लॉस को कैसे कम किया जाए उस पर भी इनके जो विधायक थे, पहली बार 67, बाद में 62, इन विधायकों ने

सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की हां में हां और ना में ना मिलाने का काम किया जिससे कि डीटीसी को नुकसान हुआ। यदि इनमें से एक विधायक उस डीटीसी को देख लेते तो मैं समझता हूं डीटीसी का नुकसान नहीं होता।

इसी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो, सीएजी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, एक-एक मुद्दे पर स्पष्ट किया,...

माननीय अध्यक्षः अभी सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 12.37 बजे पुनः समवेत हुआ।

*माननीय अध्यक्ष **(श्री विजेन्द्र गुप्ता)** पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्षः संजय गोयल जी शुरू करेंगे।

श्री संजय गोयलः धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी जिस तरह से दिल्ली की पिछली सरकार ने 11 साल में दिल्ली की जनता को तो लूटा ही लूटा और डीटीसी को भी बदहाल स्थिति में कर दिया और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी 3 करोड़ बीस लाख की जनसंख्या पर प्रति लाख मात्र 10 बसे हैं और आप ये देखिए प्रति लाख ईस्ट दिल्ली के अंदर मैक्सिमम क्लसटर्स हैं, मैक्सिमम जिनके लो इन्कम ग्रूप के सम्मानित जनता रहती है। अब बताइये उनको मजबूरी में अपने व्हीकलस में जाना पड़ता है या किसी अन्य उपयोगों के, टैक्सी या स्कूटर थ्री व्हीलर जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है

और ट्रैफिक जाम भी होता है। इन बसों की व्यवस्था भी नहीं कर पाए और आप स्थिति देखिये, 3,206 बसों में से 1,770 बसें 8 वर्ष से 12 वर्ष पुरानी बसें हैं, यदि ये बसें निकल जाती हैं तो दिल्ली की सड़कों पर मात्र इसी साल 1,436 बसेज मात्र रह जाएंगी। आप बताइये की 3 करोड़ 20 लाख की आबादी की जनसंख्या वाली दिल्ली जो कि दिल्ली की इस कैग रिपोर्ट में बताया गया है उस सारे भार को किस तरह से डीटीसी की बसें इसको उठा पाएंगीं और इसमें जो लॉस था पर किलोमीटर के हिसाब से इससे तो बढ़िया रहता की जब इन्होंने सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन कर दी, शराब की दुकानें तो प्राइवेट लोगों को दे दी, जिसमें एक पर एक फ्री और जिसमें हजारों करोड़ रुपए का करप्शन किया, यदि ये डीटीसी की बसों को भी प्राइवेट हाथों में यदि दे देते तो मैं समझता हूं कि ये जो 13 हजार करोड़ का लॉस हुआ था वो लॉस ना होकर वो प्रोफिट में बदल जाता। लेकिन इनको क्योंकि वहां कुछ मिलना नहीं था इसलिए इन्होंने वो काम नहीं किया और साथ में जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को नुकसान उठाना पड़ा और अपने को अनुदान देना पड़ा। सड़कें ठीक नहीं होने की वजह से, क्योंकि सड़कें नहीं बनाई तो बसें तो सड़कों पर ही चलनी है, जहां गड्ढे होंगे, गड्ढों में सड़कें होंगी तो उसकी वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, डीटीसी की बढ़ी उसकी वजह से भी डीटीसी को नुकसान हुआ और कई बार डीटीसी के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी के इनके अधिकारियों को कहा कि ये सड़कें सही होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये मस्त थे, दिल्ली की जनता को लूटने के लिए और प्रत्येक प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मस्त थे। इसलिए अनेको-अनेक समस्या होने के नाते दिल्ली की व्यवस्था को इन्होंने चरमरा कर दिया। मैं इतना ही कहूंगा कि सीएजी की जो रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है। ये तो 2021-22 तक की है अभी 22-23, 23-24 की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसमें भी देखते हैं

कितना घोटाला इन्होंने किया है। कितनी दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को जो वसूला गया, उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, अभी कल कह रही थी हमारी नेता विपक्ष की कैसे आएगा एक लाख करोड़, अरे आप छोड़िये यहां एक लाख करोड़ क्या, दो लाख करोड़ भी आएगा क्योंकि हम इन व्यवस्थाओं को दुरूस्त कर देंगे, जहां हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आपने दिल्ली की जनता का किया है, उसको हजारों करोड़ रुपए के प्रोफिट में चेंज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इसीलिए 21 राज्यों में सरकार है, जो कि जानती है कि कैसे व्यवस्थाओं को सही किया जाता है, इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, जयभारत, भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल।

श्री अशोक गोयलः मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कैग की रिपोर्ट डीटीसी पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी सीएजी की एक्साइज और हैल्थ के बाद ये जो तीसरी रिपोर्ट डीटीसी पर जिसपर हम चर्चा कर रहे हैं, ये चीख-चीख के कह रही है कि जैसे एक्साइज और हैल्थ में इस आपदा पार्टी ने दिल्ली के लोगों को मिलकर लूटा, उसी तरह से डीटीसी का भी पिछले 10 वर्षों में इन्होंने बुरा हाल किया। डीटीसी जो की दिल्ली की लाइफ लाइन है, 15 लाख 62 हजार यात्री हर रोज ट्रैवल करते हैं, 30 हजार 591 कर्मचारी हैं, 3937 बसें हैं और 36 दिल्ली के महत्वपूर्ण जगह पर डिपो है और 468 रूट है। लेकिन इन्होंने इस डीटीसी को बदहाली में बदल दिया। 2015-16 में जो डीटीसी का लॉस था 25,299 करोड़ था उससे बढ़कर 2021-22 में 60,741 करोड़ हो गया यानि के 35,444 करोड़ 7 वर्षों में दिल्ली के लोगों का इन्होंने जो पैसा था वो लूटा और ओपरेशन लॉस इन 7 वर्षों में 14,198 करोड़ हुआ, इंट्रस्ट का बोझ भी 3,277 करोड़ से बढ़कर 8,375 करोड़

हो गया। अध्यक्ष जी, जब ये लोग 2013 में आए थे, जनता ने सोचा था कि हालात में बदलाव आएगा, जनता ने सोचा था बदलाव आएगा, ईमानदारी का परचम लहराएगा, लेकिन क्या पता था आपदा वाले इतने बदल जाएंगे, भ्रष्टाचार के बाप बन जाएंगे। जब कुर्सी मिली तो बदल गए इनके रंग, दिल्ली के लोगों ने इनके भ्रष्टाचार को देखकर रह गए दंग। अध्यक्ष जी ये जो ओपरेशनल किलोमीटर है, 2,673 किलोमीटर डीटीसी बस, 2015-16 में चलती थी, वो घटकर 2,354 किलोमीटर रह गई। दिल्ली लगातार बढ़ रही है, दिल्ली की आबादी बढ़ रही है लेकिन किलोमीटर ओपरेशनल बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 300 किलोमीटर इन लोगों ने कम कर दिये। एक किलोमीटर बस चलाने का जो खर्चा था वो 213 किलोमीटर, एक किलोमीटर पर खर्चा आता था, इनके इन 7 साल के कार्यकाल में एक किलोमीटर का जो चलाने का खर्चा था वो 487 रुपए हो गया। ये साफ-साफ बताता है कि भारी भ्रष्टाचार, इनएफीसैंसी इन लोगों ने की, 814 रूट माननीय अध्यक्ष जी स्वीकृत रूट थे जो डीटीसी की बस के ऊपर थे, लेकिन ओपरेशनल सिर्फ 468 रूट थे, जो दिल्ली के अंदर रूट बढ़ने चाहिए थे क्योंकि दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली का क्षेत्र बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, अनोथराइज्ड कॉलोनी भी बढ़ रही है। लेकिन इन्होंने रूट बढ़ाने की बजाए ओपरेशनल रूट भी कम कर-कर 468 रूट रह गए और सबसे बड़ी बात जिन रूट पर ये बसें चल रही थी, उसमें मिस-शैड्यूल और ब्रेक डाउन की वजह से 668 करोड़ का नुकसान हुआ और ये जो मिस शैड्यूड थे करीब-करीब जितनी बसें चल रही हैं, उसके 10 प्रसेंट बसों ने अपने शैड्यूल को मिस किया और ब्रेक डाउन जो हर 10 हजार किलोमीटर पर, 2.97 से बढ़कर 4.57 हो गया यानि के हर 12वें दिन एक डीटीसी की बस ब्रेक डाउन करती है। जबकि वह डीम्स जोके प्राइवेट ओपरेटर चला रहे हैं उनकी 2300 दिनों में एक बस ब्रेकडाउन

होती है लेकिन डीटीसी की बस हर 12 दिन में एक बार ब्रेक डाउन होती है अध्यक्ष जी और डीटीसी के बस के बाहर सड़क पर खड़े होकर जो दिल्ली के लोग हैं, वो इंतजार करते रहते हैं और वो गाना गाते रहते हैं, आएगी, आएगी कभी तो मेरी भी डीटीसी की बस आएगी। इतना बुरा हाल इन लोगों ने किया है। इलैक्ट्रीक बसें सिर्फ 300 ली गई, जबकि फंडस अवेलेबल था लेकिन उसके बाद भी परक्योर नहीं की गई, जिस ओपरेटर ने डीटीसी बस को इलैक्ट्रीक बस देनी थी उसने डीले किया उसके ऊपर 29 करोड़ की पेनेल्टी बनती थी उसको भी इन्होंने नहीं लगाया क्योंकि ओपरेटर से इनकी घालमेल थी और उस पर उन्होंने फाइन भी नहीं लगाया। 2015 में डीटीसी के पास 4,344 बसें थी, लेकिन 2023 में वो घटकर 3,937 बसें रह गई। हर जगह पर इन लोगों ने दिल्ली के लोगों का बुरा हाल किया है। बसों को बढ़ाने की बजाए, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन बसें घट रही हैं और उन 3,937 में भी सोने पे सुहागा इन लोगों ने क्या किया 1,770 बसें ओवरएज थी जो के 2015 में point थे, अब point 13 प्रसैंट, 2015-22 में 17.44 प्रसैंट और मार्च, 23 में 44.96 प्रसेंट ओवरएज बसें थी और इन ओवरएज बसों के कारण दिल्ली की बसों में पिछले 6 वर्षों में 41 बार फायर के एक्सीडेंट हुए, उन फायर के एक्सीडेंट में 6 बसें पूरी तरह मोब ने जला दी, उनकी आज तक कोई जानकारी नहीं है और 33 बसें जो जली उनके कारण लो मेंटीनेंस, पावर फेलओवर ऐसे अनेकों कारण जिसके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे और इन्सीडेंट लगातार दिल्ली के अंदर ना हो ये सीएजी की इस रिपोर्ट में कह रहे हैं। रेवेन्यू के ऊपर जो 2015-16 में डीटीसी बस का जो रेवेन्यू था, कोर्पोरेशन का 914 करोड़ था, वो घटकर 558 करोड़ रह गया अध्यक्ष जी। और इसके कारण के कम्प्यूटर लगातार कम होते जा रहे हैं और इसके अंदर ओपरेशनल किलोमीटर भी लगातार कम होते जा रहे हैं। डीटीसी की बस की मैनेजमेंट का इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ। एक

रेवेन्यू दूसरा इन्होंने जो डिम्स की जो बसें दी जिसको कलस्टर बसें कहते हैं उनसे भी 225 करोड़ रुपए का रेंट इन्होंने वसूल नहीं किया, जीएसटी के अंदर रॉंग अवेल किया उसके लिए 63 करोड़ रुपए की पेनेल्टी देनी पड़ी। एडवरटिजमेंट जो बसों के अंदर और डिपो के अंदर जो एडवरटिजमेंट देकर कमाई हो सकती थी डीटीसी कोर्पोरेशन की उसको भी इन्होंने डिले किया जिसकी वजह से एडविटजमेंट की वजह से भी कमाई नहीं हो पाई। 2013 में कमेटी बनी उस कमेटी ने कहा की जो दिल्ली के अंदर 36 डिपों है उनका कमर्शियल यूज किया जाना चाहिए, उस कमेटी में ये तय हुआ की बजट होटल, मल्टीलेवल पार्किंग वहां पर बन सकती है, वो लगातार मीटिंगे चलती रही, लेकिन वो जो बजट होटल, मल्टीलेवल पार्किंग या रिडवलपमेंट ऑफिस जिसमें मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बन सकती थी और लोगों को किराए पर भी दिया जा सकता था, वो भी इन्होंने ऐसा अध्यक्ष जी कुछ नहीं किया। बसों के अंदर ये एक प्रपोजल हुआ की एलईडी स्क्रीन लगाएंगे जिससे की एडवरटिजमेंट होंगे वो प्रपोजल भी इन्होंने कुछ नहीं किया, माननीय अध्यक्ष जी। डीटीसी की बसों के अंदर 3,697 बस में एक सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात 2019 में फाइनलाइज हुई, 52 करोड़ रुपए कॉंट्रैक्टर को दे दिए गए लेकिन उसका यूजर एक्सपटैंस टैस्ट है कि वो लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा वो टैस्ट आज तक नहीं हुआ और 52 करोड़ रुपए भी डीटीसी के बर्बाद कर दिये गए, ये जो बर्बाद करने की कहानी है, ऑक्सीजन टैंकर जब कोरोना चल रहा था तो डीटीसी ने भी ऑक्सीजन टैंकर, 12 टैंकर मंगवाए 17.5 करोड़ रुपए के लेकिन वो जंग लगकर अभी भी टैंकर पड़े हुए हैं उनका कमर्शियल यूज भी माननीय अध्यक्ष जी नहीं हुआ। ये पूरी रिपोर्ट देखकर ये बिल्कुल साफ-साफ जाहिर है कि आपदा वालों ने इन कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली के लोगों के गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटा है, इनएफीसिएंसी

से बर्बाद किया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे ये आग्रह करूंगा इस सदन के माध्यम से की इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए और जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और वो जेल के अंदर जाना चाहिए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इनके ख्याल रखने के लिए एक नई जेल का भी प्रावधान किया है जिससे इन लोगों को कोई असुविधा ना हो इनकी इंक्वायरी करके जल्द से जल्द इनको जेल भेजा जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री तरविन्दर सिंह मारवाह (अनुपस्थित)। श्री कुलवंत राणा।

श्री कुलवंत राणाः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, दिल्ली परिवहन निगम के विषय में जो सीएजी रिपोर्ट आई है बहुत दुखदायी है और पीड़ादायी है। डीटीसी एक गरीबों का आवागमन का एक माध्यम है और इन्होंने उसका बेड़ा गरक कर दिया। घाटे में पहुंचा दिया। मैं आंकड़ों में नहीं जाउंगा। आंकड़ें में सबने बताए हैं आंकड़ों में कितने कितने करोड़ का घाटा मैं ले के आया हूं मेरे पास भी हैं लेकिन मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। मुख्य रूप से जो स्लम बस्तियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत बेहतर परिवहन व्यवस्था थी और डीटीसी की व्यवस्था पहले हमारी भी सरकार रही उसमें भी बहुत अच्छी रही, कांग्रेस काल में भी अच्छी रही और डिम्ट्स भी कांग्रेस लेकर आई डिम्ट्स की योजना इसलिए आई कि और अच्छी व्यवस्था हो सके लेकिन डिम्ट्स में और सरकार में जो प्राईवेट चालक हैं उनमें आपस में तालमेल हो गया और डीटीसी को जानबूझ कर के घाटे में लेकर आए ताकि उनकी अपनी जो व्यक्तिगत

साठगांठ थी प्राईवेट बसों मालिकों से प्राईवेट बस मालिकों ने अपने मुताबिक रूट ले लिए और वो रूट लेकर के डीटीसी को घाटे में पहुंचाया और व्यक्तिगत उन प्राईवेट मालिकों को लाभ हुआ लेकिन इसके कारण डीटीसी एक बहुत बड़ा कमाई का स्त्रोत हो सकता है आज भी। आज भी हम चाहेंगे सरकार से कि हम इसको कैसे घाटे से उबार सकते हैं पर बहुत बड़ा इसके अंदर जो प्रचार का है इससे पहले भी प्रचार का इस्तेमाल करते रहे हम बसों को हम बैक साइड में बस के हम इनके डिपो तक को भी बसों को भी अंदर भी जैसे हम मुंबई में भी यात्रा की होगी आपने बसों में तो वहां पे भी उनको जब पकड़ने वाले हैंडल हैं या मैट्रो में हैं जिस प्रकार मैट्रो में प्रचार की एडवर्टाइजमेंट की व्यवस्था है बसों में भी इस प्रकार की व्यवस्था करके उनके डिपो का जहां कमर्शियल जो शहर के अंदर डिपो हैं उनको कैसे हम मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बना कर के कमर्शियल मॉल में परिवर्तित करके उससे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था इतनी चरमर्रा गई जिसके कारण दिल्ली के लोग झेल रहे हैं जाम का शिकार रहते हैं और जिनको बस चाहिए उनको बस मिलती नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बन पाई नहीं, 11 सालों में सड़कें टूटी पड़ी थीं और ये बस ले आए 'मार्को पोलो' हमारे यहां एक बस टर्मिनल है 'मार्को पोलो' उसमें पार्क होती है तो मुड़ने मुड़ने में 'मार्को पोलो' स्थिति के अनुसार दिल्ली में हम कापी करते हैं बाहर के मुल्कों की लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हमारी सड़कों की स्थिति क्या है हम ये बहुत बड़ा जनसंख्या का शहर है क्या उसके मुताबिक प्लान नहीं होना चाहिए। कापी करते रहेगें क्या हम वो 'मार्को पोलो' बस मुड़ने में इतनी टाईम लगाती है कि लंबे जाम लग जाते हैं और बस वालों को मोड़ने में दिक्कत होती है तो हमें इस प्रकार की जैसे अभी ये नेताजी सुभाष पैलेस से लेकर के और रिठाला मैट्रो स्टेशन तक सड़क का सुधारीकरण किया या उसको सौंदर्यीकरण किया उसमें सर्विस लेन खत्म कर दी। अब सर्विस

लेन खत्म करने से ट्रैफिक बढ़ गया और आम लोग उससे वो झेल रहे हैं और आपको मालूम है दिल्ली है, देश है, हिंदुस्तान है खुदाई भी होगी तो पत्थर भी टूटेगा जो पैसा इतना खर्च किया उसके उपर उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और वो पार्क खत्म हो जाएगा दो चार साल में और लोगों को हम समस्या का समाधान करने की बजाय समस्या पैदा कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के जो डीटीसी की स्थिति है जो उसमें घाटा है उस घाटे के जिम्मेदारी लापरवाह लोग और उन्होंने बेडा गर्क कर दिया डीटीसी के साथ साथ अन्य विभागों का भी तो इससे राष्ट्र का भी नुकसान हुआ है। दिल्ली का भी नुकसान हुआ है और गरीब लोगों का भी नुकसान हुआ है और ये एक किस्म से राष्ट्रद्रोह है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ना कोई गंभीर जांच कराकर ना जो गंभीर आरोप हैं ये सामान्य आरोप नहीं हैं सामान्य मामला नहीं है असमान्य मामला है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाई हो ताकि भविष्य में ये लोग या कोई भी आने वाले टाईम में लोग इस प्रकार की कोताही विभागों के साथ ना करें। पब्लिक प्रोपर्टी के साथ खिलवाड़ ना करें और एक नई दिशा मिले कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो हमारी जवाबदेही है कि हम जनता को बेहतर सेवा प्रदान करें। उसके अलावा जो ग्रामीण जो छोटी छोटी ग्रामीण सेवाएं चलती हैं ये थ्री व्हीलर कमर्शियल व्हीकल होते हैं, ये छोटे छोटे इनमें बीस बीस लोग ठूंसे होते हैं अगर परिवहन व्यवस्था अच्छी हो, मैट्रो का अच्छे से विस्तार करके 11 सालों में तो दिल्ली के लोगों को एक अच्छी परिवहन व्यवस्था मिलती और एक अच्छे विकल्प मिलते तो कुल मिलाकर के जो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है वो इनकी कार्य प्रणाली के जो इनकी व्यवस्था है इनकी लीडरशिप, क्वालिटी इनकी गंभीरता, इनकी दिल्ली के प्रति जवाबदेही वो सब की सब जो इनकी रिपोर्ट्स उजागर कर रही हैं। ये लोग गंभीर नहीं थे राजनैतिक विस्तार के लिए आए थे और अपने सपने पूरे करने

आए थे और दिल्ली का 11 वर्षों में इन्होने बेड़ा गर्क कर दिया। ये सीएजी की रिपोर्ट जिस प्रकार से आई है जो इसका खुलासा कर रही है इनके बारे में वो बहुत बेहद दुखदायी है तो ज्यादा ना बोलते हुए जैसे देवराहा जी ने भी कहा इनके खिलाफ सच में रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पर जो अब तीन महीने के लिए भेज दो पीएसी को ये रिपोर्ट लेकर के संगीन मामला है तो इसके विरूद्ध एक कार्रवाई एक संदेश जाए कि दिल्ली की सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और जो लोग गलत काम करते हैं उनको सही ढंग से जहां उनकी जगह होती है वहां पहुंचाया। आपने मुझे समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री गजेन्द्र दराल जी।

श्री गजेन्द्र दरालः आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट गजेन्द्र जी। हां बोलो बोलो।

श्री कुलवंत राणाः मैं भूल गया

''कम्बखत सफर आसां हो तो हम भी उमर गुजारें

आशियाने में किसे कहें किसको रोएं,

सफर की दास्तान तुम गुम है सफर निभाने में।"

माननीय अध्यक्षः गजेन्द्र जी।

श्री गजेन्द्र दरालः धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे डीटीसी सीएजी रिपोर्ट पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि अभी सभी माननीय सदस्यों ने आंकड़ों के आधार पर जितने भी डीटीसी के अंदर जो गलत तरीके से जो घोटाले किए गए वो बताएं लेकिन मैं अगर वो सामने बैठे होते तो उन्हें पता

लगता कि पिछले दस साल के अंदर किस तरीके से उन्होंने इस दिल्ली की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बस स्टैंड हैं वो आज की डेट में कहीं पे भी नहीं है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा मार्बल लगाकर जिस तरीके से शिक्षा के अंदर कहीं कहीं बहुत अच्छे स्कूल एक दो कमरे बहुत अच्छे तरीके से सजा कर और उनको एक रोल माडल बनाया उसी तरीके से दिल्ली के कुछ बस स्टॉपों को अच्छा मार्बल, अच्छी सुविधा स्टील उसके उपर लगाकर और स्टील की चेन लगाकर वो भी गिनती मात्र। तो मैं तो चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर जहां जहां बस स्टैंड नहीं बने हुए और वो कागजों में जरूर बने होंगे तो इसकी भी अगर हमारे मंत्री जी जांच करायें तो उसमें भी कुछ न कुछ नये भेद खुलेंगे। और देखिये इन लोगों ने जो मातृशक्ति को उसके अंदर बताया कि हमने दिल्ली की जनता को फ्री सेवा दी। लेकिन वो मातृशक्ति सिर्फ रोड पर खड़ी रहती थी और इनकी जो बसों का जो चलन का सिस्टम था वो मातायें जहां खड़ी होती थी उनसे आगे जा के रोकना और फिर बड़ी तेजी से उस बस को चला देना ये भी दिल्ली की उस मातृशक्ति के साथ एक सौतेला व्यवहार था। वो सिर्फ परेशान हुई इनकी किसी भी सुविधा का कोई फायदा नहीं ले सकी। और इस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 2022 में केंद्र सरकार इनको कोई मदद देना चाहती थी उस मदद को भी इन्होंने नहीं लिया क्योंकि उन बसों के उपर कहीं न कहीं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी का फोटो या उनका एक संदेश होना था ताकि वो दिल्ली की जनता के बीच में न जाये कि ये केंद्र के द्वारा सुविधा दी जा रही है तो इन भ्रष्टाचारियों ने सिर्फ और सिर्फ उन योजनाओं को लागू करने की कोशिश की जिनसे उनके उस मफलरमैन की इस दिल्ली के अंदर एडवर्टाइजमेंट हो। लेकिन जिस तरीके से

इन्होंने केंद्र सरकार का जो एक जनता के लिये फायदेमंद जो पैसा मिलना था, वो नहीं लिया। लेकिन दिल्ली की जनता के दिलों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी राज करते हैं चाहे वो युवा हों, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हों। इस रिपोर्ट के अंदर अनेकों जगह पर दिखाया गया है कि इन लोगों ने हर तरीके से इस डीटीसी को एक घोटाले में कैसे बदला। हम भी कई बार देखते थे कि एक ही बस के पीछे लगातार कई बसें उसी रूट की और जिसके अंदर मात्र एक या दो सवारी बैठी होती थी और वो दिल्ली की जनता की उस गाढी कमाई का टैक्स का पैसा जो दिल्ली की इस उज्जवल भविष्य के लिये लगना था लेकिन वो नहीं लग पाया। न इन्होंने कभी भी उन रोड़ों का ध्यान दिया जिस रोड़ पर वो डीटीसी बसें चलती थी। रोहतक रोड़ पर भी कई बार बारिशों के दौरान अनेकों बसें इनकी डीटीसी की खराब खड़ी होती रहती थी। ये दुर्भाग्य था दिल्ली का क्योंकि इन लोगों ने जहां तक दिल्ली के अंदर जितने भी मंत्रालय थे उन मंत्रालयों से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का और अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया और जो मेरे सामने बैठे वाले बार बार कल हमारे एक माननीय सदस्य कैलाश गहलौत जी पर बार बार कटाक्ष कर रहे थे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत जी ने अपनी सरदार की नहीं मानी क्योंकि वो सरदार इनका सिर्फ पैसे इकट्ठे करना जानता था और जब उनकी अन्तर्रात्मा जागी तो उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया और आज वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर जनता के लिये सुविधा देने के लिये उपलब्ध है। ये इन लोगों की कमी रही कि इन लोगों ने सिर्फ एक व्यक्ति को अपना मुखिया मानकर और दिल्ली में अपने आप को मालिक बनाकर इस दिल्ली की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, आज इन सब लोगों को पता है कि आपकी कारगुजारियों के कारण इस दिल्ली की जनता ने आपको नकारा और इसी कारण ये लोग नहीं

बैठना चाहते कि इन लोगों ने पिछले 10–11 साल में किस तरीके से इस दिल्ली को खोखला किया और दीमक की तरह खोखला किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय मंत्री जी को ये जरूर कहूंगा कि हमने दिल्ली के अंदर अब बदलाव लाना है। तो दिल्ली की जितनी भी बसिज़ हैं उनको इस तरीके से हर रूट पर लगाया जाये ताकि उनका सदुपयोग हो सके और जो इन लोगों ने पिछले 10–11 साल में इस डीटीसी को बहुत ही बड़े घोटाले के अंदर अपनी तिजोरियों को भरकर और घाटे में ले के गये हैं तो हम सबकी मेहनत से और मंत्री जी की मेहनत से फिर से डीटीसी इस दिल्ली के अंदर परिवहन का अच्छा साधन बन सके जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 02.01 बजे समवेत हुआ।

*(माननीय अध्यक्ष **(श्री विजेंद्र गुप्ता)** पीठासीन हुए)*

माननीय अध्यक्षः अब मैं माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह जी से अनुरोध करूंगा कि वो चर्चा को आगे बढ़ाएं।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। हमने भी अध्यक्ष जी 15 साल, 1998 लेकर 2013 का भी वक्त देखा। उसके बाद कभी–कभी मौका मिलता था वहां बैठकर राम निवास गोयल को भी देखा, अजय माकन जी को भी देखा, सुभाष चौपड़ा जी को, धीर

को भी, शास्त्री जी को और चौधरी प्रेम सिंह जी को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कभी सदन 4 बजे खत्म हो जाता था तब, कभी 3 बजे हो जाता था, लेकिन आपको शाबाशी देनी चाहिए कि आप पूरा समय सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि आप जो हमारे विपक्ष के साथी लोग हैं उनको भी इतना समय दे रहे हो इसमें कोई राज तो नहीं है। उनको इतना समय दे रहे हो तब भी वो समय-समय पर आज भी प्रश्न, क्वेश्चन पर कितना उन्होंने समय खराब किया। लेकिन आपको पूरा समर्थन है हमारा क्योंकि आप कानून के साथ चल रहे हैं, हम कानून मानने वाले लोग है। तो हम आपके साथ है, विपक्ष का तो मैं नहीं कहता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप डिसीजन ले रहे हो, उस तरह अगला जो सत्र होगा उसमें ये बिल्कुल तिनके जैसे चुपचाप बैठ जाएंगे, ये मैं बताना चाहता हूं आपको।

अब आ गई सीएजी की रिपोर्ट डीटीसी पर, डीटीसी जब बनी 1971 अधिनियम में उस वक्त डीटीसी को इसलिए बनाया कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको सुविधा दें बसों की, क्योंकि लोग पैदल जाते थे उस वक्त बसें कम होती थी। मैं भी जब ट्रक पर लेकर जाता था यहां से जंगपुरा से, छतरपुर, महरौली होते हुए पहाड़ों में जाता था, तो मुझे एक सिंगल बस नहीं, सिर्फ मुझे साइकिल भी नहीं दिखाई देती थी, वो भी समय था। लेकिन आज जो डीटीसी में इन्होंने 11 साल में जो डीटीसी की हालत सुनी है, ये मैं नहीं कह रहा ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि इन्होंने डीटीसी को अनदेखा किया है। इन्होंने डीटीसी को कभी-भी मुनाफे में लाने का प्रयत्न नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले 2013 में ये जीतकर आए थे, तो तीन महीने की इनकी सरकार थी उस वक्त कहा था इनका पहला यही था कि हम दिल्ली में 10 हजार या 12 हजार बसें लेकर आएंगे और वो बसें भी डीजल की नहीं होगी

या तो इलैक्ट्रीक होगी जो बिजली से चलेगी। लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर बस 44 लाख की है तो उसमें मैंटेनेंस का खर्चा इन्होंने 45-50, 50-50 लाख रुपया दिखाया है। यहां ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं पंकज जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा पंकज जी। इतनी हालत इन्होंने खराब कर दी। बसों को इन्होंने, क्योंकि जो झूठा केजरीवाल था, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था। वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था, उसने क्योंकि दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान का नागरिक आता है। रोज यहां पर दो-तीन लाख लोग बाहर से आते हैं और अलग-अलग स्टेटों से आते है। इसने उनको पूरा यूज किया, अपने बड़े-बड़े बोर्ड उसपर लगाए, जो कि अगर ये एडवर्टाजमेंट में दे देता, विज्ञापनों में दे देता, तो डीटीसी को बहुत पैसा मिलता, लेकिन अपने आपको प्रधानमंत्री साबित करने के लिए इसने उनका यूज किया। अब आ जाओ घाटे की बात, अच्छा सरकारी बस डिपो में अध्यक्ष जी सुनने की बात है। सरकारी बस डिपो में खड़ी रही हैं, देखो कितनी बड़ी बात हुई, वो खड़ी रही हैं और प्राइवेट बसों को ज्यादा मुनाफा देने के लिए प्राइवेट बसें रोड पर ज्यादा नजर आती थी और जो डीटीसी की बसें थी वो वहां पर खड़ी रहती थी। इसी से नहीं बसों को अपनी मनमाने ढ़ंग से चलाते रहे इसपर कोई ध्यान नहीं दिया, लोग घंटों के लिए बसों का इंतजार करते रहे लेकिन बसें क्योंकि जो दिल्ली परिवहन की बसें थी वो तो खड़ी थी लोग तड़पते रहते थे कि कब बस आएगी। अध्यक्ष जी डीटीसी 31 मार्च, 2022 तक 814 रूटों में से केवल 468 रूटों पर ही बसें चलातें रहे हैं और इन रूटों पर डीटीसी की अपनी लागत भी नहीं निकल सकी और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष जी, जो मेरे से पहले हमारी सीनियर्स सतीश उपाध्याय जी ने बात कही की डीटीसी को जो घाटा हुआ 60 हजार करोड़ वो हमारा जो बजट इस वक्त है, एक लाख करोड़ का

बजट है तो 60 हजार करोड़ का तो डीटीसी का घाटा हुआ है 2015 से लेकर 2022 और 2023 तक। बड़े अचम्भे की बात है अध्यक्ष जी, सुनने की बात है। जो इसमें लिखा है सीएजी ने कि इनको बार–बार पता था कि डीटीसी की बसों को घाटा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट को घाटा हो रहा है लेकिन मुख्यमंत्री सोया रहा, वो भी मैं अभी बता देता हूं कि आज विपक्ष के लीडर नहीं है यहां पर। पहले मैं कहानी जो मुख्यमंत्री के बंगले में हुआ आलीशान बंगले में। जो हमारी एक महिला राज्यसभा सांसद थी, अखबारों में क्या–क्या छपा, लेकिन मैं आपको असली बात आज सुनकर आप अचम्भे में हो जाओगे कि वो कहानी कुछ और थी। वो कहानी कुछ और थी क्योंकि जो वहां पर कांड हुआ है, मैं चैलेंज से, क्यों मैं इंक्वायरी निकाल कर लाया हूं अध्यक्ष जी। वो केजरीवाल की मिसिज ने करवाया था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उस कांड में अगर कोई शामिल था तो केजरीवाल की मिसिज शामिल थी क्योंकि जो सेक्रेटरी था, जो जेल होकर आया 2 महीने, वो केजरीवाल की मिसिज के कहने पर हमेशा चलता था अध्यक्ष जी और उसी ने क्योंकि राज थोड़ा भयानक है, मैं खोल नहीं सकता क्योंकि इसमें महिला इन्वोलव्ड है, अगर मैं खोल देता तो आप अध्यक्ष जी लेकिन आपको मैं, आपके कमरे में आकर जरूर बताऊंगा, ये बात जरूर बताऊंगा आपको। अध्यक्ष जी, जो कट्टर ईमानदार अपने को कहता था, जो जगह–जगह ये कहता था कि मैं एक ईमानदार हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैनें दिल्ली में ये कर दिया, मैं दिल्ली में ये कर दूंगा। लेकिन इस रिपोर्ट से लगता है अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट से लगता है कि उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, खासकर ट्रांस्पोर्ट का। कैसे ट्रांस्पोर्ट का बेड़ा गर्क किया, आप हैरान होंगे अध्यक्ष जी। 2015 में जो किलोमीटर का रेट, जो खर्चा किलोमीटर पर 213 रुपए था, 213 सिर्फ था और उन दिनों कोई खास डीजल पेट्रोल भी नहीं बढ़ा, खर्चा डीजल या पेट्रोल से बढ़ता है

हमेशा, उस वक्त डीजल मेरे उम्मीद कभी 4 रुपए या 3 रुपए बढ़ गया हो, क्योंकि मोदी जी का जमाना था, ज्यादा नहीं कहीं 2 रुपया या 3 रुपए आपने अखबारों में पढ़ा होगा। लेकिन उसपर खर्चा किलोमीटर पर 457 रुपए आ गया अध्यक्ष जी देखो। कितना बड़ा खर्चा और सबसे अध्यक्ष जी बात ये है कि आपको मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी की 814 रूटों में से सिर्फ 468 रूटों पर ही बड़ी हैरानगी की बात है, मतलब 57 प्रसैंट बस रूटों पर चली नहीं, जिसको चलना चाहिए था, उसको चलाया ही नहीं गया, मतलब कोई योजना नहीं थी क्योंकि वो तो आलीशान महल में और एक मंत्री जो जेल में गया था, वो वहां पर मसाज कराते भी पकड़ा गया, सबने टीवी चैनलों पर देखा, देखा ना टीवी चैनलों पर। अध्यक्ष जी आज ये क्यों नहीं सीएजी की रिपोर्ट पकड़ रहे हैं, इनका फर्ज है यहां बैठकर सुनना चाहिए हमें जवाब देना चाहिए। ये तो सिर्फ जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया एक लाख का आज उसी की सुबह प्रेस कॉफ्रेंस, वो आतिशी जी बैठी नहीं, नही ंतो उनको बताता मैं। उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस की, कि एक लाख करोड़ का जो बजट है वो जुमला है। अरे अभी बजट खर्च नहीं हुआ, अभी खर्च हो फिर बोलना। उसको अलग-अलग डिवाइड कर दिया, जल बोर्ड को दे दिया, सीवर को दे दिया, समाज कल्याण को दे दिया, एसटी/एससी को दे दिया, ट्रांस्पोर्ट को दे दिया, सड़कों के लिए दे दिया। अभी खर्च नहीं हुआ तो उसके लिए भी ये प्रेस कॉफ्रेंस बुला रही है। आपको लेटर लिख रही है कि बजट पर तो सिर्फ एक घंटा अध्यक्ष जी दे रहे हैं और आपने बताया भी है कि मेरे पास अभी लैटर आता नहीं है पहले ही प्रेस वालों को दे देती है। अध्यक्ष जी हर बात पर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अगर आज होती यहां पर तो मैं उसको बता देता। मैं शब्द और नहीं यूज कर रहा कि जो कारनामें इन्होंने किए है, उसमें ये भी शामिल थी, ये भी शामिल थी कइयों में। जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप

सीएजी की रिपोर्ट पेश करो, इसको भी कहा लेकिन ये गुलाम थी, ये तो उसकी गुलाम थी ना, उसने भी गुलाम को बनाया।

माननीय अध्यक्षः सदस्य के लिए 'इनको' शब्द प्रयोग करें।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः हैं जी।

माननीय अध्यक्षः सदस्य के लिए इनको, इनको।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अच्छा इनको कह देते हैं। इनको नहीं ना, वो तो इनकी है ना। फिर कल जैसे आपको कहा था, मेरे प्रवेश जी ने कहा भाइयो, उसने कहा बहन क्यों नहीं कहा। एक बहन भी थी, उन्होंने फिर बहन कह दिया। तो मैं यहां पर नहीं वो बात करूंगा, क्योंकि हमारी बहनें बैठी हुई हैं, नहीं तो मैं आपको वो भी जवाब दे देता, इनको भी जवाब दे देता, क्योंकि हम कानून से बंधे हुए है। हम अगर कानून से बंधे ना होते तो यहां टिक भी नहीं पाते ये। इनको तो जूते मारे लोग, जो इन्होंने हरकतें की हैं, जो चोर ने हरकतें की है, अपने बंगले में हैरानगी की बात है, 45 करोड़ रुपया लगाकर उस चोर ने क्या-क्या करवाता रहा ये यहां पर मैं नहीं बताना चाहता। फिर बात वहीं आ जाती है। अगर हम भेद खोलने लगे और मैंने उस दिन कहा था ना अध्यक्ष जी कितने हजार करोड़ रुपया जो इसको मिला शराब घोटाले में, वो कहां गया, ये भी सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन आज मैं बता नहीं रहा।

अध्यक्ष जी, चूंकि बार बार कहेंगे मारवाह साहब फिर अध्यक्ष जी आज एक बात और मैं बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः हां थोड़ा शार्ट करिये मंत्री जी भी बोलेंगे और फिर पंकज जी भी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः हैं जी।

माननीय अध्यक्षः मुख्यमंत्री जी से पहले मंत्री जी भी बोलेंगे न।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः नहीं, मंत्री जी जरूरी नहीं हैं न जब मुख्यमंत्री जी बोल लेंगी तो ये भी देखो न। अध्यक्ष जी मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमने 15 साल हाउस देखा है। 15 साल मैं भी यहीं पर रहा आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जब जवाब दे देगी तो मंत्री का कोई तुक नहीं बनता।

माननीय अध्यक्षः ये उनसे पहले बोलेंगे न।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः हां पहले ही मैं कह रहा हूं। अगर पहले मंत्री बोल लेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी की वो वजन की बात नहीं रहती। लेकिन मर्जी है, आप तो मालिक हैं न, तो मालिक तो मर्जी है आपकी। दो दो मंत्री बुलवाओ, तीन तीन मंत्री बुलाओ क्योंकि मंत्रियों से तो हमने काम निकालने हैं तो हम उनको क्यों नाराज करें। आप तो हमारा टाईम भी सारों का ही मंत्रियों को दे दो हम उसमें भी खुश हैं क्योंकि हमने काम लगाने हैं, हम तो इस वक्त इनके नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन फिर मैं सुबह वाली बात कह रहा हूं आज प्रवेश वर्मा ने, बाकी मंत्री हैं उनको भी कह रहा हूं कि सबको बुला के और हर एमएलए की बात, उनको साफ डांट के कह दिया है कि अगर मेरे को कोई शिकायत मिल गयी कि एमएलए के कोई काम न हो रहा हो या आपने कोई टेलीफोन न सुना हो तो मैं सीधा सस्पेंड करूंगा, ये बड़े अफसरों को कहा है। मैं इसलिये आज प्रवेश वर्मा को मैं बाकी मंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि आप क्योंकि हम को लोगों ने भेजा है यहां पे अभी डेढ परसेंट से जीत कर आये हैं हम तो हमें ऐसे काम करने चाहियें क्योंकि ये मंत्री जो हैं जूते के जो इनके नीचे है उनके

अगर जूते नहीं चलाये तो ये काम नहीं करेंगे। ये बातों में ही उलझाये रखेंगे, वहां फाईल पड़ी है, वहां फाईल पड़ी है, वो साईन नहीं कर रहा। आज यही मैं सुबह कहने वाला था लेकिन चलो उसने चाय पे बुला लिया सीईओ ने उसको हिंदी में जा के समझा दूंगा।

(समय की घंटी)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः क्योंकि फाईलों में जितना टाईम जैसे दिल्ली नगर निगम में एक फाईल को उठा उठा के काउंसिलर घूमता रहता है। लेकिन हम तो एमएलए हैं न, हमारा स्टेटस अब हम फाईल उठा के घूमेंगे तो नहीं। मुख्यमंत्री जी आ गये। अभी बोलता हूं मैं। हमारा काम नहीं है फाईल लेकर घूमना। अध्यक्ष जी ऐसे ही सब मंत्री जितने नीचे के अफसर हैं उनको पूरी तरह सख्ती से रखो जैसे अध्यक्ष जी आपने लैटर लिखा आपका उसका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि एक मैसेज जाता है हर बात का। आज अभी वो बैठी नहीं हैं आतिशी जी नहीं तो मैं उनको बताता कि इनके काले कारनामे क्या क्या हैं। अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात इसमें ये देखो कि जो क्लस्टर बस डिपो इनको बस वालों को इन्होंने रखने की जगह दी जहां बसें खड़ी होती थी, जहां बसों की सफाई होती थी उनसे भी इन्होंने जो बाकी किराया था करीबन करीबन 626 करोड़ तक का था जो इन्होंने कभी मांगा ही नहीं। सुनने की बात है मतलब कि जो दिल्ली परिवहन को पैसा आना था इन्होंने मांगा ही नहीं। वो इसलिये नहीं मांगा क्योंकि जब कोई जाता होगा अफसर तो वो दो तीन करोड़ का बंडल लेकर पहुंच जाता था दो लाख, पांच लाख, दस लाख उसको दे आता था चोर को, चोर को दे आता था तो चोर आगे कह देता था अभी मत ले इससे। मतलब कि बकाया पैसा वसूल नहीं किया जो इसने प्राइवेट बस दी थी। उसकी पार्किंग का, उसकी पार्किंग का, उसका पार्किंग के अलावा रख रखाव का पैसा लेने में भी

इनको वो हो रहा था अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी बड़ी हैरानगी की बात है ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी कह रही है। इनको जब घाटा हो रहा था उसको कम करने के लिये या घाटे को खत्म करने के लिये कोई न कोई स्कीम जरूर लानी चाहिये थी जिससे कि दिल्ली परिवहन निगम का घाटा खत्म हो। लेकिन अध्यक्ष जी किसी ने कदम नहीं उठाया।

(समय की घंटी)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः क्योंकि ये जो काम कर रहा था ये अपने बंगले में बैठ के और जो इसकी मिसिज चला रही थी पूरी सरकार भी अभी तो मैं आज एक और बात बताना चाहता हूं आप लोगों को सुन के हैरान हो जाओगे मुख्यमंत्री जी आपको भी कि कई टेंडरों में जो इसके बंगले में पैसा खर्च हुआ है पत्थर का कईयों पे हैरानगी है इसकी घरवाली के साईन हैं। ये भी आप चैक करवा लो। मतलब जो पेमेंट होनी थी और कई बिल जो दिल्ली जलबोर्ड के बिल थे अगर पेमेंट लेने जाना है तो इसके साईन चाहिये, वो इसलिये क्योंकि साईन जब करता था पहले अपनी कमीशन मंगवा लेता था। कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कि दिल्ली जलबोर्ड की पेमेंट हो और मुख्यमंत्री साईन करे वो इसलिये अपने आदमी को कहता था पैसे आ गये जब पैसे आ गये तो साइन कर देता था अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अभी पांच मिनट में बोलना है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः हां मैं इशारा समझ गया मंत्री जी ने मैं एक बार आपको ये किसी ने मुझे लिख के सुबह ही भेजा है मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं एक मिनट के लिये आपके।

''कमबख्त, कमबख्त सफर आसां हो तो हम भी उम्र गुजारें

कमबख्त सफर आसां हो तो हम भी उम्र गुजारें

आशियाने में किसे कहें, किसके रोयें
सफर की दास्तान तो गुम है सफर निभाने में।"

अध्यक्ष जी मतलब कि हम किसके पास उस वक्त जायें क्योंकि आप लोग उधर बैठते थे कोई बोलने की आपको इजाजत नहीं होती थी जैसे आज आप इनको इजाजत देते हो। लेकिन फिर भी ये बेशर्म हैं कि आपका इतना कहने पर आपने मैंने देखा बजट में आपने बराबर बराबर बुलवाया है आपने हमारे को हमारी तादाद अभी 48 है लेकिन आपने इनके भी 14 या 15 सदस्य बुला दिये हैं 22 में से। तो इससे बड़ी बात क्या है। फिर भी 2500 अरे अपने घर के आगे एटीएम लगा ले, देते जाओ, अरे तुमने तो पंजाब में एक हजार रूपया वो आतिशी आज बैठी होती पूछते आतिशी जी से पूछते कि इसने अपने टाईम में अध्यक्ष जी जब एमपी का इलेक्शन था इसने बड़े बड़े अखबारों में कहा था कि हमें एमपी इलेक्शन जिता दो हम एक हजार रूपया महिलाओं के खाते में डालेंगे। कहा था कि नहीं बताओ? एक हजार। पंजाब की बात करो वहां पर दो हजार रूपया। अरे अभी हमें दो महीने हुए हैं स्कीम बना रही हैं मुख्यमंत्री जी, 5100 करोड़ दे दिया है हमारी रेखा गुप्ता जी ने, इतने साहसपूर्वक से एक लाख का बजट दे दिया आप हमें सुझाव दो, आपका ये नहीं कि खींचातानी करना, आप हमें सुझाव दो, हमारी मुख्यमंत्री जी ने मांगे भी सुझाव हैं आपसे कि सुझाव दो हम आपके भी सुझाव रखेंगे और उसपे विचार करेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्ष: अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी, एक और दो अप्रैल को सदन चलने वाला है तो सदस्यों का जो राय है कि वो दो बजे से 6 बजे किया जाये ताकि नवरात्रा का समय है सुबह के टाईम में सब पूजा पाठ में रहते हैं तो वो दोनों दिन सदन दो बजे शुरू हो और छह बजे समाप्त हो जाये तो सदन भी रह जायेगा और नवरात्रे भी अच्छे से सबके मन जायेंगे।

माननीय अध्यक्षः तो सदस्यों की अगर राय से सहमत है सेंस आफ द हाउस तो एक और दो तारीख को सदन की बैठक दो बजे से प्रारंभ होगी। अब मैं। अभी दो दिन तो तय करते हैं फिर आगे फिर कर देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः फिर लंच की जगह डिनर की व्यवस्था करनी पड़ा करेगी। देर तक बैठोगे न फिर। हां ठीक है।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी, एक आपके माध्यम से।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, ये हैं कि रात को हमको दो दो तीन तीन बजे तक जागना भी पड़ता है वो इसलिये कि लोग कोई एक बजे घंटी खटखटायेगा मेरा थाने में वो बंद हो गया और फिर हमको पढ़ाई लिखाई भी रात को करनी है कि नहीं। करनी है कि किताबों की, कामों की करनी है न तभी सुबह काम करेंगे। इसलिये अध्यक्ष जी दो बजे का टाईम ठीक है दो से छह कर दो।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि सेक्रेट्रिएट में एमएलए लाउंज हुआ करता था पहले और एमएलए जब भी जाते थे ऑफिस में कई कई बार अधिकारी मंत्री जी के साथ

बैठे हैं तो वेट करना पड़ता था तो एमएलए लाउंज में बैठ के चाय वाय पी लिये और समय वहां पे दूसरे एमएलए साथी भाई से मुलाकात हो जाता था। लेकिन पिछली सरकार ने पता नहीं अपने इतने अधिक विधायक होने के बावजूद किस दुराग्रह से इस एमएलए लाउंज को 2020 में बंद कर दिया था। लेकिन अब हमारी सरकार है तो हम चाहते हैं कि हमारे एमएलए साथ जब भी सेक्रेट्रिएट जायें तो उनके पास भी एक बैठने का, बातचीत करने का जगह हो तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उस एमएलए लाउंज को फिर से रेस्टोर किया जाये ताकि हमारे एमएलए साथियों को दिक्कत न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री पकंज सिंह जी।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री पंकज सिंह): अध्यक्ष जी, सारे विषय हमारे माननीय विधायकों ने रख दिये हैं। अध्यक्ष जी इसमें कैग की रिपोर्टों के अनुसार बहुत सी धांधलियां हैं जिसका वर्णन करने में बहुत समय लगेगा पेज 51, पेज 27 सीसीटीवी कैमरे की खरीदने को लेकर उसकी पेमेंट देने को लेकर कैग की रिपोर्ट में जो एक शेर जरूर है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा वो सीएम साहिबा को इनके लिये खासकर

'आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास'

अर्थात् आए थे भ्रष्टाचार मिटाने पर खुद कर कर गये भ्रष्टाचार अध्यक्ष जी कैग की रिपोर्ट बहुत सी चीजें कहती है और सब हमारे माननीय विधायक जी ने सदस्यगण ने इस बारे में विषय में रख दिया है। मैं इतना ही बोलूंगा कि पेज नंबर 5, 6 को भी आप भी ध्यान से पढ़े और देखें कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल और मैं ये समझता हूं कि कैग रिपोर्ट के खुलासे के इस कथन

को दिल्ली सरकार पर एकदम फिट बैठता है। तो 2015 से 2022 के बीच में 5.140 करोड़ हमारी कमाई हुई थी और हमारा खर्चा था 19.345 करोड़ जिससे हमें 14 हजार करोड़ का घाटा हुआ था आपरेटिंग घाटा हुआ था। ये सारा विषय हमारी मुख्यमंत्री रखेंगी। मैं ये चाहूंगा कि इसके उपर उचित कार्यवाही जरूर होनी चाहिये कैग की रिपोर्ट के उपर। इसमें तमाम धांधलेबाजी का दिखता है कैग की रिपोर्ट 53 भी यही बताती है 2013 के कर्मचारियों के पर्सनल पालिसी को लेकर कहती है। बहुत सारी चीजें हैं जो बताने वाली हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री सुश्री रेखा गुप्ता जी।

माननीय मुख्यमंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता): आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सीएजी की रिपोर्ट को मैं लगातार पढ़ रही थी और इसको पढ़ते हुए मुझे ये लगा कि जिस तरीके से डीटीसी और दिल्ली परिवहन का दुरूपयोग करते हुए मिसमैनेज करते हुए, कुप्रबंधन के जरिये डीटीसी को बर्बाद कर दिया गया। एक ऐसी एजेंसी, दिल्ली सरकार का एक ऐसा मद जो न केवल दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर सकता था बल्कि प्रोफिट मेकिंग भी हो सकता था ये एक आय का भी साधन हो सकता था उसको आप इस तरीके से ले गये कि जिसमें केवल नुकसान ही नुकसान है। मतलब कि 60,471 करोड़ का नुकसान जोकि क्यूमुलेटिव घाटा है और ऑपरेशनल लॉस 14,198 करोड़। कितनी बुरी स्थिति में डीटीसी को ला दिया गया और लाये कैसे, क्योंकि कोई सुपरविजन नहीं था, काम करने की मंशा नहीं थी, केवल एडवर्टिजमेंट पे सरकार का ध्यान था। मतलब 814 रूट जो बनते थे दिल्ली में बसों के उन 814 रूटों पे भी बसों को चलाया नहीं गया, मात्र 468 रूट पे बस चली। तो जब रूट ही नहीं चलेंगे तो कहां से राजस्व आपको मिलेगा, जब रूट ही नहीं चलेंगे तो न जनता को सुविधा मिली न आपका टिकट

बंटी न उसमें आप काम कर पाये। और उपर से जो बसें शेड्यूल छोड़ती थी या जो खराब होती थी उसके मद में भी 668 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।

आपका शेड्यूलिंग ना करना, बस खराब हो जाना 668 करोड़ का नुकसान केवल उस हैड में है, नुकसान ही नुकसान। केन्द्र से पैसे मिले 233 करोड़ रूपये कि बसें खरीद लीजिये भाई वो तक भी खर्च नहीं किये गये वो 233 करोड़ रूपये वो खराब हो गये अन्यूटिलाइज्ड हो गये, कहां ध्यान था इन लोगों का? आज भी देखिये, यहां पर बैठकर वैसे चिल्लाते हैं पर आज जब सीएजी पर डिस्कशन होना है तो इनमें दम नहीं है कि अपनी कमियां सुन सकें। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की इनको आदत हो गई है, कोई भी मुद्दा हो ना हो ये तो वो हाल हो गया कि आटा गुंधते हुये हिल क्यों रहे हो ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा क्यों भई। काम नहीं तो उसमें से पूरा निकाल लाये पर अपनी सुनने की औकात नहीं है अपनी सुनने की हिम्मत नहीं है कि आपने दिल्ली सरकार को किस हाल पर छोड़ दिया। जो बसें 2015 में 4344 थीं वो 23 में आकर के केवल 3,937 रह गई उसमें भी कमी हो गई, उसमें भी कमी हो गई। क्या स्थिति है नुकसान ही नुकसान हर चीज़ में और वो जो नुकसान 60 हजार करोड़ रूपये का है वो 80 हजार करोड़ पर आ चुका है क्यों ब्याज, इन्ट्रस्ट सारी चीज़ें जुड़कर 80 करोड़ का वो और ऑपरेशन्ल लॉस 14 हज़ार का। मतलब सूप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा दिल्ली में 11 हज़ार बसिज़ होनी चाहिये, 2007 में 11 हज़ार बसें बोलीं परन्तु बसें कितनी 2023 तक 3 हज़ार 9 सौ 37 केवल इतनी। इनकी ओर से और बसिज़ आयें उनकी खरीद हो जनता को दी जायें मतलब नहीं। जो है उनका भी मिस्यूज़, रूट पर नहीं ले जाना, यहां घुमा दो वहां घुमा दो और फिर वो टिकिटिगं में जो केजरीवाल जी ने कहा कि भई

बेचारी महिला को टिकट नहीं मिल रही, महिलाओं को तो मिल रही है पर उनका शेयर उनको नहीं मिल रहा इसलिये उनको तकलीफ हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई अब क्या करें परन्तु एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं अध्यक्ष जी, एक गांव में एक दुकानदार के यहां चोरी हो गई बहुत सामान राशन की दुकान थी बहुत चोरी हो गई उसके लिये तो गरीब आदमी है वो चोरी भी बड़ी चोरी थी उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई। थाने की पुलिस वो पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी वो आई बाद में दो xxxx[2] इधर दो xxxx[2] उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ खड़ी हो गई और वो बोरी थी बादाम की तो पुलिस वाले आये और कह रहे हां भई क्या हुआ है जरा सूची बताओ, क्या-क्या चोरी हुआ है लिखवाओ और ले मुट्ठी बादाम की और फिर मुंह में उधर से दूसरे वाले ने ले काजू और फिर मुंह में, कह रहा सूची बनवाओ सूची कितनी चोरी हुई है आइटम लिखवाओ कितने का सामान गया है, कि सर बनाता हूं अभी तो चोरी हुये ही जा रही है, अभी तो चोरी हुये ही जा रही है, यही स्थिति इस दिल्ली सरकार की है। अभी तो हम ये सीएजी की रिपोर्टें देख-देखकर बोल रहे थे बाकी साथियों ने भी बोली। मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर दिलाना चाहती हूं जो शायद अभी आपके ध्यान में आया नहीं हो। आपको मालूम है कि दिल्ली में दो एजेंसिज़ ट्रांसपोर्ट में काम करती है एक डीटीसी एक DIMTS और DIMTS के साथ में हमारा शेयर दिल्ली सरकार का 50 प्रतिशत था और उसके साथ 50 प्रतिशत शेयर IDFC bank का था, दोनों का 50-50 प्रतिशत और वैल्यू बता दूं IDFC के पास जो शेयर था उसकी 2023 में वैल्यू 95 करोड़ रूपये थी प्रोफिट 95 करोड़ रूपये की। आप मानिये कि IDFC ने कहा कि मुझे ये अपना शेयर बेचना है तो उसमें फर्स्ट पार्टी दिल्ली सरकार है उन्होंने दिल्ली सरकार से

2. चिन्हित शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

बात की कि अगर आपको ये शेयर लेना है तो मैं आपको देने के लिये तैयार हूं दो साल तक फाइल अटकी रही, दो साल तक उस फाइल पर कोई निर्णय नहीं हुआ और आखिरी मैं IDFC ने अपना वो शेयर एक प्राइवेट कम्पनी को बेच दिया वो भी मात्र 10 करोड़ रूपये में। 95वें करोड़ रूपये का शेयर केवल 10 करोड़ में एक प्राइवेट कम्पनी को उस कम्पनी में 70 प्रतिशत शेयर एक रशियन कम्पनी का है कम्पनी का नाम भी बता देती हूं BTPL। मैं आपसे पूछना चाहती हूं इसके पीछे क्या षड़यंत्र है कि 95वे करोड़ का शेयर 10 करोड़ में बेच दिया जाता है और वो शेयर सरकार नहीं लेती है, चाहते तो 10 करोड़ ये वैल्यू नहीं थी। आज हमारी, हमारे Corporation में, हमारे डीटीसी में प्राइवेट आदमी का शेयर हो गया वो भी 50 परसेंट का और उस पर और धांधली जी समझ लीजिये यदि ये 50 परसेंट का शेयर 10 करोड़ में बेचा गया है तो आज पूरी डीटीसी की वैल्यू 20 करोड़ पर आ गई है। 20 करोड़ पर आकर खड़े हो गये हैं आपकी ये वैल्यू। ये क्या है ये क्या घोटाला है, ये क्यों ऐसे किया गया है ये 10 प्रतिशत 10 करोड़ में दिया गया शेयर ये कौन सी कम्पनी का है और उनके कौन से रिश्तेदार का है जिन्होंने जान-बुझकर 95वे करोड़ का 10 करोड़ में अपना शेयर बेच दिया। सरकार ने क्यों नहीं खरीदा? क्या उसके पास 10 करोड़ रूपये नहीं थे कि ये 10 करोड़ रूपये देकर के पूरी डीटीसी को अपने अंदर रखना अपने, कैसे वो प्राइवेट किसी कम्पनी को एलॉओ कर सकते थे? कितना बड़ा घोटाला है! अध्यक्ष जी, मैं चाहती हूं ये पूरी की पूरी सीएजी रिपोर्ट आप पीएसी में भेजें क्योंकि इसमें इतने हैड हैं इतने हैड हैं कि आप जो अपने बस डिपो का उपयोग कर सकते थे जो आईएसबीटीज़ का उपयोग कर सकते थे वहां एडव्टिजमेंट कर सकते थे करोड़ों रूपये आपको राजस्व प्राप्त होता, आपकी बसें अच्छे से चलतीं बसों पर भी एड कर सकते थे परन्तु नहीं आपने

इस प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई विचार नहीं किया केवल और केवल एक मोटी अनुदान राशि देकर के डीटीसी को पंगु बनाया कि आज भी अगर डीटीसी चल पा रही है तो जो अनुदान राशि सरकार उसको दे रही है मात्र उसका वही आय का साधन है। वो लोग टिकट से नहीं कुछ कर रहे हैं वो लोग तनख्वाह इतनी बड़ी तनख्वाह आज 4 हज़ार बस ड्राइवर बैठकर के सरकार उनको तनख्वाह दे रही है उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। जो बसिज़ रिटायर हो गई सीएनजी से आज वो ड्राइवर आइडल बैठे हैं ,खाली बैठे हैं उनके पास कोई काम नहीं है 4 हज़ार ड्राइवर हैं जिनको तनख्वाह सरकार दे रही है उनके सारे perquisite दे रही है कैसे काम चलेगा कैसे सरकार चलेगी। जिस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी सरकार के राजस्व में सेंध लगाई जैसे कि वो डूबोने के लिये ही बैठे थे जैसे कि उनका मन था कि कैसे हम पूरी सरकार को डूबो दें और ये सिस्टम ये सरकार अब हमें चलाने के लिये दी गई है। ये रूट की बात मैंने बताई, राजस्व की बात मैंने बताई, कर्मचारियों की जो हालात है वो मैंने बताई पूरा कर्जे में डूबा हुआ डीटीसी और आज भी, आज भी इनकी बसिज़ में किसी प्रकार को कोई जीपीएस कोई इनकी सुपरविज़न इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है अध्यक्ष जी। डीटीसी की जो हालत हो गई है इसको देखते हुये और जो कोर्ट के दिशानिर्देश हैं उसको देखते हुये मैं इतनी बात कह सकती हूं कि इसको पूरी तरीके से रिवाइव करने की जरूरत है। FAME ने केन्द्र सरकार की एजेंसी ने दो बार FAME-1 में और FAME-2 में 49 करोड़ की केन्द्रीय सहायता दिल्ली को दी की आप बसें खरीद लीजिये उसके निमित्त भी इनसे बसें खरीदी नहीं गई इसके पीछे क्या कारण है या मुख्यमंत्री को दिल्ली के लिये समय नहीं था इनकी मंशा नहीं थी या इनकी मंशा में दोगलापन था कि जिससे ये अपने लिये काम कर सकें और डीटीसी को बदनाम कर सकें। डीटीसी एक ऐसा

पार्ट दिल्ली सरकार का जो वर्षो से दिल्ली की जनता को सेवायें दे रहा था पर आज ऐसी स्थिति के चलते हुये क्योंकि इस पर चर्चा और बहुत हो चुकी है। मैं तो इतनी बात कह सकती हूं कि ये झूठे और मक्कार लोग सरकार ने अब सारी व्यवस्थायें अपने हाथ में ली हैं। हम निश्चित रूप में डीटीसी को दोबारा से उर्जायमान करेंगे, एक्टिव करेंगे और एक ऐसी, एक ऐसी स्थिति में लेकर आयेंगे जहां लॉसिज़ नहीं डीटीसी से रेवेन्यु भी क्रिएट होगा और जनता को पूरी सुविधायें भी दी जायेंगी। जो भ्रष्टाचार ये फ्री बस सेवा के नाम पर किया जाता था अब हम कार्ड देकर के बहनों को जिसमें उनको भी टिकट ना खरीदनी पड़े और वो अपना कितनी भी देर तक अपना किसी भी बस में जाकर के वो सफर कर सकें तो इसलिये एकांउटिब्लिटी बनेगी, काउंटिंग होगी कि कितनी बार कौन गया कितने लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आज दिल्ली जानती ही नहीं है कि कितनी महिलायें बसों में सफर कर रही हैं कर भी रही हैं कि नहीं कर रही है, हमें क्या मालूम की सौ कर रही हैं कि 1 हज़ार का रही हैं कि एक भी नहीं आई। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप चैक कर लें सिवाय इसके कि जो डीटीसी टिकट का आप दिखाते हैं वही मान्य है और इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है ये आप देख पा रहे हैं। हम डीटीसी की दिल्ली की सेवायें दिल्ली की महिलाओं को मिले इसमें हम प्रतिबद्ध हैं। नये बस शैल्टर बने, नये बस डिपो बनें, इलैक्टिक व्हीइकल आयें और उन व्हीइकल के लिये पूरे चार्जिगं स्टेशन्स हों और जितने आईएसबीटी दिल्ली में हैं हर एक आईएसबीटी के लिये उसको आधुनिक रूप में मल्टी स्टोरी कर्मिशियल कॉम्प्लैक्स के जैसे डेव्लप करने का दिल्ली सरकार का प्लान है। जितने भी काम हम एक भी एजेंसी को गर्त में पड़े हुये नहीं देख सकते, कर्ज में डूबे हुये नहीं देख सकते उसी में से साधन निकलेंगे कि जनता के साथ जो हमारी कमिट्मेंट है वो भी पूरी हो और जो हमारी व्यवस्थायें

हैं वो भी सुदृढ़ हों। आज है नहीं विपक्ष अब किसको सुनायें पर जहां हो मुझे पता है उनके लोग सुन ही रहे होंगे क्योंकि इसी में से तो निकालना है उन्होंने तो उनके लिये कहना चाहती हूं आतिशी जी अपने कमरे में बैठकर आप सुन रही होंगी मुझे सुन लीजिये।

''सच्चाई सफलता का द्वार होती है

सच्चाई सफलता का द्ववार होती है

हर झूठ के सर पर कटार होती है,

हर झूठ के सर पर कटार होती है

और संसार का इतिहास,

संसार का इतिहास स्वंय है साक्षी

कि अन्याय की आखिरी में हार होती है

अन्याय की आखिरी में हार होती है।"

अध्यक्ष जी इस डीटीसी में जो घोटाले इनके द्वारा किये गये इतने बड़े लॉस में डीटीसी आई सरकार कर्जे में डूब गई इसके कारण से, हम चाहते हैं कि सीएजी को आप पीएसी में भेजें ताकि इन सब पर कानूनी कार्यवाही हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2025 एवं दिनांक 26 मार्च, 2025 को क्रमशः

यानि की एक रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट 24 मार्च को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष, 2024 का प्रतिवेदन संख्या-4 तथा माननीय मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिये दिल्ली सरकार के Finance Accounts और Appropriation Accounts को सदन के समक्ष रखा है। मैं इस अवसर पर सभी सदस्यों विशेषकर नये सदस्यों को ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार की वित्तीय दशा को समझने के लिये ये रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। Finance Accounts और Appropriation Accounts की भी सीएजी द्वारा सावधानीपर्वूक जांच की जाती है और ऑडिट किया जाता है और फिर इनको सदन में प्रस्तुत किया जाता है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इनको ध्यान से पढ़े और आश्चर्यजनक रूप से दूसरी रिपोर्टों की तरह इन रिपोर्टों को भी पिछली सरकार द्वारा दबा दिया गया था और विधानसभा के समक्ष नहीं लाया गया था। मैं इस संबंध में सीएजी की टिप्पणियों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 2021-22 के Appropriation Accounts में सीएजी ने बताया है कि कुल 10 हज़ार 5 सौ 39 करोड़ रूपये की बचत थी जिसमें से 5 हज़ार 4 सौ 58 करोड़ रूपये देरी से सरेंडर करने के कारण लैप्स हो गये। इसी तरह 2022-23 में कुल 14 हज़ार 115 करोड़ 71 लाख रूपये की बचत हुई जिसमें से 7,557.47 करोड़ रूपये देरी से सरेंडर करने के लिये लैप्स हो गये। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार द्वारा उचित योजना बनाई जाती और सही क्रियान्वयन किया जाता तो इस धनराशि का इस्तेमाल दिल्ली के लोगों की भलाई के लिये किया जा सकता था। वर्ष 2021-22 के फाइनांस एकांउट में सीएजी ने पाया है कि सरकारी विभागों द्वारा बिल जमा ना करने के कारण 432.42 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी जिसका अर्थ यह

है कि ये कन्फर्म करने का कोई तरीका नहीं था कि विधानसभा की स्वीकृति के अनुसार राशि वास्तव में खर्च की गई थी या नहीं। वर्ष 2022-23 में यह राशि 574.89 करोड़ रूपये थी सीएजी ने 31 मार्च 2023 तक 9,314.85 करोड़ की राशि के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत ना करने पर भी चिंता जाहिर की है जिससे फंड के दुरूपयोग का गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। जैसा कि हमारे नियमों में प्रावधान है इन खातों की जांच Public Accounts Committee द्वारा की जायेगी। विधानसभा और पीएसी की जांच से हमारे फाइनांस का उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित होगा और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सरकारी धन का दुरूपयोग ना हो।

माननीय सदस्यगण, सदन ने दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की, की है और कई सदस्यों ने इस संबंध में अपनी गंभीर चिंता जाहिर की है। सीएजी के ऑडिट में वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक की अवधि शामिल है इस रिपोर्ट में डीटीसी के कामकाज में हुई गंभीर अनियमितताओं का ध्यान सभी सदस्यों ने सदन की ओर आकर्षित किया जिनमें से कुछ इस प्रकार है डीटीसी ने कोई बिजनेस प्लैन या दीर्घकालीन योजना तैयार नहीं की थी। डीटीसी का बेड़ा 4 हज़ार 3 सौ 44 से घटकर 3 हज़ार 9 सौ 37 रह गया जबकि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार धन की उपलब्धता के बावजूद 11 हज़ार बसें होनी चाहिये थीं। डीटीसी इलैक्ट्रिक बसों की सप्लाई में देरी के लिये 29.86 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाने में नाकाम रही। 31 मार्च, 2023 तक low floor overage बसों की संख्या बढ़कर 44.96 प्रतिशत हो गई थी। डीटीसी को वर्ष 2015 से 2022 तक की अवधि के दौरान 14 हज़ार 198वे करोड़ रूपये का घाटा हुआ।

रूट प्लानिंग में कमी पाई गई और डीटीसी की बसें केवल 57 प्रतिशत रूटों पर ही चल रही थी जिसके कारण डीटीसी किसी भी रूट पर अपनी परिचालन लागत वसूल नहीं कर सका। मार्च–21 में लगाये गये सीसीटीवी सिस्टम को मई–2023 तक भी गो–लाइव घोषित नहीं किया गया। एक जैसी परिस्थितियों में बसें चलाने के बावजूद क्लस्टर बसों का प्रदर्शन डीटीसी बसों की तुलना में काफी बेहतर रहा। निगम पर परिवहन निगम से वसूलने योग्य 225.31 करोड़ रुपये बकाया थे। विज्ञापन का कांट्रेक्ट देने और कमर्शियल कार्यों के लिए उपलब्ध स्थान अवार्ड करने में देरी के कारण रेवेन्यू का नुकसान हुआ। इन कमियों के बावजूद डीटीसी के पास अपनी वसूली के लिए कोई रोडमैप नहीं था। सीएजी की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण दिल्ली वासियों के टैक्स के करोड़ों रुपये बर्बाद हो गये। यह रिपोर्ट सरकारी उपक्रम संबंधी समिति Committee on Govt. Undertakings को इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि उक्त समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके अलावा परिवहन निगम और डीटीसी को अब से एक महीने के भीतर अपना एक्शन–टेकन नोट विधानसभा सचिवालय के पास भेजना होगा। इसी के साथ ये पांचों रिपोर्ट एक सीएजी की रिपोर्ट है डीटीसी पर और चार रिपोर्ट्स हैं जो फाइनेंस अकाउंट्स है 2021–22 और 2022–23 की और एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 2021–22 और 2022–23 के इन पर सदन ने अपना फैसला ले लिया है। कुल मिलाकर अभी तक आज ये पांच और दो पिछले सत्र में सात रिपोर्ट चौदह में से सदन में टेबल हो चुकी है और 1 तारीख को सीएजी की ही एक रिपोर्ट और सदन में मुख्यमंत्री जी टेबल करेंगी।

अब अगली कार्यवाही के लिए जो विशेष उल्लेख है उसके लिए मैं नाम पुकारुंगा श्री श्याम शर्मा जी।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री श्याम शर्मा: अध्यक्ष महोदय नमस्ते, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका ध्यान पंडित दीनदयाल हास्पिटल की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पंडित दीनदयाल हास्पिटल हमारे स्वर्गीय और प्रेरणाश्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका मुहुर्त किया था और इसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अटल जी ने रखवाया था आज इसकी वो हालत है मैं आपका ध्यान पंडित दीनदयाल जी हास्पिटल की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस हस्पताल की आज हालत इतनी बुरी हो चुकी है की आप अगर वहां दौरा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठी थी अभी की इतनी बुरी हालत है की उसकी हालत देखकर ही हमें रोना आता है। पिछले 11 साल से ये हास्पिटल आपदा पार्टी के पास था और इस आपदा पार्टी ने इस हास्पिटल का वो हाल कर दिया कि इस हास्पिटल के अंदर न तो दवाइयां हैं, न मशीनें हैं खासकर दवाओं की कमी इतनी है कि मरीज बाहर से दवाई लाकर अपना ईलाज कराता है। डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, अन्य स्टाफ नहीं है और शौचालय की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि शौचालय करने के लिए मरीजों को और उनके मिलने वालों को बाहर जाना पड़ता है और वहां पूरा का पूरा बुरा हाल हो रखा है दोनों रोडों पर और वो सारा का सारा हरिनगर क्षेत्र पड़ता है। पानी पीने के लिए नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, सीपीआर हार्ट मशीन जो होती है पंपिंग करती है वो पिछले 3 साल से खराब पड़ी है मशीन। पिछले 3 वर्षो से न्यूरो विभाग में कोई न्यूरो सर्जन है ही नहीं वहां पर 3 साल पहले वहां से इसको हटा दिया गया है और वो बिलकुल बंद पड़ा है। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है वेस्ट दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर ये हास्पिटल कोई भी इमरजेंसी काम अगर किसी को पड़ता है कुछ भी होता है 24X7 में तो सब दीनदयाल हास्पिटल की

तरफ इसको डायवर्ट करते हैं और उसकी हालत यह है कि वहां कोई देखने लायक है ही नहीं वहां पर। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस हास्पिटल की तरफ आप भी ध्यान दें और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति स्थापना हुई थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी ने इसका नामकरण किया था। इस मूर्ति के ऊपर न शैड है न आसपास कुछ है जिसके कारण मूर्ति की बहुत ही खराब स्थिति बनी हुई है। मगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता 25 सितंबर को जब पंडित दीनदयाल जी की जो जयंती होती है उस पर हम मालार्पण करके वहां पर एक पूरा का पूरा ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से और प्रदेश से कोई न कोई सांसद महोदय हमारे वहां आते हैं। तो इसकी तरफ आप ध्यान दें बहुत जरूरी है क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से इस क्वेश्चन पर आपको 280 पर बोलने के लिए बोल रहा था। आज मेरा पहली बार नंबर आया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी तरफ बहुत ध्यान दें ये पंडित दीनदयाल हास्पिटल की हर किसी को बहुत जरूरत है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री करनैल सिंह।

श्री करनैल सिंहः धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और हमारी मुख्यमंत्री और हम सभी सदस्यगणों का संकल्प है कि हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुन्दर राजधानी बनाएंगे लेकिन एक छोटी सी चीज की तरफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और उनका ध्यान भी दिलवाना चाहता हूं। हमारी हर रेडलाइट के ऊपर छोटे-छोटे बच्चे और उनकी मांएं जो बच्चा 1 महीने का है कोई 15 दिन का है कोई 1 साल का है गोद में लेकर के जो मांगते हैं। ये देश की राजधानी है यहां पर पूरे देश से लोग भी आते हैं और पूरे विश्व से भी

लोग आते हैं और जहां तक मुझे पता चला है कि उन बच्चों को कुछ ड्रग्स दिया जाता है ताकी वो उनकी गोद में सोते रहें। वो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं माननीय अध्यक्ष जी। इस चीज पर बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरह से आपदा सरकार ने यहां पर रोहिंग्याओं को और बंगलादेश से आए हुए लोगों को आधार कार्ड और ये सब चीजें देकर के और किन्हीं के पास तो कोई भी कागज नहीं है जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर उनको बसाया है और वही बच्चे मांगते हैं सड़क पर आकर के और एक हमारा प्रमुख समाज जो किन्नर समाज है वो भी सड़क पर मांगता है जिससे हमारे इस राजधानी का बहुत अपमान होता है क्योंकि पूरे विश्व से लोग यहां पर आते हैं और यही नहीं जिस तरह से वो नॉक करते हैं गाड़ियों को और एक तरह के गिरोह का काम करते हैं जब कोशिश होती है गाड़ी रुक जाती है तो उसमें से चोरी–चकारी भी करके ले जाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बात की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और मुझे लगता है मेरे सारे सदस्यगण भी इस बात से सहमत होंगे की जिस तरह से दिल्ली के अंदर हर सड़क की हर रेडलाइट पर ये बच्चे मांगते हैं अगर हम सभी सदस्यगण इसकी तरफ ध्यान देंगे तो हमारा इस पर बहुत ही मेहरबानी होगी और क्योंकि देश की राजधानी होने के साथ–साथ ये एक सामाजिक कर्तव्य भी है हमारा क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आज हम उनकी चिंता करेंगे वही हमारे देश को आगे आकर चलाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी धन्यवाद, मैं सदन का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अभी परसों हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी अपने क्षेत्र का दौरा कर रही थीं तो पुल पर गाय आ गई और गऊ

माता पूरी दिल्ली में कारपोरेशन का जो पशु विभाग है वो सक्रिय नहीं है और उसके कारण पूरी दिल्ली में मेरी विधानसभा में भी पुल हैं बुद्धविहार के और विजय विहार के दो पुल जोड़ते हैं पुलों के ऊपर गायें खड़ी होती हैं बैठी होती हैं, सड़कों पर बैठी होती हैं जिसके कारण ट्रैफिक में व्यवधान आता है चलने में और ये खाली मात्र मेरी विधानसभा में ही नहीं है ऐसा सभी माननीय सदस्यों के यहां पर सबको देखने को मिला होगा कि गऊ माता सड़कों पर होती है और गऊ हमारी माता है तो उसको उसके पोषण की अच्छी व्यवस्था हो। वो पन्नियां खा रही हैं, गंद खा रही हैं, कूड़े के ढ़ेरों में जाकर के वो खाना ढूंढ़ती हैं तो ये दुखदायी है हमारे लिए। तो हमें नई गऊशालाएं खोलने की भी आवश्यकता है और जो गऊशालाएं वर्तमान में चल रही हैं उनका अनुदान बढ़ाने की भी आवश्यकता है और कारपोरेशन का जो ये पशु पकड़ने का जो विभाग है और कारपोरेशन को निर्देश देने की भी आवश्यकता है कि एक समय सीमा में कहीं भी सड़कों पर आवारा पशु न आए और दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं भी सुनने को मिली अखबारों में भी आया की सांड एक के घर में घुस गया और उस घरवालों को नरेला का भी घटना है ये। नरेला में भी एक सांड घर में घुसकर और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई उससे और किसी के ऊपर हमला भी हो जाता है, कई बार अचानक गाड़ी के सामने भी आ जाती है। एक बार मेरी गाड़ी के सामने एक सांड आ गया मेरी गाड़ी पलटते–पलटते बच गई वो तो शुक्र है गाड़ी–गाड़ी ही टूटी कहीं मेरे को भी चोट लग सकती थी। तो ये खास विषय है साधारण विषय नहीं है तो आप भी अपने यहां से निर्देश जारी कराएं कारपोरेशन को भी और सरकार को भी की हमें ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकी गऊमाता सड़कों पर हो ही नहीं। एक अभियान चले और अभियान चलने के बाद वो उचित स्थान पर गऊशाला में पहुंचे और वहां उसका रख–रखाव भी अच्छे से हो और गऊशाला

में भी आत्मनिर्भर हों और उसके जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी आम जन के काम आएं तो इस प्रकार की रचना के साथ हम आवारा पशुओं से दिल्ली को बच्चा सकते हैं। तो ये विषय मैं आपकी जानकारी में लेकर आया था तो इसमें मैं चाहूंगा की इसमें सरकार गंभीरता के साथ संज्ञान लेते हुए दिल्ली के लोगों को इस समस्या से निदान दिला सके अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना।

श्री हरीश खुरानाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान मोती नगर विधानसभा के साथ-साथ पूरी दिल्ली के अंदर जो आज एक समस्या बनती जा रही है 175 मीटर मकानों के अंदर जो 1 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे छज्जों पर का ध्यान आपका और जो हमारे यूडी मिनिस्टर हैं उनका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 12 अगस्त, 2008 को डीडीए की विज्ञपति जारी हुई थी जिसमें 7 फरवरी, 2007 से पहले सभी छज्जों को नियमित करने का प्रावधान किया गया था और इसके साथ दिल्ली में सभी छज्जों का सर्वे करने का 2 माह के अंदर सर्वे पूरा करने की एक विज्ञपति जारी हुई थी 2007 के अंदर। अध्यक्ष जी, आज 18 साल बीत गये सर्वे नहीं हुआ लेकिन निर्माण जो है वो आज भी जारी है। अब मेरा मानना यह है कि जब डीडीए के मास्टर प्लान के अंदर 2021 के अंदर भी और 2041 के अंदर भी इन छज्जों को नियमित करने का जिक्र है 2007 से पहले। चूंकि लोग इसमें भ्रष्टाचार होता है और लोग छज्जे बना रहे हैं तो माननीय यूडी मिनिस्टर, केन्द्रीय मंत्री हमारे यूडी के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कवर्ड व ओपन टू एयर प्रोजेक्शन को एफएआर में सम्मिलित न करें। उससे फायदा अब तक के जितने लोगों ने छज्जे बनाए हैं अपने घरों में 175 मीटर के घरों के अंदर उसको नियमित किया जा सके ताकि भ्रष्टाचार तो खत्म हो लेकिन सरकार को भी उसका रेवेन्यू आए

मैं इस तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से यूडी मिनिस्टर से की यूडी मिनिस्टर केन्द्रीय मंत्री के साथ और एमसीडी के साथ समन्वय करके इसके ऊपर जल्द से जल्द एक पॉलिसी लाकर लोगों को इससे निजात दिलाए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री उमंग बजाज।

श्री उमंग बजाजः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज 280 के तहत बोलने का मौका दिया और ये मेरी पहली बार है मैं अपनी विधानसभा के बारे में कुछ बोल पा रहा हूं। तो मेरी विधानसभा में सबसे गंभीर समस्या और जो की अभी मेरे को ये लगता है कि ये पूरी दिल्ली की समस्या है। जो मेरी विधानसभा में रोड पर गऊ माता का अनादर हो रहा है क्योंकि हमारे यहां जितनी मेनरोड हैं या इंटरनल गलियां हैं हर जगह गऊमाता घूमती हैं। मेन रोड पर कई बारी ऐसा हुआ है की वाहन से टक्कर खाकर गऊमाता घायल हुई, व्यक्ति घायल हुए हैं। जो छोटी गलियां हैं कई जगह ऐसी जगहें हैं जैसे नारायणा गांव में, दसघरा में, टोडापुर में जहां पर सब्जी मंडी लगती है और गऊमाता वहां जाती हैं उनको वहां से भगाया जाता है तो महिलाएं बच्चे घायल होते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि अध्यक्ष जी जो भी व्यक्ति ये गैर-कानूनी तरीके से डेयरी का काम कर रहे हैं इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और मेरी विधानसभा में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुत अच्छी गऊशाला बन सकती हैं और मैं आपसे विनती करूंगा की आप आदेश करें की हम अच्छी गऊशाला बनाएं गऊमाता का आदर करें क्योंकि हमारे लिए गऊमाता पूजनीय है और आपके माध्यम से मैं समस्त दिल्ली की जनता को भी ये कहना चाहूंगा की रोड पर रोटियां डालकर या चारा डालकर गऊमाता का अनादर न करें प्रॉपर इनके लिए स्थान बने मेरी यही आपसे

विनती है इसके लिए जो आदेश आपको लगता है अध्यक्ष जी आप प्लीज दीजिएगा आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्रीमती शिखा रॉय।

श्रीमती शिखा रॉय: धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी सदन का ध्यान मंत्री साहब का ध्यान मैं एक विषय पर लाना चाहती हूं जो बस्तियां जो हैं जो कैंप कहे जाते हैं उनमें डूसिब द्वारा केन्द्र बनाये जाते रहे हैं बस्ती विकास केन्द्र। ये बस्ती विकास केन्द्र इसीलिए थे की उस बस्ती का, उस बस्ती के बच्चों का, उनकी महिलाओं के लिए, या पुरुषों के लिए कुछ उनकी डेवलपमेंट का, कुछ उनकी ग्रोथ का, कुछ उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए इन सबको यूज किया जाए। पर मैं देख रही हूं मेरे क्षेत्र में जो ऐसे विकास केन्द्र हैं खासकर एक बिन्दूसार कैंप है उसमें जिस एनजीओ को वो दिया गया पिछले 7 सालों से उस एनजीओ ने उसका दरवाजा नहीं खोला और उस केन्द्र की हालत ऐसी खराब हो गई थी कि उसके दरवाजे टूट गये थे, बाथरूम उसके सब नष्ट हो गये थे। नया सेंटर बनाया था। ये जो एनजीओज जिनको इन्होंने पिछली सरकार ने ये केन्द्र दिये है ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारी एनजीओज इनके कार्यकर्ताओं की ही रही है जिनको इन्होंने ऐसे ही उस केन्द्र को सौंप दिये जिसके नाम पर उनको फंड आता है। ग्रांट आती है लेकिन वहां कोई काम नहीं होता है। तो मेरा ये निवेदन है अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री साहब को कि ऐसी सभी जो बस्ती विकास केन्द्र हैं उनका एक जायजा लिया जाए। उनकी एक वार्षिक रिपोर्ट आती है। तो अगर ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है अधिकारी बिना उसके दे रहे है कि वहां जांच नहीं करते। वहां क्या हो रहा है। क्योंकि मैं जानती हूं कि एक बस्ती में सात सालों से कुछ नहीं

हो रहा लेकिन उसकी क्या रिपोर्ट सब्मिट होती है मुझे मालूम नहीं है। तो जो रिपोर्ट वहां से आ रही है उनको ठीक से ढंग से एक तो मंगाया जाये और क्या उनकी आई हुई रिपोर्ट पर कोई काम होता है। मैं ये समझती हूं कि इन विकास केन्द्रों में अगर विधायक को भी किसी तरह से involve किया जाए कि उस पर वार्षिक जो रिपोर्ट जाती है उनकी उसमें उन रिपोर्ट में उनको भी शामिल किया जाए कि वो चैक कर सकते है। उनको मालूम है कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इससे जो बस्ती विकास केन्द्र हैं उनका ज्यादा लाभ हो सकेगा। क्योंकि सरकार का पैसा लगता है उसमें। ना सिर्फ केन्द्र को बनाने में, मैनटेन करने में, बल्कि उस एनजीओ को पैसा देने में भी पैसा लगता है। तो इस लिए मेरा निवेदन है कि इस विषय की ओर जरूर ध्यान दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 280 जो है वो ड्रा से होता है। अगर सब सदस्य समय मांगेंगे 280 में तो फिर ये व्यवस्था या तो बदल दें हम इस व्यवस्था को। तो इससे क्या होगा कि फिर ये सिस्टम से नहीं हो पायेगा। अभी तो रोज होता है। आज नहीं आयेगा तो कल आयेगा, कल नहीं आयेगा तो परसों आयेगा। लेकिन एक curiosity बनी हुई कि मेरा ड्रा में... उस व्यवस्था को बनाकर रखना है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमें ड्रॉ से ही बोलना है। माननीय सदस्य श्री प्रद्युमन सिंह राजपूत।

श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत: अध्यक्ष जी, 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष: आज चार बजे तक सदन समाप्त करना है हमें। सारी कार्यवाही पूरी करनी है।

श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूतः माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कालोनियां जैसे मेन सागर पुर, ईस्ट सागर पुर, इन्द्रा पार्क, कैलाश पुरी, गीतांजली पार्क, शिव पुरी इत्यादि कालोनी में कई लाख की आबादी है। आबादी का ये जो क्षेत्र है यहां लाखों की आबादी विभिन्न प्रकार के neighbourhood facility वाला क्षेत्र अथवा पॉकेट यहां कोई नहीं है। इसके कारण वर्षो से यहां के निवासियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष जी, इस संदर्भ में आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि इन्द्रा पार्क के पास डीडीए का एक खाली भूखंड पॉकेट–11, 12 लगभग 2.26 हैक्टेयर का है। अध्यक्ष जी, क्षेत्र के नागरिकों की मांग के अनुरूप उपरोक्त डीडीए के खाली भूखंड पर एक neighbourhood facilities जिसमें, बैंक, बारात घर, डिस्पेंसरी और पार्किंग इत्यादि बनाने हेतु यहां पर पिछले दिनों डीडीए की स्क्रीनिंग कमेटी ने इसे पास करके इसका नोटिफिकेशन 19 जुलाई, 2012 को किया था। किन्तु अभी तक यहां निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। साथ ही सुनने में ये आया है कि डीडीए द्वारा यहां जन कल्याणकारी योजनाओं को बदलकर कोई अन्य योजना बनाई जा रही है। जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगी। अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है कि आप डीडीए को आवश्यक निर्देश जारी कर उपरोक्त डीडीए पॉकेट 11, 12 में neighbourhood facilities के आधार पर ही आवश्यक निर्माण कार्य करवायें। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री संजय गोयल।

श्री संजय गोयलः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपनी विधान सभा में लगभग दो सौ पार्क है जहां अनेकों–अनेक पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और प्रकृति के

द्वारा दिये गए हैं। जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमारा स्वास्थय अच्छा रहता है। उन पार्को में पानी की कमी होने की वजह से आज वो सभी पार्क में पेड़ पौधे पानी के लिए तरस रहे है और उनकी वजह से वो सूख रहे हैं। जिससे कि आना वाला जो हमारा भविष्य है वो अधंकार में है। क्योंकि पिछले दिनों पिछली सरकार ने जो ग्यारह साल में जो व्यवस्था करनी चाहिए थी। पानी को देना दिल्ली सरकार का कार्य था और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि ये जो एनजीटी के आदेश थे कि सभी समर्शिबल को सील कर दिया जाये। सील तो वो कर दिये गए लेकिन पानी कहां से आयेगा। पानी दिल्ली बोर्ड को देना था। क्योकि मैं निगम पार्षद था 2017 से लेकर 2022 तक। मेरे कार्यकाल में पार्को के समर्शिबल सील किये गए और अब ऐसी स्थिति हो गई है उन पार्क के अंदर कि अभी डस्ट उड़ती है जहां कभी हरियाली हुआ करती थी। जहॉं अच्छी घास हुआ करती थी। लोग अब इतने परेशान हैं। वो हमसे कहते है कि अब तो दिल्ली में आपकी सरकार आ गई है संजय जी तो इसकी व्यवस्था की जाये। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि वहां एक बराबर में सीइटीपी का प्लांट है Central Effluent Treatment Plant लगभग 50 लाख लीटर प्रत्येक दिन पानी को ट्रीट करके साफ करके उस पानी नाले मे फिर दोबारा बहा दिया जाता है क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं है। आप भी जानते है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो लगा हुआ है आप भी वहां पर स्वयं आये हुए हैं। वो पानी इस लिए बहा दिया जाता है कि दिल्ली बोर्ड या पीडब्ल्यूडी के जो टैंकर्स है। यदि वो टैकर्स की उपलब्धता होती तो यह पानी ये पार्को में दिया जा सकता था या बिल्डिंग बनाने के निर्माण के लिए भी उपयोग हो सकता था। इसी लिए अनेक अवैध समर्शिबल बिल्डिंग बनाते समय लगा दिये जाते है और जो कि पैसे लेकर उनको चलने दिया जाता है। जब कोई पैसा नहीं देता है तो उसको सील कर दिया जाता है। लेकिन पार्क में कौन किस की सुनेगा। इसलिए पेड़ पौधे भी हमारे जीवन का

अभिन्न अंग है। उनके लिए दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से या पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये हमारे को व्यवस्था तुरन्त टैंकरो की जाये क्योकि गर्मी का समय आ चुका है अप्रैल, मई, जून और यहां गर्मी होती है तो पेड़ पौधे शाम को या दिन में एक छाया भी देते हैं। इसीलिये यदि ये व्यवस्था की जाती है तो जो टैकर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाकर स्पेशिली, सिर्फ और सिर्फ जहां पर पार्क है। जहां पार्क है, मैं तो समझता हूं मेरी विधान सभा में ये प्रोब्लम है। दिल्ली में भी ये प्रोब्लम सभी जगह होगी और इसका जो पानी की व्यवस्था है इस पानी की व्यवस्था को तुरन्त किया जाये जिससे कि आने वाले समय में हम दिल्ली वासियों को कह सके, एक हरी दिल्ली, ग्रीन दिल्ली का जो हमारा ड्रीम है उस ड्रीम को हम पूरा कर सकें। मेरे को आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री राज कुमार भाटिया।

श्री राज कुमार भाटियाः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का अवसर दिया है। इस अवसर मे, मैं अपनी विधान सभा आदर्श नगर स्थित वार्ड न0 16 आजाद पुर वार्ड के पंजाबी कैम्प की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर दिल्ली के इतिहास में दो काले अध्याय 1984 का प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की हत्या के बाद का दंगा और फिर पंजाब में जो आतंकवाद की घटनाएं हुई उसके बाद इन दोनों स्थितियों में कुछ विस्थापित परिवार जो पीडित परिवार थे वहां पर उनं फ्लैटों में व्यवस्थित किये गए थे और उन्होंने कितने कष्ट भोगे, कितने यंत्रणाएं सही। अलग-अलग तरीके से वो अपने जीवन की रोजी रोटी का बसर करते रहे। ये वो परिवार थे या तो पंजाब में सब कुछ छोडकर आ गए थे या दिल्ली में सिख दंगों के तहत अपने घरों से उनके घर जला दिये गए थे। उनको वो फ्लैट दिये गए। समय-समय

पर उन फ्लैटों को वो पक्का करने की मांग करते रहे। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। 19.03.2009 को एमसीडी ने एक रेजूलेशन के तहत एक प्रस्ताव पास करके इन फ्लैटों के आवंटन की बात की थी, लेकिन इसी दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक आर्डर आया जिसमें एमसीडी को उन्होंने कहा कि 50 हजार रूपये देकर इनमें रहने वाले निवासियों को ये फ्लैट दे दिये जाये। अभी 39 लोगों को ही माईग्रेंटस को ही ये फ्लैट्स मिले थे। तो एमसीडी ने यह जो अधिकार है वो दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया गया। अनेक अवसर ऐसे आए जब दिल्ली गवर्नमेंट को विभिन्न सरकारों में इस हेतु प्रार्थना पत्र भी दिये गए। डा0 हर्षवर्धन जी के माध्यम से हमारे पूर्व सांसद जी के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के माध्यम से और बाद में पूर्ववर्ती सरकार में श्री मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से भी इस विषय पर बार-बार प्रार्थना की गई। लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। वो लोग किन स्थितियों में, टूटे फूट फ्लैटों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा सदन के माध्यम से सम्बन्धित विभाग से अनुरोध है, इसकी इन्क्वायरी भी पूर्ण हो चुकी है। इसका सर्वे भी पूर्ण हो चुका है। एसडीएम मॉडल टाउन के पास ये रिपोर्ट पैंडिंग है। पता नहीं किन कारणों से जिसका अभी तक ज्ञात नहीं हो सका कि इनको फ्लैटों का आंवटन नहीं किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि justice delayed is justice denied इस पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए बिना किसी शर्त के जैसे वो फ्लैट हैं, जिस स्थिति में भी है उसको उसी मूल्य पर जिस मूल्य पर उनको आंवटन 2009 में किया गया था, उसी मूल्य पर उतने ही पैसे लेकर वहां के रहने निवासियों को बिना किसी और शर्त के लगाये हुए penalty या दंड, ब्याज लगाये हुए उन्हें तुरन्त इसका अलाटमेंट कर देना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। मेरी विधान सभा में ये जो पंजाबी फ्लैट्स के जो पूरा segment है। आपने भी वहां से लोकसभा का

चुनाव लड़ा है। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि उनसे हम बहुत ज्यादा पैसे लेकर उनको अलॉटमेंट करें। पुरानी दरों पर उन्हें अलाटमेंट करने की प्रार्थना है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री राज करन खत्री।

श्री राज करन खत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान नरेला विधान सभा के राजा हरीशचन्द्र होस्पिटल की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो 200 बैड का होने के बाद भी बहुत खराब हालत में है। होस्पिटल में ना पर्याप्त स्टाफ है, ना पर्याप्त दवाईयां है। शौचनालय गंदे हैं। हमारी गर्भवती बहु बेटियों की डिलीवरी की व्यवस्था भी नहीं है और ना ही वहां किसी और तरह की सर्जरी की सुविधा है। ज्यादातर मशीनें खराब हैं। अध्यक्ष जी, जीटी रोड के पास स्थित होने के कारण एक्सीडेंट में लाये जाने वाले घायलों की भी उचित देख रेख नहीं हो पाती और छोटी-मोटी बीमारियों परेशानियों के लिए भी मरीजों को बाबा भीमराव अम्बेडकर में रैफर किया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि क्षेत्र की जनता को स्वास्थय लाभ निकट ही मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अजय महावर।

श्री अजय महावरः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरी विधान सभा की एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिलाना चाहता हू। मेरे यहां दो ऐतिहासिक गांव है- पुराना गांव उस्मानपुर और गढ़ी मैंढू पुराना गांव। पिछली सातवीं विधान सभा में भी मैने ये विषय उठाया था। वहां वर्षो से रह रहे नागरिकों के लिए सड़क, पानी, बिजली

जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी नितांत अभाव है। उन्हें उनसे वंचित रखा जा रहा है। हमारे धर्म में तो पशु, पक्षी को भी दाना, पानी रोशनी दी जाती है लेकिन वहां ना तो उन्हें कनैक्शन दिया जा रहा बिजली का, ना पीने का पानी साफ दिया जा रहा है पाईप लाईन से। ना सीवर का प्रोविजन है वहां पर आखिर नारकीय स्थिति में वो कब तक रहेंगे। इसका मुख्य कारण है कि ओ जोन की श्रेणी में उनको डाल दिया गया। 2015 से पहले वहां पर डव्लपमेंट के काम होते थे। लेकिन अब सारे काम उस श्रेणी में डालने के कारण रोक दिये गए है। जबकि वहां मैट्रो का विस्तार हो रहा है। बगल में हाईवेज बन रहे हैं। वहां पर सिग्नेचर ब्रिज भी बना है। वो सारे काम जो डवलपमेंट के है infrastructure के वो रहे है लेकिन उनके साथ-साथ इन गांव के लोगों का भी हक है कि वो भी मूलभूत सुविधा के अनुसार अपनी जिंदगी जी पाये। जैसे मैने कहा, मैने पिछले सदन में भी यह विषय उठाया था और इसका समाधान हेतु मैने कहा था कि वजीराबाद जिस पर सिग्नेचर ब्रिज है जिस रोड पर उस रोड से और आईएसबीटी वाले शास्त्री पार्क वाले रोड तक एक बांध बना दिया जाये। क्योंकि पूरी स्पेस खाली है आराम से बन सकता है। सोनिया विहार में जैसे बांध बंधा था उसी तर्ज पर बंध सकता है और अगर ये भी सम्भव ना हो तो दोनों गावों के किनारे-किनारे डीडीए ने बाउंड्री की है। गांव में डीडीए की बाउंड्री होने का मतलब है कि डीडीए इस बात को मानता है कि वहां मकान हैं, हजारों लोग रह रहे हैं। तो डीडीए की बाउंड्री जो बनाई गई है, उस बाउंड्री के साथ-साथ उसी पर अगर बांधनूमा बना दिया जाये तो भी ओ जोन से निकालने में ये एक बड़ा कदम होगा अध्यक्ष महोदय। इससे वहां के लोगों के जीवन के अधिकारों की रक्षा होगी और ना केवल दिल्ली का बल्कि इन गांवों के निवासियों का अधिकार के साथ-साथ दिल्ली के समुचित विकास का काम भी एक संतुलित और समुचित विकास भी

हो पायेगा। मैं आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सम्बन्धित विभाग को, मंत्री को आप आदेशित करें। इसकी एक तरह से कमेटी बनाकरके इस कार्य को देखा जाये। और वहां पर बांध बनाकर के ओ जोन से निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य में एक शब्द आया था 'ठुल्ला' उसको आप कार्यवाही से हटा दें। अब माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट, चूंकि उपाध्यक्ष हैं तो उनको।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी

माननीय अध्यक्षः उपाध्यक्ष हैं और उनका विशेष आग्रह है, तभी मैंने देखिये, क्योंकि उनका आग्रह आया था तभी मैंने सदन के समक्ष वो विषय रखा था, तो लेकिन अब आपकी ही अनुमति से, सदन की अनुमति से, वह चूंकि उपाध्यक्ष हैं और उनका विशेष आग्रह है तो उनको मैं आलाउ कर रहा हूँ।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बाकी वैसे जनरली नहीं है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी। आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का जो समय दिया, निश्चित रूप से मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ क्योंकि ये मेरी विधानसभा का लोकहित का महत्व का ये विषय है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद के अंदर दिल्ली जलबोर्ड द्वारा सीवर लाईन

और पीने के पानी की लाईन डाली गयी है। अध्यक्ष जी काफी अनियमितताओं में उसमें बरती गयी हैं, यदि आप अनियमितताओं को देखेंगे। आज विपक्ष के लोग यहां नहीं हैं तो उनको पता लगता तुमने दिल्ली के जलबोर्ड के साथ कितना बड़ा घोटाला किया ये इस चीज से वो जगजाहिर होता है। अध्यक्ष महोदय, सीवर की लाईन के मैन हॉल पर सीमेंट तक नहीं लगाया गया एवं इसका पेरीफेरल से कनेक्शन भी नहीं किये गये। जिससे की सीवर लाईन का कोई फायदा नहीं होगा। घटिया सामग्री तथा निम्न श्रेणी के पाईप लाईन इत्यादि उपयोग में सीवर लाईनों में किया गया है, यदि भविष्य में इसको चालू किया जाता है तो सीवर का गंदा पानी गलियों और घरों तथा सड़कों इत्यादि में भर जाएगा, जिससे मकान क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, जमुनापार एक ऐसा क्षेत्र है जो वास्तव में रेतीली जमीन के ऊपर बसी हुई कलॉनियां हैं। अध्यक्ष महोदय, इस जल से यहां सीवर चालू करने से जानमाल का तो नुकसान होगा, लेकिन वहां भूकम्प के जैसी स्थिति में वो मकान गिरने से बच नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जलबोर्ड के अधिकारियों के दबाव में आकर के ठेकेदारों से मिली भगत के कारण सीवर लाईन डालने से पहले और बाद में किसी चीज की जांच पड़ताल नहीं की गई और बिना गुणवत्ता के मापदंड के ठेकेदारों को एनओसी दे दी गयी। अध्यक्ष महोदय, यह जब एनओसी देनी होती है तो सारी चीजों की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं किया गया। बार-बार शिकायत करने के बाद, के पश्चात अधिकारियों द्वारा उपरोक्त संदर्भ में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जिससे लोगों को नारकीय जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्यो का सरकारी कार्यो का जांच की जाए, उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो दोबारा से

वो सीवर लाईन डालने की कृपा की जाये। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। सधन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प प्राइवेट मेंबर बिल नियम 89 के तहत। अब श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष जो कुछ कहना चाह रहे थे आप, इसको अगले सत्र के लिए, कुछ बता रहे थे आप मुझे। एक मिनट पहले, एक मिनट रूको, नहीं–नहीं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ इसमें कुछ अनियमितताएं दिख रही हैं, तो इसको आगे को इसको बढ़ाने का कष्ट करेंगे, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।

माननीय अध्यक्ष: अगले सत्र के लिए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: हां, अगले सत्रों के लिए।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है आप दोबारा नोटिस दे देना, फिर इसको देखते हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: ठीक है।

संकल्प नियम–89

माननीय अध्यक्ष: अब गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प नियम–89 के तहत प्राइवेट मेंम्बर बिल रेजोल्यूशन, अब श्री अशोक गोयल, माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। यह सदन एक मिनट, सब चीजें समय सीमा में समाप्त हो जाएंगी, ये कार्यवाही को पूरा करने दीजिए। अब श्री अशोक गोयल माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री अशोक गोयलः माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे

माननीय अध्यक्षः एक बार सदन ये पढ़कर, यह सदन संकल्प करता है कि नई गोशालाओं का निर्माण किया जाए तथा आवारा पशुओं और गायों के लिए मौजूदा गौशालाओं को उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। ये संकल्प आप रखेंगे और उसके बाद इसमें सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं और अपने संशोधन भी दे सकते हैं।

श्री अशोक गोयलः माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे, 'यह सदन संकल्प करता है कि नई गोशाला का निर्माण किया जाए तथा आवारा पशुओं और गायों के लिए मौजूदा गौशालाओं का उचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए', इस पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी गऊ हमारी माता है और सनातन संस्कृति में भी गाय को माता का दर्जा दिया गया है गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास रहता है और हम सब लोग दीवाली के दूसरे दिन जब गोवर्धन जी की पूजा करते हैं तो गाय की भी विशेष पूजा करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, गाय एक ऐसा हमारा गोधन है जो सांस से तो ऑक्सीजन लेता ही है, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ता भी है, इसलिए गाय को किसी भी तरह का सताना एक घोर पाप है, लेकिन आज दिल्ली में हम लोग क्या देख रहे हैं, दिल्ली में कुछ लोग जो गाय दूध नहीं देती, उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसके साथ–साथ जो गाय दूध भी देती हैं, जो लोग डेयरी चलाते हैं, उनको चारा ना खिलाना पड़े, उनके लिए कोई जगह ना होने के कारण, वो उनको खुले में छोड़ देते हैं, जिससे जो गो माताएं हैं वो कूड़ा करकट अध्यक्ष जी खाती हैं और रास्ते भर में जो प्लास्टिक की पन्नी जिसमें कुछ–कुछ खाना लोग फेंक देते हैं, उसको खाती हैं और उससे

उनके शरीर में पन्नी भी जाती है और उनके जो ये अवैध डेयरी के जो मालिक हैं उनको भरपूर पेट चारा ना खिलाना पड़े इसलिए ये सब वो करते हैं। इससे जो दूध भी जो गो माताएं दे रही हैं, क्योंकि कूड़ा– करकट और पन्नियां उनके शरीर में जा रही है वो दूध भी टॉक्सिक लोगों को दूध मिलता है और जब डेयरी ऑनर्स या जो गोशालाएं हैं जब गोमाता बीमार होती है और हॉस्पीटल में जाती है तो उनके पेट से किलो–किलो पन्नी, अध्यक्ष जी निकलती हैं। तो खुले में गाय की घूमने की वजह से 3 तरह की समस्याएं दिल्ली में होती हैं, ट्रैफिक का जाम, ट्रैफिक जाम होता है अध्यक्ष जी, सैनिटेशन की एक बहुत बड़ी समस्या होती है और बड़ी मात्रा में एक्सीडेंट होते हैं। 1 जनवरी, 2023 से माननीय अध्यक्ष जी और 19 फरवरी, 2025 तक 25,593 पीसीआर कॉल गायों की समस्या को लेकर पूरे दिल्ली में की गयी, जिसमें ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट प्रमुख कारण रहे। 23 फरवरी, 2024 को माननीय अध्यक्ष जी, एक खानपुर के निवासी हैं सुभाष वो अपने बेटे को देवली स्थित एक मार्ट में सुबह बस में बैठाने के लिए गए थे जब वो वापस आ रहे थे, तो एक गाय ने उनको सींग मारकर नींचे गिरा दिया और फिर पांव के नींचे कुचल–कुचलकर उनको मार दिया और उनकी मृत्यु हो गयी 1 सितंबर 2023 को बाहरी दिल्ली में अभी कुलवंत राणा जी जिक्र कर रहे थे दो सांडों की लड़ाई थी चपेट में बाईक सवार युवक की मृत्यु हो गयी और 20 अगस्त 2024 को ही एक और इन्सीडेंट में एक गाय ने पीछे से रोहिणी में 75 साल के बुजुर्ग पर वार किया और उनके सर पर चोट लगी, खून बहा उनके कई टांके आये, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ठीक ना होने के कारण उन बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गयी अध्यक्ष जी। अभी 26 मार्च को जब बजट से अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में आ रही थीं तो जब हैदरपुर फ्लाईओवर से उनका काफिला निकल रहा था तो एक साथ 5–6 गाय आ गयीं और ट्रैफिक

जाम हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नींचे उतरकर व्यवस्था को ठीक करना पड़ा, अधिकारियों को बुलाना पड़ा। तो ये एक बड़ी समस्या हो गयी, प्रशासन बिलकुल आंख मूंदकर बैठा हुआ है, इन गायों पर जो इनके गायों के मालिक हैं उनकी मार्किंग होती है उन पर नाम लिखा होता है कि वो किन-किन, इनके मालिक कौन-कौन हैं जो अवैध डेयरी कौन-कौन चला रहे हैं, जोकि दूध निकालने के बाद इनको छोड़ देते हैं ये एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है माननीय अध्यक्ष जी और ये समस्या पूरी दिल्ली की है लेकिन जो मॉडलटाउन विधानसभा में है ये एक विशेष रूप से है। यहां पर पूरे मॉडल टाउन पार्ट 1,2,3 डेरावाल नगर, गुजरवाल नगर, राणा प्रताप बाग, जैन कालोनी, राजपुरा गुड़ मंडी, रूप नगर, कमला नगर, शक्ति नगर, चंद्रावल, जवाहर नगर, सिंधोराकलां, श्रीनगर, लालबाग और संगम पार्क में इस समस्या से लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और इस सिंडिकेट पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। खुले में घूमने वाली गायों को गोशाला में भेजना चाहिए। जब इनकी कम्प्लेंट एमसीडी को उसके विभाग को करते हैं तो वो उनके पास हर जोन में दिल्ली में 12 जोन हैं एक-एक गाड़ी है। जोकि अपने आप में पर्याप्त नहीं है और वो गाड़ियों से उनके बाद वहां पर लेकर नहीं जाया जाता। दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली में 4 गोशालाएं बनायी थीं जिसमें करीब अभी 17 हजार के करीब गाय हैं और मैं आपका ध्यान इसलिए भी आकृष्ट करना चाहता हूँ इन 4 जो गोशालाएं दिल्ली में हैं इनको रिन्यूवल दिल्ली सरकार करती है, लेकिन पिछले 5 वर्षो से इनको रिन्यू भी नहीं किया गया है, इनको जो हमारी सरकार है दिल्ली सरकार और एमसीडी 20 रुपया पर गाय प्रतिदिन देती है, लेकिन पिछले 5 सालों से एमसीडी ने इन गोशालाओं को कोई पैसा नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने पिछले एक साल से कोई

पैसा नहीं दिया और जिस हालत में ये गोशालाएं चल रही हैं माननीय अध्यक्ष जी ये भी बंद होने की कगार पर हैं। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बजट में दिल्ली के गांव घूमनहेड़ा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल गोशाला स्थापित करने के लिए 40 करोड़ के बजट का निर्धारण किया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो ये 4 गोशालाएं सरकार जिनको फंड करती है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका भी रिन्यू किया जाए उनको समुचित धनराशि भी दी जाए और जो बजट में प्रावधान किया है इस गोशाला का भी निर्माण किया जाए और साथ ही साथ एनजीओ के माध्यम से और भी गोशाला दिल्ली में चलें। हर विधानसभा में कहीं न कहीं एक जगह तय हो जिससे कि जो ये गायें इधर–उधर घूमती हैं वो एक स्थान पर चिन्हित हों। वहां पर ये गाय आ सकें और जो लोग गोमाता को कुछ खिलाना भी चाहते हैं भक्ति के कारण, हमारी संस्कृति के कारण तो उस जगह पर वो दे सकें और अगर ऐसा होगा तो हम सब लोग मिलकर गोमाता के लिए एक बहुत अच्छा काम ये सदन मिलकर करेगा। आज मुझसे पहले कुलवंत राणा जी ने भी, उमंग बजाज जी ने भी इस पर अपने विचार रखे 280 के विशेष उल्लेख में। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को बढ़ाया जाए और इसके उपर चर्चा की जाए, जिससे की हम लोग इस समस्या को पूरे दिल्ली से समाप्त किया जा सके। आपने मुझे ये गैर सरकारी सदस्य का संकल्प पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः पूनम शर्मा जी। माननीय सदस्य पूनम शर्मा जी। ये जो नाम जो मेरे पास आयेंगे, उनके माध्यम से वही बोल पायेंगे, नहीं ये तो नाम, नहीं–नहीं ये मैंने उनको बोला और उन्होंने नाम भेजे हैं।

श्रीमती पूनम शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी, और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगणों को प्रणाम करती हूँ आज इस सदन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है, गोशाला का। आप सब को पता है मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ कि गाय हमारी माता है, हमारे घर के अंदर जो हमारी संस्कृति है जो हमारा संस्कार है डेली सबेरे उठकर हमारे घर में सबसे पहले जब खाना बनता है तो गऊ माता के लिए रोटी बनायी जाती है और फिर बाद में हम लोग रोटी ग्रहण करते हैं।

(समय की घंटी)

श्रीमती पूनम शर्मा: तो ऐसी हमारी संस्कृति है।

माननीय अध्यक्ष: कोरम बैल बजाइये।

श्रीमती पूनम शर्मा: ऐसी हमारी संस्कृति है और ऐसे हमारे संस्कार हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य रुक जाएं, कोरम पूरा होगा, कोरम बैल बजाएं।

(कोरम बैल बजाई गई)

माननीय अध्यक्ष: कॉन्टीन्यू करिये।

श्रीमती पूनम शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी, यहां पर उपस्थित सभी सदस्यगणों को प्रणाम करती हूँ नमस्कार करती हूँ। आज इस विधानसभा के अंदर गोशाला का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, उसके लिए भी आप सब का धन्यवाद करती हूँ। जिस परिवार से जिस संस्कार, जिस संस्कृति से हम आते हैं वहां पर हमारी गऊ को एक माता के रूप में पूजा जाता है। जब सुबह उठकर हम सबसे

पहले जब रसोई घार में जाते हैं तो सबसे पहले अपनी गऊ माता के लिए रोटी बनाते हैं और बाद में हम लोग रोटी का ग्रास ग्रहण करते हैं। तो आज ऐसी दयनीय हालत हो गयी है कि जो हमारे क्षेत्र के अंदर अवैध जो डेरियां चल रही हैं वहां पर एक गाय के व्यापार के रूप में उनका प्रयोग किया जा रहा है। सुबह के समय उनसे दूध निकालने के बाद उनको खुल्ले रोडों पर छोड़ दिया जाता है। और जिसकी वजह से वहां पर आने जाने वाले क्षेत्रवासियों को दिक्क्त का सामना करना पड़ता है। अब मैं बात करूं अपने वजीरपुर विधानसभा की तो वहां पर जहां अवैध डेरियां चल रही हैं वहां आजू बाजू 3 स्कूल पड़ते हैं, मॉन्ट फोर्ड स्कूल पड़ता है, अंगद पब्लिक स्कूल पड़ता है ओर बनवारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पड़ता है। जब सुबह गाय से दूध निकालने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है तो बच्चों का स्कूल का समय होता है और जब उनके जो दूध धोने वाले उनके जो मालिक हैं मैं कहूं तो उनको एक पता नहीं क्या उन्होंने एक डंडा सा ले रखा है, उनको मारते हैं और वो इतनी बुरी तरह से भागती हैं कि वहां से मोटरसाईकल पर या कोई गाड़ियों में जा रहे होते हैं तो वहां पर दुर्घटना हो जाती है। तो इन हालात को सुधारने के लिए हमें बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि गायं अब ऐसी तो है नहीं कि हम उनको यहां से निकालेंगे।

हम वजीरपुर से निकालूंगी तो वो लोग मॉडल टाउन में चली जाती है, मॉडल टाउन से निकालूं तो शालीमार बाग में चली जाती हैं। तो इनका कोई न कोई एक पक्का हमें समाधान निकालना चाहिये क्योंकि दिल्ली के अंदर गऊशालाओं की बहुत कमी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गऊशाला बनानी चाहिये, इनको अच्छी जगह पे रखा जाये, इनको अच्छा चारा और अच्छा भोजन इनको समय पे मिल पाये। आपने बोलने का समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य संजय गोयल जी। संक्षिप्त रखना है बिल्कुल क्योंकि समय सीमा चार बजे तक समाप्त करना है और माननीय सदस्य जो शार्ट ड्यूरेशन इतने दिनों से बार बार पोस्टपोन हो रहा है तो आज जिन्होंने लगाया है तो मैं उनको मौका दूंगा और फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे हम अगले एक तारीख को। तो ये अभी पूरा सैट अप रहेगा। तो आप संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री संजय गोयलः माननीय अध्यक्ष जी जिस तरह से माननीय हमारे साथी अशोक गोयल जी ने प्रस्ताव रखा है बिल्कुल बात ठीक की है कि जैसे मैं पूर्वी दिल्ली से आता हूं और पूर्वी दिल्ली में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां इन गायों को ले जा कर वहां रखा जा सके। तो वो स्थान अवश्य होने चाहियें विधान सभावाईज हो सकते हैं तो ठीक है या जोन वाईज हो सकते हैं वो भी अच्छा है। दूसरी बात् यदि जो गऊशालाएं जो एनजीओ हमारी चलाती हैं उनके साथ में ये भी व्यवस्था एक एमओयू होना चाहिये जिससे कि वहां वो रखकर वो तुरंत रखें क्योंकि कई बार जब अधिकारी इनको लेके जाते हैं तो वो एनजीओ द्वारा संचालित गऊशालाएं मना कर देती हैं उन गायों को रखने के लिये क्योंकि व्यवस्था वहां पर उनकी व्यवस्था के लिये खर्च किया जाता है। यदि सरकार इसके लिये धनराशि प्रोवाइड करती है तो मैं समझता हूं वो भी व्यवस्था हो सकती है। दूसरी बात ये जो मालिक हैं इनके गाय के,यदि हमारे अधिकारी उनको रात्रि में चेक करें कि कौन उनको गाय को अपने घर लेकर जाता है और सुबह छोड़ कर जाता है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो जिससे कि आगे वो उनको छोड़ न सके और वो अपने यहां पर रखें। दूसरी बात एमसीडी के पास इन सबको गाय को उठाने के लिये व्यवस्थायें नहीं हैं और व्यवस्थायें वो हमारी होनी चाहियें जैसे ट्रक है या स्टाफ है। आज वेटेरीनरी डिपार्टमेंट के नाम पर चार या पांच विभाग में एमसीडी के एक जोन जैसे हमारे यहां पूर्वी दिल्ली में नार्थ

जोन और साउथ जोन है, कहने को ये एमसीडी में व्यवस्था है लेकिन मात्र आठ या दस ही कर्मचारी उसके अंदर हैं और गाय को पकड़ते समय पकड़ना होता है उसको गाड़ी में चढ़ाना होता है तो वहां स्टाफ की आवश्यकता होती है, स्टाफ की कमी होने की वजह से भी गाय वहीं रहती है और हमारे यहां गाजीपुर जो मेन रोड है जहां पूरा ट्रैफिक आपके एक्सप्रैस वे पे चढ़ता है उस वजह से कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है और इसीलिये ये व्यवस्थायें होनी चाहियें अशोक गोयल जी के प्रस्ताव को मैं समर्थन करता हूं धन्यवाद जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मनोज शौकीन।

श्री मनोज कुमार शौकीनः अध्यक्ष जी, अशोक जी ने बहुत ही अच्छा एक बिल लेकर के वो आये हैं, प्रस्ताव लेकर के आये हैं। जो सभी ने बात कही है वो दोबारा नहीं मैं दोहराना चाहूंगा। मेरे यहां पर लगभग जो नांगलोई जाट विधान सभा है, कम से कम भी दो तीन हजार गाय हैं और आप देखोगे लोगों को लगेगा दो तीन हजार कहां से आ गयी लगभग दो सौ एकड़ भूमि का डीडीए का एक पार्क है कुछ उसमें घूमती हैं, कुछ सड़कों पे घूमती हैं, कुछ नजफगढ़ नाले पे, कुछ इधर उधर, घूम फिर के वो सड़कों पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। बहुत सारी समस्यायें रहती हैं लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि दिल्ली को दूध भी चाहिये और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूध का व्यापार करते हैं, सुबह शाम दूध दोहते हैं और गाय को ऐसे खुला छोड़ देते हैं। अनेकों सालों से दिल्ली के अंदर पता नहीं हमारे यहां तो गोयला डेयरी है एक उसका निर्माण किया गया और लोगों को दी गयी। हम गऊशाला बना रहे हैं बना रहे हैं वो तो जो आवारा या वैसी गाय हैं हमारी माता, उनको ले जाकर के उसमें छोड देते हैं वो रख लेते हैं। लेकिन हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि कुछ ऐसी डेयरी दिल्ली के अंदर बनाई जायें कि वहां पर वो लोग जो अनधिकृत

कहीं पे ये व्यापार कर रहे हैं उससे दिल्ली को रेवेन्यू भी आयेगा और दिल्ली के अंदर एक व्यवस्था व बदलाव भी होगा वो डेयरी बनाकर के ऐसी जगह लेकर के जिस प्रकार से पहले जब इंडस्ट्रियल एरिया बनाये गये इसी तरह से डेयरी भी बनायी गयी, इसी तरह से दूसरे काम भी किये गये। तो हमें एक नई कोई ऐसी जगह निकाल कर के और हमारे यहां पर साथ में क्योंकि मैं पीछे जब विधायक था मुंडका विधान सभा से अभी मेरे साथी वहां से विधायक हैं गजेंद्र भाई, वहां पर लगभग 900 बीघे जमीन जो गांव सभा की है अभी वो शायद डीडीए को चली गयी होगी या नहीं भी गयी होगी, तो ऐसी जगह का भी इस्तेमाल अनेकों गांव में है जहां पर अवैध निर्माण भी हो रहे हैं, कब्जे भी हो रहे हैं उसका दुरूप्योग भी हो रहा है। अगर सरकार अच्छा कोई निर्णय लेती है तो एक ये अच्छा मैं समझता हूं कदम होगा, कोई ऐसी डेयरी की जगह निकाल करके हमें वहां पर डेयरियों को जो है ऑक्शन किया जाये, जो भी किया जाये उसका मैं रास्ता अपनाया जाये और सड़कों पे जाम इतना अधिक रहता है अध्यक्ष जी आज जब मैं आया तो मैं ये इसी में एक मिनट की बात कहना चाहूंगा कि जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं एक तो हमारे यहां अधिकारी कोई नहीं है। अधिकारीदीर्घा है लेकिन अधिकारी कोई भी नहीं है, कोई एक ऑफिसर हर डिपार्टमेंट से हो। मेरे ख्याल से होना चाहिये।

माननीय अध्यक्षः प्राइवेट मेंबर में नहीं होता।

श्री मनोज शौकीनः चलो कोई बात नहीं बाद में, लेकिन मेरा सदन के माध्यम से ये कहना है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं वो ट्रैफिक जहां जाम होता है वहां नहीं रहते, वो कहीं न कहीं उसके एकाध कि.मी. के अंदर रहते हैं जहां उनको कलेक्शन करनी होती है। तो इस तरह का हमारी तरफ से हमारे यहां से सदन से एक जाना चाहिये कि जो ट्रैफिक को

मैनेज करते हैं वो अपनी जगह पे रहें ऐसा कुछ सिस्टम बने कि उनको ये जानकारी मिले हमें या सबंधित विभाग को कि ट्रैफिक ठीक से चलाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य गजेंद्र दराल जी।

श्री गजेन्द्र दरालः धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आज आदरणीय बड़े भाई अशोक गोयल जी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव जो रखा उसका समर्थन करता हूं और साथ में आदरणीय बड़े भाई मनोज जी ने जो बताया। तो लगभग दिल्ली के हर विधायक का ये कहना है कि जो आवारा पशु जो गाय और दिल्ली के अंदर बहुत सारी विधान सभाओं में जगह की कमी है और मेरी मुंडका विधान सभा में निजामपुर गांव में लगभग लगभग डेढ या दो सौ एकड़ जमीन ग्रामसभा की है जो अलग अलग पैच में और जिसकी बाउंड्री वाल भी कर रखी है। तो अगर प्रस्ताव रखा है और हमारा सौभाग्य होगा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अगर एक बड़ी गऊशाला का निर्माण उस गांव में हो जाये। तो प्रत्येक विधान सभा में जो आवारा गाय हैं वो वहां पर उनकी व्यवस्था हो जाये। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में ही बहुत सारे लड़कें खुद मिल कर जिन्होंने अपनी गाड़ियां ले रखी हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल बना रखे हैं कि किसी गाय का एक्सीडेंट हो जाये, तुरंत उनको काल करते उठा के ले जाते हैं और खुद की जमीन पर छोटे छोटे हॉस्पिटल चला कर इन गायों का उपचार कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी सरकार है, हम सनातनी हैं बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं और करके भी दिखाते हैं। तो अब ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम उस जमीन का सदुपयोग करें क्योंकि उस जमीन पर कुछ लोगों की बड़ी नजर है बहुत सालों से। लेकिन अब हम आ गये, गलत काम नहीं होने देंगे। कुछ जमीनों पर अवैध कालोनियां भी कट चुकी हैं कब्जा कर करके। तो मैं तो

कहूंगा कि डीडीए उनकी बाउंड्री वाल कर रखी है तो उसमें जो भी बड़ा पैच दिखे जैसे हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने श्री कृष्ण गऊ शाला 32 एकड़ में बना कर जो बवाना रोड के उपर और आज वो इतनी सुंदर गऊशाला जहां मन करता है बार बार जाने का, तो ऐसी एक गऊशाला का निर्माण मुंडका विधान सभा में निजामपुर गांव की जमीन पर कर दिया जाये तो हमारे लिये बहुत अच्छा होगा और बाकी विधायकों के लिये भी जहां ये समस्या उन गायों को वहां पे उनको शिफ्ट कर दिया जायेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिये मौका दिया गया।

माननीय अध्यक्षः कुलवंत जी आप तो इस विषय पर बोले थे अभी 280 में।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी, जो ये श्री अशोक गोयल जी जो प्राइवेट मेंबर बिल ले के आये हैं मैं इसका समर्थन करता हूं और ये ज्वलंत विषय है दिल्ली का। मेरा इसमें सुझाव है कि एक तो नई गऊशालाओं का निर्माण हो, अध्यक्ष जी नई गऊशालाओं का निर्माण हो और भूखंड डीडीए मुहैया करायेगा गऊशालाओं के लिये। क्योंकि अब लैंड ग्राम सभा के पास नहीं है। और ग्राम पंचायतें भी नहीं हैं। तो डीडीए के पास सरकार की ओर से एक आग्रह जाये और वो भूखंड अलग अलग जगहों को दिल्ली के जहां जहां उपलब्ध हैं स्थान और नई गऊशालायें बननी चाहिये। वर्तमान में जो गऊशालायें चल रही हैं जो पशु हैं पशु के आधार पर चारे के आधार पर पशु के उसपे पैसा दिया जाता है आप कारपोरेशन में रहे हो, आपने फंडिंग की है गऊशालाओं को। तो वो आज का जो वर्तमान जो स्थिति है पहले एक बार निर्धारित किया होगा उसका पशु का, प्रति पशु ये देना है उसके चारे के अनुसार, कितना चारा उसपे खर्च होता है पूरे दिन में तो उसका राशि वर्तमान के आधार पे बढ़ाई जाये ताकि गऊशालायें ठीक

ढंग से चल सकें। जब हमारी सरकार थी भाजपा की 1993 के अंदर ये 4–5 गऊशालाओं का निर्माण हुआ। और हरेवली गऊशाला को 70 एकड़ भूमि दी गयी थी ग्राम पंचायत की उस टाईम ग्राम पंचायत की जमीन थी दिल्ली की सरकार दे सकती थी। तो उसकी 50 एकड़ भूखंड उसका पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया। अब उनके पास भूखंड छोटा पड़ता है और एमसीडी वाले गऊशालाओं में गाय ले के भी चले जायेंगे तो वहां जगह ही नहीं है और मुझे लगता है कि पिछले 11–12 वर्ष में एमसीडी भी निष्क्रिय है और ये जो पशु विभाग है एमसीडी के अंदर वेटेरीनरी डिपार्टमेंट वो भी एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है और इसलिये ये स्थिति गाय की पूरी दिल्ली में ऐसे बन गयी है आवारा पशु, कुत्ते भी बहुत बढ़ गये हैं। हर विधान सभा में जाते हैं लोग क्षेत्र का दौरा करते हैं हर जगह यही बात आती है जी वो जो न आवारा कुत्ते बहुत हमारे यहां हैं, हमारे बच्चों को काट रहे हैं। तो छोटी छोटी समस्या है लेकिन ये समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं। उसके साथ साथ जो दिल्ली में कुल कितनी गायें हैं एक सर्वे हो आवारा पशुओं का, गायों का और उसके अनुसार फिर एक प्लान हो कि हमें जगह कितनी चाहिये कितनी गऊशालायें और नयी बनाने की आवश्यकता है तो सर्वेक्षण होगा तो उससे एक्चुअल स्थिति दिल्ली की सामने आयेगी। उसके साथ साथ एमसीडी की भी जवाबदेही तय हो कि किसी भी असेम्बली में या रोड के उपर अगर आवारा गाय मिलती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई हो क्यों ये मिली। और जो अवैध डेयरियां चल रही हैं दिल्ली भर में चल रही हैं। सरकार में समय समय पर नयी डेयरियां बसाई हैं, घोगा में डेयरी बसाई थी आपके के काल में जब आप कारपोरेशन में थे लेकिन उस भूखंड का भी सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। अब डेयरी तो बना ली वहां उनको बेसिक एमनिटीज़ दी नहीं, बिजली पानी वहां है नहीं, सड़कें हैं नहीं, डेयरी वाले वहां जाके खुश नहीं,

गाड़ियां उनको अब मिलती नहीं, दूध देने के लिए शहर तक, उनको वारा नहीं खाता, दूध यहां लेके आयेंगे किराया खर्च करके। तो उनको डवलप भी अच्छे से किया जाये और उनका दूध सही ढंग से वो बेच पायें उसकी व्यवस्था भी हो और ऐसी डेयरियां और बढ़ायी जानी चाहिये और उसके अलावा कोई भी शहर के अंदर डेयरी जितनी कमी है वो बनाने के बाद दिल्ली के शहर के अंदर कोई भी अवैध रूप से डेयरी न चलाये इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली ला ब्रेकर सिटी है, व्यवस्थायें बनती हैं बिगड़ती रहती हैं, गिव एंड टेक हो जाता है। कल हमने गाय पकड़वा दी, एमसीडी वाले आये, ले गये, फिर उसके बाद फिर छोड़ दी ले जा कर के, फिर वो आ गयी और कार्यवाही करने गये शिकायत के बाद, तो बता देते हैं जी हम आने वाले हैं, वो गाय को छोड़ कहीं और भेज देते हैं। तो ये एक आम कर्म बना हुआ है। तो ये व्यवस्था बहुत खतरनाक है जवाबदेही फिक्स होनी चाहिये सिस्टम की ताकि परिवर्तन दिल्ली के अंदर महसूस हो लोगों को कि सरकार भाजपा की सरकार है और जो कहते हैं सो करते हैं। तो अंतर दिखाई देना चाहिये। उसके साथ साथ जो अभी देवराहा जी ने कहा प्रत्येक विधान सभा स्तर पर अगर ऐसे भूखंड डीडीए मुहैया करा दे जहां डीडीए का कंट्रोल है बाहर की तरफ डीडीए के कंट्रोल में सारी भूखंड आ गये दिल्ली के। तो जो स्थान जिसका उपयोग कोई मुख्य विशेष योजना के लिये नहीं हो और ग्रीन बेल्ट, हरित पट्टी जैसे आप के यहां भी है सेक्टर 15 में देखता हूं एक भूखंड है हाई टेंशन लाइन के नीचे, आपके यहां भी सेक्टर 15 में एक भूखंड है सप्लीमेंटरी ड्रेन के साथ उसके अंदर आवारा वो भैंसे आवारा तो नहीं डेयरी वाला भैंसे रखता है वहां और हाई टेंशन तार है तो ऐसे भूखंडों का उपयोग ऐसे पशुओं के लिये कर सकते हैं हम, उसका दीवारें कर दो और एक गेट वेट लगा दो किसी को सुपुर्द कर दो ठीक है भैया

जो धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है आप गऊशाला चला लो टेंपरेरी और कोई जो लोग गऊभक्त हैं कोई चारा डालना चाहता है, गुड़ डालना चाहता है, डाल जाओ भई। लेकिन वो सड़कों पे न आयें।

माननीय अध्यक्षः वो तो गायों के तो मालिक हैं इनके। खुला रखते हैं वो।

श्री कुलवंत राणाः हां मालिक हैं अवैध डेयरी है।

माननीय अध्यक्षः वो रखते हैं वो। आप हाथ नहीं लगा सकते उन गायों को।

श्री कुलवंत राणाः अवैध डेयरी है न जी। अवैध डेयरी है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसे भूखंड हैं तो सामाजिक संस्थाओं को दे दिये जायें और उनकी जवाबदेही तय हो कि सड़क पे नहीं आयेगी तेरी गाय और सड़क पे आ गयी, पकड़ी गयी तो हम नहीं छुड़वायेंगे और तेरे को भी जुर्माना होगा। और जुर्माने की और सजा की भी व्यवस्था इसमें अच्छी हो। कड़ी व्यवस्था हो ताकि आदमी इस प्रकार की फिर हिम्मत न करे कि मैं गाय पालूं, पशु पालूं, और इसके कारण बेचारे कितने अनजान लोग दुघर्टना में मारे जाते हैं, शिकार होते हैं उसके और उन बेचारों का तो घर बिगड़ गया और किसी की गाय टकरा गयी और ट्रैफिक मूवमेंट में प्राब्लम है। समस्या तो है बड़ी ये, सामान्य समस्या नहीं है। बोलने में समस्या सामान्य लगती है। आप डे बाई डे जो लोग मूवमेंट में होते हैं दिल्ली में, तो सबके सामने आती है। तो उसके अलावा ये जो मैंने विषय रखे हैं तो अवैध डेयरियां कितनी हैं, इनको भी चिन्हित् किया जाये दिल्ली में सर्वे समय समय पर होते हैं, दोबारा एक सर्वे आप तय कर दें, एक सर्वे दोबारा कराया जाये और एक समय सीमा

(समय की घंटी)

श्री कुलवंत राणाः पर कार्यवाही हो। तो इस प्राईवेट मेंबर को आप बिल को आप अप्रूव कर दो इसको बिल बना दोगे तो अच्छा रहेगा और ये दिल्ली के जनहित में होगा। आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य तरविंदर सिंह मारवाह जी।

माननीय अध्यक्षः हांजी।

माननीय मंत्री (श्री आशीष सूद): सभी सदस्यों के विचारार्थ रखना चाहता हूं। हम सब की भावना जुड़ी हुई है गौमाता से। हम गौमाता भी कहते हैं और फिर आवारा गाय भी कहते हैं। तो थोड़ा अगर हमारे सबके बोलचाल में धीरे धीरे ये परिवर्तन होके बेसहारा गौमाता या बेसहारा पशु कहें, एक तो माता कहते हैं फिर दूसरी बार आवारा गाय कहते हैं। तो थोड़ा अगर इस ओर सभी सदस्य इसको अन्यथा न लें, अगर हम अपनी भाषा में थोड़ा इसको लायेंगे तो समाज में भी इसका असर जायेगा। आवारा गाय की जगह बेसहारा गाय कहने की एक परम्परा अगर हम अपने सदन में डालने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा।

श्री कुलवंत राणाः गौमाता का दूध पिया जीवन में आज तक और बच्चों को पिलाया है। अब सरकार यह तो बता दे आप क्या करोगे, हमें तो डायरेक्शन दे रहो हो आप। आप सरकार में हो, सरकार क्या कदम उठायेगी ये तो बताओ अब आप। बताओ।

माननीय अध्यक्षः बतायेंगे। माननीय सदस्य तरविंदर सिंह मारवाह जी संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः दो मिनट की बात है जी। आपका आदेश तो सिर–मत्थे पर हैं न जी। अध्यक्ष जी, सबने गऊमाता की बात कही, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी बात है पर कई बार दिल्ली जैसे शहर में भी जो हमारे कट्र दुश्मन हैं वो रात को गऊमाता जी की भी चोरी करके ले जाते हैं। करनैल सिंह जी इसका आप ध्यान रखो क्योंकि आप जरा इस काम में, भक्ति के काम में माहिर भी हैं और आप मंदिरों में भी ये संदेशा जरूर दो कि दिल्ली में मेरे को पता लगा है कि कई जगह से गऊमाता जी को चुपचाप ट्रक लाते हैं और ट्रेंड इतने हैं कि आधे मिनट में डालकर ले जाते हैं अध्यक्ष जी, इस पर भी रूकावट होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, गऊमाता जी की तो बात अलग है जो इस टाइम समस्या, क्योंकि पशुओं की बात आ गई, एक तो कुत्तों की समस्या बहुत बड़ी है दिल्ली में। जहां दौरे पर जाते हैं वहां पर कुत्तों की कम्प्लेंट जरूर करते हैं। क्योंकि कई, अभी पीछे पांच साल की बच्ची को मुझे कोई बता रहा था मतलब काटकर उसको घसीटकर ले गये कई मीटर।

तीसरी बात अध्यक्ष जी इसमें ये है कि बंदरों की भी बहुत बड़ी समस्या है। जहां पर 20–30 बंदर आ जाते हैं वहां पर काटना भी कई जगह शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपको ही आगे आना पड़ेगा क्योंकि अध्यक्ष जी आपका आदेश दिल्ली नगर निगम को भी या कोई कमेटी बनाओ क्योंकि आप कर्मठ, काम करने वाले व्यक्ति हैं मुझे पता है, इस समस्या पर देख लेना कोई और ध्यान नहीं देगा क्योंकि आप डांट भी लोगे और आप कानून को भी जानते हों, आपके सामने कोई अधिकारी, चाहे कमिश्नर हो, बोल नहीं सकेगा इसलिए आपको इसमें

आगे आना पड़ेगा और जो सदस्यों की ये बहुत भारी, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है अध्यक्ष जी ये, बहुत ही, जहां पर जाओ बंदरों की समस्या और कुत्तों की समस्या। गायमाता की तो समस्या अलग है। गऊमाता जी की समस्या तो हम लोगों को ही हल करना पड़ेगा, जैसे अभी राणा जी ने कही है। लेकिन ये समस्या के लिए आपको हमारा सहयोग देना होगा और आप इसमें मेहरबानी करके, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप इस पर थोड़ा ध्यान करके एक लेटर अपनी तरफ से लिखकर क्योंकि कॉरपोरेशन में कुत्तों उठाकर ले जाते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। बंदरों को उठाने के लिए उनको कोई है ही नहीं। अभी मेरे बेटे ने डेढ़ लाख रुपया पास से देकर वो क्योंकि आवाज से बोलते है, बेहोश की दवाई डालते हैं, एक लाख चालीस हजार देकर 30 या 35 बंदर वहां से हटवाए हैं। तो इसीलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे इसकी तरफ आप एक लेटर जरूर लिखें कमिश्नर को जिससे कि सदस्यों की समस्याओं का हल हो। धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः सदन की अनुमति से आधे घंटे का समय बढ़ाया जाता है। खत्म पहले कर देंगे, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा न।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब मैं देखिए, अब नाम पर नाम भेजे जा रहे हैं। एक तरफ आप चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, एक तरफ समय की भी सीमा है। अगर समय पर ये सदन समाप्त करना है तो फिर आपको, दो नाव पर पैर रखकर नहीं चल सकते आप, सदन जल्दी समाप्त भी हो और सदन में आपको बोलने का अवसर भी मिले।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो तो 15 मिनट में खत्म हो सकता है फिर 15 मिनट बाद फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी न। आधा घंटा इसलिए रखा है अगर 16 मिनट और 17 मिनट हो तो बात पूरी हो जाए। अब अंतिम वक्ता आ रहे हैं इसमें माननीय सदस्य–तिलक राम गुप्ता जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब देखिए,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं ये संभव नहीं हैं न। देखिए, किस, इसी विषय पर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब वो कहां गये,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मेरे को सीधा नाम बोलने से पॉसिबल नहीं है, ये सब कार्यवाही चीफ व्हिप की होती है, वो नाम भेजेंगे तो मैं उनको इसमें बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब इसमें, अब अगर सब मेम्बर, अभी इस प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगी। तो इसलिए इस पर मंत्री जी का रिप्लाई भी आयेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभय जी, थर्टी सेकंड में बोलना चाहते हैं, करनैल जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए अब तिलक राम जी के बाद फिर...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः तिलक राम जी पहले बोलेंगे।

श्री तिलक राम गुप्ताः माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि आज गऊमाता के ऊपर माननीय अशोक गोयल जी ने मुद्दा उठाया, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। मैं एक बात ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि 2013 के अंदर...

माननीय अध्यक्षः सदन अपने समय से समाप्त करें इसलिए हमने टी–ब्रेक नहीं किया है। चाय भी तैयार है आपके लिए और आज चेंज कर दी है सारी व्यवस्था, सुबह ठीक थी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, ब्रेक नहीं कर रहें, इसके बाद चाय पीकर ही जाना आप क्योंकि व्यवस्था है, कहीं हमारी चाय वेस्ट हो जाए यहां पर। हां, चाय पीकर जाना, नहीं तो मैं ब्रेक करके चाय पिलाकर फिर सम अप करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री तिलक राम गुप्ताः सभी, सुनने वाली बात है, एक मिनट, सबसे प्रार्थना है एक मिनट। अध्यक्ष जी, 2013 के अंदर भी गऊमाता का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था और जितनी भी डेयरी हैं क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, सभी को डेयरी

के लिए जगह अलॉटमेंट हो चुकी थी, अंदाजन, 90 परसेंट को हो चुकी थी और 2013 के अंदर तकरीबन जब हमने एमसीडी के अंदर सख्ताई की तो ज्यादातर गऊमाता डेयरियों के अंदर चली गई थी। उसके बाद मिलीभगत होने की वजह से, आपको पता ही है सब जगह क्या हाल है, गऊमाता फिर दुबारा डेयरी से वापसी अपने-अपने उसके अंदर आ गई, क्षेत्र के अंदर। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जिनकी डेयरियां हैं,... गऊमाता रखते हैं, जिनकी डेयरियां मिली हुई हैं उनको डेयरियों के अंदर भेजी जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बाकी जितनी भी और एक्सट्रा जो घूम रही हैं, दूध निकालकर के सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, वो कूड़ा-करकट खाती हैं, अगर उनका दूध अगर आप देखेंगे उसकी जब स्मेल अगर सुंघेंगे तो आपको दूध देखा भी नहीं जाएगा, ये ही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य- श्री करनैल सिंह जी।

श्री करनैल सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष जी मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मैं तो सिर्फ इतनी बात ऐड करना चाहता हूं कि और माननीय अशोक जी से भी कहूंगा कि अपने प्रस्ताव में ऐड करें, जो गायमाता जो आप सड़क पर देखते हैं घूमते हुए वो माता गऊमाता का कसूर नहीं है और मेरे सामने एक संज्ञान में एक चीज आई, एक व्यक्ति मेरे पास सिफारिश लेकर आया कि मेरी गाय को छुड़वा दीजिए। उसको, जब उसका बच्चा गाय का हुआ, जब वो ब्याही तो वो दो दिन की थी सिर्फ और जब उसको एमसीडी उठाकर ले गई तो वो तीन दिन तक वहां बंद रही और उसके जो दूध निकालने वाले जो थन होते हैं वहां से खून बहने लग गया, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गायमाता का कसूर नहीं है, उनको उठाने से सारी समस्या हल नहीं होगी। जो गाय के मालिक हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉज हो ताकि गाय को ये सहन न करना पड़े।...

माननीय अध्यक्षः इस पर मंत्री जी, मंत्री जी इस पर बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए अपने वक्तव्य में।

श्री करनैल सिंहः तो मेरा आपसे अनुरोध है अशोक जी कि ये गाय का कसूर नहीं है, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो गाय को इस चीज के लिए छोड़ देते हैं और माननीय मारवाह जी ने जो बात कहा, ये बात भी मेरे संज्ञान में आ चुकी है। मारवाह जी, मैंने 143 लोग इसमें सोशल में लगा दिए हैं, जब भी कोई इसको, गाय को पकड़ता है तो तुरंत उस पर हम कार्रवाई करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब चर्चा में सदस्यों ने भाग लिया, चर्चा के अंत में जो करनैल सिंह जी ने कहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि गायों का विषय उनके जो लोग उनको, जो माफिया है, जो मालिक है वो है असली विषय। इस सदन में मैं मंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि एक बिल लाकर और कानून में प्रावधान करें, नॉन बेलैबल ऑफेंस इसको बनाकर और सजा का उनके लिए और अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा तो जिस तरह गऊमाता की दुर्दशा हो रही है, कूड़ा खा रही हैं और उनका शोषण हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। अब माननीय मंत्री– श्री आशीष सूद जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री आशीष सूद): धन्यवाद आरणीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने आज प्राइवेट मेम्बर डे पर इन प्रस्तावों को अनुमति दी। ये प्रस्ताव न केवल पूरे सदन की भावना बल्कि सनातन की पालना करने वाले दिल्ली के पूरे समाज की भावना को परिलक्षित करता है। यहां जो चर्चा हुई है इस चर्चा में हम सबकी

पीड़ा, हम सबके सिविक कंसर्नस, सनातन के अनुयायी उनकी पीड़ा, सब पर बहुत गंभीरता से सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। सभी माननीय सदस्य इस विषय के साथ बहुत गहराई से, भावनात्मक रूप से, संवेदनशीलता से जुड़े हुए हैं। आप सभी सदस्यों ने देखा होगा कि इस बार के बजट में नई गौशालाओं के लिए सरकार ने प्रावधान भी किये हैं। मगर जैसा आज यहां सदन की भावना आई है कि इसको एक बिल के रूप में, कानून के रूप में बनाया जाए, सरकार सभी सदस्यों की इस भावना का आदर करती है और अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से इस सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बीएनएस के अंतर्गत अभी माननीय सदस्यों ने विशेष तौर से सबसे अंत में जो करनैल सिंह जी ने जिस बात की ओर इशारा किया है, बीएनएस की उन धाराओं को भी इस बिल में शामिल किया जाए इसके लिए इस सदन को मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को सभी विभागों से, इसमें हम multiplicity of governance जो दिल्ली में रहती है कि ये एमसीडी का काम है, ये पीडब्लूडी का काम है, ये फलानें की सड़क है, इन सब loop wholes को plug in करते हुए बिना किसी जल्दबाजी के फुलप्रुफ कानून बनाने की ओर लॉ विभाग को भी भेजेंगे, बीएनएस की धाराओं को भी स्टडी करेंगे, समाज के सभी संवेदनशील मुद्दों को भी टच करेंगे और आप सबकी भावनाओं को भी समावेश करके बहुत जल्द इसके संदर्भ में सरकार आगे बढ़ेगी और आप सबकी भावनाओं को, आप सभी की भावनाओं को कानूनी मूर्त रूप देकर एक बिल सरकार इसमें लेकर आयेगी, आप सबकी भावनाओं को उसमें जोड़ा जाएगा और फिर से चर्चा करके एक मजबूत कानून इसमें बने जिससे हमारी गौमाता, हमारा पशु-धन, हमारे दिल्ली के सिविक, हमारी देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी के सिविक ब्यूटी के लिए भी ये जरूरी है कि अवैध रूप से आवारा पशु, हमारे बेसहारा पशु न घूमे इसके लिए मानवीयता से

भी और दिल्ली की सुंदरता और दिल्ली की जो रूआब है उसके लिए भी ये जरूरी है, हम इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए इसके सभी कानूनी पहलुओं को स्टडी करते हुए, लॉ विभाग और अन्य विभागों की राय लेते हुए एक मजबूत बिल, अध्यक्ष जी आपने जो हमें निर्देश दिया उसके हिसाब से लेकर आएंगे। बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब जिनका रेजोल्यूशन है वो अंत में कुछ। हां।

श्री अशोक गोयलः कोई बिल लाने की भी कोई समय सीमा आप तय कर देंगे तो...

माननीय अध्यक्षः वो सारा मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उस व्यवस्था को देखा जाएगा और जल्दी से जल्दी लाएंगे।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी, इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक बिल आए तब तक जो विभाग के अधिकारी हैं कॉरपोरेशन के हैं, पशु विभाग हैं उनको तो निर्देश जारी कर दिये जाए न ताकि ये फौरी तौर पर तो लोगों को राहत मिले।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, कल नगर निगम के सभी विभागों के प्रमुखों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी एक बैठक हुई थी, आपकी इस भावना को पहले ही हमने कल नगर निगम को इन बेसहारा पशुओं की देखरेख और इनको सड़कों से उठाकर सही जगह पर पहुंचाने के निर्देश जारी किये है, कल मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुए, आगामी कुछ दिनों में मैं सभी अलग–अलग विभाग अध्यक्षों को बुलाकर इसका फॉलोअप करूंगा और संभव होगा, आप लोगों की उपलब्धता होगी तो

उस जोन या जहां के भी उपयुक्त अधिकारी बुलाये जाएंगे, आप लोगों को भी उसमें बुलाने का मैं प्रयास करूंगा, आपकी उपलब्धता होनी चाहिए उसके लिए।

माननीय अध्यक्षः अब श्री अशोक गोयल द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

मेरे विचार से हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

माननीय सदस्यगण, विपक्ष के सदस्य श्री संजीव झा, माननीय सदस्य जो उन्होंने गैर सरकारी सदस्य संकल्प नियम-89 यहां प्रस्तुत किया था लेकिन चूंकि वो सदन में मौजूद नहीं हैं तो नियमानुसार उनके इस प्रस्ताव को ड्राप किया जाता है।

माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही दिनांक 01 अप्रैल, 2025 दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।